राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 01] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 04

शुक्रवार,

24 जनवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष: आज सदस्यता की शपथ के लिए मैं नाम पुकार रहा हूं।

श्री कुंजीलाल (बामनवास)। अनुपस्थित।

श्री बी.एल. कुशवाह (धौलपुर)। अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री हमीरसिंह भायल।

महानरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्यों की निविदा प्रक्रिया का सरलीकरण

1. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महानरेगा के तहत कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया आदि के प्रावधानों के सरलीकरण हेतु बी.एस.आर. दरों पर कार्य करवाने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 प्रति परिशिष्ट एक पर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान की प्रति परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की संशोधित अनुसूची-प्रथम के बिन्दु संख्या 23 के अनुरूप ग्राम पंचायतों एवं कार्यकारी एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही सामग्री का क्रय किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के द्वारा निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरलीकरण किया गया है, तदनुसार ही महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामग्री का क्रय किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 के संशोधित अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 21 के प्रावधानानुसार ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करवाया जाना अनुमत नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही सामग्री का क्रय किया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निविदा प्राप्त करने वाली फर्म द्वारा निविदा कम दर भर कर कम दरों पर सामग्री सप्लाई का आदेश ले लिया जाता है, लेकिन समय पर सामग्री सप्लाई नहीं की जाती जिससे सामग्री के अभाव में कार्य नहीं हो पाते, इससे विकास कार्य रुक जाता है। उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करने एवं पुन: निविदा प्रक्रिया करने में 6 माह से ज्यादा का समय लग जाता है जिससे समय पर निर्माण कार्य नहीं हो पाता है।

क्या राज्य सरकार इस फर्म की रेट पारित की गयी और क्रय आदेश जारी किया गया उसके निर्धारित समय में सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में बी.एस.आर. दर या निविदा में स्वीकृत दर पर बाजार से सामग्री क्रय करने एवं विकास के निर्माण कार्य समय पर हों, ऐसा प्रावधान करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इस नेशनल रूरल एम्प्लोयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 का जो सेक्शन 21 और 23 है यह अपने आप में बिलकुल स्पष्ट है कि न तो किसी ठेकेदार प्रथा से आप इस काम को करा सकते हैं और न आप सामग्री परचेज में निविदाओं को आमंत्रित किये बिना कर सकते हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन हमने इसमें सुधार किया है, माननीय सदस्य की और सदन की जानकारी में कि यह जो हमारा जी.एफ. एण्ड ए.आर. था उसके तहत पहले, 2012 के पहले किसी भी सरपंच को बिना निविदा के भी तीन हजार तक की सामग्री परचेज करने का अधिकार था जो 2012 में हमने प्रिक्योरमेंट एक्ट, 2012 के तहत इसकी सीमा बढ़ा कर दस हजार का सामान बिना निविदा का खरीद सकता है।

सीमित निविदाओं के द्वारा पहले वाले, 2012 के पहले, पचास हजार तक का सामान सीमित निविदा का प्रोसेस करके सरपंच खरीद सकता था। अब इसमें 2012 के बाद जो चेंज किया, उसमें हमने जो क्रय समिति बना दे अपनी, सरपंच चाहे तो वार्ड पंच को, किसी को भी और वह बाजार में जाकर के पचास हजार तक की सामग्री खरीद सकता है। कोटेशन लेकर के अपने ही गांव में अगर दो-तीन फर्म हैं, जो सामान बेचती हैं तो उनसे कोटेशन ले लें, और उस कोटेशन के माध्यम से भी 2012 के बाद एक लाख तक की सामग्री खरीदने का अधिकार है।

सीमित बोली, मतलब दो-तीन फर्में जो वहीं की लोकल हैं, उनसे ही अगर टेण्डर इन्वाइट करके तो दो लाख तक की सीमा पर सरपंच सामग्री खरीद सकता है।

फिर इसके बाद जो खुली निविदाएं हैं, अगर दो लाख से अधिक किसी प्रकार की सामग्री का परचेज करना चाहता है तो उसे खुली निविदा का टेण्डर आमंत्रित करना पड़ेगा और उसके द्वारा ही खरीद सकता है।

तो मैं सोचता हूं कि एक सरपंच को सामान्य काम के लिए भी दो लाख तक अपनी एक छोटी-सी समिति के द्वारा और छोटे-से लोकल काम के द्वारा भी वह सामान खरीद सकता है पर दो लाख से अधिक किसी सामग्री को परचेज करेगा तो उसे निविदा करनी पड़ेगी। इसमें भी वर्षभर में वह बिना निविदा के भी तीन लाख तक का काम करा सकता है। कोटेशन के द्वारा, जो लोकल कोटेशन है पांच लाख का काम करा सकता है, सामग्री खरीद सकता है और सीमित बोली के माध्यम से भी वह दस लाख तक का काम करा सकता है। दस लाख से अधिक, सालभर की उसकी लिमिट है, अगर उसे अधिक काम कराना होगा तो उसे ओपन टेण्डर में जाना पड़ेगा।

तो जो एक्ट की भावना है और हमने जो स्कीम के तहत अपने नियम बना रखे हैं उसमें इन प्रोसेस के आधार पर सरपंच सामान खरीद

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सकता है। बी.एस.आर. के आधार पर काम का डिले होना, न होना, मैं सोचता हूं कि पंचायत में इससे बड़े काम नहीं होते जिनमें इतना बड़ा टेण्डरिंग प्रोसेस करना पड़े, दो लाख तक का उनको अधिकार है, अगर वे उसका काम करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि महात्मा गांधी रोजगार योजना की मूल भावना रोजगार का सृजन करना था, रोजगार उपलब्ध कराना था, क्या यह सही है कि 2008 से यह सम्पूर्ण राजस्थान में लागू हुआ? और क्या यह भी सही है कि धीरे-धीरे इसमें जो रोजगार सृजन का व्यय होना चाहिए था, जितना हमारा बजट का प्रोविजन होता है, हम उस बजट के प्रोविजन को ही पूरा नहीं कर पा रहे। जहां हमने 2008 में 6000 करोड़ से कुछ ज्यादा का इसके अन्दर रोजगार सृजन किया था आज धीरे-धीरे आकर यह 2000 तक भी नहीं आता, 1500 से 1800 के बीच में रह रहा है।

आखिर रोजगार सृजन के पीछे जो भावना थी वह ग्रामीण इलाके में रोजगार उपलब्ध कराने की थी, क्या इस भावना के अनुरूप, जो एक्ट की मूल भावना है उसके अनुरूप क्रियान्विति न करने के कारण आज आप इस परिस्थिति में हैं कि रोजगार उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यक्ति ही नहीं आ रहे हैं? कृपया आप यह बताएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह सच है, 2008 और 2009 में जो हमारे यहां टोटल खर्चा राजस्थान में बुक हुआ वह 6175 करोड़ था और इस साल जो हमारा 2013-14 का अब तक का, दिसम्बर तक का, जो पैसा बुक हुआ है वह 2039 करोड़ हुआ। इस साल के अंत तक हो सकता है 3000 करोड़ तक जायेगा लेकिन जो 2008-09 में हुआ वह इसमें नहीं हुआ। उसके कई रीजन हैं।

उसका रीजन यह है कि उस समय जो मिनिमम वेज था राजस्थान का 2008-09 में वह 73 रुपये था और नरेगा में काम करने की जो रेट थी वह भी 73 थी, इसके कारण से, रेट के अन्तर नहीं होने के कारण से, नयी-नयी स्कीम लागू हुई थी, जिस प्रकार से भी अपने मस्टररोल जारी करते थे, होते थे वे अपने हिसाब से, अब मस्टररोल एम.आई.एस. के थ्रू जैसे ही नाम लिखा जायेगा वैसे ही हमारे यहां कम्प्यूटर पर उस मजदूर का नाम बोलेगा कि यह इस दिन इस जगह इस काम पर चढ़ा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पहले जितने टेण्डर थे उनमें यह पता नहीं लगता था कि कितने मजदूर कहां चढ़ें और नहीं चढ़े तो थोड़ा-सा तो उसके कारण से। दूसरा क्या है कि जो रेट रिवाइज हुई मार्च 2008 के बाद वह मिनिमम वेज हो गया 100 रुपये और हमारा भी नरेगा में था 100 रुपये। आज नरेगा में जो वर्तमान रेट है, हमारा जो मिनिमम वेज है वह 165 रुपए है और नरेगा में मजदूरी का 149 रुपया है। तो रेट के कारण से और खुले बाजार में जब मजदूरी के बारे में कहें तो 200, 225 और 250 रुपया आज की तारीख में मजदूर को मिलता है। इसके कारण से भी मजदूर का आना कम हुआ है।

दूसरा, जिस प्रोसेस से आजकल मस्टररोल में नाम लिखे जाते हैं और वेरीफाई होते हैं उसकी वेरीफिकेशन का भी निश्चित रूप से असर पड़ा है कि वह चाहे जो काम कराए और चाहे जो काम वह करा नहीं पा रहा है। फिर मेटेरियल और मजदूर का जो कम्पोनैंट है वह 60-40 का पंचायत के अनुसार है और इसलिए उतने ही काम वह पक्के करा सकता है जो चालीस में बैठता है। तो कुछ तो नियमों की जो कठोरता है, इसमें यह है कि पारदर्शिता रहे, पैसे का ठीक उपयोग हो। जिस काम के लिए खर्च करें उसके कारण से सारा का सारा जब पेमेण्ट होता है तो अब आठ राज्यों ने तो वह भी आन लाइन कर दिया। यानी आज कोई मेटेरियल खरीदा तो जिस आदमी ने बेचा उसी के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। अब यह जो बीच की कड़ी थी पैसे को ट्रांसफर करने की, उस पर भी रोक लगी है।

तो, इन आल मिलाकर के, यह बात सही है कि पहले की तुलना में आज मजदूर घटा है, पहले की तुलना में जितना हमारा खर्चा होता था वह घटा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार जो दो हजार के लगभग था इस बार हम तीन हजार चले जाएं। अभी इस जनवरी के पखवाड़े में बारह लाख तक मजदूरों की संख्या पहुंचाई है और मैं सोचता हूं कि शायद यह दो तीन महीने जो आएंगे इसमें हमारी मजदूरों की संख्या फिर आगे बढ़ेगी ... (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): श्रम शक्ति 10.6 से 16.6 पर पहुंच गयी यानी श्रम शक्ति में डेढ़ा इजाफा हो गया और रोजगार सृजन में आप लोग उस मापदण्ड पर नहीं आ रहे। श्रम शक्ति का 10.6 परसेंट से बढ़कर 16.8 परसेंट तक जाना और उसके उपरांत भी रोजगार सृजन नरेगा के नाम का,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इसमें कहीं न कहीं जो विसंगतियां हैं, क्या अंशदान के रूप में सरकार इस विसंगति को पूरा करके उसको वहां रोजगार सृजन की वित्तीय व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं चाहते?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह है कि रोजगार गारण्टी है। अगर कोई व्यक्ति फार्म नम्बर-6 भरकर के देता है और उसे अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है 15 दिन में तो सम्बन्धित अधिकारी पर फाइन का प्रोवीजन इसमें है। तो जब तक 6 का फार्म ही नहीं भरा जाएगा, मस्टररोल के लिए वह इलीजिबल ही नहीं होगा, अगर मजदूर आएगा और हमने मजदूरी नहीं दी तो हमने फाइन का अधिकार भी इसमें दे रखा है कि जो भी अधिकारी इसमें डिले करेगा उसको अपनी व्यक्तिगत सेलेरी से पैसा देना पड़ेगा।

मैं सोचता हूं कि सरकार की मंशा यह है कि जो भी काम चाहे, उसे निश्चित रूप से काम मिलेगा। अगर वह फार्म नम्बर-6 ही भर करके नहीं देता, अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं करता तो उसके लिए तो विभाग कुछ नहीं कर सकता।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2008 के अन्दर जो वर्क सैंक्शन हुए हैं उसके साथ जो मेटेरियल कम्पोनेंट सैंक्शन हुआ था, 2014 तक वह काम नहीं हुए। तो क्या मेटेरियल कम्पोनेंट की जो रेट बढी है, एस्टीमेट से आज की उस रेट का जो डिफरेंस है क्या उस ठेकेदार से रिस्क एण्ड कास्ट पर वसूला जाता है या उसको पुन: वापस सैंक्शन किया जाता है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 2008 के पैण्डिंग काम की तो आज मेरे पास सूचना नहीं है कि कौन-कौन से काम किस-किस पंचायत में पैंडिंग हैं। लेकिर अगर किसी कारण विशेष से है और मेटेरियल और मजदूर का रेश्यो नहीं बैठता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी और योजना से भी इसको डोवटेल करके, यह जो मेटेरियल कम्पोनेंट है इसको और अगर बढ़ाया जा सकता है तो कुछ और पक्के काम करने में हमको मदद मिलेगी। उस ओर हम प्रोसेस में हैं।

श्री अध्यक्ष: पुष्पेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मंत्रीजी से मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आपने बताया कि 2008-09 में लगभग 6100 करोड़ की नरेगा के तहत बुकिंग की। पिछले 2009 से लेकर 2013 तक अगर आप देखें तो राजस्थान ने मात्र 2200 करोड़ से ज्यादा काम नरेगा में नहीं किया है। 2008-09 में ग्रामीण विकास मंत्रालय केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को सम्मानित किया था कि राजस्थान ने सबसे अच्छा काम नरेगा में किया।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा हूं गांवों में रोजगार, जो व्यक्ति काम करने जाता है उसको छह-छह महीने तक भुगतान नहीं होता है। छह-छह महीने भुगतान नहीं होने के कारण जिस व्यक्ति को 100 रुपये डेली मजदूरी मिलती है तो वह नरेगा से धीरे-धीरे अपना मुंह मोड़ता है। क्या सरकार उसको नियमित एक महीने के अन्दर भुगतान कराने की वापस परम्परा लागू करेगी या नहीं? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वैसे भुगतान पन्द्रह दिन की अवधि में करना अनिवार्य है ...(व्यवधान) मेरे पास बाड़मेर के फिगर हैं, सारे प्रदेश के फिगर नहीं हैं। लेकिन डिले पेमेण्ट बाड़मेर की जो आठों पंचायत समितियां हैं उसमें नब्बे दिन से अधिक डिले जो पेमेण्ट हुआ है वह 9.98 लाख का हुआ है। धौरीमन्ना में जो हुआ है, नब्बे दिन। मैंने डेट-वाइज कर रखा है, 15 दिन से 30 दिन में डिले कहां हुआ, 30 दिन से 60 दिन में डिले कितना है और 60 दिन से 90 दिन में डिले कितना है और 90 दिन से अधिक का डिले कितना है। मैंने पूरा चार्ट बनाकर के टोटल जो है निश्चित रूप से बाड़मेर जिले में 107 करोड़ रुपये का डिले, जो 15 दिन की अवधि में हो जाना चाहिए, उसमें कहीं 15 दिन का, कहीं 20 दिन का, कहीं 30 दिन का डिले है, निश्चित रूप से है।

लेकिन अब अगर डिले करने वाला 15 दिन में उसका पेमेण्ट नहीं करेगा तो उसका फाइन लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर जो इस पेमेण्ट को डिले करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी। जोगारामजी के बाद प्रद्युम्न सिंहजी। उसके बाद इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं होंगे। पर्याप्त समय दे दिया है मैंने इसके महत्व को देखते हुए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सप्लीमैंट्रीज अलाउ करें कृपया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि नरेगा में जो रोजगार की मूल भावना थी, जो मूल उद्देश्य था उसमें कमी हो रही है, यह स्वीकृत तथ्य है। परन्तु कृषि विभाग में या कृषि से सम्बन्धित कार्यों में और उद्योगों में इन मजदूरों की या रोजगार गारंटी की वजह से कमी आ रही है। क्या सरकार रोजगार गारण्टी के तहत जो मजदूर आ रहे हैं उनको उद्योगों से सम्बन्धित या कृषि से सम्बन्धित जोड़ने का विचार रखती है?

दूसरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हैल्पर और अन्य मजदूरों की बहुत कमी है तो क्या मजदूरों को इन दोनों विभागों में उनकी आवश्यकता के अनुसार डेपुटेशन पर, रोजगार पर, दैनिक मजदूरी पर या किसी भी तरह से दिया जा सकता है ताकि उन विभागों में जो कर्मचारियों की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए और जो रोजगार मांग रहे हैं उनको रोजगार मिल जाए। यह दो प्रश्न मेरे माननीय मंत्रीजी से हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनके बाद प्रद्युम्न सिंहजी होंगे। उसके बाद इस विषय पर पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं होगी।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, रोजगार गारंटी में 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है। मजदूरों के ऊपर जो काम करते हैं वहां पर मेजरमेंट व्यवस्था है और मेजरमेंट व्यवस्था होने के नाते उस मजदूर को दिन का 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी का मेजरमेंट नहीं होता, हमारे पटवारी का नहीं होता, हमारे मास्टर का नहीं होता, किसी का मेजरमेंट नहीं होता। उस गरीब को 100 दिन रोजगार देने का अवसर मिला है और भारत सरकार ने कानून पास किया है, उसके साथ में मेजरमेंट व्यवस्था खतम करना चाहती है सरकार या नहीं?

श्री अध्यक्ष: आपने सवाल पूछ लिया, इसका जवाब दिया जाएगा। माननीय मंत्रीजी, इनके बाद माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नरेगा की मजदूरी 149 रुपया, सामान्यतया जो बाड़मेर के फिगर मेरे पास हैं कोई भी ऐसा श्रमिक नहीं जिसको 112 रुपये से कम भुगतान हुआ हो एवरेज। लेकिन मेरे पास क्योंकि केवल बाड़मेर का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्वेश्चन था इसके कारण से मैं फिगर उसी के लाया। लेकिन 149 रुपया मिनिमम होने के कारण से निश्चित रूप से बाजार में मजदूर की रेट बढ़ी है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदस्य राजस्थान विधान सभा ने पूछा है और पूरे प्रदेश का पूछा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं कृपा करके आपको राजस्थान का ही दे रहा हूं पर आप तो पूछ लो मेरे गांव के मजदूरों को क्या पेमेण्ट हुआ, मैं कहां से ले आऊंगा ...(व्यवधान) बात हुई यह।

श्री अध्यक्ष: बहुत इस पर प्रश्न हो चुके हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न नहीं है यह। मूल प्रश्न से बाहर के प्रश्न हैं यह सारे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निश्चित रूप से मजदूर की मजदूरी नरेगा में बढ़ने के कारण इण्डस्ट्री में और बाकी जगह दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ रुपये तक मजदूर के लगते हैं। किसान को भी मजदूरी के काम से तकलीफ आ रही है। इस पर फिर विचार कर रहे हैं कि क्या किसान के काम को नरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है। इस गाइड लाइन को आगे परश्यु करके लेने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक इण्डस्ट्री का सवाल है, इण्डस्ट्री में इन लेबर के द्वारा काम कराना यह सामान्यत: न तो आपके समझ में आयेगा, न मेरे समझ में आयेगा लेकिन खेती से कैसे जोड़ा जा करके किसान को रिलीफ इसमें पहुंचायी जा सकती है। जहां तक मजूदरी का सवाल है, मैं सोचता हूं जो नार्म्स बने हुए हैं काम के पांच लोगों का एक क्लब बना करके उसका जो एवरेज काम आता है एक व्यक्ति का नहीं, और उसके आधार पर उसका पेमेण्ट जरूर होता है लेकिन सामान्यत: मैंने जो बाड़मेर का बताया ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको एक सौ बारह रुपये से कम का पेमेण्ट हुआ हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि सारी जो मजदूरों की संख्या में कमी आयी है उसका मूल कारण है लेबर कम्पोनेण्ट और मैटेरियल कम्पोनेण्ट का झगड़ा। हमारे जिले के अन्दर जब तक कच्चे काम हुए मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा रही। जब कच्चे काम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समाप्त हो गये तो, यह मैटेरियल कम्पोनेण्ट और लेबर कम्पोनेण्ट का जो रेश्यो है उसमें इतना बड़ा फर्क है कि आज वह काम हो ही नहीं सकते। सरपंच प्रस्ताव बना-बनाकर भेज रहे हैं नरेगा के तहत और काम की स्वीकृति नहीं मिल रही है। इस समस्या का आप कैसे निदान करने जा रहे हैं? अगर आपकी कोई अभी योजना है तो इसको बता दें। सारी समस्या की जड़ यही है इसके अन्दर। इसीलिये मजदूरों की संख्या कम हो रही है। अगर इस पर आप कुछ प्रकाश डाल सकें तो आपकी कृपा होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमारा भी अभिमत है कि मैटेरियल कम्पोनेण्ट को कैसे बढ़ाया जाये जिसके कारण से अधिक से अधिक पक्के काम गांवों में हो सकें। अभी यूनिट पंचायत है। हम अपना प्रस्ताव कोशिश करेंगे कि पंचायत समिति को यूनिट बनाकर के अगर 40-60 में है और जब तक कंसेंट नहीं मिलती है तब हम उसमें आगें नहीं कर पायेंगे।

दूसरा यह कि हम मैटेरियल कम्पोनेण्ट में कौनसा फण्ड डोवटेल कर सकते हैं? कौन-कौनसा उसके साथ मिला सकते हैं? एक एम एल ए फण्ड मिला सकते हैं, एम पी मिला सकते हैं, अनटाइड मिला सकते हैं या और कुछ है उस सबके लिये हम अपना प्रस्ताव बनाकर भेज रहे हैं। अगर इसके बारे में कंसेंट मिलेगी तो हम निश्चित रूप से आपकी भावना के अनुसार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। डा. किरोड़ी लालजी।

शिक्षक भर्ती में आरटेट की अनिवार्यता

2. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षक भर्ती में लागू आरटेट परीक्षा को समाप्त करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब तक एवं अब इसे कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

(2) वर्तमान में टेट के प्रावधान के कारण कितने अध्यापकों का पदस्थापन रुका हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) आरटेट परीक्षा की समीक्षा कर इसी बाधाओं को दूर करने सम्बन्धित घोषणा बिन्दु नीतिगत दस्तावेज में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा समीक्षा कर, आरटेट के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरटेट के सम्बन्ध में समीक्षा उपरान्त नवीन व्यवस्था प्रभावशील होने तक आरटेट परीक्षा के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार 20,000 पदों पर नियुक्तियां अपेक्षित हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है जिसको घुमा दिया मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष: आप साफ कर दीजिये। सीधा कर दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने चुनाव के दौरान घोषणा की थी या नहीं कि हम आरटेट को खतम करेंगे ? मोटा सा जवाब दे दो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है सुन लें जो सुराज संकल्प...(व्यवधान) चुनाव घोषणा पत्र जो निकाला उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): घोषणा पत्र नहीं सुराज संकल्प यात्रा में....

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पहले सुन लें। सुन लें...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने प्रदेश के जवानों को गुमराह किया...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): कोई गुमराह नहीं किया। विराजो आप। विराजो...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): और बार-बार यह कहा उसका जवाब दो...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): विराजो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 60 दिन की कार्य योजना है आप इसकी घोषणा करो। (व्यवधान) सारे साल पूरे समीक्षा करते रहेंगे क्या इसकी! घोषणा की है तो आप इसको करो न खतम टेट को...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये। हमने स्पष्ट रूप से यह कहा है वर्तमान आरटेट की परीक्षा की समीक्षा कर इसकी बाधाओं को दूर किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सरकारी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बनायी है जो इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट के आधार पर...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कितने दिन में? कितने दिन में देंगे? मंत्रीजी, इसकी घोषणा करें कितने दिन में टेट को खतम करेंगे? घोषणा करें इसकी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक बात तो हुई। अब आपकी कमेटी बनी। मैं यह कह रहा हूं, क्या सही है कि राज्य सरकार ने 11 अक्टूबर, 2013 को 20,000 पदों पर नियुक्ति हेतु आरटेट की परीक्षा ली थी जिसमें एस टी, एस सी, ओ बी सी, जनरल महिला को 50 परसेण्ट पर, एस टी, एस सी, ओ बी सी को 45 परसेण्ट पर, विधवा, तलाकशुदा, नि:शक्त का 40 परसेण्ट पर चयन किया गया था ? ऐसे 5 लाख 33 हजार अभ्यर्थी थे इसमें। क्या उनको आप इस आधार पर जो आपने चयन किया है इसके आधार पर आचार संहिता लगने से पहले 20 हजार लोगों को पोस्टिंग दे दोगे ?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी, आपको जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एस एल पी के बाद भी आपने 6 हजार टीचर्स को नियुक्ति दी है। आप पूछ लो उधर और पर्ची मंगा लो...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिये। 20 हजार की नियुक्ति का जहां तक सवाल है इसके आरक्षण को....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप मेरी बात सुनो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत का निर्णय दिया। डी बी में गये तो वह 60 प्रतिशत का निर्णय, डी बी ने 60 प्रतिशत का निर्णय दे दिया। डी बी के खिलाफ सरकार एस एल पी में गयी और वहां से स्टे हुए। उसके बाद 6 हजार शिक्षकों को नियुक्ति दी है। यह कह रहे हैं एस एल पी वहां पर है इसलिये हम नियुक्ति नहीं दे सकते। आपका मन साफ नहीं है। आप नियुक्ति नहीं देना चाहते हैं और एस एल पी का सुनो। मैं एस एल पी बताता हूं आपको। उसके बाद भी नियुक्ति दी है। एस एल पी में...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): थर्ड ग्रेड टीचर्स की कोई नियुक्ति नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी जब विचाराधीन है तो हम कैसे नियुक्ति दे सकते हैं? जब वहां से निर्णय होगा तब ही देंगे और जहां तक जनता को गुमराह करने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, जो करती है वह कहती है। हमने किसी को गुमराह नहीं किया...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एस एल पी के बाद...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एस एल पी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया, 6 हजार टीचर्स को नियुक्ति दी है। मैं यह सही कह रहा हूं। आप इसको कन्फर्म कर लें। आप सदन को गुमराह मत करो। आप जाओ जल्दी खटाखट राठौड़ साहब। पर्ची लाओ, उनको फीड करो। यह होम वर्क करके नहीं आये हैं, तैयारी करके नहीं आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, एस एल पी एक हुई है जिसमें, अब आप एस एल पी का सुन लो। आप एस एल पी नम्बर लिख लो माननीय मंत्रीजी। एस एल पी नम्बर सी 28043...(व्यवधान) 2013 लिख लो। 2013 का प्रोफेसर ए. मार्क्स पिटिशनर हैं और गवर्नमेंट आफ तमिलनाडू एण्ड अदर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुन लो। सुप्रीम कोर्ट के माथे मत पड़ो। इसमें फैसले में दिया है "The question as to whether the cut off marks stipulated for the reserved category..." मंत्रीजी, सुन लो। भाई साहब, आप दखल मत डालो राठौड़ साहब...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन को एड्रेस कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, सारी साहब। जो सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडू के मामले में फैसला है "The question as to whether the cut off marks stipulated for the reserved category candidates have to be reduced or not is entirely a matter of the State Government to decide." सुप्रीम कोर्ट कह रहा है "The court existing writ jurisdiction can not grant such relaxations. Concessional marks as the same is the decision to be taken by the State Government. आपको लेना है। यह आप सुप्रीम कोर्ट के माथे मत पड़ो "Taking into consideration, a variety of factors, state authorities concerned in their wisdom, would fix the cut off marks and court can not substitute its views to that of expert. We in such circumstances are not inclined to interfere with these Special Leave Petitions and the same are dismissed." सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, स्पीकर साहब, आप समझ गये होंगे कि राज्य सरकार तय करेगी। आप तो बड़े लायर भी रहे हैं। राज्य सरकार ही तय करेगी रिजर्व कैटेगरी के लिये और यह मौका मिला है पहली बार प्रदेश को कि आप रिजर्व कैटेगरी के स्पीकर बने हैं...

श्री अध्यक्ष: आप और मैं दोनों हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, मेरे सवाल करने का मौका मिला है। आप कृपा करके इनको प्रताड़ना दें, यह क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी को वापिस लेना, जिससे जो 60 परसेंट का मापदंड तय कर

(डा. किरोड़ी लाल)

रखा है, उस 60 परसेंट पर एडमिशन देकर एस.टी., एस.सी., ओबीसी के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल सा सवाल है। एक मिनट, मंत्री महोदय। आपका एक स्टेटमेंट 8-10 दिन पहले आया था। आपने कहा था कि हम आरटेट समाप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। आपने कहा था या नहीं कहा था? अखबारों की कटिंग मैं पेश कर सकता हूं। एक मिनट, एक मिनट मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सदस्य, एक-एक करके बोलो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पिछली बार जब हम बोलते थे तो आप कहते थे कि अख़बार का वजूद नहीं है। यह बोलते थे यहां पर। सदन के नेता भी यहां बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): खंडन कर दो उसका ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, सिम्पल सा सवाल है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने के लिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह डिस्टर्ब न करें ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिये ...(व्यवधान) मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिये। माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था कि हम आरटेट को समाप्त नहीं कर सकते ...(व्यवधान) चलिये, आपने कहा था। हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि हम आरटेट को समाप्त करेंगे। आपका विजन डाक्यूमेंट जो भी आपका है, उसमें आपने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। एक तरफ तो चुनाव में लाभ उठाने के लिए कहा गया कि हम आरटेट समाप्त करेंगे। आपका स्टेटमेंट आया कि हम आरटेट समाप्त नहीं करेंगे। यह दोहरा मापदंड कैसा? आपकी क्या नीति है? आप समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने 60 दिन की कार्य योजना बनाई, 40 दिन हो गये, क्या समीक्षा की आपने अभी तक आरटेट के बारे में? इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप विराजें तो मैं जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय किरोड़ी लालजी ने जो प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी हालत में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, जो-जो आरक्षण की व्यवस्था है, उनके साथ कहीं भी, किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होगा। यह बात प्रदेश की जनता ने चुनावों में बता दी, 34 में से 32 सीट जो एससी के लिए आरक्षित हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, नम्बर एक। दूसरा, जो आपने कहा, इसका मैंने पहले भी जवाब दिया कि हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। वह सारी बात को देख रही है। इसकी समीक्षा करके निश्चित रुप से इस प्रकार का निर्णय यह सरकार करेगी, जिससे किसी के हित का उल्लंघन नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बहुत हो गया, बहुत हो गया ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत कैसे हो गया, हमने तो पूछा ही नहीं ...(व्यवधान) हमने पूछा ही नहीं, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तय कर लें, मैं एक को और अलाउ करूंगा ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं अभी पूछ लेता हूं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके नेता ने प्रश्न पूछ लिया, आपको विश्वास नहीं है क्या उन पर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निर्णय किया जायेगा? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक प्रश्न, एक प्रश्न ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हमारी नहीं, सबकी है मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां मुख्य मंत्री काहे की ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान की, पूरे सदन की है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सुराज यात्रा में वसुंधरा राजेजी ने जो वर्तमान में मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यह कहा था कि हम टेट खतम करेंगे और उसके बाद 3.1.2014 के अखबारों में भी आया है, 2 जनवरी को आपने यह कहा है कि हम टेट की मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करेंगे, दसवीं और बारहवीं के अंक जोड़ेंगे। आप टेट खतम करेंगे या नहीं करेंगे, इसका स्पष्ट जवाब दें। आप टेट को आधार मानकर ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कितने दिन में करेंगे यह भी घोषणा करें ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): या आरपीएससी से करायेंगे, यह स्पष्ट बताने की कृपा करें ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, यह टेट खतम करेंगे या नहीं करेंगे यह स्पष्ट बतायें ...(व्यवधान) राजस्थान का युवा इनको देख रहा है एक जवाब दीजिये ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): पहले तो यह बतायें कि कांग्रेस ने लागू क्यों किया राजस्थान में ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाइये, आप बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जोर-जोर से चिल्लाने से कोई डरता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी खुद कह रहे हैं कि मैं सक्षम हूं। इनकी सक्षमता तो देखें ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): टेट खतम करेंगे या नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बस एक जवाब दे दो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुख्य मंत्रीजी ने सही बोला है या आप सही बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, क्या जो लोग उसका सहारा बन रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने तो लगाया था टेट, फिर आप क्यों पूछ रहे हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दोनों में से सही कौन है शिक्षा मंत्रीजी हैं या मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमें जवाब चाहिये कि आरटेट खतम करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इसका मतलब आपकी सरकार ने आरटेट लगाया था ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह झूठी, निक्कमी सरकार है जो असत्य के बल पर जनादेश लेकर आयी है ...(व्यवधान) इनके पास में कोई जवाब नहीं है। यह असत्य हैं और असत्य बोलकर के ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप बैठ जाइये चुपचाप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अपनी आवाज ...(व्यवधान) तरीके से कहनी चाहिये ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, हमको एक ही जवाब चाहिए कि खतम करेंगे कि नहीं करेंगे ...(व्यवधान) बस एक ही जवाब तो मांगा है और ज्यादा पूछ कहां रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): स्पष्ट जवाब दे दें ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमको एक ही जवाब चाहिये कि खतम करेंगे कि नहीं करेंगे ...(व्यवधान) कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने अपनी आवाज पुरजोर शब्दों में ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): छोटी सी बात है, एक ही तो बात है मंत्री जी ...(व्यवधान) खतम करेंगे या नहीं करेंगे, बस इतना ही तो कहना है ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): खतम करेंगे या नहीं करेंगे और करेंगे तो कब तक खतम करेंगे ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कब तक खतम करेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लायें, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप बैठ जाओ ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह कोई तरीका नहीं है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जवाब दिलायें...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): खतम करेंगे या नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अब आप अपने आसनों पर जाइये ...(व्यवधान) कृपया, आप अपने आसनों पर जाइये ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): अशोक गहलोत साहब से पूछो कि आरटेट क्यों लागू किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी आवाज उठा दी ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): राजस्थान के नौजवान के साथ में खिलवाड़ किया गया ...(व्यवधान) 5 साल में राजस्थान के नौजवान के साथ में खिलवाड़ किया है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 5 साल में आपने क्या किया यह बताओ पहले ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 5 साल में राजस्थान को बरबाद कर दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया अब ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्यों लगाया यह अशोक गहलोतजी से पूछो? यह बैठे हैं हाउस में ...(व्यवधान) यह लगाया किसने? अगर टेट खराब था तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): टेट लगाने की बात की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग विराजें ...(व्यवधान) यह हो गया है ...(व्यवधान) अब आप लोग अपने-अपने आसन पर जायें ...(व्यवधान) बहुत जोरदार तरीके से आपने इस प्रश्न को रख दिया। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ...(व्यवधान) हो गया, हो गया ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जवाब दिलायें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दिलायें, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब भी आ गया। अगला प्रश्न पुकारता हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब दिलायें, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद

3. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की जा रही है? यदि हां, तो खरीद के क्या मानदंड निर्धारित हैं व कहां-कहां खरीद केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? मानदंड की प्रति व जिलेवार, स्वीकृत व प्रारम्भ हुए खरीद केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में उक्त केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था व उचित भंडारण नहीं होने के कारण मूंगफली की खरीद समय पर शुरू नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं व दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में जोधपुर जिले में जमाबंदी व गिरदावरी लेकर मूंगफली खरीद के लिये पंजीयन किया गया है? यदि हां, तो किन-किन खरीद केन्द्रों पर, कितनी-कितनी जमाबंदी व गिरदावरियां जमा हुई? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खरीद केन्द्र शुरू होते ही अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बालेसर में खरीद केन्द्र स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो मूंगफली खरीद का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार बारदाना व भंडारण की व्यवस्था शीघ्र कर आने वाले सभी किसानों की मूंगफली समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार, कितनी समय-सीमा में व नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी जवाब देना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह खुद टेट लगाने वाले हैं ...(व्यवधान) वह आज इस बात की मांग कर रहे हैं। जब इनकी 5 साल सरकार थी तो इन्होंने क्या किया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे चुके ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया ...(व्यवधान) इन्होंने टेट लगाया, केन्द्र में इनकी सरकार चल रही है।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना बिन्दु रख दिया है ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप हटाइये, यह दिल्ली का मामला है, केन्द्र का मामला है...(व्यवधान) केन्द्र में आपकी सरकार है...(व्यवधान) हटाइये टेट...(व्यवधान) उलटा चोर कोतवाल को डांटे, आप लोगों के कारनामे हैं यह...(व्यवधान) टेट लगाने का काम कांग्रेस ने किया...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलायें ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ...(व्यवधान) आपकी कांग्रेस सरकार के समय का मामला है, केन्द्र में आपकी सरकार है, उसे कहो हटाओ, केन्द्र में आपकी सरकार है उसे कहिये हटाइये टेट। (व्यवधान) उलटा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोगों के कारनामे हैं, यह टेट लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान अगर किसी वजह से दु:खी है तो कांग्रेस की वजह से है। (व्यवधान) कांग्रेस के लोगों ने गलत किया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, इससे आगे आप जो जवाब चाहते हैं वह जवाब वह नहीं दे सकते। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप विराजिये। माननीय सदस्य, हनुमानजी बेनीवाल, आप विराजिये। (व्यवधान) आप भी बैठिये। (व्यवधान) बहुत हो गया। (व्यवधान) इससे क्या निकलेगा? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह जवाब ही नहीं दे सकते।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) हम ऐसी झूठी और निकम्मी सरकार का बहिर्गमन करते हैं जो झूठ पर टिकी हुई है। (व्यवधान). इसका वाकआउट करते हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री हीरालाल (निवाई): आपको तो जनता ने ही भगा दिया, जाना ही लिखा है आपके भाग्य में।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह आपसी लड़ाई गोधों-गोधों की लड़ाई और पौधों की खुड़ताल, यह आपसी लड़ाई, मैं यह पूछना चाहती हूं कि इससे राजस्थान का विकास क्या हो पायेगा ऐसी लड़ाई में? (व्यवधान)

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): लेकिन सरकार जवाब दे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है ...(व्यवधान) जो वादे किए हैं वह निश्चित रूप से हम पूरे करेंगे। यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए प्रतिपक्ष के सदस्य यहां पर नारेबाजी करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इन लोगों की हालत की है, यह अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए यहां यह नाटक करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता गुमराह नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और जो करती है वह कहती है। इसी आधार पर हमने गवर्नमेंट बनते ही सबसे पहले अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आते ही हम आरटेट के बारे में फैसला लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हो यह रहा है कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। जिन्होंने टेट लगाया, जिन्होंने आरटेट लगाया, जिन्होंने परीक्षा की, लेकिन हम जब आये तो परीक्षा होकर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन दे रखा था। हमसे सवाल करते हैं? अपने गिरेबान में झांककर देखें, इन्होंने राजस्थान के नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, राजस्थान के नौजवान ने अंगड़ाई लेकर इन्हें सत्ता से बाहर किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) बहुत हो गया, बहुत हो गया। (व्यवधान) बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय बाबूसिंहजी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ, अगला प्रश्न हो गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न आ गया।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना) (राज्य मंत्री, सहकारिता के स्थान पर): (1) जी हां। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर एवं जिलेवार स्वीकृत तथा प्रारम्भ हुए खरीद केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद हेतु नेफेड द्वारा राजफेड को जोधपुर, फलौदी, मथानिया एवं बालेसर क्रय केन्द्र आबंटित किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद हेतु बारदाना नोडल एजेंसी द्वारा निर्देशित भण्डार गृहों में मूंगफली का भण्डारण सम्बन्धित क्रय केन्द्रों द्वारा कराया जा रहा है। क्रय केन्द्र स्वीकृत होने तथा हैण्डलिंग परिवहन की दरें नेफेड से अनुमोदन के पश्चात् जब भी कृषक द्वारा एफक्यू मानक के अनुसार मूंगफली बेचने हेतु लाई जाती है, वैसे ही खरीद की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है। दिनांक 16 जनवरी, 2014 को जोधपुर जिले में विभिन्न केन्द्रों पर निम्नानुसार बारदाना उपलब्ध है:-

क्रमांक	क्रियाशील केन्द्र	उपलब्ध बारदाना बोरी
1	फलौदी	13426
2	मथानिया	19942
3	बालेसर	14500
	योग	**47417**

मूंगफली के बाजार मूल्य अप्रत्याशित रूप से कम हो जाने के कारण आवक बढ़ गई है तथा स्थानीय गोदाम भर जाने के कारण नेफेड द्वारा जोधपुर में गोदाम की व्यवस्था की गई है।

सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर जिले में फलौदी एवं मथानिया केन्द्र पर बारदाना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बीच

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद बाधित रही है। बालेसर क्रय केन्द्र पर परिवहन एवं हैण्डलिंग की दरें नेफेड द्वारा स्वीकृत नहीं होने के कारण खरीद प्रारम्भ नहीं हुई थी। हैण्डलिंग की दरें नेफेड द्वारा दिनांक 16.01.2014 को स्वीकृत की गई हैं तथा दिनांक 17.01.2014 को बालेसर केन्द्र पर खरीद प्रारम्भ कर दी गई है। जोधपुर खरीद केन्द्र पर मूंगफली की आवक नहीं होने तथा गिरदावरी/जमाबन्दी प्राप्त नहीं होने के कारण खरीद प्रारम्भ नहीं हुई है।

(3) जी हां। जोधपुर जिले में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद हेतु अब तक किसानों से केन्द्रवार निम्नानुसार गिरदावरियां प्राप्त हुई हैः-

क्र.सं.	**नाम खरीद केन्द्र**	**प्राप्त गिरदावरियां**
1	फलौदी	2250
2	मथानिया	1492
3	बालेसर	1516

(4) जी हां। सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जोधपुर जिले के फलौदी केन्द्र पर समर्थन मूल्य मूंगफली खरीद में जिला कलक्टर, जोधपुर के माध्यम से उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर को शिकायत प्राप्त हुई जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर द्वितीय, जोधपुर को भिजवाई जा चुकी है। इस क्रम में विशेष लेखा परीक्षक, जोधपुर को क्रय केन्द्र फलौदी पर खरीद कार्य समाप्त होने तक पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री पब्बाराम विश्नोई, माननीय विधायक फलौदी द्वारा की गई एक अन्य शिकायत के क्रम में विशेष लेखा परीक्षक, जोधपुर को जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सम्बन्धित इन्सपेक्टर को कल की तारीख में एपीओ भी कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर को जनरल मैनेजर, तिलम् संघ परियोजना, श्रीगंगानगर के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त होने पर उनके द्वारा जनरल मैनेजर, तिलम् संघ परियोजना, श्रीगंगानगर से स्पष्टीकरण चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग को किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर क्रय केन्द्र स्थापित किया जाकर समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद का कार्य दिनांक 17.01.2014 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

(6) जी हां। बारदाने व भण्डारण की समुचित व्यवस्था करते हुए समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार 12.02.2014 तक जारी रहेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बाबूसिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि बालेसर खरीद केन्द्र पर 17 जनवरी से 23 जनवरी तक 25 गिरदावरियों से 5 हजार बोरी की तुलाई होकर खरीद हुई है? यदि हां, तो इस व्यवस्था में खरीद अंतिम तिथि 12 फरवरी, 2014 तक 200 गिरदावरियों से 30 हजार बोरियों की तुलाई होकर खरीद ही सम्भव होगी, ऐसी व्यवस्था सभा केन्द्रों पर चल रही है तो सरकार सभी केन्द्रों पर आने वाली गिरदावरियों से खरीद से बालेसर में अभी तक खरीद के लिए पंजीयन हुए 1516 गिरदावरियों से 5 लाख बोरी तुलाई कर सभी किसानों की खरीद किस प्रकार करेंगे, यह स्पष्ट करें।

दूसरा, क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वीकृत 35 खरीद केन्द्रों में से 12 केन्द्रों पर खरीद प्रबन्ध हुआ है यदि हां तो शेष केन्द्रों पर खरीद कब से प्रारम्भ होगी व क्या सरकार अंतिम तिथि को बढ़वा कर सभी किसानों से मूंगफली समर्थन मूल्य पर खरीदने का विचार रखती है? यदि हां तो किस प्रकार, यदि नहीं तो क्यों, स्पष्ट कीजिये। फिर उसके बाद दूसरा।

श्री अध्यक्ष: एक और।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जी हां। फलौदी केन्द्र देरी से स्थापित हुआ उसका कारण कलक्टर, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव 19.12.2013 को हुआ। राजफेड द्वारा नेफेड को अनुरोध भेजा गया 19.12.2013 को, नेफेड को स्मरण पत्र मिला 23.12.2013 को, नेफेड को द्वितीय स्मरण पत्र 27.12.2013 को भेजा। नेफेड द्वारा 67 स्वीकृति जारी हुई 30.12.2013 को बारदाना भेजने हेतु नेफेड को पत्र भेजा 31.12.2013 को, क्रय केन्द्र की स्थापना क्रय विक्रय सहकारी समिति, बालेसर द्वारा नई की गई 1.1.2014 को, परिवहन दरों की निविदा को अंतिम रूप दिया गया, 9.1.2014 को और बारदाना की पहुंच हुई 11.1.2014 को 16500 बोरी।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, कैसे खरीदेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इनकी सुचारू रूप से व्यवस्था खरीदने की की जाएगी कि मूंगफली खरीदने की लिमिट 15 नवम्बर, 2013 से 12 फरवरी, 2014 तक नेफेड द्वारा 90 दिन की की गयी थी, लेकिन प्रदेश में आवक को देखते हुए इसकी तिथि को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिख दिया है कि 28.02.2014 तक की तिथि बढ़ायी जाए। अगर आवश्यकता हुई तो हमारे यहां से अधिकारी को भेजकर केन्द्र सरकार से अनुरोध करके वह तिथि बढ़ायी जाएगी।

श्री बाबूसिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक परसेंट तुलाई हुई और अंतिम तिथि तक 10 परसेंट तक होगी। अब केवल पत्रों से क्या अंतिम तिथि बढ़ जाएगी? सरकार संवेदनशील होकर स्वयं अपने स्तर पर, मंत्री महोदय स्वयं जाकर या प्रतिनिधि को भेजकर अंतिम तिथि बढ़ाने का विचार रखती है। पहला सवाल तो यह है।

दूसरा सवाल, मैंने यह पूछा कि क्या अंतिम तिथि तक सारी मूंगफली जो गिरदावरी पंजीयन हुई उनको आप तुलवा देंगे या नहीं तुलवा पाएंगे, यह बताएं। इसके अलावा, क्या सरकार बालेसर की खरीद, रामपुरा, जहां अधिक आवक हुई और पहले किसानों को गिरदावरी की, तुलाई व खरीद जोधपुर केन्द्र पर भी करने का विचार रखती है? क्योंकि जोधपुर केन्द्र स्वीकृत होने के बाद शुरू नहीं हुआ है। (व्यवधान) क्या यह सही है कि अधिकतर स्थानों पर भण्डारण की व्यवस्था सही नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में खरीद और मार्केटिंग केन्द्रों पर भण्डार गृहों के निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों, यह बताएं। सारी बातें सही-सही बताओ ना।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 3 हजार रुपया सपोर्ट प्राइस है 4 हजार में बाजार में बिक रही है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं उनका जवाब दे दूं, फिर आपका भी दे दूंगा। माननीय सदस्य महोदय ने फरमाया कि समय सीमा कम है और राज्य सरकार की मंशा पूर्ण रूप से, पहली बार, 10 साल बाद मूंगफली की खरीद की शुरूआत हुई। पहली बार हमने अपने प्रयासों से 19 लाख बोरियां प्रदेश में खरीदी हैं और उसके बावजूद भी समय सीमा कम है क्योंकि बाजार मूल्य और सरकारी मूल्य में अंतर होने की वजह से आवक बढ़ गई। उसके बावजूद भी अपने यहां से अधिकारियों को भेज कर केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे क्योंकि नेफेड की व्यवस्था केन्द्र सरकार के अधीन

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

है, हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, हम डिमाण्ड रख सकते हैं और उसके बावजूद भी हम प्रयासरत रहेंगे कि बालेसर में अगर आवक ज्यादा है तो उसको जोधपुर, जो नजदीकी खरीद केन्द्र है वहां पर भी संसाधनों की मात्रा बढ़ायी जाए। वहां पर जो कर्मचारी के वी एस एस के हैं वे ज्यादा उपलब्ध कराये जाएं ताकि माल की आवक को देखते हुए वहां की पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और नोडल एजेंसियों को और बढ़ाया जाएगा ताकि जितनी आवक है, सम्पूर्ण किसान की, उसकी खरीद की जा सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब 19 दिसम्बर को नैफेड को प्रस्ताव भेजा गया था, अधिक क्विंटल खरीदने पर, पर हैक्टेयर 28 क्विंटल के हिसाब से फलौदी के लिए और उससे पूर्व 14 क्विंटल था तो उससे पूर्व की खरीद पर, करीब 14 हुई है, इससे अधिक खरीद पर जनरल मैनेजर की मिलीभगत से अपने परिवार और 36 किसानों की लगभग 80 लाख की मूंगफली अतिरिक्त अपने हिसाब से खरीदी तो राजकोष को यह घाटा उन्होंने दिया और अन्य सैकड़ों की 14 क्विंटल के हिसाब से खरीद की गयी। इसके लिए जांच अधिकारी भी लगाया गया, जांच अधिकारी को इसमें कुछ नहीं मिला। वह जांच अधिकारी किस चश्मे से देख रहा था उसके चश्मे का नम्बर जांच करके मंत्री महोदय से निवेदन है कि जांच अधिकारी के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की जाए?

दूसरा, जनरल मैनेजर के पिता, माता और पत्नी के नाम से एक जगह 228 बोरी खरीदीं जबकि 429 बोरी खरीदी गयीं। यह सरासर अनियमितता है। इसी प्रकार से अपनी माताजी के नाम से 25 बोरियां अधिक खरीदी गयीं और एक जगह कपास बोयी हुई थी वहां पर भी मूंगफली की गिरदावरी लेकर मूंगफली बेची गयी। इस प्रकार से अन्य किसानों के साथ सरासर अन्याय हुआ है। क्या मंत्रीजी इस प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं। जांचकर्ता ने जो अपने कर्तव्य की पालना नहीं की है उसके विरुद्ध भी जांच प्रस्ताविक की जानी चाहिए। यह मेरा आग्रह है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि जितनी गिरदावरियां पंजीयन हुई हैं उन सबकी तुलाई हो जाएगी या नहीं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: कह रहे हैं हो रही है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है, मैं यह चाह रहा हूं कि जितनी गिरदावरी पंजीयन हुई हैं अंतिम तिथि तक उनकी तुलाई हो जाएगी या नहीं, इसका आप जवाब दे दें।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में मूंगफली की भारी पैदावार हुई है। हमने दिसम्बर माह में निवेदन किया, लिखित में निवेदन किया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से वहां पर तुलाई व क्रय केन्द्र नहीं खोले गये। हम निवेदन करना चाहते हैं, मंत्री महोदय, ये क्रय केन्द्र कब तक खोलेंगे और बारदाना आज तक नहीं आया। इस मौसम को देखते हुए हम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं यह क्रय केन्द्र कब खुलेगा और उसका पर बीघा क्या टार्गेट होगा?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): मेरा स्पेसिफिक सवाल था, उसका भी जवाब नहीं दिया।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मंत्री महोदय से मैं जैसलमेर जिले का निवेदन करना चाहता हूं। इसके अन्दर चांदन और राजमथाई केन्द्र खोला जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से डेढ़ माह हो गया, लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की तैयारी नहीं हो तो इसको दुबारा रख दें, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं दे रहा हूं जवाब, हाउस को आर्डर में लाओ आप। कौन सा जवाब नहीं दिया?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): जवाब स्पेसिफिक चाह रहा हूं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री तरीके से जवाब नहीं दे पाया। (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया टेट के बारे में एक भी जवाब नहीं दिया। कैसे मंत्री बना दिये? कोई तैयारी की नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): कैसे नहीं दिया? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): शिक्षा मंत्री ने तो पूरा जवाब दिया, आप सुनना नहीं चाहते।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप मंत्री महोदय जवाब तो दो टेट खतम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो कब तक खतम करेंगे? जवाब क्यों नहीं देते, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप घबरा कर बाहर चले गये। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या-क्या असत्य घोषणाएं की हैं आपने।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ये तो +++ कर रहे हैं टेट के नाम पर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): टेट कब तक समाप्त करेंगे, यह बता दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शिक्षा मंत्री +++ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को +++ करने का टाइम है, टेट का काम नहीं करेंगे ये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शिक्षा मंत्रीजी +++ कर रहे हैं। इनको टेट की समीक्षा करने का टाइम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको रिपोर्टर्स से कहूंगा कि ड्राप करें। व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए अभी। मैं कहूंगा मंत्रीजी जवाब दीजिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वसुंधराजी का बेड़ा पहले दिन ही धराशायी हो गया।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ये फिर खड़े हो गये, जवाब कहां दूं? जवाब सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) ये बार-बार बोल कर हाउस को आर्डर में नहीं आने देते, कहां से जवाब दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर रहे, हम सबकी ड्यूटी है कि हम आसन का सम्मान करते हुए बैठ जाएं। ये प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य देखते नहीं आसन पैरों पर है और एक साथ 5-5, 7-7 खड़े हो जाते हैं। आप इनको प्रताड़ित कीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सब जानते हैं आप किसी को सीख मत दो, आपकी सीख की किसी को जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। आपकी सीख को

(श्री गिर्राज सिंह)

किसी को जरूरत नहीं है, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं क्या करना है। (व्यवधान) आपसे ही सीखेंगे, अपनी आदत को सुधारें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमने जो सीख ली है, वह इन लोगों से ही ली है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए। बैठिए, बैठिए, जवाब आ रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, फलौदी का जो प्रकरण मेरे सामने आया, इसकी जांच करायी और उसकी मेरे पास कापी है, उस अधिकारी को एपीओ कर दिया। इसके बावजूद भी माननीय मानिक चन्द सुरानाजी ने जो बात कही और दो-तीन जगह से निकल कर बात सामने आयी, खरीद मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर होने की वजह से अगर कहीं कालाबाजारी या इस तरह की बात है। तो हमने यह सुनिश्चित किया है कि काश्तकार खसरा गिरदावरी ले जाए, जमाबंदी ले जाए, आई कार्ड ले जाए और जितनी मात्रा उसकी खसरा गिरदावरी वाली अपेक्षित है, उतनी ही खरीद केन्द्र पर जाए और उसका सीधा पैसा चेक द्वारा बैंक में जाता है। इसके बावजूद भी कहीं गड़बड़ी मिलती है, धांधली मिलेगी तो अनियमितताओं की जांच करेंगे और सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल स्थगित, प्रश्नकाल स्थगित, प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में फल-फूल रहे ड्रग के कारोबार के कारण युवाओं के नशे के चंगुल में फंसने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला करौली एवं धौलपुर के डांग क्षेत्र में दस्युओं की संख्या एवं उनके द्वारा किये जा रहे अपराधों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर जिलाधीश कार्यालय

(श्री अध्यक्ष)

के समक्ष सैकड़ों किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे अनिश्चितकालीन पड़ाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री रमेश एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पिण्ड बांध विस्थापितों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुरूप मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
2. श्री चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की जनता को पर्याप्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
3. श्री ओटाराम, सदस्य की ओर से सिरोही जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्मित ट्रोमा सेन्टर को शुरू करने के सम्बन्ध में।
4. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्वीकृत सीवर लाइन का कार्य रोक देने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
5. भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से कृषि आधारित कारोबार चौपट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती सन्तोष अहलावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल हेतु खुदवाये गये सार्वजनिक ट्यूबवैलों का दुरुपयोग रोकने के सम्बन्ध में।
7. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण में उदयपुरवाटी को जोड़ने के सम्बन्ध में।
8. श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से राजीव गांधी कृषक योजना के अन्तर्गत सांप काटे कृषक को निजी चिकित्सालय में उपचार कराने पर भी सहायता राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
9. श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

चौकड़ी में हो रहे अवैध खनन को तुरन्त प्रभाव से बन्द किए जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रूपवास स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.डी. में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

11. श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य की ओर से लाखेरी ग्राम, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बूंदी में उप तहसील भवन हेतु अवाप्त चारागार भूमि के आबंटन को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित न होने वाले हजारों परिवारों को योजना के तहत चयनित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

अब दो-दो मिनट बोलने के लिए श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: जबान से गलती हो गई, प्रश्नकाल उस समय समाप्त समझा जाए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में ड्रग्स के कारोबार के चलते युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश, हमारा प्रदेश युवाओं का देश है, 65 प्रतिशत के लगभग युवा हैं, और इस युवाओं के भारत में इस देश में युवा किस प्रकार से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और किस प्रकार से सुसंकृत और शिक्षित बनकर के आगे हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। यह हम सब के लिए सुनिश्चित करने की जवाबदारी है। सरकारें आती हैं, पार्टियां अपने-अपने हिसाब से नीतियां बनाती हैं, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आदरणीय गहलोत साहब ने इस दिशा में कदम उठाया था कि जो गुटखा जहर है, हमारे जो बच्चे, आज के युवा दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कालेज में पढ़ने वाले गुटखों का सेवन करने लग गये थे, उनमें बीमारी फैलने लग गई थी, वह एक नशे में जकड़ते जा रहे थे, शराब भी एक तरह से वर्तमान मुख्य मंत्रीजी जो पूर्व में मुख्य मंत्री थीं, उस समय भी शबाब का, शराब का बहुत बड़ा नशा चलता था, रात तक दुकानें खुली रहती थी, हमारे युवा जो पढ़ने के लिए शहरों में आते थे, वह लोग-बाग़ उस शराब का गांजा, अफीम, जो नशीले पदार्थ हैं, गुटखे आदि उनका सेवन करते थे और उसके सेवन से माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी ज्यादा हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा था, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, पूर्व सरकार ने, आदरणीय गहलोत साहब ने गुटखे पर प्रतिबंध लगाया, शराब का समय बढ़ाकर के आठ बजे तक किया, इसमें निश्चित रूप से ब्रेक लगा लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इससे भी आगे बढ़कर हमें सोचना पड़ेगा। आज रोजाना हम देखते हैं कि हमारे युवा पान दुकानों पर गांजा ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं, आज स्कूलों के पास में गुटखे बिक रहे हैं, गांजे की सिगरेटें बिक रही हैं, इससे हमारा युवा इस नशे में जकड़ता जा रहा है। कल परसों हमने सब ने देखा होगा, मीडिया में भी आया था कि हमारे खिलाड़ी जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश के खिलाड़ी जाते हैं, डोपिंग की शक्तिवर्धक दवाइयां लेकर के जिस प्रकार का प्रचलन बढ़ा, उससे उनको आगे जाकर के ....

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करना चाहूंगा, दो मिनट, यह सारा पार्टी की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट हो गये आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो उसमें प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करिए, आगे बढ़िये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार से स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं समझता हूं काफी विद्वान हैं, काफी इनमें काम करने की ऊर्जा भी है, पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं क्या शराबबंदी करेंगे या ये जो युवाओं में नशे की प्रवृति बढ़ रही है, इसको रोकने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के लिए सरकार क्या काम करेगी? इसको करना जरूरी है, अध्यक्ष महोदय, ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है। हमारे लाखों, करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, अपने बच्चों को पैसे देकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं और वह शहरों में आकर के नशे में जकड़ जाते हैं, इसके लिए हमारे पूर्व सरकार में मुख्य मंत्रीजी आदरणीय गहलोत साहब ने शुरूआत की थी, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अब आप ऐसे विषय पर ही अध्यक्ष महोदय समय नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: अब आगे ले लेंगे न?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो ये स्वास्थ्य मंत्रीजी कुछ भी नहीं करेंगे, ये देखो, मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये कटारिया साहब और मंत्री ही मंत्री बातें कर रहे हैं। आप देखिए जब स्वास्थ्य मंत्री इस बात पर ध्यान ही नहीं देगा तो ये युवा जो नशे में जा रहे हैं, आज अवैध शराब की तस्करी हो रही है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस नशे में अपने युवाओं का भविष्य बरबाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: बहुत समय ले लिया आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह बताये, सुनिश्चित करे कि हमारा आने वाला युवा जो युवाओं का भारत और हमारा प्रदेश है, इसमें युवा स्वस्थ किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से नशे से मुक्ति मिले, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। कृपा करके ये 13 दिसम्बर के बाद ही ड्रग शुरू हुई है राजस्थान में? 13 दिसम्बर से ही शुरू हुई है न? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये सारे पेपर, ये आपकी सरकार 13 दिसम्बर के बाद में आए हुए हैं कि आज बिक रही है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज बिक रही है, आपकी ड्यूटी नहीं है क्या कि आप अब इसको बन्द करें?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 65 साल में से 59 साल दिल्ली में राज करो। और पहली बार 13 दिसम्बर के बाद ड्रग पैदा हुई है राजस्थान में?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह रहे सरकार। हमारे स्टेडियम में जो खिलाड़ी थे वे नशे के इंजेक्शन लेते हुए पकड़े गये, आपकी 13 दिसम्बर की सरकार के बाद में पकड़े गये। जितनी कटिंग्स हैं, जितने लोग हैं, जितना अखबारों में आया है यह आपके शासनकाल में आया है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें कार्यवाही कब करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब दूसरा नाम पुकार रहा हूं। आपका भी नम्बर आ रहा है। श्री रमेशजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो दिलवायें साहब मंत्रीजी से कि कब तक इसमें कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) जवाब दिलवायें मंत्रीजी से कि कब तक प्रभावी कार्यवाही करेंगे। जवाब तो दिलवायें साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रमेशजी। (व्यवधान) आप अपनी बात कहेंगे वे अपनी बात कहेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपकी सरकार में खुला खेल होता था नशाबंदी में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, जवाब दे रहे हैं साहब। मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप जवाब दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको अगर हम राजनीतिक दलों की परिधि से ऊपर उठ कर देखें तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश का युवा कुंठित भी है और नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ भी रहा है। अभी माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने सही कहा कि यह कोई आज की बात नहीं है, न ही कोई 13 दिसम्बर के बाद की बात है, न पहले की है, पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। एक बार इसमें मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने बैठक भी कर ली, हम कारगर कदम उठा रहे हैं। हम शिक्षण संस्थाओं के पास जो अवैध रूप से ड्रग बेचने का काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, जो नशीली दवाइयों का विक्रय है, उसके लिए हम विशेष अभियान चला कर उनके विक्रय में किस तरह से रोकथाम हो, उसके लिए योजना बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान का नौजवान इस नशे के शिकंजे में नहीं फंसे, इसके लिए सरकार संवेदनशील भी है, चिंतित भी है और इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीतिक स्कोर करने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

करौली व धौलपुर के डांग क्षेत्र में दस्युओं की संख्या व उनके द्वारा कारित अपराधों में वृद्धि

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया नियम 50 के अन्तर्गत गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। हमारे जिला करौली और धौलपुर में दस्युओं का आतंक इतना ज्यादा है कि वहां का जो जन-जीवन है, वह एक तरह से थम सा गया है और वहां के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। वहां दस्युओं का इतना आतंक है कि वहां डकैती, हत्याएं, अपहरण, चौथवसूली हो रही है। वहां का मूल धंधा माइनिंग का काम है और वहां पर जो भी ठेकेदार माइनिंग का काम करता है, वह बिना डकैतों को चौथवसूली दिये काम नहीं कर सकता। वहां आये दिन अपहरण होना, डकैतियां होना, इनको अंजाम दिया जाता है। वहां पर अगर थोड़ी बहुत खेती भी है तो जो ट्यूब वैल कुओं पर लगाये हैं और यदि उनको चौथवसूली नहीं दी तो सिंचाई का जो साधन है, पानी है उसको भी बंद कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, गृह मंत्री यहां पर नहीं हैं, गृह मंत्री जो माननीय चीफ मिनिस्टर हैं वे प्रजेंट नहीं हैं लेकिन सरकार के और भी मंत्री विराजमान हैं, वे इसका जवाब दें। समय-समय पर पुलिस ने डकैतों को पकड़ा भी है, प्रशंसनीय कार्य भी किया है, यह भी मैं बताना चाहूंगा लेकिन एक बात यह है कि जैसे-तैसे डकैतों को पकड़ने का पुलिस काम करती है और जब उन कैदियों का जे.सी. जाने का नम्बर आता है तो वहां पर भी जेल में इस प्रकार का अपराध सुनियोजित तरीके से गिरोह बना कर वे ही डकैत करते हैं। वे डकैत वहां पर म्यूजिक सिस्टम का संचालन करते हैं, मोबाइल का वहां पर संचालन होता है, वहां पर खाने-पीने की मनचाही वस्तुएं उनके लिए आती हैं। जो विचाराधीन कैदी वहां पर दो-तीन दिन के लिए जाता है और वह यदि उनको पर-डे के हिसाब से पैसा नहीं देता है तो उसकी पिटाई

(श्री रमेश)

की जाती है, उससे मिर्ची पिसवायी जाती है। उसको तंग किया जाता है जब तक वे पैसे नहीं दे दे। वहां करौली जेल का जो प्रशासन है उसकी मिलीभगत है। वहां के जो हार्डकोर अपराधी हैं उनसे मिलकर पूरी जेल को वे चलाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस विषय में आपसे, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: महत्वपूर्ण है लेकिन समय दो मिनट के बजाय 6 मिनट आपने ले लिये हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): वहां जो डांग क्षेत्र का एरिया है, करौली और धौलपुर का, वहां पर एक स्पेशल पैकेज बनाया जाए और वहां के जो लोग हैं, जन-जीवन है, उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाएं जिससे वहां का आर्थिक स्तर उठ सके। वहां जब सुविधाएं मिलेंगी, शिक्षा का प्रसार होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, सभी चीजें मिलेंगी तो फायदा होगा। यह जो डकैती की समस्या क्यों पैदा होती है यदि इसको समय पर नहीं रोका गया तो इस पूर्वी राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष: आपके सारे सुझावों का स्वागत है।

श्री रमेश (सपोटरा): ..जो डांग क्षेत्र करौली और धौलपुर में नक्सलाइट पैदा हो जाएगा, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री रमेश (सपोटरा): इस सम्बन्ध में जो वहां का वातावरण है...

श्री अध्यक्ष: मैंने हनुमान बेनीवाल का नाम पुकार लिया।

श्री रमेश (सपोटरा): थैंक यू।

नागौर में किसानों का जारी अनिश्चितकालीन पड़ाव

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के अन्तर्गत सदन का और आपका ध्यान नागौर के जिला मुख्यालय पर पिछले 23 दिनों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे नागौर जिले के और मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की मुख्य समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां की मुख्य समस्याओं में किसान बिजली का पैसा तो पूरा जमा करा रहा है लेकिन उसके बावजूद उसके कनेक्शनों को अवैध कनेक्शन करार दिया गया है। दूसरा, इनमें वे कनेक्शन हैं, जो बिजली विभाग के अधिकारियों ने 2003 और 2004 के अन्दर मोटा पैसा किसानों से लेकर उनको बिजली का सामान भी दे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दिया, ट्रांसफार्मर भी दे दिये और अब सरकार को अचानक याद आया कि किसानों के ट्रांसफार्मर उतार लिये जाएं। 23 और 24 दिसम्बर को जिला कलक्टर, नागौर, ए.डी.एम. नागौर, पुलिस अधिकारी, कम से कम 150 पुलिसकर्मियों का ज़ाब्ता लेकर खींवसर के किसानों की वी.सी.आर. भरने पहुंचे। 24 तारीख को जब वहां खींवसर के लोगों ने उनको घेर लिया और नागौर के कलेक्ट्रेट पर दस हजार लोगों के साथ मैंने आंदोलन किया तब रात को 12 बजे यह बात हुई कि बिना सर्वे करवाये विजिलेंस टीम किसानों के खेतों में नहीं जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है, मुख्य मंत्रीजी के भी मैंने बयान पढ़े हैं कि बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर खाली खींवसर क्षेत्र में ही, पूरे राजस्थान में अकेला खींवसर क्षेत्र ही नजर क्यों आया जहां पर भारी पुलिस लवाजमा ले जाकर इस तरह सर्च आपरेशन चलाया गया? जिस तरह पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए मिलिट्री वाले अभियान चलाते हैं। सरकार और सरकार के ऊर्जा मंत्री को मेरी जीत पच नहीं पा रही है इसलिए चला कर यह बयान भी दिया कि सबसे ज्यादा चोरी खींवसर के अन्दर होती है। अध्यक्ष महोदय, ये सारे कनेक्शन 2003, 2004 और 2005 के कनेक्शन हैं जब यही ऊर्जा मंत्री उस सरकार में थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर आग्रह कर रहा हूं कि इस आंदोलन को सरकार हल्के में नहीं ले, नहीं तो आंदोलन किसी भी दिशा में चला जाएगा और आप चाहते हो कि घड़साना-रावला की तरह यह आंदोलन हो और फिर आपको गोलियां चलाने का मौका मिले तो मुझे लगता नहीं कि आप इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। यह नागौर का जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन से नागौर लोक सभा का रिजल्ट तो तय होगा ही होगा लेकिन राजस्थान में भी जो आप मिशन 25 का दे रहे हो न, इस मिशन 25 को भी हम रोकेंगे। मेरे से व्यक्तिगत विरोध किसी का हो सकता है लेकिन किसान को इस तरह विरोधी मान कर माइनस पांच डिग्री तापमान पर नागौर का किसान सड़क पर बैठा था, तीन-तीन मंत्री होते हुए भी कोई वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा, न कोई प्रशासन का अधिकारी आज तक बात करने के लिए आया अध्यक्ष महोदय। उल्टा जो धरना स्थल पर लोग आ रहे हैं उनके मुकदमे दर्ज हैं या नहीं हैं, उनको कैसे फंसाया जाए, पुलिस के माध्यम से कैसे डराया जाए, यह किया जा रहा है। अगर आपको बदला लेना है, तो मेरे से लो, पर इस तरह जो किसान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हैं उन किसानों को तकलीफ देने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि खींवसर से तो पांच साल के लिए मैं जीत कर आया हूं और जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक मैं ही इस सीट पर रहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप पांच मिनट ले चुके हैं। माननीय सदस्य, पांच मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसलिए मेरे से बदला लेना है, अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत आप मेरे खिलाफ कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं जैसे कि आपकी आदत है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कह चुके। पांच मिनट हो चुके हैं, अब समाप्त कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लेकिन आज एक महीने से ज्यादा समय आंदोलन को हो गया है, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक हमारी बात भी नहीं सुनी। एक विधायक सड़क पर बैठा था, 21 तारीख को असेम्बली चालू हुई तब मैं यहां आया और उससे पहले लगातार मैं भी ठण्ड के अन्दर उन किसानों के साथ बैठा था। आप कह रहे हो कि संवेदनशील है, सुराज, इसको आप सुराज कहते हो? यह आपकी संवेदनशीलता है? आप चाहते हो कि कब आन्दोलन गलत दिशा में जाये और कब गोलियां चलायें और कब हनुमान पर मुकदमा दर्ज करके अन्दर कर दिया जाये। यह आपकी सोच है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या ऊर्जा मंत्रीजी से कहें कि इनका करंट बंद कर दिया जाये खींवसर का।

श्री अध्यक्ष: आप अब रिपीट कर रहे हैं। आपकी बात समाप्त हो चुकी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर...

श्री अध्यक्ष: आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आप इसके ऊपर कुछ न कुछ दिशा-निर्देश राजस्थान सरकार को दें। एक महीने से ज्यादा समय हो गया।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चुनाव जीतने के बाद कभी इस सरकार ने कहा क्या कि किसानों ने सरकार बनाई है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये माननीय विधायक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ये तो हमेशा कहते थे कि सुराज से हमारी सरकार बन गई, 163 सीट आ गई।

श्री अध्यक्ष: देखिये, आपने सही मंच पर...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 163 सीट आपकी नहीं आई हैं, कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला था लोगों ने आपको, आपको वोट नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय विधायक, मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...और नौ विधायक जीत कर आये हैं नागौर जिले से, लोक सभा के अन्दर आ जाना आप।

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इस मामले में व्यवस्था दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने सही मंच पर अपनी बात सही ढंग से कह दी, उसका जितना असर पड़ेगा, सरकार संवेदनशील है, उत्तरदायी है। मैंने आपसे निवेदन किया, सरकार संवेदनशील है, उत्तरदायी है। आपकी समस्या को सुना है। सही मंच पर आपने अपनी बात रख दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नहीं, वह कह दिया आपने।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार संवेदनशील है, 23-23 दिन तक ध्यान ही नहीं दे रही है अध्यक्षजी, 26 दिन तक कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपनी बात ऊर्जा मंत्रीजी को कही, उसी में मैं एक बात और राजस्थान की जोड़ना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर इन्होंने आठ घंटे बिजली देने का वादा किया था और अभी साढ़े छह घंटे बिजली दे रहे हैं, वह भी रात को दे रहे हैं। रात को 12 बजे किसान खेत के अन्दर जाता है, और रात भर खेत में खड़ा रहता है। हम इस सरकार के ऊर्जा मंत्रीजी से

(श्री धीरज गुर्जर)

आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि रात को 12 बजे किसान जो अपने खेत में जाता है, ठंड के अन्दर खड़ा रहता है, क्या उसको यह सरकार राहत देना चाहती है?

(माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल का सदन कूप में धरना)

श्री अशोक (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, रात को 12 बजे तो बिजली आ रही है, रात को माइनस टेम्प्रेचर हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतों के अन्दर सरकार रात को 12 बजे बिजली दे रही है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): रात को 12 बजे खेतों में बिजली दे रही है सरकार। क्या सरकार उसको दिन में बिजली देने की मंशा रखती है क्या? (व्यवधान) यहां पर आधे से ज्यादा किसान बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। आप जानते हैं, यहां पर कहीं जाने वाली बात पर सरकार की ओर से जवाब आने की कई व्यवस्था हैं। इस तरह की व्यवस्था के आधार पर ...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, आज खुले में किसान रह रहा है।

श्री अशोक (हिण्डोली): आज राजस्थान का किसान रात को 12 बजे खेत में पाणत करता है, उसके पैर में पानी है और सर पर पाला पड़ रहा है, माइनस का टेम्प्रेचर है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): किसान रो रहा है, कड़ाके की ठंड में किसान मर रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर होने के बाद भी माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद एक किसान हैं। ऊर्जा मंत्रीजी से इसी पर जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: नियम 295 के प्रस्ताव। श्री गोतम कुमार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय,...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बैठ जाओ। आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। विराजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। बिलकुल नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: किसी पर भी नहीं। 295 के बाद। अब नियम 295 के लिए मैं निवेदन करूंगा, श्री गोतम कुमार।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, यहां धरने पर बैठे हैं, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हनुमान बेनीवाल का धरना है, अध्यक्ष महोदय। हनुमान बेनीवाल का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जवाब दिलवाओ। ऊर्जा मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं। मंत्रीजी तैयार हैं। मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हनुमान बेनीवाल का जवाब अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी, माननीय सदस्य, आप स्वयं जानते हैं, इस तरह से सवाल उठते हैं, उनके जवाब देने के लिए सरकार को कम्पेल नहीं किया जा सकता। सरकार चाहे तो दे... और इसलिए...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं दे रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। नहीं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। जवाब देने के लिए खड़े हो गये थे मंत्रीजी तो।

श्री अध्यक्ष: आपके कहने से दे रहे हैं। नहीं, आप बैठिये। नियम 295, श्री गोतम कुमार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी तो खड़े ही हो गये थे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, आप बैठिये। आप बार-बार मत उठिये। श्री गोतम कुमार हैं कि नहीं?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, मंत्रीजी जवाब देना चाहते थे, लेकिन राठौड़ साहब ने धमका दिया। हां। राठौड़ साहब ने धमका दिया, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: किसने रोका है? मैं नहीं धमकाता हूं, आप धमकाते हो हमेशा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, मंत्रीजी खड़े हो गये थे जवाब देने के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, बिजली पर ही दिलवा दो जवाब। ये दिन में बिजली देंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। बैठिये।

श्री अशोक (हिण्डौली): नहीं, हम तो बैठ जायेंगे अध्यक्षजी, मगर काश्तकार खेत में मर रहा है। वह बीमार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह गलत है। सदस्य को बोलने दीजिये। सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दीजिये। आपको ही बार-बार खड़े होने का अधिकार नहीं है। सब को भी है। अब एक माननीय विधायक बोल रहे हैं और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। आप बैठिये। वह अपनी बात रख रहे हैं।

श्री अशोक (हिण्डौली): हम जनता को रिप्रजेंट कर रहे हैं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बड़ी सादड़ी के पिंड बांध विस्थापितों को मुआवजा दिया जाना

श्री गौतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पिंड बांध के निर्माण के लिए अनेक परिवारों को विस्थापित किया गया अथवा उनकी भूमि अवाप्ति/अधिगृहीत करने की कार्यवाही की गई। इनमें से अधिकांश परिवार निर्धन हैं और खेती-बाड़ी एवं पशुपालन से ही अपना जीवन यापन करते थे। भूमि अवाप्ति के कारण उनसे रोजगार एवं आय का साधन छीन लिया गया है जिससे उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। पिंड बांध के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा भी लगभग 12 वर्ष पुरानी दरों पर दिया गया है जो इतना कम है कि किसी भी प्रकार से आज के महंगाई के दौर में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। आज के दौर में जब अच्छी आय वाले लोग भी महंगाई से त्रस्त हैं, वहां पिंड बांध के इन पीडितों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, जिनकी आय के साधन ही समाप्त हो गये हैं। यदि सरकार पीड़ित परिवारों को उनकी अवाप्तशुदा भूमि के बराबर उसी श्रेणी (कृषि/आवासीय) की भूमि अन्य स्थान पर उपलब्ध करा दे तो इससे भी इन पीड़ित परिवारों को

(श्री गौतम कुमार)

सम्बल मिलेगा और ये अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण, शिक्षा आदि कार्य सहजता से कर सकने में समर्थ होंगे।

इसी के साथ, यह भी उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 1 जनवरी, 2014 से केन्द्र सरकार ने भी नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू कर दिया है जिसमें मुआवजा राशि को और अधिक न्यायोचित एवं व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है। यदि राज्य सरकार भी उस अनुरूप विचार कर मुआवजा प्रदान करे तो इससे भी पीड़ित परिवारों की स्थिति सुधरेगी और उनको अपने परिवार का जीवन यापन करने की चिंता से मुक्ति मिल सकेगी।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पिंड बांध के विस्थापितों एवं जिनकी भूमि अवाप्त की गई है, उन परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि अधिग्रहण कानून के अनुरूप उचित मुआवजा अथवा अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करा कर उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगंजमण्डी क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्षजी, रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की जनता को शुद्ध पीने के पानी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने पचपहाड़ पेयजल योजना रावतभाटा, रामगंजमण्डी पेयजल योजना व अकेलगढ़, बोराबास, पदमपुरा पेयजल योजनाएं स्वीकृत की थीं, जिसमें पचपहाड़, रावतभाटा का कार्य पूर्ण हो गया था, लेकिन इन दोनों योजनाओं में मानिटरिंग की कमी व विभाग की लापरवाही के कारण जनता को आज तक आवश्यकतानुसार पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये दोनों योजनाएं फेल हो चुकी हैं। इन योजनाओं से मात्र एक या दो घंटे पीने का पानी उपलब्ध हो पा रहा है। अधिकतर पानी मध्य प्रदेश के गांव में उपयोग हो रहा है। इनका पुन: परीक्षण करा कर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु लाइनों को व इन्टेक वाल्व में सुधार करने हेतु आदेश दिया जाना आवश्यक है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

तीसरी अकेलगढ़, बोराबास परम्परागत योजना जो वर्ष 2008 में स्वीकृत हुई थी, जिसका कार्य वन विभाग की आपत्तियों के कारण काफी धीमी गति से चल रहा है। साथ ही, कोटा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं. 5 व 8 में राजस्थान आवासन मण्डल व नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा निर्मित व विकसित कालोनियां जिनमें गणेश नगर, विनोबा भावे नगर, आरोग्य नगर, अजय आहूजा नगर, मेडिकल कालेज, बालाजी नगर, वीर सावरकर नगर, हरिओम नगर, विवेकानन्द नगर, स्वामी विवेकानन्द नगर, रंगबाड़ी योजना सेक्टर 1, 2, 3 व 4, रंगबाड़ी कच्ची बस्ती, आवली, रोजड़ी, नयागांव, बंधा धर्मपुरा आदि स्थित हैं, जिनमें जनता ने लाखों रुपये खर्च कर मकान बनाये हैं। जिनमें मात्र आधा घंटे ही पीने का पानी उपलब्ध हो पा रहा है जबकि इन्हें आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उक्त दोनों संस्थाओं की है, लेकिन जनता को तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है व जनता को नदी व नालों में स्नान करने हेतु जाना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना होने की सम्भावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। पूर्व में भी स्नान के वक्त तीन बच्चों की नालों में डूबने से मृत्यु हो चुकी है। साथ ही, आम जनता को ट्यूबवैल, हैण्डपम्प व गंदे नालों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, पीलिया इत्यादि क्षेत्र में फैल रहा है। इसके कारण से पिछले छह माह में 15 से 20 महिला-बच्चों, पुरुषों की मौत हो चुकी है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता को आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग को निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटाराम देवासी।

सिरोही जिला मुख्यालय स्थित ट्रोमा सेंटर को प्रारम्भ करना

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदयजी, सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर विगत तीन सालों से उद् घाटन नहीं करने के कारण चालू नहीं किया जा रहा है...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपा करो आप।

श्री अध्यक्ष: इनको बोलने दीजिये। इसके बाद मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी रिक्वेस्ट करना।

श्री ओटाराम (सिरोही): जिससे क्षेत्र की जनता एवं आकस्मिक दुर्घटना

(श्री ओटाराम)

में घायलों को जिला मुख्यालय पर चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए गुजरात राज्य में निजी अस्पतालों में महंगे इलाज कराने में भारी आर्थिक नुकसान, समय की बरबादी एवं मानसिक यातनाओं को झेलना पड़ रहा है। निवर्तमान सरकार ने विगत तीन सालों में सिरोही विधान सभा क्षेत्र से विपक्ष का विधायक होने की राजनैतिक द्वेषता के चलते इस नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को जानबूझ कर चालू नहीं किया जबकि उक्त ट्रोमा सेंटर भवन 21.10.2010 को तैयार कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को सुपुर्द किया गया था एवं केन्द्र सरकार द्वारा 25.04.2012 को उपकरण एवं मेन पावर हेतु एक करोड़ 55 लाख 38 हजार की राशि जारी की जाने के उपरांत भी इसे चालू करने की उपयोगिता नहीं समझी।

इस गम्भीर मामले को आपके ध्यानाकर्षण लाते हुए जानकारी में देना चाहूंगा कि पाली से आबू रोड तक नेशनल हाइवे नम्बर 14 पर औसतन दो-तीन वाहन दुर्घटनाओं का होना जारी है जिसमें कई घायलों को इस नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर से जिन्दगी बचाने का प्रयास होता लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही एवं मानिटरिंग की कमी के कारण पिछले तीन सालों में दुर्घटनाओं में सैकड़ों गम्भीर रूप से घायलों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी है। अगर समय रहते उक्त नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को चालू किया जाता तो उन घायलों की जिंदगियों को बचाया जा सकता था।

महोदय, सिरोही जिले में राजकीय चिकित्सालयों में अधिकांशत: डाक्टरों के पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं एवं विगत पांच वर्ष से तो जिले की चिकित्सा क्षेत्र में स्थिति दयनीय है। पूर्व में कार्यरत अधिकांश डाक्टरों को स्थानांतरित कर अन्य जिलों में भेजे गये तो कई सेवानिवृत्त एवं निजी अध्ययन के लिए अवकाश पर हैं अथवा लम्बी अवधि से अनुपस्थित चल रहे हैं और कई डाक्टरों ने राज्य सरकार के आदेश की पालना ही नहीं की।

महोदय, सिरोही जिला एक पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ ही जिले में अधिकांशत: लोगों का मुख्य जीविकोपार्जन कृषि कार्य है जिसके कारण आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होने पर गुजरात राज्य में निजी एवं महंगे अस्पतालों में इलाज करवाना परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय बनाता है जिसका सीधा असर परिवार की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है तथा क्षेत्र के युवा वर्ग अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के सपने छोड़ कर अपने परिवार की माली हालत को देखते हुए छोटी मजदूरी तक करने को मजबूर है जिसका सीधा

(श्री ओटाराम)

प्रतिकूल प्रभाव राज्य की विकास दर पर पड़ना भी एक अहम कारण है। अतः, महोदय, मेरा निवेदन है कि तीन साल से बेकार पड़े और आम जन के पार्किंग स्थल बने इस नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर का जल्दी उद्घाटन कर जर्जर होने से बचाया जावे ताकि आम जन की सुविधाओं के लिए राज्य की करोड़ों की खर्च हुई लागत को आम जन के उपयोग में लाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला नाम पुकारूं उसके पहले डाक्टर किरोड़ी लालजी ने आग्रह किया है कि वह हनुमानजी बेनीवाल को अपने स्थान पर ले जायं और इनको स्थान ग्रहण करायें। मैं भी इनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप आइये, इनको ले जाइये। (व्यवधान) हो गया। श्री राजेन्द्र सिंह यादव। श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (व्यवधान) मैं आपकी तरफ से निवेदन करूंगा। (व्यवधान) मैं आपकी तरफ से निवेदन करूंगा। आपके वक्तव्य की भावना से मैं अवगत हूं। (व्यवधान) माननीय विधायक, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है।

कोटपूतली में सीवर लाइन कार्य को रोकने से जनता को कारित परेशानी

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को हो रही भारी परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के लिए पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत की सरकार ने वर्ष 2013 में सीवरेज लाइन कार्य करवाने हेतु प्रथम फेज में रुपये 72 करोड़ की राशि स्वीकृत कर टेण्डर भी जारी कर दिये थे परंतु न जाने क्यों वर्तमान सरकार आमजन को भारी परेशानी से निजात दिलाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना को बंद करने पर उतारू है और इसके टेण्डर निरस्त कर दिये गये हैं जबकि यह आम जनता के हितों से जुड़ी हुई योजना थी। कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के समस्त नागरिक पिछले कई माह से सीवरेज लाइन कार्य प्रारम्भ होने की बाट जोह रहे हैं और यह आम जन की सरकार होने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार अपने चहेतों को सीवरेज लाइन के ठेके देने हेतु पूरे राज्य के सीवर लाइन कार्य रोकने पर उतारू है जो कि एक जनविरोधी निर्णय है।

मैं मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से इस पवित्र सदन के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्वीकृत सीवर लाइन परियोजना को रद्द नहीं किया जाय, सीवरेज कार्य तुरन्त प्रभाव से चालू करवाये जायें और आम जनता को राहत प्रदान की जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम से कृषि आधारित व्यापार के चौपट होने की सम्भावना

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किये गये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम नियम और विनियम 2011 कृषि उपजल के क्रय-विक्रय, भण्डारण, पैकेजिंग और परिवहन में लागू होने से किसानों और व्यापारियों पर कुठाराघात होकर कृषि आधारित कारोबार पूरी तरह चौपट हो जाने की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया तो निम्न घातक प्रभाव पड़ेंगे:-

1. खेतों में खड़ी फसल पर मौसम की मार से कृषि जिन्स दागी हो जाते हैं। सर्दी से फसल जल जाती है, आड़ी पड़ने से उसमें मिट्‌टी की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक गर्मी से दानों का पूर्ण अंकुरण नहीं होने से दाना सिकुड़ जाता है, ऐसी उपज का अधिनियम के तहत क्रय-विक्रय करना असम्भव हो जायेगा। ऐसी उपज का कोई भी व्यापारी मण्डी यार्ड में क्रय-विक्रय नहीं कर पायेगा।
2. यदि सीजन में खरीदी गई कृषि जिन्स का भंडारण किया गया और उसमें कीड़ों की शिकायत आ गयी तो भण्डारण भी अवैध हो जायेगा। कीड़ों से बचने के लिए अक्सर वेयरहाउसेज में दवाई डाली जाती है, अगर वह भी गलती से निर्धारित मात्रा से अधिक हुई तो भण्डारणकर्ता दोषी माना जावेगा। ऐसी स्थिति में कमोडिटी एक्सचेंजों में माल डिलेवरी हेतु निर्धारित कम्पनियां अपना कार्य बंद कर देंगी, देश में सभी कमोडिटी एक्सचेंज बंद हो जायेंगे।
3. इस अधिनियम के प्रावधान इतने अधिक अव्यावहारिक हैं कि यदि यह साबुत कृषि जिंसों पर लागू हो गये तो समस्त किसान, व्यापारी,

(श्री भवानी सिंह राजावत)

कृषि जिंसों को साफ करने वाली इकाइयां, ट्रांसपोर्टर सभी बर्बाद हो जायेंगे, मंडियां बंद हो जायेगी, पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जायेगी।

4. इस अधिनियम के प्रावधान यदि साबुत कृषि जिंसों पर लागू हो गये तो भारतीय खाद्य निगम किसी प्रकार का कार्य करने लायक नहीं रहेगा। एफ.सी.आई. में माल की खरीद से लेकर भंडारण तथा फिर उसी माल का सालों बाद पी.डी.एस. के तहत देश की गरीब जनता में अनाज का वितरण किस प्रकार होता है यह सबकी जानकारी में है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय खाद्य निगम भी आएगा तो फिर देश कैसे चलेगा?

5. इस अधिनियम के प्रावधानों की अव्यावहारिकता के चलते मध्य प्रदेश में मंडियां बंद होना प्रारम्भ हो गई हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में बंद होने की तैयारी है, यहां भी व्यापारी राजस्थान बंद की तैयारी कर रहे हैं। यदि राजस्थान में भी यह अधिनियम लागू हो गया तो व्यापारियों के पास मंडियों एवं उद्योग बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों व व्यापारियों पर कुठाराघात कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले इस काले कानून से राज्य को मुक्त रखा जावे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष अहलावत।

सूरजगढ़ में सार्वजनिक टयूबवैलों के दुरुपयोग को रोका जाना

श्रीमती संतोष अहलावत (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने पेयजल हेतु सिंगल फेस बोरिंग तथा थ्री फेस बोर के अनेक ट्यूबवैल खुदवाये हैं जिनका उन सभी ट्यूबवैलों का उपयोग क्या सार्वजनिक हित में हो रहा है अथवा निजी उपयोग भी हो रहा है? अगर ट्यूबवैलों का निजी उपयोग हो रहा है और जो लोग यह कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है? कितनी राशि प्रत्येक ट्यूबवैल की मंजूर हुई थी, कितने ट्यूबवैल अधूरे हैं तथा कितनों से पानी प्राप्त हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये पहले, आपने 295 में जो लिख कर दिया है कृपया उसी को पढ़िये। इधर-उधर भाषण देने की आवश्यकता नहीं, पढ़िये उसको।

उदयपुरवाटी को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के प्रथम चरण से जोड़ा जाना

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री शुभकरण चौधरी)

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें चुनाव के मात्र तीन-चार महीने पहले ही कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से करीब 100 करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकृत हुआ है, जिसमें घोर अनियमितताएं हुई हैं। पिछले सरकार के दो मंत्रियों ने इसमें बंदरबांट किये। झुन्झुनूं विधान सभा जहां पर्याप्त मात्रा में पानी है, वहां पीने के पानी के लिए सरकार और उनके मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर 500 करोड़ की कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य करवा लिया गया। जबकि खेतड़ी से पहले पानी उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में से होकर जाता है और उदयपुरवाटी डार्क जोन भी है तथा वहां का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पानी में भी फ्लोराइड हो गया है।

अत: इस योजना का रिव्यू कराते हुए निरस्त करें, वरना झुन्झुनूं के बजाय प्रथम फेस में ही उदयपुरवाटी को जोड़ कर पैसे का दुरुपयोग होने से बचाये तथा क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें।

श्री अध्यक्ष: नियम 295 में जिन सदस्यगण ने अपने दिये हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि रिकार्ड में वहीं चीज जाएगी जो आपने लिख कर दी है। इसके अलावा, जो कुछ भी आप यहां बोलेंगे वह रिकार्ड में नहीं जाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि व्यवस्था को आप सहयोग करते हुए वही बोलें जो आपने रिकार्ड में दिया है।

श्री नरेन्द्र कुमार।

सांप काटे कृषक को निजी चिकित्सालय में उपचार कराने पर भी सहायता राशि उपलब्ध कराया जाना

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, राजीव गांधी कृषक योजना जो राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों की कृषि कार्य के दौरान सांप काटने से मृत्यु हो जाने पर दुर्घटना मानते हुए एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त सहायता में एक शर्त निर्धारित की हुई है कि जिस कृषक के साथ दुर्घटना घटित हो उसका इलाज राजकीय चिकित्सालय में होना चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी सरकारी चिकित्सालय का जारी होने पर उक्त सहायता दी जाती है। श्रीमान् आप स्वयं भी जानते हैं कि गांव के सरकारी चिकित्सालयों

(श्री नरेन्द्र कुमार)

में सांप काटने का इलाज नहीं होता है तथा जिला चिकित्सालयों में भी इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसी परिस्थिति में, कृषकों के साथ ऐसी घटना होती है तो उसके परिजन तुरन्त किसी निजी चिकित्सालय में ले जाते हैं तथा कई बार वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है जिससे किसानों को किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिल पाती है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि कृषकों के हित में इस प्रावधान को हटाया जाना लोकहित में आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

चौकड़ी ग्राम (खण्डेला) में जारी अवैध खनन पर त्वरित प्रतिबंध

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं खनिज मंत्रीजी का ध्यान एक अत्यन्त ही गम्भीर एवं लोक महत्व के प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसके लिए मैंने पूर्व में भी कई बार सरकार को आग्रह किया है परन्तु विगत सरकार के असंवेदनशील कर्ताधर्ताओं ने मेरी जनहित की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया।

पिछले दो वर्ष से अधिक समय से ग्राम चौकड़ी (खण्डेला) जिला सीकर में आबादी के निकट पत्थर की खदानों में अवैध और विनाशकारी ब्लास्टिंग से जन जीवन की सुरक्षा को हो रहे खतरे की ओर मैं राज्य सरकार को चेताना चाहता हूं कि ग्राम कोटड़ी एवं आसपास के क्षेत्र में खनन लीजधारकों द्वारा भयंकर विस्फोट करके पत्थरों का खनन कार्य किया जा रहा है। ट्रैक्टरों द्वारा ड्रिलिंग कर किये जा रहे ब्लास्टिंग से तीव्र कम्पन और प्रचण्ड गूंज से मकानों की छत, आंगन एवं दीवारों में दरारें आ रही हैं तथा ड्रीलिंग ब्लास्टिंग से निकल रही धूल का आवरण दौ सौ मीटर दूरी तक वहां के घरों पर छाया रहता है। विस्फोटकों की रासायनिक और विषैली गैस ग्रामीणों की श्वसन क्रिया को प्रभावित तो कर ही रही है, उछल कर आ रहे पत्थर कभी भी किसी भी ग्रामजन को अपंग बना सकते हैं, मौत के आगोश में पहुंचा सकते हैं।

इस गम्भीर एवं जनहित से जुडे मुद्दे पर मेरा पुरज़ोर आग्रह और मांग है कि जब नियमों में स्पष्ट प्रावधान होने एवं खान सुरक्षा महा निदेशालय के पत्र दिनांक 4.7.2011 के द्वारा खान प्रबंधन को अनुमति की शर्त संख्या 1.2

(श्री बंशीधर)

के तहत स्पष्ट रूप से यह निर्देशित करने कि खदान में उन जगहों पर डीप होल ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी जो स्थान निजी घर या सार्वजनिक ढांचों से तीन सौ मीटर के भीतर हों, के बावजूद खनन लीजधारकों द्वारा तीन सौ तो क्या दो सौ, डेढ़ सौ मीटर की परिधि में आवासीय मकान, अस्पताल एवं राजीव गांधी सेवा केन्द्र होने के बावजूद निरन्तर खनन कार्य कर स्थानीय निवासियों की जान माल को भारी खतरा पहुंचाया जा रहा है। अत: मेरी इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से मांग है कि ग्राम चौकड़ी जिला सीकर में हो रहे अवैध खनन को तुरन्त प्रभाव से बंद किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को पाबंद किया जाय, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालालजी।

रूपवास ग्राम (निवाई) स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.डी. की समस्याओं का निराकरण

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रूपवास, पंचायत पलेई (निवाई) में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.डी. निवाई फेज द्वितीय में व्याप्त समस्याओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उक्त औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रखा है। इस बाबत रीको, टोंक के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। किन्तु आज तक ये अतिक्रमण नहीं हटाये गये हैं। रसूखदार फैक्ट्री मालिकों द्वारा विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ से बड़े-बड़े उद्योगों को गोदामों में तब्दील कर दिया है जिससे औद्योगिक उत्पादन भी नहीं हो रहा है और मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। फैक्ट्रियों को गोदाम में बदलने के कारण किसानों को पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जमीन रीको द्वारा अधिग्रहित कर ली गयी है।

आई.आई.डी. सेंटर, निवाई में रीको के अधिकारियों की मिलीभगत से एरिया के खाली भूखण्डों को पी.एम.टी. एवं प्रोडक्शन दिखाया है। भूखण्ड मालिकों के साथ मिलीभगत कर अधिकारी थोड़े समय में प्रोडक्शन एवं पी.एम.टी. कर देते हैं। इससे भूखण्ड मालिक अच्छे दामों में बेच देते हैं या गोदाम बना कर किराये पर उठा देते हैं। इससे सरकार की औद्योगिक विकास की भावना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

(श्री हीरालाल)

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का निराकरण कर औद्योगिक विकास कराया जाय ताकि मजदूरों को रोजगार मिल सके और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलालजी वर्मा।

लाखेरी ग्राम (बूंदी) में उप-तहसील भवन हेतु अवाप्त चरागाह भूमि के आबंटन की निरस्ती

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने अपने अंतिम समय में जिस प्रकार से राजस्थान में अपने लोगों के हितों के लिए हर जायज नाजायज कार्य किया उसी का एक उदाहरण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी में उप तहसील भवन बनाने के लिए जिला कलक्टर, बूंदी ने आदेश संख्या 154 दिनांक 25.9.2013 के द्वारा आर.जी. खसरा नम्बर 828 रकबा 3.54 हैक्टेयर जो चरागाह भूमि है में से 2 एकड़ भूमि बिना किसी सोच विचार के जल्दबाजी में आचार संहिता से पूर्व आबंटित कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे कारण यह रहा कि वहां कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा उक्त चरागाह भूमि व उसके आसपास की चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनको नाजायज फायदा देने और इस आड़ में उस कब्जे को नियमित कराने का षड्यंत्र है जिसके कारण लाखेरी की जनता में बहुत अधिक रोष है।

अत: मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि उक्त आबंटन को तत्काल निरस्त कर लाखेरी में अन्य स्थान पर उपलब्ध सिवाय चक भूमि का आबंटन किया जाए और चरागाह भूमि पर से अतिक्रमियों को हटाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गैर-चयनित परिवारों का योजना के तहत चयन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। निवेदन है कि प्रदेश में 02 अक्टूबर, 2013 से खाद्य सुरक्षा बिल के तहत जारी

(श्रीमती अनिता भदेल)

किये गये प्रावधानों को लागू किया गया था। पिछली सरकार द्वारा आनन-फानन में बिना किसी पूर्व योजना के जारी किये गये इस बिल के प्रावधानों से हजारों परिवार जिन्हें ए.पी.एल. की श्रेणी में होने के कारण प्रति माह दस किलो खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, उन्हें उससे वंचित होना पड़ रहा है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूं, जो निम्न प्रकार हैं:-

शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली खाद्य सुरक्षा योजना में अधिसूचित पिछड़ी जातियों यथा भोपा, वागरिया, बंजारा, गाड़िया लोहार, सांसी, नट, कंजर, मेव, मीरासी, जागा, वाल्मीकि, सफाईकर्मी, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिश्ती इत्यादि का सर्वे किया जाकर सूचियां तैयार किया जाना आवश्यक है, ताकि इन्हें खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले परिलाभ से वंचित नहीं होना पड़े।

शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्ती का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार करवाया जाना आवश्यक है। वर्तमान सूचियों में अनेक परिवारों का नाम नहीं होने से उन्हें इस बिल का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

खुली मजदूरी करने वाले श्रमिकों को योजना में शामिल करने का स्पष्ट आधार नहीं है। निर्माण श्रमिकों में भी उन्हीं श्रमिकों को मान्यता मिली है, जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में पूर्व से किया हुआ है। श्रम विभाग में भी सम्पूर्ण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का कम्प्यूटराइज्ड डाटा बेस तैयार नहीं है। श्रम विभाग में पदों की कमी व कम्यूटरीकरण के बजट के अभाव में आधा-अधूरा काम ही हो पाया है। जिससे न केवल श्रम विभाग परेशान है, अपितु खाद्य एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को भी अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जिन पात्र परिवारों का डाटा बेस उपलब्ध नहीं है उनमें जैसे – रिक्शा चालक, स्ट्रीट वैन्डर, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले परिवार शामिल हैं। जब कभी रिक्शा चालक परिवार अपने आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित कराना चाहे तो उसे यह प्रमाण पत्र देने को कोई तैयार नहीं है कि वह रिक्शा चालक है। प्रमाण पत्र के अभाव में व विभाग की उदासीनता के कारण उपरोक्त परिवार मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। इसी प्रकार बीड़ी श्रमिक भी योजना में पात्र होते हुए उपरोक्त योजना का लाभ इसलिये नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनका भी डाटा बेस तैयार नहीं है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि नगर निकाय स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सेल/हेल्पलाइन डेस्क खोली जाये जो इस योजना में चयनित से पात्र वंचित परिवारों का नाम जोड़ने एवं सील लगाने का कार्य नियमित रूप से कर सके। इस योजना के पात्र परिवारों का डाटा बेस तैयार करवाया जाना आवश्यक है। जिसमें सोफ्टवेयर स्तर पर डी-डुप्लीकेशन की पहचान का प्रावधान हो, ताकि दोहरे चयनकरण को रोका जा सके। आन लाइन डाटा फीडिंग हेतु प्रति एन्ट्री दर अनुसार बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वर्तमान में कार्यरत आन लाइन डाटा बेस का सोफ्टवेयर ठीक प्रकार से कार्यरत नहीं है। डाटा फीडिंग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं यथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल के वर्तमान आनलाइन से डाटा से लिंक नहीं हो रहा है।

खाद्य सुरक्षा का खाद्यान्न राशन टिकटों के माध्यम से कराया जाना उचित होगा, ताकि खाद्यान्न का डायवर्जन नहीं हो। राशन टिकटों के संग्रहण एवं मिलान के लिये तहसील स्तर पर पर्याप्त स्टाफ होना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से विचार व्यक्त करने हेतु श्री जोगाराम पटेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर के चिकित्सालयों की बदहाल व्यवस्था

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपका आभारी हूं कि पर्ची के माध्यम से मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था जो पूर्ववर्ती सरकार के समय थी, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है और विशेषकर जोधपुर रीजन में जहां से पूर्व माननीय मुख्य मंत्री आते थे और उनके द्वारा किये गये मात्र उद्घाटनों से जनता को कितना दुख भोगना पड़ रहा है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया लेकिन इसके विपरीत कार्य किया गया। परन्तु वर्तमान सरकार के आते ही इस संवेदनशील सरकार ने सबसे पहले राजस्थान के सबसे बड़े हास्पिटल का निरीक्षण किया। कमियां पाई और उनको सुधारने के निर्देश दिये। प्रमुखता से सफाई व्यवस्था, स्टाफ की व्यवस्था, डाक्टरों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, परन्तु आप देखेंगे और पायेंगे कि न ही मात्र मुख्य मंत्री जी ने भी और मंत्रीजी ने भी प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी सफाई, दवाइयां और स्टाफ लगाने का पूरा प्रयास किया परन्तु

(श्री जोगाराम पटेल)

पूर्व की जो बहुत बड़ी कमियां रह गई थीं उनकी पूर्ति करने में समय लगने की सम्भावना है। जोधपुर रीजन में मथुरादास माथुर हास्पिटल सबसे बड़ा हास्पिटल समूह है परन्तु उस हास्पिटल में जेरियेट्रिक सेंटर 2.67 करोड़ की लागत का उद्घाटन 18.8.2013 को किया गया था, उद्‌घाटन करने के बावजूद भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई और व्यवस्था नहीं करने के कारण ही उसमें अनेक कमियां रह गईं और उसका उपयोग नहीं हो पाया। आज भी ये जो अस्पताल है इसमें स्टाफ की व्यवस्था नहीं हुई और स्टाफ की व्यवस्था नहीं होने से जो 28 बेड लगने थे इंडोर पेशेंट के वे नहीं लगे। इंडोर की व्यवस्था होनी थी वह नहीं हुई और इसमें काटेज वार्ड, आई.सी.यू. लगना था वह नहीं हुआ। और भी कई सुविधाएं थीं वे नहीं हो पाईं। इसलिए उसका जो मकसद था जो खर्चा किया गया था उसकी जो उपयोगिता मिलनी थी वह आज तक बिलकुल नहीं मिली।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मथुरादास माथुर अस्पताल में जो जेरियेट्रिक सेंटर खोला गया था और उसकी जो उपयोगिता होनी थी वो आज दिन तक नहीं हुई है। इसके अलावा, उद्घाटन के नाम पर जो दूसरा उद्घाटन हुआ 2.10.2013 को मातृ-शिशु विंग, इस पर भी करीब 35 करोड़ का खर्चा आया लेकिन आज दिन तक वहां मात्र ओपीडी स्त्री एवं शिशु रोग ही प्रारम्भ हो पाया है। बाकी पूरा का पूरा उसका जो उद्देश्य था, उसकी आज दिन तक पूर्ति नहीं हो पाई है। इस विंग में पचास डाक्टर, सौ नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ की अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है और इसी कारण से ओपीडी के अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं मिल रही है। न तो स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ मिला है, न टीकाकरण केन्द्र शुरू हुआ है, न परिवार कल्याण केन्द्र प्रारंम्भ हुआ है, न प्रसव पूर्व जांच हो रही है, न पीपी टीसीटीजी सुविधाएं मिल रही हैं और न अन्य जो सुविधाएं मिलने वाली थीं वे मिल पा रही हैं। ऐसी स्थिति में, इस सेन्टर का जो उद्देश्य था, मातृ एवं शिशु रोग विंग, इस विंग का कोई उद्देश्य नहीं है। मात्र दिसम्बर नजदीक देखते हुए फटाफट उद्घाटन किया गया, बोर्ड लगा दिया गया लेकिन उसकी पूर्व की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं वे पूर्ववर्ती सरकार ने बिलकुल ही नहीं कीं। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सबसे महत्वपूर्ण जो वृद्ध रोग चिकित्सा केन्द्र था उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं की गई और उसकी वजह से भी बहुत भारी तकलीफ जो वृद्ध लोग आते हैं, उनको होती है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसके अलावा, तीसरा एक और तुरन्त उद्घाटन किया गया 15 सितम्बर, 2013 को और उसमें भी करीब दस करोड़ का खर्चा था परन्तु उसमें भी फिलहाल किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं और उसमें भी अभी तक न तो पूरे डाक्टर लगे हैं और न ही कोई सुविधा हुई है। इसमें मात्र नर्सिंग स्टाफ और दो डाक्टरों की नियुक्ति हुई है। जबकि इसमें अभी तक आउटडोर प्रारम्भ नहीं हुआ है। अन्य सुविधाएं दवाई है, एलपी लेब है, डिजीटल लेब है, आईएमएफसीआर है ये सारे के सारे जो उपकरण होने चाहिए थे जो उस प्रोजेक्ट में थे वे कोई प्रारम्भ नहीं हो पाये। ये तीन उदाहरण के रूप में मैंने आपको जोधपुर रीजन के जोधपुर शहर के बताये हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। (व्यवधान) ग्रामीण का भी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, दो मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा शहर है और इसके आस पास बहुत बड़ा एरिया लगता है। वहां के जो दो बड़े हास्पिटल है महात्मा गांधी हास्पिटल और मथुरादास माथुर हास्पिटल उन हास्पिटल्स की ऐसी व्यवस्था कर रखी है, न वहां डाक्टर है, न नर्सिंग स्टाफ है, न टेक्निकल स्टाफ है। आये दिन यहां तक की डाक्टर के आपरेशन करने के दौरान बिजली चली जाती थी और बिजली चले जाने से डाक्टर आपरेशन करना बंद कर देते थे। आपरेशन करते समय डाक्टरों की सुइयां अन्दर रह जाती थीं और प्रसूताओं की मौत वे सारे विषय आपके सामने हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल हैं, उनमें न डाक्टर हैं, न नर्सिंग स्टाफ हैं और न कोई लैब है। हालांकि वर्तमान में करीब पिछले 15-20 दिनों से काफी सुधार हुआ है। काफी इंस्पेक्शन हुए हैं। रंगाई, पुताई, सफाई और नर्सिंग स्टाफ इसका प्रयास किया जा रहा है। परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करुंगा कि विशेषकर जोधपुर रीजन में, जो सबसे बड़ा पश्चिमी क्षेत्र है, जहां अनेक बीमारियां भी होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिये, जन स्वास्थ्य के लिये, स्त्रियों के लिये, बच्चों के लिये, पुरुषों के लिये सारी मेडिकल सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध हो...

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ओनली वन मिनट। उन सब सुविधाओं के लिये।

एक माननीय सदस्य: पूर्व मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र की गाथा गा रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने, अगर आप हिसाब लगावें तो एक महीने में जोधपुर में कम से कम पांच सौ बोर्ड लगा दिये और काम कोई नहीं हुआ, सिर्फ बोर्ड लगाये, फीता काटा। फीता काटने की इतनी जल्दी थी कि साहब जल्दी आओ शाम हो रही है। फीता काटने का काम जरूर किया, व्यवस्था नाम की, कुछ नहीं की। इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि आपके ऊपर अधिक भार है कृपया आप इसे तुरन्त अरेंज करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नन्दवाना। आप जवाब देंगे? मंत्रीजी रेस्पांस कर रहे हैं, स्वागत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जोधपुर जो कि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है और एक तरह से पिछले पांच वर्षों में अघोषित राजधानी के रूप में जोधपुर चर्चित रहा। वहां की चिकित्सा सेवाओं के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि पूरे देश में प्रसूताओं की मौत को लेकर जोधपुर की चिकित्सा संस्थाओं के बारे में पूरे देश में चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं इन तीस दिनों के अन्दर-अन्दर स्वयं जोधपुर आऊंगा। आपने जिक्र किया है जेरिएट्रिक सेंटर का, आपने मातृ शिशु विंग का जिक्र किया, 34 करोड रुपये लग गये, करोडों रुपये खर्च होने के बाद भी फीता जरूर कटा परन्तु इसमें जो सेवाएं मिलनी चाहिये थीं वे सेवाएं नहीं मिल रहीं। निश्चित तौर पर, बड़ी संख्या में चिकित्सा संस्थाओं में पद रिक्त हैं, पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की प्राथमिकता है, आपकी चिकित्सा संस्थाएं जो पहले उद्घाटित हो गई, उसमें सरकार का पैसा लगा है, वह सेवा का केन्द्र बने, इसके लिये योजना बना कर, इन 60 दिन की कार्यकारी योजना में इसको शामिल करके आपके इस काम को हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

नरेगा के माध्यम से ग्रामीण विकास के अवसर

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा विषय

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

ग्रामीण विकास से जुडा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य राजस्थान के सभी गांवों से होकर आये हैं और आजादी के 66 साल बाद भी आज भी ऐसे गांव हैं जहां गांव के लोग नदियों से पानी भर कर लाकर पीते हैं। ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली की व्यवस्था या अन्य जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वह भी नहीं हैं। पंचायती राज व्यवस्था में हमने ऐसी काफी योजनाएं लागू की हैं और उन योजनाओं का लाभ जो ग्रामीण क्षेत्र में मिलना चाहिये उसमें भी जनप्रतिनिधि या तो पक्षपात करते हैं या फिर जनप्रतिनिधि उन योजनाओं के प्रति गम्भीर नहीं हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के क्षेत्र में माडा योजना में जो राशि राज्य सरकार द्वारा आबंटित की जाती है उसका लाभ भी समय पर ग्रामीण परिवेश में पंचायती राज व्यवस्था में नहीं मिल पाता। और काफी योजनाएं हैं जिनका लाभ पंचायत क्षेत्र के माध्यम से मिलना चाहिये, लेकिन नहीं मिल पाता। एन्टायर फंड में जो राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उस राशि को पर्याप्त नहीं मान सकते। चूंकि आज भी हम यह महसूस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिये, वह नहीं हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने अभी नरेगा के बारे में बताया था, नरेगा एक ऐसी योजना है जिसके तहत एक बड़े विकास का सपना देखा जा सकता है लेकिन लगातार यह देखने में आया है कि 2005 से 2013 तक लगातार मजदूरों की संख्या घटी है और 100 दिन की मजदूरी करने वाले व्यक्तियों की भी संख्या घटी है। इसके अतिरिक्त भी यदि हम यह देखें कि कैटेगिरी फोर्थ में जो व्यक्तिगत लाभ के काम हैं, उनमें भी लगातार गिरावट आई है। जिसके लिये हमारे प्रयास होने चाहिये, वह प्रयास नहीं हो पाये।

इसके अतिरिक्त, हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था में जितना टेक्निकल स्टाफ होना चाहिये, वह टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से भी जो गुणवत्ता बनाई जानी चाहिये थी, वह गुणवत्ता नहीं बन पा रही। साथ ही, जो राशि पंचायती राज व्यवस्था में मिलती है, उसका अब तक भी सामान्य रूप से निरीक्षण करने में पाया गया है कि 60 से 70 प्रतिशत राशि पंचायतों के पास अभी तक भी सुरक्षित रखी हुई है। जिला प्रमुख रहते हुए मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि यदि हम प्रयास करें तो नरेगा के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में काफी बड़ा काम करवा सकते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम पंचायत को ही यूनिट मानकर नरेगा में कार्य करेंगे तो श्रमिकों में और जनप्रतिनिधियों में काम की भावना बढ़ेगी और उनको यह आश्वस्त

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

किया जाये कि 40 प्रतिशत राशि के पक्के काम उनके क्षेत्र में कराये जायें और उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप कराये जाये तो उसका परिणाम सार्थक मिल सकेगा। मैंने जिला प्रमुख रहते हुए इस प्रकार की योजना अपने जिले में की थी। प्रत्येक जिला परिषद के सदस्यों से उनके निर्वाचन की पंचायतों से 10-10 लाख रुपये के प्रस्ताव मांगे और उनको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से क्रियान्वित करवाकर लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये के पक्के काम हमने ग्रामीण विकास के निमित्त कोटा जिले में किये। मैं यहां यह चाहूंगा कि एक बार ग्रामीण विकास के निमित्त हमारी इस प्रकार की योजना बने कि हम कच्चे कामों को इस आधार पर प्राथमिकता दें कि वह पंचायतें इतनी राशि तक काम करावें, उसके लिये उन्हें बाध्य किया जावे तो नरेगा की अधिकतम राशि का हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, ग्रामीण विकास में जो हमें परेशानियां महसूस हो रही हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री शंकर सिंहजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, कुछ वरिष्ठ लोग अलग से ढाणी बना कर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने टोक दिया, अब वह ठीक हो जायेंगे।

ब्यावर से बराखण्ड सड़क को चौड़ा करने बाबत निर्णय में विरोधाभास

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में ब्यावर से बराखण्ड तक, जो सबसे बड़ी सड़क है, वहां की 35 ग्राम पंचायतें जिस सड़क पर निवास करती हैं उस सड़क को ब्यावर से देवाता चौराहे तक डबल कराने के लिये मैंने गत सरकार में निवेदन किया था। माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को मैंने लैटर लिखा और लैटर का जवाब उप शासन सचिव, वीएस, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान के द्वारा श्री जीएल राव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जवाब दिया। उसका पत्र क्रमांक मेरे पास है 415/3.10.2012 उन्होने लिखा है ब्यावर से देवाता चौराहा, कोटडा, काबरा से 1.800 से 22.500, 20.70 किलोमीटर सड़क 422.55 लाख रुपये की लागत की सड़क स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने यह कहा है कि यह कार्य टीएफसी में स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मैंने वापस पत्र व्यवहार किया और तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से वार्ता की और

(श्री शंकर सिंह)

उनसे मैंने वापस जवाब पूछा। मैंने कहा कि माननीय मंत्री महोदय हमारा कार्य चालू क्यों नहीं हो पा रहा है। उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने वापस जवाब दिया, उसी अधिकारी का जवाब आया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का वही अधिकारी वापस जवाब दे रहा है, 14.3.2013 को उसका जवाब आ रहा है और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी जो अशोक गहलोतजी थे उनको जवाब दे रहा है कि इस ग्रामीण सड़क की चौड़ाइकरण का कार्य स्वीकृत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस तत्कालीन सरकार में जिस अधिकारी द्वारा इस तरह के लापरवाही पूर्वक जवाब दिये हैं, उसका एक जवाब आता है 3.10.2012 को कि यह कार्य स्वीकृत है और उसी अधिकारी ने वापस तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को जवाब दिया है कि साहब यह कार्य स्वीकृत नहीं है। ऐसे अधिकारी का साइनशुदा लैटर क्रमांक के साथ मेरे पास मौजूद है। अभी वर्तमान मंत्री महोदय विराजमान हैं, बहुत सतर्कता से हमारी सारी बात को सुन रहे हैं और निश्चित तौर से उनमें भी इस बात का आक्रोश है, मैं आपके माध्यम से वर्तमान मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे लापरवाह अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहेंगे, जिन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। (व्यवधान) निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को सज़ा मिलनी चाहिये। ऐसी सरकार जो चल रही थी, उस समय हम सत्ता में नहीं थे...

क्या उनको इस प्रकार गुमराह करने का इस सदन के अन्दर जवाब दिया जाना उचित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप इस पर वक्तव्य देकर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कराएं, उसको तुरन्त निलम्बित करने की कार्यवाही के लिए आप जवाब दें, मैं इस बात के लिए आपसे आश्वासन चाह रहा हूं। वह सड़क मुख्य सड़क है, उस सड़क को अभी प्रमुख पंचायतों को जोड़ने के लिए, गौरव पथ के माध्यम से जो आपने प्रस्ताव मांगे हैं वह गौरव पथ की सड़क में भी उस सड़क का प्रस्ताव आपके पास आया हुआ है। आप उस तत्कालीन सरकार, जो अभी बहुत ही ज्यादा फैल रहे थे, हमारे भाई जो कांग्रेस से जीतकर आए हैं कि आपकी सरकार ने क्या किया है, मैं उस सरकार के कारनामे, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार के जो ऐसे अधिकारी थे उनके कारनामे, कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर सरकार चलाना चाह रहे हैं, इस सदन को गुमराह कर रहे थे, उनको निलम्बित करने की कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, तसल्ली रखिये ।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : 60 दिन की कार्य योजना में लिया जाए इसको भी। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): बहुत कम संख्या में आये हो, फैलो मत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कम संख्या में आए हैं, बहुत हैं आपके लिए। आपके लिए तो बहुत हैं हम लोग, काफी हैं ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): पाण्डव पांच थे कौरव सौ थे। हम इक्कीस हैं इक्कीस, हम भी भाई हैं। कौरव सौ थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम इक्कीस हैं, इक्कीस। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान मत डालिये। बोलने दीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सुनने की क्षमता रखो, थोड़ा बड़ा बनवाओ जिला ...(व्यवधान) बहुत फैल रहे थे वहां बैठ रहे थे तब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप व्यवधान मत डालिए, बोलने दीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आखिर राजस्थान की जनता ने आपको सबक सिखा दिया और एक हाशिये के कौने में बैठने के लिए तैयार कर दिया इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है, हमारे मंत्रीजी जवाब दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इसका लोक सभा में मालूम होगा आपको।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे रहे हैं ?

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इश्यु अभी उठाया है, उसमें सड़क को चौड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव था। इन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को और तत्कालीन मंत्री को वह प्रस्ताव भिजवाया था, तत्कालीन अधिकारियों ने जवाब में यह कहा कि यह फलां-फलां योजना में यह सड़क चौड़ाई क्रम का कार्य स्वीकृत है, तत्पश्चात इन्होंने वापिस उसका रिमाइण्डर भिजवाया, उसके जवाब में यह कहा गया कि सड़क का पुनर्निर्माण स्वीकृत नहीं है, इस विषय को दिखवा लेंगे। माननीय हमारे आने वाले सदस्य के साथ बैठ कर चर्चा करके क्या विषय है उसका निपटारा करके, कोई इस तरीके का सरकार के स्तर पर दोष है तो उसकी जांच भी करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: थैंक्यू । श्री अमराराम।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। माननीय मंत्री महोदय, आप थोड़ा यह आश्वस्त करें कि उस अधिकारी को, कार्यवाही करने के लिए आप ...(व्यवधान)

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय अभी यह बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं1 अभी एक महीने पहले तो यह गए हैं। राजस्थान की सड़कों की पांच साल में इन्होंने क्या हालत की है, यह पूरी राजस्थान की जनता जानती है और हम भी राजस्थान में घूमे हैं, इनको इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। यह माननीय सदस्य जो बार-बार बोलते हैं, उनको यह टोकने का ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप सुधारो आपकी डयूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं सुधारते, आप सुधारो।

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी सब्र रखिये। पहले आप इधर बैठे थे, अब इधर बैठे हैं, थोड़ा सब्र रखिये, अभी पांच बाकी हैं, 1825 दिन होते हैं पांच साल में, थोड़ा सब्र रखिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं, तो वह माननीय सदस्य जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करें, सदन में बताएं।

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने बोल दिया, जो भी विषय है। जो भी विषय है पूर्ववर्ती सरकार का है।

श्री रमेश (सपोटरा): आपने अभी कहा बैठ कर बात करेंगे, तय कर लें। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम सारे विषय को देख लेंगे... (व्यवधान) जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे चिंता मत करो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय अमरारामजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हमारे मंत्रीजी ने आश्वस्त किया है निश्चित उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय अमराराम जी।

राजस्थान में बजरी खनन ठेका नीति से उत्पन्न समस्याएं

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान में इस बजरी के कारण जनता परेशान है। जिस प्रकार से संविदा का निस्तारण हुआ है और जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो नीति बनाई है उसी के कारण से आज हमारा किसान, छोटा मजदूर, व्यापारी एक मकान बनाना चाहता है तो बजरी के दाम इतने बढ़े हुए हैं जिसके कारण वह मकान नहीं बना सकता। मैं आपसे अर्ज करूं, बालोतरा के अन्दर ही मैं आपको उदाहरण दूं तो पहले हमारे 25 करोड़ रुपये में हर साल पांच करोड़ रुपये रायल्टी और सैलटैक्स के होते थे। इन्होंने पांच साल में 24 करोड़ 58 लाख रुपये देने में जो अपना कान्ट्रेक्ट किया है, जिनको जिस प्रकार से, आज 120 रुपये रायल्टी 380 रुपये ट्रेक्टर के अलग से लिये जा रहे हैं, ट्रकों के अलग-अलग, चौपहिया वाले अलग हैं, दस पहिया वालों का जो अलग-अलग रेट लगा रखी है जिससे बालोतरा के अन्दर इनकी आय पांच साल के अन्दर 3240 करोड़ हो गई और हमको दे रहे हैं 25 करोड़ से भी कम, पहले हम 25 करोड़ लेते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो यह कान्ट्रेक्ट हुआ है इसके पीछे कोई न कोई जांच होनी चाहिए। इसमें माइनिंग अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए हैं। इस प्रकार से गरीब जनता को लूटना और पैसे कमाने के सिवाय कोई काम नहीं है। इसीलिए हर महीने केवल दो लोगों को साढ़े चार करोड़ रुपये का मुनाफा, यह तो क्यों नहीं, एक महीने, एक साल के अन्दर पैसे जमा करा देंगे, उससे भी दुगनी उनकी आय होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं इसमें खोट है। गरीब लोग मारे जा रहे हैं। आज ट्रेक्टर पर चार टन से ज्यादा बजरी नहीं आती है, उसकी रेट होनी चाहिए, पहले 120 रुपये रायल्टी लेते थे और उसके अलावा, भरते वह स्वयं थे लेकिन आज उसके अलावा भी जो नियम बनाए गए हैं कि आप जब तक मूड आएगा उसको आप खुदाई नहीं करेंगे। आज हमारा नदी का फ्लो रूक रहा है, अगर तीन मीटर गहराई भी नदी को खोदेंगे तो श्रीमान जब भी यह नदी का पानी आगे नहीं बढ़ेगा और एरिया वीरान पर्यावरण की दृष्टि से भी हो जाएगा। पेड़-पौधे भी नहीं पनप सकेंगे। इस प्रकार की नीति और नियम इन्होंने बनाए, जिसके कारण आज जनता परेशान है लेकिन भविष्य में भी जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, इस पर वापिस रिव्यु किया जाए और इस प्रकार की जो संविदा बनी है, निष्पादित हुई है उसको खतम करके नये सिरे से जो पूर्व वाली स्थिति थी उसी को लागू किया जाए यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार विभाग

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.28(84)प्रसू/सूअप/2009 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके द्वारा स्थापित अपराध अनुसंधान विभाग (अपराध शाखा) को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 23 एवं आबकारी विभाग की एक अधिसूचना मेज पर रखता हूं।

वित्त विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.2(32)वित्त/कर/2013-61 दिनांक 13 सितम्बर,2013 जिसके द्वारा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2008-पार्ट-II-62 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा मैसर्स श्री सीमेन्ट द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2012-63 दिनांक 13.9.2013 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकार्प द्वारा संयंत्र स्थापन हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(33)वित्त/कर/2012-64 दिनांक 13.9.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-145 दिनांक 9 मार्च, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-65 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान घरेलू एलपीजी सब्सीडी स्कीम, 2011 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-67 दिनांक 20 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर लोन एग्रीमेन्ट पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-68 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा-90 के तहत जारी लीज डीड के पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-69 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी पुनर्वैध लीज डीड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-70 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा विक्रय/आबंटन के सम्बन्ध में जारी लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-71 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं आबंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम-4 के उप नियम-(1) या नियमितिकरण के लिये नियम-16 के उप नियम-(1) के अधीन दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा दिनांक 31.12.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-72 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा इंटरमिडियटरी अपंजीकृत एवं अनस्टाम्प्ड दस्तावेजों पर सशर्त देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है ;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत जिलों एवं उप जिलों का गठन किया गया है एवं सीमाओं का निर्धारण किया गया है ;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत कतिपय अधिकारियों को उनके पदाभिधान के आधार पर रजिस्ट्रीकरण उप जिले के लिये उप रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं ;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(138)वित्त/कर/2009-75 दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(138)वित्त/कर/2009-58 दिनांक 8 अगस्त, 2013 में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 8.5.2013 से प्रभावी होगा ;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-76 दिनांक 20.12.2013 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-77 दिनांक 20.12.2013 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-78 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम-39(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति निर्धारित की गई है ;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-79 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान), नियम, 1957 के नियम-6-बी(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति निर्धारित की गई है ;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-80 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों एवं बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 के नियम-7(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति निर्धारित की गई है ;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)वित्त/कर/2013-81 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर कर नियम, 1999 के नियम-8(1) के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति निर्धारित की गई है ;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डआर/2011 दिनांक 4.9.2013 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है ; एवं

23- अधिसूचना संख्या : एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डआर/2011 दिनांक 4.9.2013 जिसके द्वारा उपापन संस्थाओं द्वारा बोली लगाने वालों के प्रवर्ग को सशर्त अधिमान दिया जाएगा।

आबकारी विभाग

1. अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)वित्त/आबकारी/2012-पार्ट दिनांक 4.10.2013 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

परिवहन विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु./11 दिनांक 19.9.2013 जिसके द्वारा जोधपुर नेटवर्क आफ लिविंग विद एचआईवी संस्थान को एच.आई.वी. पीडित बच्चों को शिक्षण कार्य हेतु लाने-ले जाने हेतु वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(75)परि/कर/मु./08/31938 दिनांक 6.9.2013 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से रामदेवरा आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 3500/- रुपये से अधिक कर की राशि में छूट प्रदान की गई है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन, श्री राजेन्द्र राठौड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 ; एवं

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

व्यवस्था का प्रश्न

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन के प्रगति प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ द पार्लियामेंट के चैप्टर 34, पेज 1014 से 1016, बाय पी.डी. आचार्य, की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप उल्लेखित करवाना चाहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): लेकिन यह विषय, अध्यक्षीय, जो आपके यहां से अध्यक्ष के रूप में यहां से जो स्पीकर्स के यहां से डिसिजन गये हैं, उसमें उन सारे संस्थानों का, जिसमें राजस्थान की जनता की अंश-पूंजी लगी हुई है, अनिवार्य रूप से उनके आडिटेड अभिलेख वर्ष के हिसाब से आने चाहिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन का प्रगति प्रतिवेदन आखिरी बार 2010 में आया था और 2010 के बाद में 2011 निकल गया, 2012 निकल गया, 2013 का अंत हो गया। यह पार्लियामेंट्री प्रोसिजर्स के हिसाब से संविधान का उल्लंघन है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये हुए महत्वपूर्ण निर्णयों पर, आप पेज 234 दिखवायें। सम्माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समक्ष, जब यह बात उन्होंने स्वयं उठाई थी कि प्रगति प्रतिवेदन सदन में उपस्थित नहीं हो रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

का अधिकार कानून तो 2005 में लगा लेकिन इस सदन को सूचना प्राप्त करने के अधिकार इन प्रगति प्रतिवेदनों और वार्षिक रिपोर्टों से होता है। स्वयं आसन यह बात कहता है कि पत्र-पत्रिकाओं और अखबारों में छपी हुई बात को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे को सजग करने का ज्ञान कहां से मिलता है, प्रगति प्रतिवेदनों से मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कारपोरेशन में राजस्थान की जनता का साढ़े तीन हजार करोड़ से ज्यादा लग चुका है, योजना नौ हजार करोड़ की बनी थी, हो सकता है, बारह हजार करोड़ तक जाए। आज तक उसका प्रगति प्रतिवेदन इस सदन के पटल पर क्यों नहीं आया? यह घोर वित्तीय अनियमितताएं हैं। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज के अन्दर कस्टोडियन है जनता के पर्स का तो लेजिस्लेचर है, कोई मंत्री नहीं है, कोई एक्जीक्यूटिव नहीं है। इस जनता के कस्टोडियन के नाते लेजिस्लेचर की बगैर अनुमति लिये हुए आप पैसे का व्यय कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आगे आकर्षित करना चाहता हूं कि ठीक इसी प्रकार से आपके इसी सदन में, आपका ध्यान मैं पेज नम्बर 272 की तरफ आकर्षित करता हूं, 2005 का मामला है। सम्माननीय नाथूसिंहजी ने, जब इसी प्रकार से प्रगति प्रतिवेदन नहीं आया था, तब उन्होंने उठाया था और पिछले कार्यकाल में, 13वीं विधान सभा में गृह विभाग का प्रतिवेदन नहीं आने पर स्वयं गृह मंत्रीजी ने खड़े होकर क्षमा-याचना की थी। मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि यू.डी.एच. विभाग के नीचे मैट्रो रेल कारपोरेशन आता है। मैट्रो रेल कारपोरेशन का प्रगति प्रतिवेदन क्या विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत हुआ है या नहीं? हुआ है तो सदन में क्यों नहीं लाया गया? अगर उसमें व्यय हो रहा है तो फिर किस अनुमति से व्यय हो रहा है? किसको पूछ कर व्यय हो रहा है? यह इस लेजिस्लेचर के एक-मात्र अधिकार पर कुठाराघात है। मैं आपसे इस बारे में आश्वासन नहीं, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं और आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आप चाहें तो मैं आपका ध्यान 29.08.2011 के उन अभिलेखों पर कर दूं जो आपके आर्काइव्ज में है। यहां सांगानेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने अपनी अभिव्यक्ति में नियम 140 के सम्बन्ध में गृह विभाग के बारे में कहा था और आसन से यह आज्ञा चाही थी कि इस पर सख्त कार्यवाही की जाए। यह बार-बार उल्लंघन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस उल्लंघन को बरदाश्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी है, आप स्वयं अधिवक्ता हैं। आपको स्वयं कांस्टीट्यूशन की जानकारी है। कांस्टीट्यूशन अगर किसी को राइट देता है तो एक मात्र लेजिस्लेचर को राइट देता है। आखिर किस अधिकार से तो 120 एकड़ जमीन इन्होंने इस कारपोरेशन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

को दे दी? कारपोरेशन के पास में, इनका खुद का आया हुआ जवाब है, कारपोरेशन के पास में 5 लाख 9 हजार 710 स्कवायर मीटर जमीन तो जयपुर सिटी की है और 110 एकड़ जमीन इन्होंने और कर दी। उस संस्था को इतना कुछ देने के बाद में संस्था का प्रगति प्रतिवेदन और वार्षिक आय-व्यय का मसौदा यहां नहीं आया। सी.ए.जी. ने भी टिप्पणी की है। उसके उपरान्त भी अगर यह सदन खामोश होकर सुन ले, मैं अध्यक्षजी से इसकी व्यवस्था चाहूंगा कि यह नहीं आने की वजह से आखिर यह सरकार क्षमा कैसे मांगेगी। सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को आज तक प्रस्तुत नहीं किया। आखिर किस अधिकार से जनता के पैसे का वह व्यय बगैर इस सदन की अनुमति से कर रही है? मैं आसन से यह व्यवस्था चाहता हूं।

व्यवस्था

सदन पटल पर प्रतिवेदन यथा समय रखे जाने चाहिए

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य राव राजेन्द्रसिंहजी ने संविधान और नियमों के अन्तर्गत एक व्यवस्था चाही है। मैं इसके जवाब में आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके पास सारी सामग्री भी है, निर्देशन भी है और सारी प्रक्रियाएं भी हैं। जो गल्तियां आपने इंगित की हैं, मैं सरकार को यह निर्देश देता हूं कि इस तरह के दिशा-निर्देश जो हैं उनको यथा-समय और यथा-आवश्यकता इस सदन के सामने रखना चाहिए। यह मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को यह निर्देश देता हूं कि आइन्दा ऐसी गलती नहीं करे। जो एतराज आया है उस पर पूरा ध्यान दे।

एक माननीय सदस्य: पहले कीं, उनका क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की पालना होगी। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया। जयपुर मैट्रो रेल कारेपोरेशन का प्रतिवेदन विलम्बित है। हम उनके कारणों का भी मालूम करेंगे कि विलम्ब क्यों हुआ। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह अधिकार सदन का है कि वह प्रतिवर्ष इस कारपोरेशन में, जिसमें राजस्थान की जनता का धन लगा है, उसमें क्या-क्या प्रगति हुई, कैसे-कैसे धन का व्यय हुआ, उसको जानने का अधिकार इस सदन को है। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त करता हूं कि संसदीय कार्य विभाग इसके लिये सर्कूलर जारी करेगा। अन्य सभी कारपोरेशन को भी निर्देशित करेगा कि निश्चित ईयर समाप्त होने के बाद आगे हमेशा समय पर प्रगति प्रतिवेदन आयें।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उप-स्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालू लाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या-1)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2014 को मध्यान्ह पश्चात् 12.40 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 24 जनवरी, 2014 से 29 जनवरी, 2014 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 2014	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2014	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 26 जनवरी, 2014	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 27 जनवरी, 2014	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी, 2014	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2014	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

श्री अध्यक्ष: आप प्रस्ताव कीजिये। सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पुर:स्थापित करने की आज्ञा तो प्रदान करें। आज्ञा प्रदान करें पुर:स्थापित करने की। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। फिर उसके बाद आगे आएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-21) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष: कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014, श्री प्रभू लाल सैनी।

कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रह गया।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, इसको भी करें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन और संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्यांक-23) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्वागत।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

(श्री अध्यक्ष)

भारतीय जनता पार्टी	-	13 घंटे
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	-	1 घंटा 41 मिनट
नेशनल पीपुल्स पार्टी	-	20 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	-	15 मिनट
नेशनल यूनियनिस्ट जमीदारां पार्टी	-	10 मिनट
निर्दलीय	-	34 मिनट

यह कुल 16 घंटे हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री राजपाल सिंह शेखावत, विभाजन संख्या-139, सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

अभिभाषण में सत्र आहूत किये जाने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 (ए) की ओर आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो महामहिम द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाएगा उसमें महामहिम किस कारण से इसको, सत्र को आहूत किया गया है, उसका कारण बताएंगे और क्या-क्या विधायी कार्य होंगे, उसका भी उल्लेख इसमें होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्ति पहले भी समय-समय पर होती रही है और उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा 27 फरवरी, 1963, 22 फरवरी, 1964 और 10 जनवरी, 2009 को भी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्षजी द्वारा दी हुई हैं। इस सत्र में 23 जनवरी, 2014 को यह जो अभिभाषण पढ़ा गया है इसके 47 पेज के पढ़ने से, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी इसमें नहीं लिखा गया कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया इस सत्र को क्यों आहूत करना चाहती हैं, वह उनके अभिभाषण में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। मैं निवेदन करूं कि पिछली सरकार में आपके उप नेता महोदय- घनश्यामजी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तिवाड़ी ने यह प्रश्न उठाया था पिछली दफा भी और यह व्यवस्था भी माननीय अध्यक्ष- श्री दीपेन्द्रसिंहजी द्वारा दी गई थी। यह 10 जनवरी, 2009 की व्यवस्था है और आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पढ़ कर सुनाऊं? इसमें स्पष्ट लिखा है कि- 'बार-बार यह निर्देश दिए गए हैं लेकिन इसका सरकार ध्यान नहीं देती है और अत: मैं राज्य सरकार को जो भी अभिभाषण बनाने के लिए उत्तरदायी है, को यह निर्देश देता हूं और उचित समझता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के अभिभाषण में उपरोक्त वर्णित समस्त बातों का समावेश किया जाना चाहिए।'

यह इन्हीं के शासन में, इन्हीं के उप नेता द्वारा उठाया गया था और माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही की, इस अध्यक्षपीठ की गरिमा के हिसाब से यह निर्णय दिया गया था। तो आज इस 47 पेज के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है। यह जो विधायी कार्य ला रहे हैं इनका भी उल्लेख नहीं है। और कोई कारण नहीं दिया है कि इस प्रकार से प्रथम सत्र क्यों आहूत किया जाना आवश्यक है इसलिए इस व्यवस्था के प्रश्न को निर्णीत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय, आप इसको पढ़ें। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरा पढ़ा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर इस अभिभाषण को पढ़ लेते तो शायद सदन का बेशकीमती समय जाया नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ-45 के पैरा-78 की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि – 'राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।'

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह हमने सदन क्यों आहूत किया है, सदन क्यों सम्मन किया है, यह बात इससे इंगित हो जाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि आप इन्हें जरा कहें कि ज्यादा ज्ञान दिखाएं, इससे पहले पढ़ लेते तो जरा ठीक रहता।

श्री अध्यक्ष: चलो समाधान हो गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाधान नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्थाओं की पालना नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हो गया है। आपका ही नहीं हुआ बल्कि मेरा भी हो गया है। राजपालसिंहजी, आप शुरू करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। प्रतिपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जो समय आपने तय किया है, इसमें आपके जो अध्यक्ष पद के महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन भी है, यह 540 पर है कि- 'राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर बहस की जा सकती है। धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता।' तो आपने दल के अनुसार समय निश्चित किया है, यह बिलकुल गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हमेशा ही होता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह लिखा हुआ है इसमें। आप पढ़ो इसको। आ गई बात समझ में? संविधान के अनुच्छेद 176 (ए) के अनुसार विधान सभा को आहूत करने के कारणों को भी बतलाया जाना जरूरी है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। तो इसमें समय निश्चित का तो आपका ही दिया हुआ है कि समय निश्चित नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: किस बारे में?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तो इसमें आप कोई व्यवस्था दें। आपने जो धन्यवाद प्रस्ताव के वाद-विवाद के लिए समय दिया है, जैसे हमको 1 घंटा 41 मिनट दिया है और आपके सत्ता पक्ष को 13 घंटे दिया है। किसी को 20 मिनट, किसी को 10 मिनट दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बिजनस एडवाइजरी कमेटी के रूल्स पढ़ें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने जो प्रश्न उठाया है उसमें सरकार की तरफ से वह कब आएगा उसका समय निश्चित नहीं है। उसका समय निश्चित किया भी नहीं है।

यह तो कार्य सलाहकार समिति ने तय कर दिया कि आ जाएगा। आपने जो यह समय का बंटवारा किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, समय का बंटवारा तो हमेशा होता ही रहा है। इसलिए समय का बंटवारा निश्चित रूप से, सरकार के लिए समय निश्चित नहीं कर सकते कि इस समय धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसलिए आपकी जो आपत्ति है, वह उचित नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): समय का बंटवारा, आप समय को उस हिसाब से ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राजपाल सिंहजी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं एक निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप भी एतराज उठाएंगे? आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। परम्पराएं जानते हैं। हमेशा ही ऐसा होता आया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन तो कर सकता हूं। मैं इस पर नहीं कह रहा हूं।

आपने जो समय का बंटवारा किया है, यह निश्चित है कि हमारी संख्या कम है। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखने का आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): वह तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अब राजपाल सिंहजी अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन तो हमेशा उदार रहता है और आप तो इन पर बहुत उदार हैं ही। (व्यवधान)

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाये- 'इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): राज्यपाल स्वयं अपन को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल स्वयं अपने को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (माण्डल): यह तो राजपाल ही हैं। राजपाल, राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्लेषालंकार है, आप तो बहुत विद्वान हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): ''इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'' माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसा मौका है यह राजस्थान का, जिस मौके पर राज्यपालजी ने यह अभिभाषण हमको दिया। एक ऐतिहासिक मौका है। राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में जिस प्रकार का जनादेश इस बार राजस्थान की जनता ने दिया है, उससे बड़ा, उससे ज्यादा लाऊड जनादेश कभी राजस्थान को नहीं मिला। यह जनता की आकांक्षा के अनुकूल सरकार किस प्रकार से बन सकती है, उस जनाकांक्षा की सरकार को अगर ढंग से देखा जाना चाहिये तो इस जनादेश के माध्यम से हम देख सकते हैं। यह जनादेश ही सरकारों की जननी है। जनादेश सरकारों को पैदा करती हैं। सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जनादेश के द्वारा सरकारें बनती हैं, लेकिन कई बार सरकारें बिना जनादेश के भी बनती हैं। आज से पांच साल पहले जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद जिस सरकार की स्थापना राजस्थान में हुई, उसे जनता का जनादेश प्राप्त नहीं था। वह बहुमत में नहीं थी। इलेक्शन से पहले का उनका एलायंस भी नहीं था। हम आम सरकारें बनाते हैं लोक हित के लिये, लोक कल्याण के लिये, लेकिन जब सरकारें स्व-कल्याण के लिये बनती हैं, चुनाव के बाद ऐसा गठबन्धन बनता है, जो राज के अन्दर अपना हिस्सा मांगने के लिये बनता है। ऐसा सरकारें कभी भी लोकतंत्र के अन्दर लोक-कल्याणकारी नहीं होतीं। और यही कारण है कि पांच साल में हमने जो सरकार देखी, वह लूली-लंगड़ी सरकार थी। एक पेरेलाइज गवर्नमेंट थी। एक पेरासाइट गवर्नमेंट थी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल तक राजस्थान की जनता ने इस पेरासाइट गवर्नमेंट को, इस पेरालाइज गवर्नमेंट को भुगता है और भुगतने के बाद में जिस तरह का भुगतान राजस्थान की जनता ने उनको दिया, यह भी ऐतिहासिक है।

मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की जनता ने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

भ्रष्टाचार भोगा, कुशासन भोगा। जनता ने इतिहास लिखा कि कांग्रेस का जन समर्थन लगातार घटता जा रहा है। 1998 में आपको 156 सीटें मिली थीं, तब से लगातार .....(व्यवधान)

(13.47 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री रमेश (सपोटरा): 60 दिन का विजन तो हमें दिखाई दे रहा है कि 60 दिन की योजना में 42 दिन तो निकल गये। वह भी आपको पता लग जायेगा थोड़े दिन में माननीय सदस्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, 1998 की 156 सीटें घटते-घटते 21 पर आकर टिक गयीं। लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं किस्मत को, कि दो सीटें बचा गये, वरना यह विपक्ष का यह नेता पद खतरे में पड़ जाता। 200 सीटों में से 179 सीटों पर जनता ने आपको हराया है। 90 प्रतिशत सीटों पर कांग्रेस का पाटिया साफ हो गया। सारा मंत्रिमण्डल निपट गया, सिर्फ एक बचकर आये हैं। इनके अध्यक्ष साहब की तो दूसरी बार लगातार जमानत जब्त हो गयी, चौथे नम्बर पर चले गये। चुनावों के अन्दर मैं झोटावाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जब जनता को सम्बोधित करता तो उनसे कहता था इस चुनाव में वसुन्धरा की आंधी है और उस आंधी के सामने कांग्रेस सूखे पत्ते की तरह उड़कर कहां चली जायेगी, ढूंढने से भी पता नहीं चलेगा, और आज यह हालत है। आपकी हालत क्या है, 21 आप आ गये? कोई एस.सी., नहीं, कोई अल्पसंख्यक नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिये-सुनिये, माननीय सदस्य सुनिये थोड़े दिन। जरा आप इधर देखिये मेरी तरफ।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): 36 कौमों की बात करने वाले माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनिये, और मेरी तरफ देखिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मेरी देखने में आपत्ति थोड़े ही है। मैं सम्बोधित आपको करूं, देखूं किसी और को। मैं सोचता हूं खुशनसीबी है, कोई किसी को देखता है। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपके यहां ...

श्री सभापति: यह कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, वह ठीक नहीं है। आप मेरी तरफ देखिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): यह तो चाहते ही यही हैं निगाहें आपकी तरफ हों और निशाना इनकी तरफ हो। मैं कहना चाहता हूं आपका एक भी एस.सी. नहीं आया, एक भी अल्पसंख्यक नहीं आया, एक महिला जरूर आ गयी। 36 कौमों की बात करने वालों को हर कौम ने नकारा। अल्पसंख्यकों ने नकारा, एस.सी. ने नकारा, एस.टी. ने नकारा, ओबीसी ने नकारा, किसानों ने नकारा, जवानों ने नकारा। पूरी राजस्थान की जनता ने नकार कर उनको एक तरफ फेंक दिया। आप सभी का विश्वास खो चुके। आपका विश्वास किसी पर नहीं रहा। और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं आज कांग्रेस इतिहास के अन्दर केवल अपना नाम दर्ज कराने के कगार पर है, समाप्ति के कगार पर है। हमारे नेता नरेन्द्र मोदी जब कहते हैं, हिन्दुस्तान के अन्दर कांग्रेस मुक्त की जब बात करते हैं तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक मेरे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी तिलमिलाहट होती है। उन्होंने कहा यह हमारा अंहकार है। यह हमारा अंहकार नहीं है, यह आपके कुकर्मों का फल है। जब पूरा का पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा हिन्दुस्तान ही कांग्रेस से मुक्ति चाहता है। हम कांग्रेस से मुक्त हिन्दुस्तान की स्थापना करेंगे। जब कांग्रेस से मुक्त हिन्दुस्तान की बात करते हैं तो हम चुनावों में आपको पराजित करने की बात नहीं कहते। केवल सरकार बदलने की बात नहीं करते। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है भूख से मुक्ति, भय से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, वंशवाद से मुक्ति, मंहगाई से मुक्ति, आतंकवाद से मुक्ति, भाई-भतीजावाद से मुक्ति, कुशासन से मुक्ति और द्रोपदी का चीर-हरण करने वाले जो राज में बैठे हुए हैं, ऐसे दु:शासनों से भी मुक्ति।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बहुत जबरदस्त किस्म का मेन्डेट है, इसके बहुत आयाम हैं। यह केवल सरकार बनाने का मेन्डेट नहीं है। यह सरकार बनाने के साथ-साथ इसके कई डायमेंशंस हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस मुक्त सरकार का मतलब है एक समृद्धशाली भारत, एक विकसित भारत, एक मजबूत भारत, एक स्वावलम्बी भारत। और इसीलिये चुनावों से पहले जब वसुन्धराजी ने अपनी यात्रा शुरू की, तो पहले की तरह परिवर्तन यात्रा उसका नाम नहीं था। यह सरकार बदलने के लिये केवल यात्रा नहीं थी। यह चुनाव में आपको मात देने के लिये केवल यात्रा नहीं थी। इसका नाम दिया उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा। हम सुराज लाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह सुराज संकल्प यात्रा के बाद हमने जो घोषणा पत्र पेश किया, हमने उसका भी नाम दिया सुराज संकल्प पत्र। हमारा संकल्प केवल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राज का नहीं है, हम राज करने के लिये राज में नहीं आये हैं। राज को भोगने के लिये राज में नहीं आये हैं। इस राजस्थान में और हिन्दुस्तान में सुराज की स्थापना करने के लिये, हिन्दुस्तान को मजबूत हिन्दुस्तान बनाने के लिये, राजस्थान को तेजी से विकसित राजस्थान बनाने के लिये सुराज की स्थापना करने के लिये हम चुनाव में जीत कर आये हैं, और इसी का हमें जनादेश मिला है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप तो घोटालों से सावधान रहना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) मलिंगा साहब, अच्छे रहे, मंत्री नहीं बने, मुलाकात तो हो गयी। वरना मुलाकात होना मुश्किल हो जाता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: रमेशजी सुनिये। माननीय सदस्य, सुनिये। आपस में चर्चा नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जिस सुराज के लिये हमें जनादेश मिला है, इस सुराज की स्थापना हमने हमारी पिछली सरकार में कर दी थी। उस सुराज की नींव तो हमने डाल दी थी और सुराज की दिशा में आप मीलों आगे चले जाते, अगर पांच साल इनका राज नहीं आता। अगर पांच साल इन्होंने राज नहीं बनाया होता, जोड़-तोड़ करके राज नहीं बनाया होता तो मैं कहना चाहता हूं विगत पांच साल जो राजस्थान की जनता के बरबाद किये, राजस्थान के जो पांच वर्ष बरबाद किये, उसने राजस्थान को बरबादी के किनारे पर ला दिया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 में जब यह सरकार में आये, तो माननीय सभापति महोदय, हम लीगेसी के अन्दर एक ऐसा प्लेटफार्म छोड़ कर गये थे, जिस प्लेटफार्म पर राजस्थान हाइएस्ट ट्रेजेक्टरी ग्रोथ की तरफ जा सकता था। हम 8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट छोड़ कर गये थे। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के तीन साल बचे हुए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाने का आपको मौका था। फिस्कल डेफिसिट जी एस डी पी का केवल 1.75 था, अनप्रीसिडेन्टेड था। रेवेन्यू सरप्लस था। राजस्थान के आम आदमी पर केवल 3,369 करोड़ रुपये का कर भार था। राजस्थान तेजी से विकसित होने वाले राज्यों की कतार में खड़ा था और विकसित हो रहा था। लेकिन राजस्थान के तरकस में जो तीर था, विकास का, वह इन्होंने तोड़ दिया। पूरे पांच साल में बड़ी-बड़ी बातें कीं, बहुत बड़ी-बड़ी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

बातें कीं। ढपोरशंखी घोषणाएं कीं। कहा इतना बड़ा प्लान साइज ला रहे हैं, प्लान का साइज बढ़ाया। इतने बड़े वोल्यूम का बजट ला रहे हैं। बढ़ाया, बात भी सही है। प्लान का साइज बहुत बढ़ाया। बजट का साइज खूब बढ़ाया। खूब पैसा था। बजट की कमी हम छोड़ कर गये नहीं थे। और जो बची-खुची कसर थी, वह आपने पूरी कर दी। 1 लाख 18 हजार 640 करोड़ तो आपको दिल्ली के ट्रांसफर से मिल गये इन पांच सालों में। हमको तो 56 हजार या 58 हजार के आस-पास मिले थे। 1 लाख 18 हजार 640 करोड़ रुपये फोकट में दिल्ली से मिल गये आपको। 15,615 करोड़ हमारी किस्मत से जो पेट्रोल का मिला पैसा, वह पैसा इनके पास में था। और फिर मजे लेने में जब मजे ही लेने थे, तो इन्होंने पूरे पांच साल में, माननीय सभापति महोदय, 1 लाख 25 हजार 250 करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। इन्होंने बजटिंग बोरोइंग नहीं, एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग की है। आपके पास जब इतना पैसा हो तो प्लान साइज तो बड़ा होगा ही। आपने प्लान पर खर्चा किया है। आपने प्लान पर खर्चा किया है, एक लाख अड़तालीस हजार दो सौ तिरपन करोड़ रुपया। बहुत बड़ा प्लान है, अनप्रीसीडेण्टेड है। आपका जो बजट था उसमें से पांच साल में आपने खर्चा किया, बहुत खर्चा किया, तीन लाख पचास हजार एक सौ सत्तर करोड़ रुपये। राजस्थान के इतिहास में कभी न तो प्लान पर इतना खर्चा हुआ था और न ही बजटरी एक्सपेंडीचर इतना ज्यादा हुआ था। इतना ज्यादा पैसा राजस्थान की इकोनोमी में पम्प करने के बावजूद रिजल्ट क्या आया? कहां गया पैसा? जब आठ परसेंट की ग्रोथ रेट थी और हमारे इकोनोमी को इतना पम्प कर दिया, पम्प करने के बाद तो इकोनोमी बोएण्ट हो जानी चाहिए थी। राजस्थान में गली-गली और ढाणी-ढाणी में विकास हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ क्या?

सभापति महोदय, हमने पांच सालों में 20 लाख हैक्टेयर जमीन को इर्रिगेट किया। आपने इतना बड़ा प्लान, बजट का इतना बड़ा खर्चा और इतना बड़ा कर्जा लाने के बाद क्या किया, तीन लाख हैक्टेयर। कहां 20 लाख हैक्टेयर की सिंचाई। इर्रिगेशन पोटेंशियल पैदा कर दी हमने। आपके जमाने में तीन लाख ही।

हमारे जमाने में सड़क बनी। राजेन्द्रजी मंत्री हुआ करते थे। 28,566 किलोमीटर नई सड़कें बनीं। आपके राज में पांच सालों में कितनी किलोमीटर बनीं? 5747 किलोमीटर बनीं। साक्षरता की रेट, पर हन्ड्रेड 64 से बढ़कर केवल 67 हुई। तीन ही बढ़ी? बाल मृत्यु दर 63 से घटकर केवल 52 हुई। मिलेनियम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गोल की बड़ी बातें कीं। कहां गया मिलेनियम गोल? किस सेक्टर में आपने मिलेनियम गोल किया? पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, आप उसके नजदीक भी पहुंचे हों तो आप बतायें मुझे।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में खाद्यान्न सुरक्षा की चर्चा है। इसमें इन्होंने अपने आपको चैम्पियन बना रखा है। खाद्यान्न की पांच सालों में हमारी जहां पर 35 परसेंट की ग्रोथ रेट रही, ये साढ़े सात परसेंट पर आकर अटक गये। आपने राजस्थान को बरबाद कर दिया। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपने राजस्थान को बरबाद कर दिया। विकास दर 8 परसेंट से 5.2 पर आकर टिक गयी। फिस्कल डेफिसिट जो 1.75 छोड़कर गये थे हम जीएसडीपी का, इनके बजट का आ गया 2.48 परसेंट। इनके खुद के बजट का फिस्कल और आगे बढ़ गया, उसकी चर्चा तो बाद में करूंगा जो पेश किया इनके मुख्य मंत्रीजी ने, वित्त मंत्रीजी ने। असल में इनका फिस्कल कन्ट्रोल खतम हो गया। पैसा आ रहा था और पोपा बाई के राज में जा रहा था। आये जा रहा था, जाये जा रहा था और फिस्कल कन्ट्रोल था नहीं। वित्त मंत्रीजी का कोई फिस्कल कन्ट्रोल नहीं था। मुख्य मंत्रीजी का कोई फिस्कल कन्ट्रोल नहीं था। यही कारण है कि जब सरकार का फिस्कल कन्ट्रोल खतम हो गया तो सरकार की क्रेडिबिलिटी भी खतम हो गयी और जब सरकार की क्रेडिबिलिटी खतम हुई तो आपकी डिसकाम कम्पनियों को बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। सरकार की गारन्टी पर बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया। सरकार की ऐसी हालत हो गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि आपको लोन देने से मना कर दिया और अन्त में हालत यह हो गई कि आप वोटों का सौदा करने निकल गये। जुआरी जब अन्तिम दाव लगाता है, मरते-मरते, एक अन्तिम दाव लगाया और जिसका बजटरी प्रोविजन नहीं था। बजट आप लेकर आये थे? प्रोविजन करते। चौदह हजार करोड़ का आपने एडिशनल एक्सपेंडीचर का ट्रांजेक्शन कर दिया। ओवर आल आफ द बजट। हालत क्या हुई कि हम रेवेन्यू सरप्लस में आ गये। हालांकि रेवेन्यू सरप्लस तो हमारा था। फिर भी हमने कहा कि चलो, देखो तो सही, सेन्टर के ट्रांसफर से आ गये, ग्रान्ट इन एड से आ गये, आये तो सही। रेवेन्यू सरप्लस में आ गये, रेवेन्यू सरप्लस में आ गये। आपका रेवेन्यू सरप्लस 14 हजार करोड़ के बाद क्या हो जाएगा, 7 हजार करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। रिजल्टेन्टली राजकोषीय घाटा जिसके लिए इन्होंने बजट में कहा 13 हजार करोड़ का, वह 28 हजार करोड़ को क्रोस करेगा। फिसकल डेफिसिट 3 परसेंट पर कन्टेन करेंगे एफआरबीएम में। मैंने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पहले भी कहा था, कन्टेन नहीं किया आपने। यह आपकी एक्स्ट्रा बजटिंग बोरोइंग जो ज्यादा थी, उसको जोड़ने के बाद 3 परसेंट तो आरक्षित पहले ही कर गये थे लेकिन मैं मान लूं कि नहीं साहब, हम तो बजटिंग बोरोइंग का मान लेंगे। आप बजटिंग बोरोइंग का मान लो। बजटिंग बोरोइंग का मान लेंगे तो, इन्होंने दो महीने के अन्दर जो हालत पैदा की है, यह फिसकल डेफिसिट जीएसडीपी का 5.2 परसेंट हो जाएगा। 1.75 फिसकल डेफिसिट से राजस्थान को इन्होंने 5.2 पर लाकर खड़ा कर दिया। सभापति महोदय, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता के साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता।

इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं का बड़ा ढिंढोरा पीटा। कहां का फ्लैग और कहां का शिप। सभापति महोदय, 2011 में मेरे खयाल से राजस्थान की जनसंख्या थी 6 करोड़ 85 लाख के आसपास। आपने दो साल के अन्दर ही 12 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज कर दिया। इन्होंने दो-दो राजस्थान का इलाज कर दिया इन दो सालों में। फ्लैगशिप योजना के तहत 12 करोड़ 72 लाख लोगों का इलाज कर दिया इन्होंने दो साल के अन्दर। आपने राजस्थान का तो इलाज कर दिया, रोगियों का किया कि नहीं, पता नहीं। आपने राजस्थान का ऐसा इलाज कर दिया कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपका फ्लैग तो जनता ने निपटा दिया और राजस्थान का शिप आप खुद डुबा कर चले गये।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सलाह करने के बाद न तो आपको खुदा मिला, न विसाले यारवा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जिनका इलाज करवाया, ये कोई झूठे आंकड़े तो हैं नहीं। आप इसकी जांच करवाओ, क्या गलत है इसमें? जांच करवाओ न।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हस्तक्षेप ऐसा करो जो रोचक हो। आपने यह कहा कि 12 करोड़ 72 लाख का इलाज कर दिया तो फिर राजेन्द्रजी किनका इलाज करेंगे? बोलिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): राजेन्द्रजी ने तो पूरे राजस्थान का ही इलाज कर दिया। आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना प्लान साइज बढ़ाया लेकिन फिजिकल टारगेट्स एचीव नहीं कर पाये।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान के फिजिकल टारगेट्स किस कंडीशन में पूरे नहीं होते। दो कंडीशन में पूरे नहीं होते। एक तो, जब इन्होंने प्लान बनाया तब प्लान की कोस्ट एनालाइसिस में गलती रह गयी। सोचा कि मैं बांध बनवाऊंगा, बांध बनवाने में सौ करोड़ रुपये लगेंगे लेकिन वह सौ करोड़ में नहीं बना। एस्टीमेट ही गलत कर दिया। दूसरा, मैं तो सौ करोड़ का बांध बनवाऊंगा और वह सौ करोड़ का ही था लेकिन इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि सौ करोड़ का बांध नहीं बना। दिल्ली में भी आपकी सरकार थी। राजस्थान में भी आपकी सरकार थी। प्लान का एक भी टारगेट एचीव नहीं किया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट घटा लिये इन्होंने। फ्लैगशिप योजनाओं में इतना पैसा बरबाद किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा ही नहीं। राजस्थान की ग्रोथ करने की अगर हम बात करते हैं, अगर राजस्थान के विकास की बात हम करना चाहते हैं, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की अगर हम बात करना चाहते हैं, राजस्थान में अगर कैपिटल फोरमेशन क्रिएट करने की बात करना चाहते हैं, राजस्थान को यदि हम हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ में ले जाने की बात करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडिएंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके पास कैपिटल नहीं है तो इकोनोमी में क्या फेकेंगे आप? उसमें बूस्ट पैदा करेंगे। इतना बड़ा वोल्यूम का बजट जब आप बार-बार करोगे, इतने बड़े प्लान के बावजूद, इनके पास कैपिटल नहीं है।

इकोनोमी में बोएंसी पैदा करने के लिए, बूस्ट पैदा करने के लिए थ्रस्ट पैदा करने के लिए इनका एक्सपेंडिचर लगातार घटता चला जा रहा है। इनका राजस्व खर्चा लगातार बढ़ता चला गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता चला गया और घटते-घटते माइनस 66 परसेंट पर आ गया। इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया। इनके पांच साल के राज में से तीन साल कैपिटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव था। मलिंगा साहब, ये मेरे घर के डेटाज नहीं हैं। आपके मुख्य मंत्रीजी के उस टेबिल पर रखे हुए डेटाज हैं। माइनस 66 परसेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर घट गया।

अगर कैपिटल आउटले की बात करें, मुझे खुशी होगी मलिंगा साहब, यदि आप उसको समझेंगे तो, कि कैपिटल आउटले, अगर हमारे पांच साल की बात करें जो टोटल बजट एक्सपेंडिचर था, उसका 14.7 प्रतिशत कैपिटल आउटले था और आपके राज में यह घटकर 12.03 प्रतिशत रह गया, तो फिर राजस्थान में विकास की जितनी भी घोषणाएं और बातें की गयीं, वे केवल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

थोथी साबित हुई। मलिंगा साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप एक चीज में जरूर आगे बढ़े, वह था कर्जा। आपने कर्जा दोनों हाथों से लिया। राम जाने क्या किया आपने? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं, कैपिटल आउटलेट बढ़ा नहीं, आपका डेब्ट बढ़ा। आपकी नेट बजटरी बोरोइंग थी 43,238 करोड़ और जब एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग थी, वह प्लान के नाम पर ली, बिजली के नाम पर ली, मैट्रो के नाम पर ली, वह थी 81,936 करोड़ रुपये। आपने सवा लाख करोड़ रुपये का कर्जा लिया। इसमें आप लगातार बढ़ते चले गये। आज आपने राजस्थान की छाती पर सवा दो लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। बजटरी और एक्सट्रा बजटरी। बजट का कर्जा, डेब्ट का कर्जा और सारी लायबिलिटी गारण्टेड अलाउंस का कर्जा, इन दोनों को जोड़ दिया जाये तो सवा दो लाख करोड़ रुपये का कर्जा आप राजस्थान की जनता की छाती पर छोड़ कर गये हैं।

बजटरी एण्ड एक्स्ट्रा बजटरी। बजट का कर्जा, पब्लिक डैट का कर्जा और सारी लाइबैलिटी गारंटेड लोन्स का कर्जा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सवा दो लाख करोड़ का कर्जा आप राजस्थान की जनता की छाती पर छोड़ कर गये हैं।

(14.00 बजे)

आपकी खुद की प्लानिंग कमीशन की मैम्बर हैं सईदा हमीद, यह भी हमारी नहीं है, मलिंगा साहब, बी.जे.पी. की नहीं है, राजस्थान की भी नहीं हैं, सईदा हमीद साहब ने क्या कहा कि जितना कर्जा आपने लिया उसका 30 परसेंट भी एसेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। कर्जे का, बजट का नहीं, प्लान का नहीं। आपके कर्जे का 30 परसेंट भी एसेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने कर्जा लिया होता, सवा दो लाख करोड़ जनता की छाती पर आपने ठोक दिया होता तो भी हम तो आपको धन्यवाद देते अगर आपने 24 घंटे बिजली दी होती।

अगर आपने कर्जा लिया होता और विकास दर को झारखंड के बराबर ले जाते, बिहार के बराबर ले जाते, गुजरात के बराबर ले जाते तो आपके कर्जा लेने पर हमें बिलकुल आपत्ति नहीं होती। आप कर्जा लेते और कृषि उपज को गुजरात की रफ्तार से आप ले जाते, हमें आपके कर्जा लेने पर कोई आपत्ति नहीं होती। अगर आप राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी।

मानव सूचकांक की हालत पर तो मैं क्या चर्चा करूं। (व्यवधान)

क्या फरमा रहे हैं?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 15 लाख का वादा करके कितने लोगों को रोजगार दिया? कितनी नौकरी लगायी?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): घनश्याम जी को बैठा दिया न।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अभी 42 दिन में तो आपकी कार्य योजना बन रही थी, 42 दिन में तो आपने कुछ कर के नहीं दिखाया। सिर्फ योजना ही बन रही है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): घनश्यामजी को बैठा दिया सभापति।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपको दिखता नहीं है, गांव-गांव में काम हो रहे हैं पानी के, बिजली के, सड़कों के, यहां बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आप गांव में, क्षेत्र में तो जाओ न, पता लग जायेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने, आपकी सरकार ने बदले की भावना से सभी विकास कार्यों को रुकवाया मेरे जिले के अन्दर।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसी को नहीं रुकवाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभी मेरी रोड जो सैंक्शन हुईं, उनको कैंसल करवाया। बदले की भावना से सरकार काम कर रही है।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक साम्प्रदायिक दंगा भी करवाया आपने 42 दिन में। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद। दंगों की सरकार है।

श्री सभापति: अपने आप नहीं बोलें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन कर रहा था कि सवा दो लाख करोड़ का कर्जा राजस्थान की जनता बरदाश्त कर लेती अगर इन्होंने विकास दर बढ़ायी होती। इन्होंने कृषि विकास दर बढ़ायी होती, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया होता, जनता को रोजगार दिलाया होता, राजस्थान में पावर जनरेशन अपने बल पर किया होता तो मैं कहता हूं उस कर्जे में कोई आपत्ति नहीं होती।

लेकिन एक काम उन्होंने, साहब, और कर दिया, 2007-08 में जो पर-कैपिटा टैक्स था राजस्थान के ऊपर वह था 3369 रुपये, आपके राज में पर-कैपिटा टैक्स हो गया 60,383 रुपये। साहब, आपके राज में गांव डूब गया,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गरीब डूब गया। जी.एस.डी.पी. जो 26 परसेंट पर चल रही थी, एग्रीकल्चर सैक्टर की जी.एस.डी.पी. साढ़े 26 परसेंट, 24 परसेंट, 26 परसेंट। वह घटता चला गया, आपके राज में आ गया 19 परसेंट पर। आप किसान की बात करते हो, गरीब की बात करते हो, आपके जी.एस.डी.पी. के अन्दर एग्रीकल्चर का शेयर घट कर 19 परसेंट आ गया। और जब 19 परसेंट शेयर आ गया और कितने किसान हैं राजस्थान की जनसंख्या के अन्दर, मलिंगा साहब, उसको अगर फलायेंगे तो आपको पता लगेगा। एक किसान की आय कितनी आयेगी, पता है? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति: यह भाषण केवल चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को ही समझ में आ सकता है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जी.एस.डी.पी. में एग्रीकल्चर का 19 परसेंट शेयर रहने से और राजस्थान की 70 परसेंट जनता के एग्रीकल्चर में डिपेन्डेंस होने के कारण राजस्थान के किसान की जो डिफैक्टो इन्कम रही, वास्तविक आय रही है 13,957 रुपये प्रति वर्ष। इसका मतलब? इसका मतलब है, मलिंगा साहब, 38 रुपये रोज। वह अलग बात है, आपके राज में तो 32 रुपये वाले, 22 रुपये वाले लखपति कहलाते हैं, दिल्ली के मोंटेक सिंहजी कह रहे थे।

अब आपके कहने से लखपति हो तो अलग बात है लेकिन राजस्थान के किसान की जिस ढंग से आपने कमर तोड़ी है, राजस्थान के गरीब की जिस तरह से आपने कड़ियां तोड़ी हैं उसके लिए वह आपको हमेशा याद रखेगा। आपको पनिश किया है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): गोली भी आप ही चलवाते हो किसानों के ऊपर। डण्डे भी आप मारते हो, गोली भी आप मारते हो ...(व्यवधान) किसानों के आप कितने शुभचिंतक हैं वह सभी को मालूम है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें आप, यह बार-बार अच्छा नहीं है। हां, बिलकुल। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मजा नहीं आता भाषण का। आखिर एक चीज तो इन्होंने बढ़ायी है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां, बढ़ायी है, कर्जा बढ़ाया है, साहब।

श्री सभापति: आपको 163 की संख्या में लाकर रख दिया, क्या यह काम कम किया है क्या? (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान की आय घट कर 13 हजार रुपये हो गयी। आप गांव के खिलाफ आये राज में, किस के लिए? यह कांग्रेस का राज नहीं था। कांग्रेस आयी, जनता, गांव के लिए काल बन कर आयी, किसान के लिए काल बन कर आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिस प्रकार के हालात विगत पांच साल में पैदा हुए उन हालात को ठीक करने के अभी आप निवेदन कर रहे थे, अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पांच साल का सुराज आप देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, मलिंगा साहब ...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, यह मुझे सुना रहे हैं क्या?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): आज आप ही सुनना चाह रहे हो, बाकी खाली है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बड़ी-बड़ी बातें की हैं इण्डस्ट्री की, इन्फ्रास्ट्रक्चर की, पैसा आयेगा कहां से? इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के अन्दर पहले हम सातवें स्थान पर थे देश के अन्दर, आपके टाइम में फिसल कर ग्यारहवें स्थान पर आ गये। इन्वेस्टमेंट में छठे स्थान पर थे, गिर कर एकदम सीधे पन्द्रहवें स्थान पर आ गये।

आप भी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, क्रेडिबिलिटी नहीं थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन करवाया, हजारों करोड़ रुपये फूंके। दो-दो हजार प्रवासी बाहर से बुलाये, प्रवासी आये, हमें भी लगा, अच्छे लगे। हुआ क्या? एक टका नहीं आया। कहने लगे नहीं, नहीं यह टके के लिए नहीं बुलाया, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बुलाया, दोस्ती के लिए बुलाया था। दोस्ती के लिए, हुजूर, आप ही पधार जाते, पैसा कम लगता। इतने सारे दोस्ती के लिए बुलाया। और अगर इन्वेस्टमेंट का इतना ही शौक था तो मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार में हमने रिसर्जेंट राजस्थान किया था। रिसर्जेंट राजस्थान के लिए एक लाख 62 हजार करोड़, माननीय सभापति महोदय, एक लाख 62 हजार करोड़ के एल.ओ.आई., लैटर आफ इन्टेंट या एम.ओ.यू., इनको कन्वर्ट करा लेते, जरूरत ही नहीं थी प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। आपने कन्वर्ट नहीं किया वह जो थोड़ा-बहुत इन्वेस्टमेंट आया वह भी उसी की कृपा से, चाहे वह होण्डा सिएल का मामला हो, चाहे सैण्ट गोबिन का मामला हो, यह भी आपकी कृपा से नहीं आया, सारा का सारा पैसा इसी कृपा से आया।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

2009-10 में देश में जो फैक्ट्रियों की संख्या थी उसमें 4.2 परसेंट फैक्ट्रियां राजस्थान में थीं, आज राजस्थान में फैक्ट्रियां घट गयीं, तीन परसेंट पर आ गयीं। आज राजस्थान में पूरे हिन्दुस्तान की फैक्ट्रियों की जो संख्या है वह संख्या 4.2 परसेंट से घट कर तीन परसेंट पर आ गयी।

यह रोजगार देने की बातें करते थे, ग्रामीण इलाके में रोजगार देंगे, दो लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, इन्होंने रोजगार तो दिया या नहीं दिया लेकिन दो लाख लोगों को रिट्रेंच जरूर किया है, राजस्थान के अन्दर मैं पुरानी गवर्नमेंट को चार्ज करना चाहता हूं, विगत पांच साल के अन्दर एस.एम.ईज., स्माल और मीडियम एन्टरप्राइज की जितनी यूनिट्स हैं, 25 परसेंट यूनिट्स या तो बंद हुई हैं या बंद होने के कगार पर हैं और कम से कम दो लाख लोग, जिनको रोजगार मिला हुआ था वे दो लाख लोग बेरोजगार हो गये। तो रोजगार देने की बात करने वाली सरकार के राज के अन्दर 25 परसेंट एस.एम.ईज. के बंद होने से या बंद होने के कगार पर आने से दो लाख लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आये। मैं कहना चाहता हूं रोजगार देने की बात करने वाली और जनता को बेरोजगार करने वाली सरकार, इस सरकार को जनता ने माफ नहीं किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने फिर एक ड्रामा किया एम्प्लोयमेंट के नाम पर, 86 हजार भर्तियां तो खुद ही रोक दीं और जितनी थोड़ी-बहुत भर्तियां कीं उससे ज्यादा तो रिटायर हो गये लोग।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो-चार बड़ी-बड़ी बातें करते रहे, फोटो दिखाते रहे, पूरे चुनाव में, रिफाइनरी की फोटो। रिफाइनरी लायेंगे, रिफाइनरी बनायेंगे, रिफाइनरी, मैंने तब भी कहा था, तब भी इसी विधान सभा में कहा था कि राजस्थान के लिए फोर्च्यून नहीं है राजस्थान की मिस-फोर्च्यून है यह। जिन शर्तों पर आप रिफाइनरी लेकर आये, ऐसी शर्तें न राजस्थान में, न हिन्दुस्तान में, न दुनिया में, और रिफाइनरी हिन्दुस्तान में पहली बार नहीं लगी, यह कोई पहली रिफाइनरी नहीं है। हिन्दुस्तान में पहले भी रिफाइनरियां लगी हैं, पूरी दुनिया में रिफाइनरियां लगती हैं, कभी भी ऐसा हुआ है क्या, साहब, कि 37 हजार करोड़ में तो लगेगी रिफाइनरी, डाक्टर साहब, अपन देंगे 15 साल में उनको 56 हजार करोड़ रुपया, मैं ही लगा लूं न रिफाइनरी। ...(व्यवधान)

हैं? क्या फरमाया?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पहले आपकी सरकार थी, रिफाइनरी लगा देते न आप।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं यही तो निवेदन करना चाहता हूं कि इन शर्तों पर तो रिफाइनरी न लगे तो अच्छा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तो लगा देते न। आपके लिए अच्छी है क्योंकि यह शिलान्यास हमने कर दिया और हमने यह कराया है। आपको यह तकलीफ हो रही है। राजस्थान की जनता को कितना नुकसान होगा, आप देखो इस बात को। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, अगर कांग्रेस के मेरे दोस्त 36 हजार करोड़ की असेट को खरीदने के लिए राजस्थान की जनता के 57 हजार करोड़ को झोंक देना चाहते हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी के लिए 56 हजार करोड़ जनता की कमाई के पैसे, यह आपके काकाजी के पैसे नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, राजपाल सिंहजी, एक मिनट। आपकी इक्विटी इसके अन्दर है। देखिये, अब यूं मत कहिये, इसको समझ लीजिए। आप इस तरह से मिस प्रजेंट मत करिये यहां पर। आपके भी कोशिश हुई थी रिफाइनरी लगाने की, आपने उन शर्तों को माना नहीं, रिफाइनरी लगी नहीं, आपका तेल बाहर जा रहा था। आज आपकी 26 परसेंट की स्टेक हो गयी उसके अन्दर For a share holder, it was 26% over there. सभापति महोदय, रिफाइनरी की आपकी कैपेसिटी बढ़ा दी, 9 लाख लीटर हो गयी।

श्री सभापति: आप इसकी विस्तृत बैठक करिए बाद में, आप वरिष्ठ हैं माननीय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फैक्ट्स को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत विद्वान हैं मेरे साथी इसलिए मैं कुछ कह रहा था इसके ऊपर कोई प्रकाश डालते तो बेहतर होता।

श्री सभापति: आप और बहुत बढ़िया ढंग से पेश कर पाएंगे, मैंने सुना हुआ है आपको।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, प्रद्युम्न सिंह साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, आप तो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं।

श्री सभापति: ये क्या नहीं रहे हैं यह पूछो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हां, यह बात सही है।

एक माननीय सदस्य: प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि 37 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट में वायबिलिटी गेप 57 हजार करोड़ का आ सकता है क्या? आ सकता है तो मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दें हिन्दुस्तान में, दुनियां में पूरी में। इन 36 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लगाने में वायबिलिटी गेप जहां 57 हजार करोड़ रुपया आता हो। एक प्रोजेक्ट दुनिया के इतिहास में, चाहे वहां डेमोक्रेसी रही हो, चाहे वहां डिक्टेटरशिप रही हो। पूरे खाड़ी के कई देशों में डिक्टेटरशिप है, कई में राजशाही है। राजा राज करते हैं, कहीं तानाशाह राज करते हैं। जहां राजा राज करते हैं, तानाशाह राज करते हैं वहां भी किसी रिफाइनरी में इतना बड़ा वायबिलिटी गेप आज तक नहीं आया है।

मैं फैक्ट्स को मिस रिप्रजेंट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स को जनता के सामने लाना चाहता हूं कि जिस कीमत पर राजस्थान की जनता के लिए रिफाइनरी लगाई जा रही है, जिस कीमत पर राजस्थान की जनता पर रिफाइनरी लादी जा रही है और जिस ढंग से मिस रिप्रजेंट किया जा रहा है कि रिफाइनरी आ जाएगी।

रिफाइनरी आ जाएगी, आए हम भी चाहते हैं रिफाइनरी आए, हमने कब रिफाइनरी का विरोध किया, हम भी रिफाइनरी के समर्थक हैं। रिफाइनरी आए राजस्थान की जनता की शर्तों पर आए, राजस्थान की जनता के हितों पर आए। हम रिफाइनरी नहीं लाना चाहते, फोटो छपाना चाहते हैं, फोटो छपा कर वोट लेना चाहते हैं। राजस्थान की गरीब जनता जिसकी आमद आपने तेरह हजार रुपये कर दी आपने साल में केवल। वह नहीं जानती रिफाइनरी क्या है, वायबिलिटी गेप क्या है। उसको झांसा देकर कि इतने लाख का एम्पलायमैंट जनरेट होगा, इतनी कैपीटल जनरेशन होगी। दुनिया में कहीं भी रिफाइनरी के अन्दर इस प्रकार का डेढ़े से ज्यादा का वायबिलिटी गेप नहीं है।

मैट्रो में भी वायबिलिटी गेप है। वायबिलिटी गेप देते हैं आजकल, हम भी देते हैं लेकिन वायबिलिटी गेप इस प्रकार का आप देंगे। एक और चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह मामला रिफाइनरी का ही नहीं है केवल। इस रिफाइनरी की प्रोडेक्टिविटी निकालना चाहता है, किसी भी रिफाइनरी की प्रोडेक्टिविटी तब तक पैदा नहीं होती जब तक पैट्रो कैमिकल काम्पलैक्स उसके बगल में नहीं होता। इस 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी की बगल में अगर आप पैट्रो कैमिकल काम्पलैक्स लगाएंगे तो आपके एम ओ यू में एक शर्त और है कि पैट्रो कैमिकल काम्पलैक्स लगाएंगे तो 400 करोड़ रुपया हर साल, यानी छह हजार करोड़ रुपया और देंगे तो 56 और छह, बासठ हजार करोड़ से ऊपर की गयी अन्नदाता।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

यह रिफाइनरी लगाने की बजाए अगर हिन्दुस्तान की जनता के हित में अपने आपको अगर आपने रिफाइन कर लिया होता, अपने पोलिटिकल डिक्शन को रिफाइन कर लिया होता, जनता के प्रति अपने कमिटमेंट को अगर आपने रिफाइन कर लिया होता कि इन-इन शर्तों पर रिफाइनरी आएगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी अल्टीमेटली इक्विटी क्या मिलेगी, जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, जितने की रिफाइनरी लगी उससे डेढ़े दाम हमारे और इक्विटी क्या 26 परसेंट। भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं आपका तो बड़ा जबर्दस्त बिजनस एक्सपीरियंस है। इतना सारा देने के बाद 26 परसेंट इक्विटी पे कोई छोटा-मोटा हमारे साथ भी कर लीजिए, हम भी तैयार हैं इन शर्तों पर। इतना प्रोजेक्ट, इतनी वायबिलिटी गेप फंडिंग करोगे, इक्विटी इतनी सी होगी। जमीन भी देंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, लाजिस्टिक्स भी देंगे, उसकी कीमत इसमें जोड़ी नहीं गयी है। इसमें लाजिस्टिक्स की कीमत जोड़ी नहीं गयी है, इसमें लैण्ड की कीमत नहीं जोड़ी गयी है, इसमें पानी की कीमत नहीं जोड़ी गयी है, इसमें बिजली की कीमत नहीं जोड़ी गयी है, इन सारी कीमतों को अगर हम जोड़ देंगे और इन 57 हजार करोड़ को जोड़ लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं एक लाख करोड़ से ऊपर की रिफाइनरी राजस्थान की जनता को पड़ेगी। एक लाख करोड़ की, इसमें एक शर्त और है इतना क्रूड आइल तो उत्पादन करना है आपको। आपने एज्यूम कर लिया इतना तो होगा है। प्लान को एज्यूम कर लिया और अचीव नहीं कर पाए।

प्लान में और ड्रीम में एक ही अन्तर है। सपने सभी देखते हैं, कई लोग दिन में देखते हैं। ड्रीम में और प्लान में यही अन्तर है कि जो ड्रीम आप देख रहे हो उसको अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो तो प्लान है और कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ड्रीम है। इन ड्रीम्स पर सरकार नहीं चलती और खास कर के डे ड्रीमिंग पर तो बिल्कुल सरकार नहीं चलती। आपने पूरे पांच साल राजस्थान की जनता को डे ड्रीमिंग से लुभाने की कोशिश की है और इसी का पनिशमेंट भुगता है आपने आज कि आज आप 21 आये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं जवानी में पढ़ लिया ... (व्यवधान) आप चिन्ता मत करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह सपने जो बता रहे हो आप, आप मंत्री बनने का सपना दिन में ले रहे हो कि रात में, इतना सा बता दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मुझे सपने लेने की जरूरत नहीं। तब आप मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में घूमा करते थे, मैं राजस्थान का मंत्री हुआ करता था। इसलिए सपने लेने की मुझे जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 26 परसेंट इक्विटी के लिए इस नान वायबल प्रोजेक्ट को, जितनी जल्दी इससे मुक्ति पा जाएं, यह रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो आपके गले पड़ गया है, इस प्रोजेक्ट से जितनी जल्दी मुक्ति पाएगा राजस्थान उतनी जल्दी राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

आपने मैट्रो की फोटो बढ़िया छपाई है। मैंने यहीं पर धारीवालजी को कहा था। आप एक काम्प्रीहेंसिव मोबेलिटी प्लान लेकर आए थे सोलह हजार करोड़ का। हमने तब भी कहा था कि दिल्ली की मैट्रो है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसमें ठीक है, सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो रिफाइनरी के बारे में माननीय सदस्य विचार रख रहे हैं वह ठीक हैं लेकिन कुछ ऐसे सुझाव दें कि फिर आखिर में रिफाइनरी राजस्थान में किस लाइन पर लगे और आप क्या करोगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): बिल्कुल कहूंगा मैं। धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, तो आऊंगा मैं।

श्री सभापति: ध्यान रखिए, डाक्टर साहब ने जो कहा है, उसका भी ध्यान रखिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): बिलकुल, डाक्टर साहब हमारे बडे सीनियर हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं यही मैट्रो की हालत है। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं कि राजस्थान को उस हाई ट्रेजिक्ट्री आफ ग्रोथ पर ले जाने के लिए अब कितनी ताकत की जरुरत पड़ी, कितने थ्रस्ट की जरुरत पड़ी, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा आपको कोई क्रिटिसाइज करने का इंटेशन नहीं है, मैं तो इतना ही जानता हूं कि आपने जिस प्रकार के कांग्रेस के राज के कुकर्मों को राजस्थान की जनता ने, हिन्दुस्तान की जनता ने भुगता है उसी का परिणाम था, यह गया चुनाव आपकी मात का चुनाव हुआ और आने वाले दो-तीन महीने बाद में यह चुनाव जो होगा आपकी मात का चुनाव नहीं, आपकी मौत का चुनाव होगा। यह आपकी गलतफहमी निकल जानी चाहिए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नोखा): पता लग जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): अभी आपको पता लगा उसका भी असर नहीं है।

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मैट्रो की चर्चा थी....

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता तो थोड़ा सदन की मान मर्यादा का ध्यान रखें। बैठे-बैठे आप तो न बोलें।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं तो माननीय बोलने वाले सदस्यों को बैठना पड़ता है। इसलिए बैठे-बैठे बोल गये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): यह प्रिविलेज मेरे को देने के लिए लीडर आफ अपोजिशन को धन्यवाद। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैट्रो की बात लेकर आए तब इसी सदन में मैंने कहा था कि जो काम्प्रीहेंसिव मोबेलिटी प्लान लेकर आए थे आप, यह राजस्थान, जयपुर के हित में नहीं है। जयपुर के लिए फिजिबल नहीं है। यह मैट्रो की बात आप तो अभी दो, चार, पांच साल से करने लगे हैं। इसी सदन में, इसी राजस्थान की विधान सभा में 1992 में माननीय भैंरोसिंहजी शेखावत की सरकार के समय मैंने खुद ने ही विधान सभा में कहा था कि जयपुर में मैट्रो आनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भैंरोसिंह शेखावत साहब को ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सोने के लिए आते हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में से दीर्घा में बैठे किसी भी व्यक्ति को संबोधित नहीं करते। आप ध्यान रखिए इस बात का। हम आपस में एक दूसरे को संबोधित करें, यही ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1992 में राजस्थान के अन्दर जयपुर में मैट्रो लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए, मैट्रो की जरूरत है कि नहीं, इसके लिए राइट्स नाम की कम्पनी है रेल्वे की, सरकारी मल्टी नेशनल कम्पनी। राइट्स ने जयपुर का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में इतनी मोटी रिपोर्ट दी और इसी राइट्स ने कहा कि आने वाले तीस साल तक जयपुर में मैट्रो की कोई जरूरत नहीं है। उसी राइट्स ने यह कहा कि आने वाले तीस साल में अगर किसी चीज की जरूरत है तो जयपुर में रोड्स के वाइडनिंग की जरूरत है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दिल्ली गवाह है। अगर आप सोचते हैं कि मैट्रो लाने के बाद जयपुर की सड़कों पर वाहन कम हो जाएंगे तो दिल्ली के अन्दर मैट्रो आने के बाद वाहनों की परचेजिंग में कोई कमी नहीं आयी। जितने वाहन परचेज हुए आएंगे कहां, सड़कों पर ही आएंगे । कारें जो लगातार लोग खरीद रहे हैं अपने गैरेज में रखने के लिए नहीं खरीद रहे हैं । गाड़ी खरीदेगा, गैराज में ले जाएगा, ताला बंद करेगा और मैट्रो में जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वह गाड़ियां जितनी लगातार खरीदी जा रही हैं सारी सड़कों पर आएंगी और मैट्रो में तो कोई जाएगा नहीं। मैट्रो के कारण पहले से ही जो छोटी सड़क थी वह और छोटी हो गयी। उसको आज नहीं तो कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैट्रो की कीमत क्या है दिल्ली में आठ रुपया दो किलोमीटर का। वहां भी वायबल नहीं है, सरकार भुगत रही है बाकी पैसा।

आज 11 रुपये में आटो ही आ जाता है अन्नदाता। आटो में जाऊंगा ना मैट्रो में क्यों जाऊंगा। आटो में चला जाऊंगा और उसका जनता पर तो कोई भार नहीं पड़ेगा ना ? वहां वायबिलिटी नहीं है। वायबिलिटी गैप नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं इसीलिये आपकी सरकार ने कहा कि इतनी जमीनें आपने ईयरमार्क कर ली, जैसे अभी थोड़ी देर पहले राव राजेन्द्र सिंह साहब फरमा रहे थे कि जे डी ए की इतनी जमीन मैट्रो को चली गयी। जमीन किसकी थी ? जनता की, जे डी ए की। इन जमीनों को बेचेंगे हम। वह तो शेयर है। वह डी एम सी का भी है, जे डी ए का भी है, सरकार का भी है। कर्जा ही कर्जा है, इसमें है क्या? दिल्ली के पैसे तो इनको मिले नहीं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैट्रो के अन्दर इतना बड़ा लैण्ड बैंक डवलप किया क्या करने के लिये? जमीनों का सौदा करेंगे। लैण्ड माफिया है जे एम आर सी? नहीं। किसलिये? वायबिलिटी गैप आयेगा ना। एक साल चलाने का खर्चा इतना, नुकसान इतना। नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे? जमीन बेचेंगे नुकसान की भरपाई कर लेंगे। अगले साल फिर जमीन बेचेंगे नुकसान की भरपाई कर लेंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज जिस तरह डिस्काम से आप परेशान हैं, जितना डिस्काम से राजस्थान की जनता परेशान है, आज डिस्काम में 60 हजार करोड़ का घाटा है। बिजली कम्पनीज के साथ 60 हजार करोड़ का घाटा है। क्यों ? सब्सिड़ीज, वायबिलिटी गैप भी सब्सिड़ी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप जो कह रहे हैं अब क्या कीमत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बढ़ाने की स्थिति में हैं आज इन बिजली कम्पनीज की There are other reasons for the losses in the electricity companies. Are you going to raise the price? You should suggest over here.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I believe that well two different things are being discussed at the way. So far as the electricity for agricultural sector is concerned, it is necessity. I am sure metro is not a necessity. Luxury can not be compared with the necessity of the common man of Rajasthan. Subsidy is meant for those people who are deprived already. Subsidy is not meant for the people like me and you. मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली कम्फ्नीज का घाटा तो राजस्थान की जनता के लिये है। बिजली कम्पनीज का घाटा तो राजस्थान के किसान के लिये है जो अन्नदाता है हमारा लेकिन जे एम आर सी का जो हर साल का घाटा राजस्थान की जनता की छाती पर डाला जायेगा, जयपुर की जनता की छाती पर डाला जायेगा उसके लिये कौन जिम्मेदार है? हर साल जयपुर की जमीनें बिकेंगी। आज जे डी ए के पास जमीन नहीं है। आपके राज में जे डी ए नुकसान में है। हम जब राज से बाहर गये थे 4 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जे डी ए में पड़ा हुआ था I am subject to correct 2000 crores. May be 2000 crores. आज क्या है? -147, तनख्वाह देने को पैसे नहीं हैं इस जे डी ए में। जे डी ए की जमीन खा गया जे एम आर सी। बेचेगा खुद के वायबिलिटी गैप के लिये। आपने एक ऐसा सफेद हाथी पाल दिया फोटो खिंचाने के चक्कर में, वोट कमाने के चक्कर में, विजिबल डवलपमेंट दिखाने के चक्कर में कि जयपुर की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जयपुर की जनता को आपने कर्जे में लाद दिया। चाहे वह पैसा जे डी ए देगा, चाहे जे एम आर सी देगा और चाहे सरकार देगी, वह सारा का सारा कर्जा या तो जयपुर की जनता के माथे पड़ने वाला है या राजस्थान की जनता के माथे पड़ने वाला है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले ही हम तो मरे हुए हैं साहब। विगत पांच साल में कम मारा क्या आपने? इस विगत पांच साल के अन्दर राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता ने कन्जूमर प्राइस इन्डेक्स पर 26 परसेण्ट का फूड इन्फ्लेशन भुगता है। 26 परसेण्ट का।

हिन्दुस्तान के इतिहास में माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ आजादी के बाद में हिन्दुस्तान फूड ग्रेन की डेफिसिट कण्ट्री था। फूड ग्रेन नहीं था। आपको पी एल 480 आपके जमाने का याद होगा हमें आयात करना पड़ता था। हमें भिखारी के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

समान हाथ में कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता था। उस जमाने के अन्दर जब हम इम्पोर्ट कर रहे थे, जब गेहूं की कोस्ट हमको भारी भी पड़ रही थी, ट्रांसपोर्ट उसमें एड हो रहा था उस हालत के अन्दर भी फूड ग्रेन का इन्फ्लेशन हिन्दुस्तान के अन्दर कभी 26 परसेण्ट नहीं रहा लेकिन इस 5 साल के राज के अन्दर हमने देखा 26 परसेण्ट का फूड इन्फ्लेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन था लेकिन उसके बाद हमने देखा और क्या हुआ? किस जमाने में? जब रिसेशन था। रिसेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडेक्ट है, बायर नहीं है। माल है, खरीददार नहीं है। दौर था रिसेशन का। रिसेशन में इन्फ्लेशन डिप करना चाहिये, यह स्कूफ्लेशन था। फिर हुआ क्या? इन्फ्लेशन बढ़ा। आपने कहा रिसेशन खतम करना चाहते हैं। आपने क्या किया? आर आर रेश्यो घटाया। सी आर आर रेश्यो घटाया, एक्साइज घटायी। किसके लिये? गरीब तो एक्साइज देता नहीं है? किसान तो एक्साइज देता नहीं है। लेबर एक्साइज देती नहीं है। आर आर रेश्यो, सी आर आर जानते ही नहीं हैं। यह किसके लिये घटाया ? यह इसलिये घटाया कि दिल्ली में बैठी हुई आपकी पार्टी की सरकार कारपोरेट्स की गिरवी है। आपकी कुनीतियों से हिन्दुस्तान में डिवाइड पैदा हो रहा है। हिन्दुस्तान में एक सोशल डिवाइड पैदा हो रहा है। इस हिन्दुस्तान के अन्दर दो हिन्दुस्तान पैदा हो रहे हैं। एक कारपोरेट इंडिया और एक गरीब भारत। एक कारपोरेट इंडिया के लिये आप लगातार रिसेशन का नाम लेकर कभी सी आर आर बढ़ाते हैं, कभी आर आर बढ़ाते हैं, कभी एक्साइज को घटाते हैं। घटाते हैं और घटाने के बाद में आपने और डिप्राइव कर दिया उसको इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी स्थिति राजस्थान में जिस प्रकार की 5 साल में दिल्ली की सरकार के कारण और खास तौर से आपके कारण जो हुई उसने राजस्थान को कंगाली के कगार पर खड़ा कर दिया। जिस प्रकार की वायेबिल इकोनोमिक स्टेट हम लोगों ने आपको विरासत में दी थी उसकी बिलकुल उलटी स्थिति आज आपने हमको दी है। लेकिन इसके बावजूद इसका मतलब यह नहीं है कि एक गहलोत साहब थे पहले वाली सरकार में, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कटोरा मांग कर घूम रहे थे। राजस्थान का मुख्य मंत्री आज हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान के गरीब के लिये, राजस्थान के किसान के लिये, राजस्थान के नौजवान के लिये वह पैसा चाहे कहीं से आए, पैसे का कटोरा लेकर राजस्थान की सरकार नहीं घूमेगी और विकास के लिये हर नया पैसा लेकर आयेगी।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अभी डा. साहब कह रहे थे हमारा वीजन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं 5 साल में? हम 5 साल में डा. साहब, वह करना चाहते हैं जिसको करने की चाहत को लेकर भरी जवानी के अन्दर शहीद भगत सिंह फांसी के फन्दे पर झूला था। हम मजबूत हिन्दुस्तान पैदा करना चाहते हैं। हम स्वावलम्बी हिन्दुस्तान पैदा करना चाहते हैं। हम हाई ग्रोथ का हिन्दुस्तान पैदा करना चाहते हैं। यह 5 परसेण्ट से नीचे की ग्रोथ रेट का नहीं, माननीय सभापति महोदय, यह ग्रोथ रेट जो हमने 8 परसेण्ट छोड़ी थी जिसको इन्होंने टिका दिया 5 पर, इस 5 परसेण्ट की ग्रोथ रेट को आने वाले टाइम में हम 12 परसेण्ट की ग्रोथ रेट पर तब्दील करेंगे।

राजस्थान में लगातार सूखा पड़ता है। टू थर्ड इलाका यहां का एरिड है या सेमी एरिड है। अकाल यहां की बहुत बड़ी त्रासदी है। सूखा बहुत बड़ी त्रासदी है और राजस्थान में अगर पशुधन नहीं हो तो किसान कभी का मर चुका होता। यह पशुधन है जिसने किसान को जिन्दा रख रखा है लेकिन किसान के लिये कुछ नहीं किया, पशुधन के लिये कुछ नहीं किया। यह सरकार होगी जिसके राज में आने वाले 5 साल के अन्दर मिल्क प्रोडेक्ट को हम डबल करेंगे, दुगुना करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन हमारा डबल होगा और जिस किसान की बात करते-करते 50 साल राज कर गये मजे में आप। जिस गरीब की बात करते-करते राज के मजे लिये आपने। जिस गरीब की बात करते हैं टू जी कर दिया, थ्री जी कर गया, आपके जीजाजी घोटाला कर गये जिसके लिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस गरीब की एग्रीकल्चर प्रोडेक्टिविटी को हम पंजाब और हरियाणा के बराबर लाकर खड़ा करेंगे। राठौड़ साहब मुझे कल मिले, कहने लगे कि मिलेनियम गोल का कितना हुआ? (व्यवधान) हां-हां, जीजाजी। वह सोलर प्लाण्ट तो खा गया इसी में...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जीजाजी का नाम तो बता दो। पता तो लगे कौन और किसका जीजा है...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यह भी आना चाहिये...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कांग्रेस का जीजा नहीं। कांग्रेस का जीजाजी नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडेक्टिविटी की...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, इसका रहस्योद्घाटन होना चाहिये जीजा कौन है और जीजा किसका है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): हमारा तो नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह तो असंसदीय हो गया मामला। या इसको आप निकलवाओ, एक्सपंज करवाओ।

श्री सभापति: जीजा शब्द तो असंसदीय नहीं है...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): असंसदीय है नहीं साहब...

श्री सभापति: असंसदीय नहीं है पर यह किसके लिये प्रयोग करना चाहिये वह देख लेना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, जब हम राजस्थान के हाई प्रोडेक्टिविटी ग्रोथ की बात करते हैं, इधर मैं आपसे निवेदन कर रहा था राजस्थान का टू थर्ड इलाका एरिड या सेमी एरिड है। पानी में हम बहुत डेफिशिएंट हैं। पानी नहीं है। पानी नहीं है इसलिये एग्रीकल्चर के अन्दर ड्राई फार्मिंग के अलावा कुछ चारा नहीं बचता। एग्रीकल्चर की पोटेंशियल की एक लिमिट है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है इसलिये इण्डस्ट्रीज की भी एक लिमिट है। यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी लीगेसी रही है, हैरिडिटी रही है, हिस्ट्री रही है और उसी के लिये लोग दूर-दूर से चलकर आते हैं। आपने ही कहा था वर्ल्ड क्लास सिटी बनायेंगे जयपुर को। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी तो जयसिंहजी ही बनाकर चले गये। उसी को देखने लोग आते हैं। गये 5 साल के अन्दर लगातार राजस्थान में ट्यूरिज्म घटा है। डोमेस्टिक ट्यूरिस्ट घटा है। फोरेन ट्यूरिस्ट है वह घटा है और राजस्थान के अन्दर ट्यूरिज्म की अबंडेंट पोटेंशियल होने के बावजूद जिस प्रकार विगत 5 साल में ट्यूरिज्म को आपने नकारा है, आने वाले 5 साल के अन्दर जो ट्यूरिज्म है उसके तहत जितने लोग राजस्थान में आते हैं उनमें से अधिकतम संख्या के लोगों को राजस्थान में डाइवर्ट करना और जो लोग पहले से आ रहे हैं उनके स्टे को लम्बा करना, जो 3 दिन राजस्थान ठहरता है वह 4 दिन कैसे ठहर सकता है। जो 2 दिन ठहरता है वह 3 दिन कैसे ठहर सकता है। इस टयूरिज्म को हम डवलप करेंगे। रूरल टयूरिज्म को हम बार-बार फोक्स कर रहे हैं। हमारे भैरोंसिंहजी शेखावत साहब कहा करते थे कि गरीब को गणेश मान कर चलो। गरीब कहां रहता है? गांव में, ढाणी में। उस आदमी को रुरल टयूरिज्म में पार्टिसिपेशन कराना है। राजस्थान वह जगह है जहां ट्राइब्ल टयूरिज्म और रुरल टयूरिज्म में अबंडेंट पोटेंशियल है। हम उस गरीब के दरवाजे पर ले जाकर टयूरिज्म को ऐसा पैदा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करें कि वह लंदन से चलने वाला आदमी उस ढाणी में टयूरिज्म पैदा करे। इस प्रकार की स्थिति हम इन 5 सालों में पैदा कर देंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जब डवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक सड़क आयी गांव में, कोई सड़क नहीं थी ढाणी थी, सड़क आयी तो बस रुकने लगी, जीपें रुकने लगीं। जीप रुकने लगी तो एक थड़ी खुल गयी। थड़ी खुल गयी तो पांच लोग बैठने लगे, पांच लोग बैठने लगे तो किराने की दुकान खुल गयी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लायमेंट को जनरेट करता है। कैपिटल फार्मेशन को जनरेट करता है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक मेगा हाई-वे को बनायेंगे। राजस्थान के ईस्ट और वेस्ट में एक मेगा हाई-वे बनायेंगे और इसके साथ में लगातार हम काम करेंगे। आज डाक्टर साहब पूछ रहे थे कि हम लगातार इनवेस्टमेंट क्रिएट नहीं कर पाये और हम कैसे करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं जापान की सरकार को। जापान की सरकार का एक प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, इस प्रोजेक्ट के अन्दर दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर।

श्री सभापति: सदन में शून्य नहीं रहता है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): वह बहुत लम्बी कोरिडोर है, दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर। उस इंडस्ट्रियल कोरिडोर के दोनों साइड में डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी में उसका इंफ्लूएंस जोन है और राजस्थान का 56 प्रतिशत इलाका उसके इंफ्लूएंस जोन में आयेगा। राजस्थान के टोटल एरिया का 56 परसेंट दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर के इंफ्लूएंस जोन में आयेगा। अगर उस इंफ्लूएंस जोन को हमने डवलप करने का काम किया होता, इन 5 साल में काम किया होता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इन 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। पूरा पैसा जापान की सरकार दे रही है। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार को इंफ्लूएंस जोन में जिस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए थी, वह राजस्थान की सरकार ने नहीं की।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वेस्टर्न कोरिडोर का फेज-1 जो जायेगा रेवाड़ी-वड़ोदरा, 920 किलोमीटर, इसमें से जो राजस्थान के अन्दर से निकलेगी वह ओवर 58 परसेंट एरिया है। राजस्थान का 58 परसेंट एरिया उस इन्फिलुएंस जोन में है। यह डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर में होगा। यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उन्होंने आइडेंटिटीफाई किया है। इसमें से खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इनवेस्टमेंट रीजन, दूसरा जयपुर, दौसा इंडस्ट्रियल रीजन, तीसरा अजमेर, किशनगढ़ इनवेस्टमेंट रीजन, चौथा है राजसमंद, भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल रीजन, अगला है पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल रीजन। इस पूरे इंडस्ट्रियल रीजन में लोजिस्टिक और बाकी दूसरी चीजों का जो अंजाम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था। वह कर देना चाहिए था इनको, 2016 में यह पूरा होगा, आज 2013 चली गयी, 2014 है। 2 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा। राजस्थान की सरकार ने केवल नीमराणा के पास में तो कुछ जमीन है वह तो एक्वायर की है, वह भी कब जब वह दिल्ली का एक्विजेशन का एक्ट आ गया उसके बाद।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस एक प्रोजेक्ट को जो कि जापान की सरकार ने दिया, उसने जो इंडस्ट्रियल कोरिडोर पैदा किया, उसको डवलप करने का भी काम अगर आपने कर लिया होता तो आप गंगा नहा लिये होते। यह रिफाइनरी लगाने के बजाय, यह मेट्रो के चक्कर में नहीं पड़े होते आप, जिसमें इतना जबरदस्त पैसा जापान की सरकार खर्च कर रही है, उस पूरे इलाके के इनवेस्टमेंट जोन को अगर आपने इन 5 सालों में डवलप करने की कोशिश की होती तो निश्चित रुप से राजस्थान का फायदा होता। इस इंडस्ट्रीयल जोन को जो आप नहीं डवलप कर पाये उसको डवलप करेगी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यह सरकार।

सभापति महोदय, अभी राजस्थान में 33 लाख बेरोजगार हैं जिनके साथ आपने धोखा किया, मजाक किया इन 5 सालों में। यह ग्रोथ रेट जो अभी तक राजस्थान की सरकार की रही है विगत 5 सालों में, अगर यही ग्रोथ रेट रहेगी तो एम्प्लायमेंट जनरेट नहीं होगा। 2019-20 तक जाते-जाते 33 लाख को एम्प्लायमेंट मिलने के बजाय अन-एम्प्लायड हो जायेंगे 46 लाख। राजस्थान की ग्रोथ रेट को हम 12 परसेंट पर ले जायेंगे। जिस 15 लाख के रोजगार की आप बात कर रहे थे, यह 15 लाख रोजगार तो हम अकेले प्राइवेट सेक्टर में अगले 5 साल में जनरेट कर देंगे। चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे के पूरे इलाके में जिस तरह का विजन डाक्यूमेंट राजस्थान सरकार का बन रहा है और जिस तरह का बूस्ट उसमें पैदा हो रहा है, उसमें आने वाले 5 साल में राजस्थान में हम सुराज की स्थापना करके रहेंगे। चाहे एनर्जी का इलाका हो, चाहे एम्प्लायमेंट का इलाका हो, चाहे एक्सीलेंस का इलाका हो, चाहे ग्रोथ का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इलाका हो, चाहे किसान को, लेबर को एम्पावरमेंट करने का इलाका हो, उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान को एक मान कर राजस्थान के आम-अवाम के लिए इक्विटी डवलपमेंट करने का काम करेगी। इसी का रिफ्लेक्शन हमें राज्यपाल के अभिभाषण में मिल रहा है।

सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण में हमने प्रायोरिटीज के इलाके दिखाये हैं। उन प्रायोरिटीज के इलाकों में हम लगातार काम करेंगे तो मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि एक कांग्रेस मुक्त राजस्थान और एक कांग्रेस मुक्त हिन्दुस्तान के अन्दर हम सुराज लेकर आयेंगे। सुराज के साथ समृद्धि लेकर आयेंगे। यह समृद्धि का डाक्यूमेंट है।

श्री सभापति: यह स्वराज बोल रहे हो आप या सुराज बोल रहे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सुराज बोल रहा हूं स्वराज नहीं। स्वराज तो इनका था। सुराज, गुड गवर्नेंस।

श्री सभापति: आपकी आवाज से स्वराज, स्वराज सुना।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): रजनीगंधा का प्रभाव है, मेरा नहीं।

श्री सभापति: हां जी, हां जी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक इतना सा सुराज ला देंगे क्या यह इन 5 सालों में कि किसान को कड़ाके की ठंड में खूड़ नहीं मोड़ना पड़े।

श्री सभापति: आपका समय आ रहा है, डाक्टर साहब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप इकोनोमिक्स के एक्सपर्ट हैं। आपका स्पीच मैं ढंग से सुन रहा हूं, बड़ी तसल्ली से। आप 5 साल में क्या ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे कि रात में कड़ाके की ठंड में किसान खड़ा नहीं होगा खेत में। उसको दिन में बिजली मिल जायेगी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि एग्रीकल्चर के अन्दर एनर्जी की कमी नहीं होगी और राजस्थान को एनर्जी सरप्लस की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर देंगे। इसमें आपको चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नया राजस्थान जो बनेगा वह केवल नाम का नया नहीं होगा। आने वाले 5 साल बाद जो लोग गुजरात के माडल की चर्चा पूरे हिन्दुस्तान में करते हैं ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापतिजी, मैंने आपका एक भाषण पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि राजस्थान की सम्पदा को लूट कर

(डा. किरोडी लाल)

ले जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाये। उसका भाव भी अगर मुझे पता लग जाये तो ठीक रहे।

श्री सभापति: आप विराजो। आपको वह काम नहीं करने देंगे हम।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नये राजस्थान की कल्पना के अन्दर एम्प्लायमेंट की अबंडेंस होगी, ग्रोथ की अबंडेंस होगी, एनर्जी की अबंडेंस होगी और क्वालिटी एजुकेशन की अबंडेंस होगी। जिस मिलेनियम गोल को आप पूरा नहीं कर पाये, हम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में उस मिलेनियम गोल को पूरा करेंगे। राजस्थान को खुशहाली की दिशा में ले जायेंगे। इसी का रिफ्लेक्शन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। इस प्रकार का विजन जो सरकार का है, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह पूरा सदन एकमत से धन्यवाद पारित करेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। श्रीमती अनिता भदेल, प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो अपना भाषण दिया है।

श्री सभापति: भाषण नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूं और अपनी बात कहना शुरू करूं उसके पहले एक निवेदन करना चाहती हूं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कि बीच में टोका-टोकी नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। विशेषकर वरिष्ठ माननीय सदस्य किरोड़ी लालजी से।

श्री सभापति: आपने किरोड़ी लालजी को इंगित क्यों किया?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): दो-तीन दिन से लगातार मैं देख रही हूं कि आप बीच-बीच में खड़े होकर टोकते हैं।

श्री सभापति: आप नहीं टोकेंगे। आप बोलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक। इसलिए मैंने निवेदन किया है।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जो परिलक्षित होता है, वह सरकार की नीति और कार्यक्रम, कि आने वाले 5 सालों में सरकार की नीति क्या रहेगी, कार्यक्रम क्या रहेंगे? किस दिशा में हम राजस्थान को ले जाने की शुरूआत करेंगे और कहां तक लेकर जायेंगे।

सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे कार्यक्रम और नीतियां इस प्रकार की रहेंगी कि हम इस विकास दर को जो 3 प्रतिशत से हम 8 प्रतिशत लेकर गये, 8 प्रतिशत से आप वापिस इन 5 सालों में 5 प्रतिशत पर ले आये। हम उस 5 प्रतिशत को बढ़ा कर 12 प्रतिशत तक ले जाने की बात करते हैं। जब हम सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश की बात करते हैं और शासन की समीक्षा करते हैं तो सिर्फ 5 सालों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। समीक्षा शुरूआत से होनी चाहिए कि आपने शुरूआत कहां से की थी और कहां आपने लाकर के छोड़ा है। जब आपकी नीतियां स्पष्ट नहीं होती हैं। जब आप अंतर नहीं कर पाते अपनी इच्छाओं में और आवश्यकताओं में। तब यह सारे प्रश्न खड़े होते हैं जिन प्रश्नों को अभी आपने उठाया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमने हजारों करोड़ रुपये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से खर्च किये। मैं बताना चाहती हूं आपके माध्यम से सदन को कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक अब तक 2,05,181.29 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इतना खर्चा करने के बावजूद हम राजस्थान के सुदूर जिलों में बैठे हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पाये क्योंकि हमने आवश्यकताओं और इच्छाओं में अन्तर नहीं किया। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता स्वच्छ पेयजल है लेकिन हमने उसको नहीं माना। हमने यहां मैट्रो खड़ी कर दी हजारों करोड़ रुपये लगा कर, कुछ छोटे लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, जब रिफाइनरी का एमओयू हस्ताक्षर हुआ था उन दिनों खूब सारे चैनल्स पर विज्ञापन आये थे। माननीय प्रद्युम्नसिंहजी से भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इतना जबर्दस्त वह विज्ञापन चला टीवी चैनलों पर, मेरा एक बहुत छोटा बेटा है पांच साल का, उसने मुझसे पूछा, मम्मी, यह क्या है। मैंने कहा, बेटा यह रिफाइनरी लगने वाली है। लग गई क्या? इतनी बड़ी चीज बन गई क्या, क्या राजस्थान में अशोक गहलोतजी ने बना दी क्या? मैंने कहा नहीं, बेटा अभी

(श्रीमती अनिता भदेल)

तक कागजों पर साइन हुए हैं। इतना जबर्दस्त प्रचार प्रसार उसका हुआ है, जितना पैसा उसके प्रचार प्रसार में लगा है परन्तु केन्द्र में बैठी हुई सरकार के शहजादेजी बार-बार यह बात कहते हैं कि भ्रम पैदा किया, लोगों को गुमराह किया, लोगों को गलत बयानी दी इस कारण से यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यह बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है राजस्थान की जनता की सोच पर। आपने इतना बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया प्रदेश की जनता पर कि वह गुमराह हो गई। गुमराह तो आपने किया, पांच सालों तक इस तरह के विज्ञापन दिखा-दिखा कर, आपने सच बात बताई? आपने यह नहीं बताया, आपने यह नहीं बताया कि हमें कितना करोड़ रुपया कर्जा देना पड़ेगा बिना ब्याज के और यदि उतना क्रूड आयल नहीं निकला तो अनुपात में उसका ज्यादा बढ़ जायेगा, यह आपने नहीं किया स्पष्ट। गुमराह किसने किया? सरकार आपकी थी, हम तो विपक्ष में बैठे थे, गुमराह करने का अधिकार आपको था, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, कोई सा भी अख़बार उठा कर देखो, 6 महीने से लगातार इतने विज्ञापन, इतनी योजनाओं के विज्ञापन कि शायद वह विज्ञापन देने वाले माननीय अशोक गहलोतजी को भी पता नहीं होगा कि मेरे स्टेट में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जन कल्याण की और उन योजनाओं में कितने लोग कवर होते थे, एक, दो, तीन, चार और योजनाओं के इतने बड़े-बड़े विज्ञापन कि आदमी भ्रमित हो जाये कि वास्तव में यह मेरे प्रदेश की योजनाएं हैं क्या? यदि मेरे प्रदेश की योजनाएं हैं तो फिर मुझे इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? कहां गया मेरा लाभ, मेरा हिस्सा कहां गया? कहीं भ्रष्टाचार में तो नहीं चला गया, कहीं बीच में तो किसी ने दलाली के रूप में तो नहीं ले लिया और इसलिए उन्होंने शंका आप पर की, हम पर शंका नहीं की। यदि हम पर शंका की होती तो इतना बड़ा जनादेश यह राजस्थान प्रदेश की जनता ने नहीं दिया होता।

आपने अपनी संस्कृति के कारण से, अपने कल्चर के कारण से, 50 सालों में इस प्रदेश को कहां लाकर खड़ा किया? कर्जे का प्रदेश, भूख का प्रदेश, भ्रष्टाचार का प्रदेश। पहले तो इस राजस्थान प्रदेश के लोग फांसी पर झूलते थे अपने प्रदेश की सभ्यता, आन-बान के लिए और अब कहां जाते हैं? अब जाते हैं जेल। अब वह ट्रायल फेस कर रहे हैं एण्टी करप्शन का। आज रोज, आये दिन हम देखते हैं कि आज फलां एईएन चला गया, आज ढिमका एक्सईएन चला गया, आज तहसीलदार गिरफ्तार हो गया, आज पटवारी गिरफ्तार हो गया। आदर्श कहां से सीखें, कहां से सीखें आदर्श? यह नेताओं ने इस प्रकार

(श्रीमती अनिता भदेल)

की स्थिति पैदा की है कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए कल्चर के लोगों ने इस प्रकार की स्थिति पैदा की है कि आज हर व्यक्ति बिना संस्कार के, बिना मूल्यों के जिस ओर इस प्रदेश को ले जा रहे हैं वह बहुत भयावह स्थिति है, आज हमको उसको सम्भालने की जरूरत है, नहीं तो इतनी जबर्दस्त मारकाट मचने वाली है कि हम कितनी भी चाहे कानून व्यवस्था क्यों न अपना लें, हम कितनी भी अच्छी कानून व्यवस्था क्यों न दे दें, इसको हम रोक नहीं पायेंगे इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से कि वह आने वाले पांच साल में जिस प्रकार का माननीय राज्यपाल महोदया के द्वारा यह डाक्यूमेंट हमारे पास आया है उससे स्पष्ट इंगित होता है कि अब राजस्थान प्रदेश का चारों दिशाओं में विकास होगा। अब राजस्थान प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं नहीं होगा, कहीं उच्च वर्ग, निम्न वर्ग की बात नहीं कही जायेगी।

अभी धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि 'सुराज' क्या है? 'गुड गवर्नेंस' क्या है? जहां तक मेरी समझ में आता है मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुड गवर्नेंस वह चीज है जिसमें आपने कानून में दिया, कोई लाभ दिया, वह लाभ बिना सिफारिश के, बिना जैक, चैक के, आम आदमी तक यूं का यूं पहुंच जाये। परन्तु वह गुड गवर्नेंस देने में आप पूरी तरह फेल रहे। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने कहा कि हम 10 लाख आवास बनायेंगे और बीपीएल और जो आवास विहीन लोग हैं उनको हम दस लाख आवास बनाकर देंगे, पांच साल पूरे हो गये, दस लाख आवास नहीं बने, दुर्भाग्य यह रहा कि उन लोगों ने जिनका चयन हुआ उनको प्रथम किश्त मिल गई, 25 हजार रुपये की, प्रथम किश्त मिल गई, किश्त मिलने के बाद आपके एईएन, जेईएन के भ्रष्टाचार के कारण से कि मुझे कुछ पैसा दे तो दूसरा चैक जारी करूं और उस कारण से वह दूसरा चैक जारी नहीं हुआ। जो उस टूटी-फूटी झोंपड़ी में रहने वाला बीपीएल परिवार था, वह सड़क पर आ गया, अब उसका आधा-अधूरा मकान है, उसकी आधी ईंटें हैं, छत उसके ऊपर है नहीं इसलिए उस बीपीएल परिवार ने आपको बहुत कोसा और कोस कर यह कहा कि हमारे हक का पैसा आपने ले लिया इसलिए अब आपको चुनाव में बर्दाश्त नहीं करेंगे।

आपने डिजीटल टेबलेट योजना लागू की, पहले बच्चों को मालूम नहीं होता था कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज भी है लेकिन आपने उस भ्रष्टाचार

(श्रीमती अनिता भदेल)

की बात उसके कान तक पड़ गई और जो छह हजार रुपयो का आपने पीसी टेबलेट उसको दिया, इतनी घटिया क्वालिटी का था तो बच्चे भी समझ गये कि सरकार बहुत भ्रष्ट है और जब वोट देने की बारी आई तो उन्होंने अपने माता-पिता को कहा कि सरकार ने कोई बख्शने की जरूरत नहीं है इसलिए अब बालक जो आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं, वह भी इस बात को समझ गये, यह होती है गुड गवर्नेस।

गुड गवर्नेस का मतलब, खाद्य सुरक्षा का बिल आप लेकर आये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह बात कही थी, आप खाद्य सुरक्षा का बिल लेकर आये, आनन-फानन में 2 अक्टूबर को जारी करेंगे हम ताकि हमको लाभ मिले, सब चीजें वोटों की खातिर, कुछ तो छोड़ो, वोटों से मत तौलो हर चीज को, हर चीज को वोटों से तौलने के कारण से यह आज स्थिति पैदा हुई है। आपने 2 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया, बहुत जल्दबाजी में अभी मैंने दो-तीन दिन पहले सुना था, राहुल गांधी कह रहे थे कि हमने तीन चीजें दी हैं, उनको जनता तक लेकर जाओ। हमने खाद्य सुरक्षा का बिल दिया, हम शिक्षा का अधिकार कानून लेकर आये, कानून बनाने या देने से बात नहीं बनती है। विवेकानन्दजी ने एक बात कही है कि जिस देश में ज्यादा कानून होते हैं, आप समझ जाइये कि उस देश में कानून का पालन नहीं हो रहा है। आप कानून का पालन करना सिखाइये, आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आपने शिक्षा का अधिकार कानून दिया लेकिन उसके लिए कोई पैसे का प्रोविजन किया क्या? आपने नए स्कूल खोले, नए अध्यापक लगाये क्या? आपने स्कूलों की बिल्डिंग दी क्या? गांवों का विद्यार्थी आज साइन्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके स्कूल में साइन्स है ही नहीं। विद्यालय खुल भी जाएं तो अध्यापक नहीं है, अध्यापक हैं तो लेब नहीं है। कामर्स की पढ़ाई वह कर नहीं सकता क्योंकि टीचर नहीं है तो ऐसे कानून का क्या फायदा? जिस कानून की पूर्ति हम नहीं कर सके। मैंने अभी आपको बताया, आपने बहुत सारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को खाद्य सुरक्षा बिल के दायरे में कवर किया लेकिन उसकी भी सूची आपके प्रशासन के पास नहीं है। आप कचरा बीनने वाले को खाद्य सुरक्षा कानून में कवर करेंगे, कचरा बीनने वाला कह रहा है कि मेरे इस राशन कार्ड पर आप सील लगा दो, खाद्य सुरक्षा की, लेकिन तहसीलदार नहीं लगा रहा है, वह एसडीओ नहीं लगा रहा है इसलिए नहीं लगा रहा है कि प्रमाणपत्र लाओ, कैसे आपको कचरा बीनने वाला हम

(श्रीमती अनिता भदेल)

मान लें तो कुछ न कुछ तो आपको तय करना पड़ेगा, बिना तैयारी के साथ आप आनन फानन में कुछ भी लाद दो, आपके पास मैन पावर नहीं, बिल की मंशा को पूरा करने के लिए आपके पास लोग नहीं तो उस कानून का पालन कौन करायेगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए तब आप गुड गवर्नेंस कह सकेंगे कि यह गुड गवर्नेंस है।

आपने बहुत सारी दवाइयां नि:शुल्क देने की बात कही। दवाइयों की क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा। सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार ने दवाइयां दीं, चूंकि सामाजिक जीवन में जीते हैं तो कई बार बहुत सारी समस्याएं हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे कैंसर की दवाई नि:शुल्क नहीं मिल रही है इसलिए, मैडम, आप चिट्ठी लिख कर दो। मैंने उसको कहा कि कैंसर की तो नि:शुल्क ही होनी चाहिए। मैंने कहा कि बुखार, उल्टी-दस्त की दवाइयां नि:शुल्क सरकार दे रही है तो कैंसर, हार्ट और किडनी की दवाइयां भी नि:शुल्क होनी चाहिए, सारा उपचार आपका नि:शुल्क होना चाहिए। तब उसने कहा कि वह तो आप मुख्य मंत्री सहायता कोष की चिट्ठी लिखकर दोगे तभी होगा अन्यथा नहीं होगा। मतलब, आप आदमी की सोच तो देखो, बुखार यदि उसको आ जाएगा तो एक दिन मजदूरी की छुट्टी करके दवाई ले लेगा और उसका बुखार ठीक हो जाएगा लेकिन उसको यदि कैंसर होता है, हार्ट की कोई प्राब्लम होती है या किडनी की कोई प्राब्लम होती है तो फाइनेंशियली रूप से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है इसलिए उसको जरूरत है नि:शुल्क दवाई की। वह काम करने के लायक होता नहीं है और कैंसर होने से व्यक्ति आधा तो वैसे ही मर जाता है जब पता लगता है कि उसको कैंसर है, हार्ट की प्राब्लम होने से वह भारी काम कर नहीं सकता। अगर घर के मुखिया को यदि ये बीमारी हो गई तो आप समझ जाइये कि उसका पूरा परिवार बर्बाद है, फिर उस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। वह कर्जा भी ले लेता है और कर्जा उसकी आने वाली पीढ़ी चुका नहीं सकती। यदि वह व्यक्ति बच गया तो ठीक है और मर गया तो उसका कर्जा चुकाते-चुकाते आने वाली पीढ़ियां भी मर जाएंगी इसलिए इन बीमारियों के कारण से उसकी सात पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। उन बीमारियों का नि:शुल्क उपचार होना चाहिए, उसके संसाधन प्रदेश में होने चाहिए, अलग-अलग जिला मुख्यालयों पर होना चाहिए। सारा का सारा बर्डन

(श्रीमती अनिता भदेल)

आज हमारे एस.एम.एस. हास्पिटल पर है और वहां लाइन लगी पड़ी है, आपका सौवें नम्बर पर नाम है। हार्ट का आपको एस.एम.एस. हास्पिटल में आपरेशन करवाना है तो सौवें नम्बर पर चले जाइये जब तक तो उसकी राम नाम सत्य हो जाएगी, जब तक तो वह खुद ही पहुंच जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये छोटी-छोटी चीजें यदि हम ठीक कर लें, अख़बार में आज लिखा है.....

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप कृपया ध्यान दें, राम नाम सत्य की बात चल रही है। केयर ठीक नहीं होती है....

श्री सभापति: इसलिए उनका वहम सही हुआ है, टोका-टाकी कर रहे हैं आप। आपका वहम था।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सही हो गया मेरा वहम तो। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत फ्लो में बोलते हैं। हम इतने वरिष्ठ नहीं हैं पर अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं।

श्री सभापति: नहीं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं। बोलिये आप।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रही थी कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें और इस प्रदेश को खुशहाल बनाने की दिशा में हमारी सरकार के ये पांच साल स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएं।

श्री सभापति: डाक्टर साहब ने आपको इसलिए टोका था कि यह राम नाम सत्य बोलने का अधिकार उनको है, आपको नहीं है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैंने अनिताजी को पूरी तरह से मन से सपोर्ट किया है और वे क्या कह रही हैं, उधर मंत्रीजी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बात तो सुनें। उनका समाधान करें इसलिए मैंने कहा है।

श्री सभापति: मंत्रीजी की गुफ्तगू कोई छिपी हुई चीज है क्या?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको चिकित्सा के सम्बन्ध में निवेदन कर रही थी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार प्रेक्टिकल हो और प्रेक्टिकल काम करे। एक कहावत अभी नई-नई बनी है कि जब पनघट थे तब नालियां नहीं थीं और अब पनघट नहीं हैं तो नालियां बन गई हैं। हम किसी भी काम में चले जाएं, जयपुर के पास के ही किसी गांव में चले जाएं तो जैसे

(श्रीमती अनिता भदेल)

ही गांव में एंटर होते हैं तो कीचड़ और दोनों तरफ पानी ही पानी है। मैं सही बोल रही हूं क्या? अभी-अभी सब चुनावों में गये हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी फांकी है सबने। मेरे आपसे इतना निवेदन है कि गांव का स्वच्छता का हम ध्यान रखें। हम शहरों में बहुत विकास करते हैं। जैसे मैंने अपनी शुरूआत ही अपनी इस बात से की है कि हम आवश्यकता और इच्छा में अन्तर करना सीखें। हम सारा का सारा विकास सिर्फ जयपुर में ही कर लें, ऐसी हमारी नीतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी नीतियां नहीं बननी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गांव की स्वच्छता के लिए इस डाकूमेंट में एक बात कही है कि हम ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है इसको पढ़ कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हमने गांव की बात सोची है। मेरा निवेदन है कि गांवों में गन्दगी सबसे ज्यादा पानी के कारण से हो रही है तो हम पानी की निकासी की व्यवस्था यदि ठीक कर लेंगे तो हमें ज्यादा सड़कें बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा सड़क पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा हम बहुत सारे आवासों का निर्माण करने वाले हैं। हमें पुराने अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि 30 साल पहले अजमेर में हाउसिंग बोर्ड की एक स्कीम ज्वाला प्रसाद नगर के नाम से बनी। यह 30 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। उस ज्वाला प्रसाद नगर में सीवरेज लाइनें डलीं। सीवरेज लाइन डल गई और घर बन गये, घरों में लोग रहने लग गये पर आज तक वहां पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वे सीवरेज लाइनें ब्लाक हो गई, बंद हो गई और मैला पूरी सड़क के ऊपर से बहने लगा। ये ए.सी. रूम में जो अधिकारी बैठते हैं, ये प्रेक्टिकल नहीं हैं, प्रेक्टिकल तो हम लोग हैं। इसलिए हमें इनको चलाना है, हमें इनको बताना है कि आपको ऐसे डाकूमेंट बनाकर लाने हैं। सीवरेज लाइनें ब्लाक हो गईं, लोग परेशान हो गये। पानी के बिना सीवर लाइन कैसे साफ रह सकती है? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी हाउसिंग बोर्ड की स्कीम बने, उसमें आप पूरी व्यवस्था करें कि सबसे पहले आदमी को पानी की आवश्यकता होती है तो आप पानी की लाइन डालने का सबसे पहले काम करें, पानी कैसे लेकर आयेंगे वह काम करें, तब आप किसी स्कीम को लागू करें। अन्यथा सब लोग मकान बना कर खड़े कर देते हैं, पानी होता नहीं

(श्रीमती अनिता भदेल)

है, लोग खरीद कर बैठ जाते हैं, लोग कब्जा प्राप्त कर लेते हैं फिर किसी की दरवाजा टूट रहा है, किसी का खिड़की टूट रही है जिससे हमारी स्कीमें फेल होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्कीम लागू करने से पहले यदि आप इन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ठीक होगा।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हम जब गाड़िया लुहारों को आवास की बात करते हैं तो कई बार हम उनको कम वर्ग गज का बहुत छोटा सा मकान देते हैं। गाड़िया लुहार की प्रकृति क्या है, हमें उसकी सामाजिक प्रकृति को, सामाजिक पृष्ठभूमि को देख कर उसको आवास देना होगा। गाड़िया लुहार लोहे के साथ-साथ पशुपालन का काम भी करता है। इसलिए यदि वह पशुपालन का काम करता है तो जहां भी हम उसकी कालोनी बनायें, उसको हम पशुओं के पालने की व्यवस्था के साथ कालोनी देंगे तब ठीक रहेगा नहीं तो आप कहीं भी चले जाइये जहां गाड़िया लुहारों की बस्ती है, वहां कालोनी में दस मकान हैं और दस उन्होंने सड़क पर बना लिये तो आपको आने-जाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर आप जाओगे तो वे फिर डिमाण्ड करेंगे कि हमें और मकान चाहिए। उसके पशु को बांधने के लिए जगह नहीं है तो लोगों को आने-जाने का रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रास्ते में पशु बांध रखे हैं। इसलिए आप कोई भी स्कीम बनाते समय उस वर्ग की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर आपको स्कीम बनानी पड़ेगी, तब हम उसमें सक्सेस हो पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी। इस डाकूमेंट में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसके पैरा नम्बर मुझे याद नहीं है। उसमें लिखा है कि हम गौ-पालन के लिए गौ मंत्रालय की स्थापना करेंगे। अभी-अभी यह बात भी कही गई थी कि हम दुग्ध उत्पादन में इस प्रदेश को आगे की ओर लेकर जाएंगे, इसका उत्पादन हम डबल करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों को, माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने यह बात कही है। पिछली बार सरकार में, पूरे प्रदेश भर के साधु-सन्तों को गौशालाओं के अनुदान के लिए यहां आकर के धरना देना पड़ा, ज्ञापन देना पड़ा, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और गायों के लिए जो अनुदान बंद किया, उसी का यह परिणाम है कि गाय माता ने आपको श्राप दिया है और वह श्राप इस रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है कि आप इस चीज से उबर नहीं सकते।

श्री सभापति: पिछली दफा अपन ने जो गायों के लिए किया था, अब इन्होंने गायों के लिए किया। उसको बतायें ही क्यों।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हमने तो किया था गायों के लिए लेकिन इन्होंने उस अनुदान को बन्द कर दिया इसलिए गाय माता ने इन्हें श्राप दिया है। मैं इतिहास की एक बात है वो कहना चाहूंगी –

"अरि तृण धृत, तिनही मारत न सबल कोई।

हम नित प्रति तृण चरहीं, बैन उचरहिं दीन होई।।

हिन्दुन मधुर न देहि, कटुक तुरकन न पिलावहीं।

पय विशुद्ध अति आवही, वत्सन हित मम धावहिं।।''

मैं इसका भावार्थ भी समझाऊंगी, आपको समझ में नहीं आयेगा। आपको गाय आज तक समझ में नहीं आई तो यह क्या समझ में आयेगा।

पय विशुद्ध अति आवही, वत्सन हित मम धावहिं।।

सुनो, एक सैकण्ड, आप बिराज जाइए, माननीय महोदय।

''सुनहू विधायक अरज यह, करत गउ जौरे करन।

कौन चूक मोही मारहीं, मरेहु चाम सैवहीं चरन।।''

अर्थ इसका है, गाय आपसे कह रही है, जब दो योद्धा चुनाव में लड़ते हैं।

(15.00 बजे)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह गाय की बात हो रही है, गायों के नाम पर कब तक दुकान चलाएंगे ये? (व्यवधान) कभी राम मंदिर के नाम पर दुकान चलाएंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिलकुल, बिलकुल।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह चन्दे का पैसा कहां है, वह पांच रुपये तो मैंने भी दिये हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, हां, बिलकुल, बिलकुल।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह पांच रुपये मेरे को आज तक नहीं मिले और उसका हिसाब भी नहीं मिल रहा है, कहां है वह राम मंदिर?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उन पांच रुपयों की वजह से आपका उद्धार हुआ है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): राम के साथ में भी आपने तो धोखा किया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पांच रुपये में भी यहां आ गये न?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पांच रुपये मेरे खाकर बैठे हैं राम के नाम पर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पांच रुपये में आप यहां आ गये न?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह पांच रुपये मुझे आज तक ही वापस नहीं मिले, न उनका हिसाब मिला, न कोई राम मंदिर आपने बनाया। आपका तो एक ही नारा राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे और सब को बेवकूफ बनाएंगे। इसी के नाम पर आप असत्य बोलते चले और राज करते चले।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): राम के साथ में ही आप धोखा कर रहे हैं।

श्री सभापति: बोलने दीजिए, बोलने दीजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): स्वीकार कर लिया, सौ परसेंट बनेगा। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): राम के नाम पर दुकान चलाओ और राम के संग भी धोखा करो।

श्री सभापति: अभी ये गाय की बात कर रहे हैं, राम की कर रहे हो आप बैठिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह गाय के नाम पर, राम के नाम पर, और कोई तो काम है ही नहीं।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): अब ये बोल रहे हैं तो ये बीच में क्यों खड़े होते हैं?

श्री सभापति: बोलने दीजिए, ये बार-बार क्या है? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): तो मंदिर नहीं, मस्जिद बना लो। जो जिसको होगा, उसको बुला लो, मस्जिद बना लो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो उनको बोलो, विकास की बात करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): विकास की ही बात है।

श्री सभापति: एक मिनट, बार-बार हस्तक्षेप करने से बोलने वाले का प्रवाह टूट जाता है इसलिए कोई बात कहने की आवश्यकता हो, वैसे मैं कोई रोकता नहीं हूं लेकिन बार-बार बीच-बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। आप बोलिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय जी, आप ये तो पूछो इनसे कि कोई बात तो हो, कोई बात करने लायक तो हो।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, गाय की बात करने लायक नहीं है? (व्यवधान) इस प्रदेश का और देश का यही दुर्भाग्य है कि गाय की बात करने वाली नहीं है, ये शब्द आपके हैं, गांव वालों से जाकर पूछो कि गाय की बात करने की है या नहीं है।

श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़): गाय धर्म की धुरी है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मेरे से ज्यादा आप नहीं समझते गाय की बात। (व्यवधान) आपने कभी गाय की पूजा ही नहीं की होगी। आपको यही मालूम नहीं होगा कि गाय की पूजा कैसे होती है। (व्यवधान) ऐसे में ये दुकान चला रहे हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापतिजी, मैं विनम्र निवेदन कर रही थी आपके माध्यम से सरकार से।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं तो बिलकुल आपको ही, अनुशासन का पालन करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको ही संबोधित कर रही थी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम कोई टोका-टोकी नहीं करना चाहते लेकिन चन्दा हमने भी दिया था मंदिर बनाने के नाम पर और कई बार दे दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अप्रासंगिक बात नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका सदन के पटल पर कोई हिसाब किताब तो रखा हो तो कितना चन्दा आया था, मंदिर कब बनेगा, अब हमेशा गाय और मंदिर के नाम पर कितने टाइम तक वोट लोगे राजस्थान के अन्दर?

श्री सभापति: आपस में चर्चा नहीं करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, जो बात मैंने कही है, उसके भावार्थ के रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहती

(श्रीमती अनिता भदेल)

हूं, जब दो योद्धा आपस में लड़ते हैं और सामने वाला योद्धा मुंह में तिनका रख लेता है, तब उसको माफ कर दिया जाता है और गाय भी अपनी यही बात कह रही है कि मैं तो सुबह से शाम तक तिनका ही चरती हूं, फिर मेरा कौन सा दोष है जिसके कारण से मुझे मारा जाता है? हिन्दुओं को मीठा और मुसलमानों को कड़वा दूध नहीं पिलाती, दोनों को ही मीठा दूध पिलाती हूं और जोर से बोलती भी नहीं हूं, मैं तो बहुत वात्सल्य के साथ रंभाती हूं, बहुत धीरे से बहुत प्रेम से रंभाती हूं, फिर मेरे को मारने का कौन सा औचित्य है? और गाय कह रही है कि मेरा शुद्ध दूध पीने से सब लोग स्वस्थ होते हैं तो फिर विधायकों मेरी हत्या को रोकने की आप बात क्यों नहीं करते हैं? और वह आगे कह रही है कि मेरे मरने के बाद मेरी चमड़ी आपके पांवों को सहेजती है, फिर भी आप मेरे को मारते हैं, मेरी हत्या को नहीं रोक रहे हैं, ऐसा मेरा कौन सा दुस्साहस है इसलिए कृपा कर मुझ पर मेहरबानी रखो और इस गाय की बात समझ कर मेरी सरकार ने जो कदम उठाया है उसके लिए मैं अपनी सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं और निवेदन करती हूं कि इस तरह के आप हमारी संस्कृति में निरीह पशु कीड़ी को भी मारने का अधिकार नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी संस्कृति के हमारे यहां पर हमने प्रभाव छोड़ दिया, अंग्रेजों ने, जिस संस्कृति में बहुत से लोग पल बढ़ कर आज न तो गाय को मानते हैं, न चींटी को मानते हैं, न कीड़े को मानते हैं। ये निवेदन था मेरा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, मैं इनके सपोर्ट में हूं। पूर्वी राजस्थान के विशेषकर हिस्से में सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली में इतनी गायें हैं, जो वैसे ही घूम रही हैं, मेवात से टीम आती है ट्रक ले-लेकर और दस-दस, बीस-बीस गायों को इस तरीके से फैंकते हैं और वह सारी गौकशी के लिए जाती हैं, मंत्रीजी, वहां विशेष टास्क-फोर्स लगा कर बहुत ज्यादा गौ-हत्याएं हो रही हैं, विशेषकर सवाईमाधोपुर और भरतपुर के हिस्से में।

श्री सभापति: गौ-रक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय सदस्या, लेकिन आपको मैं भी यह बता दूं कि राजस्थान की यह पहली विधान सभा है जिसमें हिन्दुस्तान में सबसे पहले गौ-रक्षा का बिल लाया, जब मोहन लालजी सुखाड़िया थे, उसके बाद में स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, उस समय सम्पूर्ण गौ वंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा था और अब गौ मंत्रालय अलग से खोलने की बात भी हो गई है। आगे अब आप अपना जारी रखें। (व्यवधान) पालन भी करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान के अन्दर गौ-कशी की घटनाएं पिछले पांच बरसों में बहुत ज्यादा हुई थी और विशेष तौर पर माननीय सदस्य ने जो इंगित किया है, उन जिलों में और उसके अलावा अलवर जिले में भी है और राजस्थान की इस सरकार ने अपने पहले इस अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया है और वह सुराज संकल्प पत्र, उसके अन्दर भी इस गौ कशी को रोकने के लिए और सुदृढ़ कानून व्यवस्था करने के लिए बात कही गई है इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जिस संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज का रूप दिया, उसके अनुरूप काम करके योजना बना कर और आपकी भावनाओं के अनुसार काम करेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। वह निवेदन यह है कि कई बार हम पर्यटन स्थलों के विकास की बात करते हैं और वह इकोनोमी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, हमारा प्रदेश ही इस प्रकार का है कि यहां पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और उनसे हमें इकोनोमी भी प्राप्त हो सकती है लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना जरूरी है उस पर्यटन स्थल तक आप पहुंच जाएं, आपकी पहुंच आसान हो जाए, उसके लिए आपको सड़क और परिवहन के साधन उपलब्ध कराने बहुत जरूरी हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप पर्यटन स्थलों को तो डवलप करें, पर इसके साथ-साथ, हम, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते हों, मैं एक धर्म में नहीं बांधना चाहती, जिस भी धर्म से सम्बन्ध रखते हों, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों को डवलप करने का भी काम करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक निवेदन करना चाहती हूं इसके साथ में, पर्यटन स्थल पर जब आदमी जाता है तो घूम फिर कर, मौज मस्ती करके वहां से लौट जाता है। जब तीर्थ स्थल पर आदमी जाता है तो वहां से वह संस्कार लेकर आता है, वह वहां ईश्वर से प्रार्थना करके आता है कि मेरा परिवार, मेरा आस-पड़ोस, मैं खुशहाल रहूं, मैं कभी भी अपने जीवन में, अपने जीवन को न्यूनता में नहीं आने दूं, मैं हमेशा सच बना रहूं, इस प्रकार का संस्कार वह वहां से लेकर जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि हम पर्यटन स्थलों के डवलपमेंट के साथ-साथ तीर्थ स्थलों के डवलपमेंट की भी बात करेंगे तो इस राजस्थान में हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू घट रहा है, हम पूंजीगत इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सब

(श्रीमती अनिता भदेल)

लोगों में निराशा का भाव है क्योंकि बेरोजगार, जो युवा पीढ़ी है, वह बेरोजगारी के कारण से परेशान हैं, जो महिला है वह असुरक्षा के कारण से परेशान है, परिवार के मुखिया को अपना परिवार चलाने में परेशानी आ रही है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए इस महंगाई पर नियंत्रण हम कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब हम चुनाव में गये थे तो ये बात हम कह कर गये थे कि हम महंगाई को कम करेंगे और हमारे इस डाक्यूमेंट में भी यह बात लिखी हुई है कि हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने का सबसे बड़ा और एक अच्छा तरीका है कि हम जितने भी हमारे मार्केटिंग के सैल्स हैं, उसमें हम नियंत्रण करें, हम कालाबाजारी को रोकें और हम पीडीएस सिस्टम द्वारा जितने ज्यादा लोगों को कवर करेंगे, उतने ज्यादा हम महंगाई को कम कर पाएंगे। आम आदमी आज बहुत ज्यादा त्रस्त है और न केवल खाद्य वस्तुओं से त्रस्त है, उसको स्कूल में फीस ज्यादा देनी पड़ रही है, उसके बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन की फीस ज्यादा है और बाकी की और भी उसको कपड़ा सस्ता नहीं मिल रहा है, उसको घर की अन्य चीजें सस्ती नहीं मिल रही हैं इसलिए पूरी, आल आवर महंगाई कम करने की जरूरत है, केवल एक रुपया किलो गेहूं देने से महंगाई कम होने वाली नहीं है। पिछली सरकार से इसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया कि हम एक रुपया किलो गेहूं दे रहे हैं। एक रुपया किलो गेहूं तो दे रहे हो लेकिन आपने सिलेण्डर बारह सौ रुपये कर दिया। पहले तो आप यह कह रहे थे, सरकार यह कहती थी बार-बार कि आंखों को धुएं से बचाने के लिए आप चूल्हे का उपयोग कम करो, लकड़ी का उपयोग करो, गैस का उपयोग ज्यादा करो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार नीति नहीं बनाती, दूरदृष्टि नहीं है उनके अन्दर, पहले तो आपने चूल्हे से हटा दिया महिलाओं को, आप उन्हें गैस पर ले आए, अब गैस पर आपने सब्सिडी खतम कर दी, आपको सब्सिडी बैंक में मिलेगी डाइरेक्ट। और वह एक साल बाद में मिलेगी, दो साल बाद में मिलेगी। आज आपको गैस खरीदने के लिए, चूल्हा खरीदने के लिए आपके पास 1200 रुपये होने चाहिए। अगर आपके पास 1200 रुपये नहीं हैं तो गैस का सिलेण्डर नहीं मिल सकता, सब्सिडी आपको मिलेगी इसकी गारंटी भी नहीं है कि छह महीने बाद सब्सिडी मिलेगी, एक साल बाद सब्सिडी मिलेगी, कब बैंक में आएगी, किसको शिकायत करें, यह भी पता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सिर्फ खाद्यान्न की वस्तुओं को सस्ता करने से काम नहीं चलेगा, हमें शिक्षा को भी सस्ता करना पड़ेगा, हमें दूसरी चीजों को भी सस्ता करना पड़ेगा, हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे और यह

(श्रीमती अनिता भदेल)

तभी सम्भव है जब हम सारे लीकेज को बंद कर दें। जितने रेवेन्यू के लीकेज हैं उन पर हम पैबंद लगा दें। हमारी रेवेन्यू हमने पिछली बार बढ़ाकर दिखायी है, इसी गवर्नमेंट को, इसी कांग्रेस को हमने दिखाया था जब पांच साल पहले अशोक गहलोतजी भीख का कटोरा मांगते हुए थक गये, लेकिन 5 साल में वापस इस राजस्थान को खड़ा किया था। हमारी जन्म और मृत्यु दर कम हो गई थी, जन्म दर पर हमने कंट्रोल किया और हमारी शिशु मृत्यु दर कम हो गई थी, लेकिन वह इंडेक्स वापस बढ़ गया और वह इंडेक्स बढ़ने का परिणाम यह रहा कि हमारा प्रदेश वापस बीमारू श्रेणी में आ गया है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है।

अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात और कहना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी यह अभिभाषण अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ाने वाला है, यह दसों दिशाओं में राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला है और हिम्मत के साथ में, स्वाभिमान के साथ राजस्थान की जनता उठ खड़ी हुई है हमारे साथ में। इसलिए उस जनता को साथ लेकर हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे प्रदेश के लोग, ऐसा नहीं है हमारे प्रदेश में गरीबी है, भुखमरी है, हमारे प्रदेश के लोग बाहर जाकर व्यापार करते हैं और वहां से धन कमाकर चाहते हैं कि मेरे गांव में हास्पिटल खुले, मेरे गांव में स्कूल खुले। इसलिए निवेदन करना चाहती हूं ''हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। हिम्मत से कीमत बनती है, आदर करे ना कोई, रद्द कागद यों सज़ा दिया।'' मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अगर हिम्मत है तो हमारा सभी आदर करेंगे, हम हिम्मत के साथ में इस राजस्थान को खड़ा करेंगे और आज यह जो इंडेक्स जो झोटवाड़ा से आने वाले विधायक महोदय ने बताया है उस इंडेक्स में पांच सालों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। अभी माननीय धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे आपने 15 लाख नौकरियां दी नहीं। यह तो अभिभाषण है, जब कोई आदमी पिक्चर देखने जाता है तो ट्रेलर के समय कहे कि मुझे पूरी पिक्चर दिखा दो। ट्रेलर के समय पिक्चर थोड़े ही दिखायी जाती है, पिक्चर के लिए पांच साल इंतजार करो और पांच साल पूरे होने के बाद जब पूरी पिक्चर पर्दे पर आ जाएगी तब आपको पता पड़ेगा हमने क्या किया है, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अभी तो मेरा फर्स्ट ही सेशन है।

श्री सभापति: मैडन स्पीच है आपका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सदन के हिसाब से बोलेंगे। उसमें जो सुनने को मिला, शुरू में जो भाषण दिया गया तो कहा गया कि सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की कोई डिबेट हो, बाद में नीतियों की तरफ बोले। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में उल्लेख किया गया है उसमें अधिकतर 60 दिवसीय कार्य योजना है, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मैंने पढ़ ली है उसमें अधिकतर कार्य योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की ही योजनाओं को विस्तारित किया गया है। जैसा कि इस अभिभाषण में उल्लेख किया गया है पिछली सरकार ने राजस्थान को बीमारी की हालत में छोड़ा है, बीमार कर दिया है। मैं यही पूछना चाहूंगी कि जब इसमें उल्लेख किया गया है तो उन्हीं योजनाओं को आप फिर से क्यों बीमार करना चाह रहे हैं। यदि गलत है तो आप भी उन्हीं योजनाओं को लागू कर रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं और 60 दिवस की जो कार्य योजना है उसमें कौन से कार्य हैं जो अभी तक इन दिनों के अन्दर पूर्ण रूप से हो गये हैं जैसा उसमें दिया गया है 25 जनवरी से हम पशुओं के लिए भी कैम्प लगाएंगे और उसमें पशुओं की हजारों की संख्या दी गयी है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि एक दिन में ही कैसे 10 लाख पशुओं का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो +++ योजनाओं का उल्लेख किया गया है, 60 दिनों में तो, आज तक 60 दिन में ऐसा काम नहीं दिख रहा जो...(व्यवधान)

श्री सभापति: +++ शब्द को निकाल दीजिए। इसकी जगह असत्य शब्द का प्रयोग करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सारी, मुझे यह लग रहा है कि ज्यादातर इसमें जो भी लिखा गया है 60 दिन के लिए तो अभी तो मुझे दिख नहीं रहा कि 30-40 दिन के अन्दर कोई ऐसा काम हुआ हो। आज सुराज की बात करते हैं और सबसे बड़ी किसानों की बात करते हैं तो मैं बिजली के लिए कहना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन और बोलने वाले माननीय सदस्य के बीच में नहीं आते। (व्यवधान) अब तो आ गये, दुबारा क्यों गलती क्यों कर रहे हो?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिजली के लिए जो घोषणा की गयी है 6 और 7 घण्टे दी जाएगी, 6 घण्टे दिन में दी जाएगी और 7 घण्टे रात्रि में साप्ताहिक किसानों को बिजली दी जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में ही

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं यह पेपर में भी आया है कि 15 दिन से ग्रामीण जनता थ्री फेस और सिंगल फेस लाइट से वंचित वह रही है जबकि रात को जीरो पाइंट तापमान होने के बाद भी पूरे चुनाव

(15.16 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

के बाद में और सरकार बनने के बाद भी पूरी बिजली रात में दी जा रही है, दिन का हफ़्ता ही नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम जो घोषणा की है उस पर अमल किया जाय कि दिन में किसानों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिजली दी जानी चाहिए। अगर आप पिछला रिकार्ड उठा कर देखें तो एक वीक में दिन में बिजली दी जा रही थी और दूसरे वीक में रात को बिजली दी जा रही थी। इन चीजों से आप सबको अवगत करा रही हूं। आप देखना चाहें तो पेपर के माध्यम से मैं आपके नोटिस में डाल सकती हूं कि कितना अमल हुआ है। पिछले महीने ही जितने भी बिजली के ट्रांसफार्मर्स फुंके हुए हैं वे नहीं दिये जा रहे हैं किसानों को और किसानों में बहुत अधिक मारामारी इस चीज की मच रही है। इसमें उल्लेख किया गया है जो ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना है यह भी हमारी पार्टी की है, पिछली सरकार की योजना है जिसमें कि लागू कर रहे हैं, आगे विस्तारित किया जा रहा है और अभी वर्तमान में जैसा मैं उम्मीद यह करना चाहूंगी कि जैसा पशुओं के लिए या इंसानों के लिए, जैसा अभी माननीय सदस्या बात कर रही थीं कि गायों के लिए तो हमारी सरकार ने सारे ही पशुओं के लिए दवा फ्री की थी जिससे कि सभी पशुओं को ट्रीटमेंट मिल सके, चाहे गौशाला में हो उनको भी ट्रीटमेंट मिल सके। जो गरीबों के लिए फ्री दवा योजना थी मैंने खुद देखा है, एसएमएस हास्पिटल में, मैं किसी मरीज से मिलने गयी थी और वहां पर एक मरीज आया जिसके पास पर्ची के भी पैसे नहीं थे, वह आया, हार्ट का इंजेक्शन जिसकी कीमत शायद 15-20 हजार रुपये होती है और वो इंजेक्शन आते ही दिया गया। ऐसा पिछली सरकार में नहीं होता तो उसको ट्रीटमेंट शायद सम्भव नहीं होता। आपकी सरकार बनने के बाद जो नई घटनाएं होने जा रही हैं, साम्प्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं, चाहे प्रतापगढ में हो, चाहे नागौर में किसान कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं अपने कनेक्शन को नियमित करने के लिए तो यह भी मैं मानती हूं किसानों के हित में है क्या? यह दंगे भड़काने का काम हो रहा है। सीकर में अभी हाल ही में दो दिन पहले जो काम किया

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

गया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी महिला होने के नाते मैं उनको कहना चाहूंगी नोटिस दिये बिना और नोटिस दिया भी तो उन तक नहीं पहुंच पाया, वहां पर कच्ची बस्तियों को उजाड़ दिया गया। आज बालिका दिवस भी है और कल एक बालिका की भी मौत हो गई थी, यह कौनसा कलेजा है, क्या यह ममता का कलेजा नहीं है कि उनको रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी और अगर वो अतिक्रमण है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सदन को भी कि कितना ही अतिक्रमण हो, कितना ही हाईफाई कालोनी में हो रहे हैं तो वहां से यह कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया, यह कार्य कच्ची बस्तियों से ही शुरू क्यों किया गया, उनके घर क्यों उजाड़े गये जिनके पास आशियाना नहीं है, वे कहां जाएंगे जीरो डिग्री तापमान में, बारिश हो रही है, अपने बच्चों को लेकर? उनको घर से बेघर कर दिया गया है।

यह कौन सी सरकार है, कौन सी ममतामयी सरकार है तो मैं यह इतना पूछना चाहूंगी कि महिलाओं पर जो अत्याचार की बात करते हैं तो यह अभी भी इन्हीं दिनों का अगर नापा जाये तो बढ़ रहा है। अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। खनिज नीति में बदलाव लाने की जो इसके अन्दर बात कही गई है, उस पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं।

जैसे अभी मुझे भी कहा जा रहा था राजनैतिक तरीके से कि भई, आपकी पार्टी में महिला तो एक ही जीतकर आई है। मैं माननीय सदस्य महोदय को एक बात अवगत कराना चाहूंगी कि एक हो या अनेक हों, लेकिन इस भूमि पर, इस धरती और धरा पर जो श्रेष्ठ हैं, वह एक-एक ही हैं वह चाहे धरती हो, आसमान हो, चंदा हो या सूरज हो।

जिस तरह से अपने आपकी भावना को कर रहे थे कि उसमें वो जीजा ने किया, फलांने ने किया, क्या किया तो मैं यह कहना चाहूंगी और खुद की तुलना ये सरदार भगत सिंह से कर रहे थे। सरदार भगत सिंह से तुलना करने से पहले इतना तो दिल में सोच लेते कि यह तो नहीं है कि पहली बार ही, आज ही आपकी सरकार बनी है। इससे पहले भी सरकारें बनती आई हैं तो क्यों आप उस टाइम पर सरदार भगत सिंह नहीं बने? क्यों नहीं आप बने सरदार पटेल? जो आज उदाहरण इस तरह का दे रहे हैं। सरदार भगत सिंह, इसका अर्थ भी तो समझें कि वह कौन थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान हंसते-हंसते दिया था, वह सरदार भगत सिंह थे। ऐसा नहीं था। पिछली बार सरकार रही तो कौन सी गलत नीति बनाई, जिसके कारण से आपको इधर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बैठना पड़ा था। यह तो प्रक्रिया है कि आज आप उधर हैं तो कल हम उधर आयेंगे, आप इधर आओगे। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों गये थे आप पिछली बार? पिछली बार भी तो आप उधर चले गये थे।

वन विभाग के लिए कहा गया है कि सीमांकन और यह सारी चीजें इसमें दी गई हैं। मैं पूछना चाह रही हूं कि अभी कौन से वन विभाग के उसमें परिवर्तन किया गया है, ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है।

मैं ज्यादा नहीं कहूंगी लेकिन आपसे इतना ही है कि अगर आप पिछला रिकार्ड उठा कर देखें कि जो सरकारी अस्पताल हैं, उनके आउटडोर के रजिस्टर उठा कर देखें, रिकार्ड उठा कर देखें क्योंकि आप सरकार में हैं तो यह रिकार्ड बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा और बालिका मृत्यु दर का रिकार्ड भी उठा कर देखें तो वह भी इतना नहीं था, जितना कि पिछली सरकार में था, वह भी अब सही है और महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यहां पर जो मुझे सीखने को मिला, उसके लिए मैं तो अपनी तरफ से यह भावना करना चाहती हूं लेकिन इतना जरूर है कि जो गरीबों की सरकार थी पिछली सरकार, उसमें गरीब के लिए दर्द था।

जैसा कर्जे-कर्जे की बात कही जा रही थी। कर्जा इसलिए हुआ कि गरीब किसान का बिल नहीं भराया गया था पांच वर्षों तक, इसलिए कर्जा हुआ। गरीबों के लिए दवाइयां फ्री की गईं, इसलिए कर्जा हुआ और जिस तरह से जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए अगर कोई कर्जा किया जाये तो वह नहीं माना जायेगा, वह जनता के हित में था, लेकिन आप लोगों ने जो किया, उसके लिए मैं पूछना चाहती हूं कि वह किस माध्यम से हुआ। हमारी जो पिछली सरकार थी, उसकी नीति है, वे सारी नीतियां आपके इस माननीय राज्यपाल महोदया के संभाषण में मौजूद हैं और उन्हीं का विस्तार और विस्तारण आप करने जा रहे हैं। आपकी कोई नई नीति एक भी ऐसी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि आपने पर्सनली बनाकर इसमें सम्मिलित की गई हो।

पिछली सरकार तो वह सरकार थी, जिस तरह से एक बाग़ में रंग-बिरंगे फूल होते हैं तो उनसे बाग़ सुशोभित होता है तो कांग्रेस पार्टी तो वह सरकार थी जिसने हर वर्ग और हर जाति का ध्यान रखा, वह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सम्माननीय सभापति महोदय,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अमूमन राज्यपाल का अभिभाषण बजट सत्र के साथ आता है और राज्यपाल का अभिभाषण आगामी कार्यक्रमों से ज्यादा बीते हुए काल की समीक्षा होती है और जब बजट का प्रतिवेदन, बजट का अभिभाषण आता है तो भविष्य की योजनाओं का विस्तृत स्वरूप लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह सदन जनता की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का और आशाओं का केन्द्र है। इस सदन के बाहर राजनीतिक दल हैं। इस सदन के अन्दर आने के बाद यहां के सदस्य राजस्थान के जन प्रतिनिधि के परिभाषित उस संस्कार को चरितार्थ करने का दायित्व निभाते हैं जिसको प्रजातंत्र लोक कल्याणकारी सरकार के नाम से प्रचलित कर अलंकृत करता है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वाद-विवाद इस बात का नहीं है कि किस दल की संख्या ज्यादा है और किसकी सरकार है। वाद-विवाद इसका भी नहीं है कि आज विपक्ष में कौन बैठा है और सत्ता किसकी है। वाद-विवाद इसका है कि नियम के माध्यम से नीति अगर सही होती तो नैतिक दायित्व निभाने का, चरितार्थ करने का अगर दायित्व उसका बनता है तो सदन में आकर वह यह भी कहे कि मैंने करने की तो कोशिश की थी, लेकिन कहीं मेरी नीतियों में त्रुटि रही होगी, इसलिए मैं जो कल पक्ष का था, आज विपक्ष का हो गया है और किन्हीं के संस्कारों के अन्दर शायद जनता ने कोई आशा की किरण देखी होगी कि जो कल विपक्ष था, आज सत्ता पक्ष बन गया है। मैं इसी चीज को अपेक्षा के अनुरूप अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस राजस्थान प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि वित्त मंत्री के नाते तो नहीं, लेकिन सभापतिजी के नाते आपके समक्ष कुछ बात कहने का मुझे मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा किसी कनिष्ठ सदस्य का सौभाग्य नहीं हो सकता कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति जिन्होंने सदन की गरिमा और सदन के उतार-चढ़ाव देखे हों, आज सभापतिजी की कुर्सी पर हैं, आसन पर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 10 साल में जो परिस्थितियों में परिवर्तन आर्थिक पटल पर रहा, मैं उसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं तीनों सरकारों का विवरण आपके सामने रखूंगा क्योंकि विस्तृत विवरण तो झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रख दिये हैं। मैं आपको तीन सरकारों का विवरण रखूंगा। एक सरकार जो 2002-2003 तक रही, 2003 से 2008-2009 तक की सरकार और 2008-2009 से लेकर 2013-2014 तक की जो सरकार है। आदरणीय सभापति महोदय, रेवेन्यू रिसीट्स की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं बात करूं। राजस्व आय की हम बात कर रहे हैं। 2003 में 13,081.86 था, हम जब आये, हमने इसको किया 33,468, वृद्धि आई 155.84 प्रतिशत। मैं आपका आज का ही बी.ई. ले रहा हूं। आपकी 2013-2014 की बी.ई. कहती है 77,220.60, आपके पूरे पांच साल की वृद्धि होगी। हमने की थी 155.84 प्रतिशत। अगर आपकी बी.ई., जिस बी.ई. में तीन महीने हमारे भी रहेंगे, इन तीन महीनों का हमारा भी कार्यकाल आएगा। अगर बी.ई. होगी, आपका भी आंकड़ा अगर देख लें तो 130.72 प्रतिशत। सर, आप तो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, आपके तो जीएसडीपी के अन्दर 2005 का बैंचमार्क भी लग गया था, 2010 में बैंचमार्क लग गया था तो हमने 1999-2000 के बैंचमार्क से जीएसडीपी की गणना की, आपने 2005 के बैंचमार्क से जीएसडीपी की गणना की, उसके उपरान्त भी 1999-2000 के जीएसडीपी के बैंचमार्क की गणना से भी हमारी रेवेन्यू रिसीट्स 155.62 है और आपकी 130 है। इसको आप अब कुछ भी कह लीजिये, यह तो आंकड़ा है। अब इसकी और तुलना करते हैं। कैपिटल, पूंजीगत खाते का आप देख लें। पूंजीगत खाते में पैसा आना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन पैसे का उपयोग आपने किसलिए किया, वह बहुत बड़ी बात है। जब हमारे पास पैसा आ रहा था तो हमने कैपिटल रिसीट्स... कैपिटल रिसीट्स आपको मालूम है, सिर्फ लोन्स के माध्यम से आ रही है। आपका कोई पब्लिक अण्डरटेकिंग ऐसा नहीं है कि जो आपको कैपिटल रिसीट दे रहा हो बाई वे आफ डिवीडेंड और वह बाई वे आफ डिविडेंड डेट देता भी है तो उसको पार्क किया जाता है आपके कंसोलिडेटेड फंड में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कैपिटल रिसीट्स जिसमें मैं रेवेन्यू रिसीट्स को, कैपिटल अकाउंट, पब्लिक डेट्स, अदर रिसीट्स का सारा संकलन करूंगा तो 2002-03 में यह 18638.64 । हमारे समय 10,209 । हमने कर्ज कम लिया है आदरणीय, 10,209, माइनस 45.23 परसेंट और आपका? अगर बी.ई. तक का देख लें, 17,987.87 आपका आयेगा, हम तो माइनस 45 परसेंट पर थे, आपने माइनस 45 परसेंट भी कवर किया और आप चले 76.19 परसेंट पर। अब टोटल रिसीट्स भी देख लेते हैं कि हो सकता है कि टोटल रिसीट्स में, आपको भी मालूम है वन प्लस फाइव सारे हेड्स आ जायेंगे इसमें। इस टोटल रिसीट्स में 2003- 31720.49, 2008-09- 43,677 और 2013-14- 95208, अगर मैं आपका वह 2010-11 का पन्द्रह परसेंट वाला ग्रोथ भी इसमें डाल दूं ना जो एक समय आपका विकास दर पन्द्रह परसेंट पर आपने दिखलाई थी, अगर यह सारा भी कर दूं उसके बाद भी हमारा कर्ज और आपके लिए हुए कर्ज में फर्क

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पड़ेगा। जहां हमारा 37.70 परसेंट पर रह गया, आपका 117.78 परसेंट पर आ जायेगा। अब आपकी सरकार, हमारे समय तो सरकार केन्द्र में हमारी नहीं थी आदरणीय, आपकी ही थी, आपकी निवर्तमान सरकार 2013-14 तक, केन्द्र में भी उसी दल की थी और प्रदेश में भी उसी दल की थी तो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, सीएसएस एक्सपेंडीचर, सर आपके समय, आपके समय का मैं बार-बार, मैं माफी चाहता हूं, 2003 तक 904.48, 2008-09 में 2603.03 और 2013-14 का 3271.65, हमारे समय वृद्धि हुई सर 190.78 परसेंट और दोनों एक दल की सरकार होने के बाद भी आपकी वृद्धि हुई सिर्फ 24.40 परसेंट। कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली सरकारें आईं थीं इस समय। मुझे नहीं मालूम आखिर इसका, अब टोटल अगर मैं आपको बोरोइंग्स का दे दूं, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे कि बजट के टाइम में क्या पढ़ोगे, इसमें बहुत सी चीजें तो मैं अभी बजट वाले समय के लिए रोकूंगा। टोटल बोरोइंग्स में जिसमें आपका एक से लगा कर टोटल अकाउंट करके तैंतीस और चौंतीस को एक साथ कर दिया, तैंतीस में है Net receipts from public debt और चौंतीस में है net receipts from public accounts. इनका दोनों का आंकड़ा जोड़ लें तो 5907.49 was in 2002-03 and 7518.02 was in 2008-09 and for 13356.38. इन सब की समीक्षा करें तो we were at 27. 26 when it came to borrowings you were at 77.66. of that ग्रोथ रेट, विकास दर सब की बात है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर हम यह आंकड़ें ले कहां से रहे हैं, 3(बी) को देख लें आप, आप की ही बजट पुस्तिकाएं हैं और 3(बी) का मैं एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, कुछ लोग-बाग़ इस बात को शायद सुन रहे होंगे कि 3(बी) बजट पुस्तिका का वह भाग है जहां लोन एडवांस्ड फ्राम सेंट्रल गवर्नमेंट आता है और उसमें 6004 हेड है उसको अगर आप देख लेंगे तो जो मैं बात कह रहा हूं कि बहुत सी चीज उठेंगी, बजट बुक नम्बर 3(बी), 12-13-14, पेज नम्बर 29 टू 32, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या सरकार के समक्ष परेशानियां थीं कि आपके पास पैसा आपके कोष में पड़ा था, पैसा आपके पास में था और सरकार जहां बड़े-बड़े विकास के काम करवाने की बातें उस वक्त कर रहीं थीं, उस वक्त की सरकार, कोष में पैसा होने के उपरांत भी आप पैसा खर्च नहीं कर रहे थे। सेंट्रल स्कीम्स हैं आपकी, एक, दो, तीन, पूरी की पूरी अगर आपका यह चिट्ठा है तो 18 से लगा कर यह 25(3) और 25(3) का अगर टोटल लगा लिया जाय तो आपके पास में जहां 11-12 में सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स की रिसीट्स से

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपके पास पैसा आ गया था, जहां 337., मैं इन पच्चीस का अगर नाम लूंगा तो बहुत, इन पूरा पच्चीस का अगर आंकड़ा हो तो आपके पास में टोटल 337.10 करोड़ आया था और आपको मालूम है 2010-11 में आपने कितना लगाया, सिर्फ 24 करोड़। अब आप 2012-13 का ले लें, 2012-13 में आपको मिला 601.23 करोड़, आपने कितना लगाया, 29.25 करोड़। 2013-14 में ले लें, आपको मिला 1300.58 करोड़ और आपने लगाया कितना, 56 करोड़। (व्यवधान) अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जब हम यहां बोलते हैं तो हमको दलों की मर्यादा से ऊपर उठ कर कोई बात करनी चाहिए। निरन्तर कार्यपालिका के ऊपर अफसरशाही हावी होती जा रही है। आप लोगों से वह काम करवा रहे हैं जो काम पार्लियामेंट्री प्रेक्टिसेज के अलावा संसदीय प्रणाली के विरोध में है, इस सदन की मर्यादा के साथ-साथ सदन के अधिकारों पर भी कुठाराघात हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सर, तेरहवीं विधान सभा के आखिरी सत्र जो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया गया सप्लीमेंट्री ग्रांट का, सर इसकी राशि थी 3,986 करोड़, सप्लीमेंट्री ग्रांट आई है सर। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट दो वजह से आती है, या तो आपने कोई चीज फोर्स ही नहीं करी और आपके सामने आ गई और आपको उसमें व्यय, या आपके केलकुलेशन के अन्दर कोई ऐसी गलती रह गई हो, लेकिन यह सप्लीमेंट्री ग्रांट उन चीजों के लिए ली गई जिन चीजों का पैसे के स्वरूप में फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से, उस निवर्तमान मुख्य मंत्री की हैसियत से आंकड़ा तक आपने उसके बजटीय अभिभाषण में कहलवाया कि हमें इतनी राशि की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त, आपका जो मेजर हेड है कंटीजेंसी का, 500 करोड़ रहते हैं, आपको भी यह मालूम है, वहां स्थायी रूप से 500 करोड़ रुपये रहते हैं, इनको 3986 करोड़ के लगभग की आवश्यकता सितम्बर में पड़ गई क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन की बहुत बड़ी बात जो यह कर रहे थे, जो सोश्यल कमिटमेंट की बात कर रहे थे, इनको मालूम था कि 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा, उस वक्त उसके हेड में सिर्फ 50 करोड़ रुपये की ही वृद्धि की गई। पिछली बार जहां 350 करोड़ था, उसको 400 करोड़ रुपये लाया गया, फाइनेंस मंत्री के श्रीमुख से यह बात कहलवाई गई कि मुझे 1500 करोड़ की और आवश्यकता पड़ेगी, तो जब आपको आवश्यकता थी तो बजट के सत्र में उस ग्रांट के साथ इसको समावेश कर 2200 करोड़ रुपये की आपने वह ग्रांट पेश क्यों नहीं करी, यह वित्तीय अनियमितताएं हैं आदरणीय।

ये वित्तीय अनियमितताएं हैं। यह जितना बड़ा संविधान है ना, उतना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ही इन संविधान के अक्षरों के और संविधान की मर्यादाओं के बीच में से लोग बाग़ निकालने की गलियां ढूंढते हैं और सदन के अधिकारों पर बार-बार कुठाराघात होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, आप जी.एस.डी.पी. कैसे केलकुलेट करते हैं? यह सारे सदस्य कई बार विचलित हो जाते हैं कि हम आखिर जी.एस.डी.पी. कैसे केलकुलेट करते हैं? उस वर्ष की जितनी सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्शंस होता है, कोर इण्डस्ट्रीज का होता है। उन सबके असेट को यार्डस्टिक्स में मनी के रूप में डाल कर आप यह केलकुलेट करते हैं, सभापति महोदय, यही है ना तरीका। अब आप यह बताइये जैसे यार्डस्टिक्स के और सर्विसेज के और कार्य से आपने स्टेट का असेट-बिल्ड किया हो और स्टेट का असेट को बिल्ड करके आपने बगैर इस सदन की इजाजत से, क्योंकि असेट बिल्ड करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता थी। आप सदन के पास आये, बजट के रूप में आपने पेश किया, उन ग्रांट के समय, उस विभाग को वह पैसा दिया गया। उस विभाग का असेट बन गया तो आपने किसी कारपोरेशन को उस असेट को ट्रांसफर कर दिया और सदन से आज तक आपने अनुमति नहीं ली। यह जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन को जो असेट्स ट्रांसफर हुए हैं, सदन के अभिलेखों से पूछ लीजिए आज तक अनुमति ली गई है क्या? अब आप यह बताइए कि आप और हम, आप तो उस जमाने से जन-प्रतिनिधि हैं। जब आपने किसान और गरीब के नाम पर इस प्रदेश को सरकार प्रजातांत्रिक प्रणाली से देना चालू किया था। एक अभिभाषण बता दीजिए किसी भी पार्टी का, एक इलेक्शन मेनोफेस्टो बता दीजिए किसी भी पार्टी का, जिसमें किसान और गरीब का नाम न हो। चाहे वह कोई सी भी पार्टी क्यों न हो। आदरणीय, फिर किसान गरीब का स्वरूप क्यों बन गया? 65 वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास में जहां करोड़ों का कर्जदार प्रदेश बन गया। जहां 1 लाख 92 हजार के ऊपर कर्ज जाने वाला है, जहां बोरोइंग्स और गारंटीज दोनों मिला लेंगे तो 1 लाख 32 हजार तो आपका सकल कर्ज है और अगर आप गारंटीज मिला लेंगे तो आप 2 लाख 10 हजार से भी ऊपर जा रहे हैं। इसके बावजूद भी किसान गरीब का पर्याय क्यों बन गया और गरीब किसान का पर्याय क्यों बन गया? यह कम से कम यह बात तो पूछें हम आपसे? और सदन भी इस बात को जानना चाहेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो? जिस वक्त इस राजस्थान प्रदेश की 1947 में जनसंख्या थी, उतने लोग बाग़ तो अब बीपीएल हो गये हैं। अगर गरीबी की परिभाषा पावर्टी एलिविएशन के हिसाब से वर्ल्ड हैल्थ इंडेक्स के हिसाब से और यूएनओ के हूमन डवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 22

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परसेंट राजस्थान की जनसंख्या एक डालर से भी कम कमाती है। 60 करोड़ का 22 परसेंट निकालिये आंकड़ा उतना ही चला जाएगा जिस वक्त 1947 में यह प्रदेश भारत राष्ट्र का अंग बना था। जितनी हमारे प्रदेश में उस वक्त जनसंख्या थी उतने लोग बाग़ तो आज सुबह से शाम की रोटी तक के लिए परेशान हो रहे हैं। आखिर हम किस लोक कल्याणकारी नीति की बात करते हैं? क्या आंकड़ों के माध्यम से किसी का पेट भर सकता है? क्या आंकड़े बता-बता कर तालियां बजवा-बजवा कर, टेबिलें थपा-थपा कर हम उस विधान सभा से इस विधान सभा में आ गये। हमारे यहां विधान सभा के कमरे का आकार बढ़ गया लेकिन गरीब के पेट का आकार तो वो का वो है। वह आज भी दो वक्त के निवाले के लिए तरस रहा है। अगर कोई जिम्मेदार हैं तो आप और हम सब हैं। उसका आकार क्यों नहीं घटा? गरीबी का आकार क्यों नहीं घट रहा है? यह एक विषय ऐसा है जिसका किसी-न-किसी को जवाब तो देना चाहिए और सदन अगर सामूहिक रूप से मिलकर इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं बढ़ाता तो वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता।

मैं दो चीज आपके समक्ष रखना चाहता हूं आदरणीय। 2010-11 के अन्दर राजस्थान की सरकार ने सारे विभागों को आईटी इनेबल्ड करने के लिए अपने विभाग के ग्रांट का 3 परसेंट आईटी पर खर्च करने के लिए निवेदन किया। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं कि किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। दो योजनाएं आईं, एक योजना तो आई कि आईटी इनेबल्ड करिये इन डिपार्टमेंट्स को जिससे इनके आपस के अन्दर एफिशिएंसी आये। एक से दूसरे को इन्फोर्मेशन पहुंचे एण्ड टाप टू डाउन टू द फील्ड वर्कर हम आईटी इनेबल्ड हो जाएंगे तो हमको जानकारी मिल जाएगी। इसी के अन्दर कामर्शियल टैक्सेज वालों ने रि-स्ट्रक्चरिंग की अपनी आईटी फैसेलिटीज की। मैं बड़े दुख से यह बात कह रहा हूं कि 2006 आज की मुख्यमंत्री की उस वक्त की निवर्तमान सरकार के समय कामर्शियल टैक्सेज को हम आईटी इनेबल्ड कर गये और आईटी इनेबल्ड करके हमारा एमओयू से जो दस्तखत हुआ था। 2007 में उन्होंने यह लिखित रूप में यह दिया था कि हमने जिस प्रकार का हार्डवेयर और सोफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है यह पन्द्रह साल तक निरन्तर चल सकता है। इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे कितना भी ज्यादा आपके पास में वर्क प्रेशर आये, चाहे कितनी ही आपकी टेक्नोलोजी के अन्दर चेंजेज आये, कितना ही सोफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़े। यह हार्डवेयर और सोफ्टवेयर इसको इनकोरपोरेट कर लेगा और आपके लोकल फैक्टर को भी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कर लेगा। फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि 2006-07 के एमओयू को दस्तखत करके जहां 60 से 80 करोड़ रुपये की लागत से हमने उसको आईटी इनेबल्ड किया था। उसको हमने 2011-12 में लाकर उसको स्क्रेब करने की कोशिश की और स्क्रेब करना चालू कर दिया। जो कंसल्टेंट आपको यह कह रहा है और यह बात मैंने सबसे पूछी है। मैं उल्लेख नहीं करना चाहता जहां यह पूछी। मैंने पूछी कभी आपका सर्वर डाउन हुआ? नहीं। कभी आपका सर्वर स्लो हुआ? नहीं। जब आपका लास्ट मूवमेंट आता रिटर्न फाइल करने का, हो सकता है उस वक्त शायद थोड़ी देर के लिए सर्वर स्लो हो। जब सर्वर डाउन नहीं हुआ, सर्वर स्लो नहीं हुआ तो आपने उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की क्यों आवश्यकता महसूस की और 60 करोड़ या 80 करोड़ की उस योजना से आज आप 1 हजार करोड़ रुपया व्यय करना चाह रहे हैं? यह गरीब जनता के पेट पर लात नहीं है तो क्या है? और क्या कारण बता रहे हैं आप उसका? कारण बता रहे हैं ये कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का एक जो सर्कुलर है वह 12 नवम्बर, 2010 का सर्कुलर इश्यू हुआ है नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के माध्यम से and whereas under the national e-governance plan, Govt. of India is promoting the use of open standard. ओपन स्टेण्डर्ड का मतलब जो ओपन अवेलेबल है। Windows is a proprietors standard. Map again is a proprietors standard. Android is again a proprietors standard. ओपन में क्या है? रेड हैड है, लाइनेक्स है और कुछ होगा। क्योंकि हमको ओपन सोर्स में जाना है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की पोलिसी पर हमने अपने सोफ्टवेयर को बदलना चालू कर दिया। ठीक है, आपने पोलिसी को एडोप्ट किया। फिर हमने यह कहा कि बच्चों को आईटी इनेबल्ड करने के लिए हमको लैपटाप बांटने हैं टैबलेट्स बांटनी हैं तो मैं आपको यह बताता हूं कि वह आपकी पोलिसी कौनसी थी? मैं आदरणीय दोनों का कंपेरिजन कर रहा हूं कामर्शियल टैक्सेज में हजार करोड़ का ज्यादा व्यय इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको ओपन सोर्स में जाना है। तो, सर, ये Guidelines for implementation restructure organisation of Central Sponsored Schemes for Teacher. टीचर एजुकेशन का है। यह इनकी गाइडलाइन है जून, 2012 की। ये जून, 2012 में कहते हैं, इसमें आपका सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे 9.8 और 9.9 Use of public software in Teachers education इसमें इन्होंने भी इसी ओपन सोर्स की बात की है। लेकिन जितने आपने लैपटाप बांटे हैं ना, विण्डोज के बांटे हैं It's a proprietors software. एक तरफ तो आप लोग पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करना है आपको। क्यों कर रहे हैं इस बात को मैं यहां नहीं कहना चाहता वह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तो सिर्फ मैं सदन के विवेक पर छोड़ता हूं कि क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? एक तरफ आप प्रोपराइटर्स सोफ्टवेयर से जनरल ओपन सोफ्टवेयर पर जा रहे हैं, दूसरा गाइड लाइन का उल्लंघन करके बच्चों को सोफ्टवेयर दे रहे हैं, प्रोपराइटर का दे रहे हैं तो टीचर कम्पेटिबिलिटी कैसे आएगी? 10 बच्चे थोड़ी ही सोफ्टवेयर को चलाएंगे? जब तक पूरी क्लास और टीचर एक दूसरे के साथ कम्पेटेबल नहीं होंगे। इसका मतलब आप या तो टीचर से गलत काम करवा रहे हैं तो दोनों की भावना में कण्ट्रोडिक्शन नहीं है? दोनों की पोलिसी में कंट्राडिक्शन नहीं है? इतना बड़ा फाइनेंसियल घोटाला और फिर हम यह कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। फिर हम यह कहते हैं कि हम लोक कल्याणकारी सरकार हैं। क्या जनता का पैसा इस प्रकार से दुरुपयोग करने के लिए है कि टेक्नोलोजी के नाम पर, साइंस एडवांसमेंट के नाम पर, सोफ्टवेयर के नाम पर, बच्चों को लैपटाप के नाम पर आपने किसकी उदरपूर्ति का संसाधन बनाया इस व्यवस्था को, यह मैं सदन के विवेक पर छोड़ता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि 108 सेवायें जिस वक्त, आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री के पास में ये चिकित्सा विभाग आज है, उस वक्त के चिकित्सा मंत्री के पास में यह विभाग था जब हमने यह चालू की। हमारी सरकार को जाते ही जिस वक्त सत्यम वाली प्रोब्लम क्रियेट हुई तो उस 108 वाली कम्पनी को आपने हटा दिया और आपने एक नयी कम्पनी को जिसका नाम जेएचएल है, उसको आपने दे दिया। सर, मैं केन्द्रीय मंत्री की चिट्ठी का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। केन्द्रीय मंत्री की चिट्ठी है 14 जनवरी, 2013 की। केन्द्रीय मिनिस्टर आफ हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर ने एक चिट्ठी लिखी कि आखिर ये जेएचएल कर क्या रही है। आदरणीय, हमने अनुबंध किया था फिक्स रेट पर कि आपको इतना रुपया प्रति व्हिकल मिलेगा। इस कंडीशन पर टेंडर्स फ्लोट हुए थे। छह महीने बाद विशेष प्रभाव के लोगों की वजह से आपने ओपन टेंडर्स की कंडीशंस को चेंज किया बगैर जनरल पब्लिक को बताये और जेएचएल को प्रति ट्रिप के आधार पर कांट्रेक्ट दे दिया। न तो आपने रीटेंडरिंग की, न रीटेंडरिंग करके आपने पब्लिक के डोमेन से टेंडर काल किये। वो ही कंपनी को जो बाध्य थी एक फिक्स फ्लेट रेट पर एंबुलेंस को चलाने के लिए उनको प्रति ट्रिप करके आपने तीन सौ से चार सौ परसेंट तक ज्यादा एनआरएचएम का पैसा खर्च करने की व्यवस्था की और उसी की वजह से जब आपके केन्द्रीय मंत्री ने यह बात लिखी तो केन्द्रीय मंत्री का आपके यहां लिखित यह आया कि एनआरएचएम के अन्दर तीन सबसे बड़ी खामियां इस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कम्पनी की मिलीं। एक तो झूठे वाउचर्स बनाती है जबकि सर, एनआरएचएम के माध्यम से साफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए था कि उसमें मेनुअल फीडिंग हो ही नहीं सके। जीपीआरएस फीडिंग होती थी। उस साफ्टवेयर को इस प्रकार का साफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जिसको मेनुअली आपरेट किया जा सके। ट्रिप्स कैसे बढ़े, ट्रिप्स बढ़े, मेनुअल फीडिंग की। यह पूरा का पूरा अगर आप चाहें तो मैं तो ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, यह बात सही है कि जिगित्सा कम्पनी को जिस आधार पर निविदाएं पूर्व में आमंत्रित की गई थीं उसके बाद उनमें कुछ परिवर्तन भी हुआ। यह बात भी सही है कि इस बारे में केन्द्रीय मंत्री का भी पत्र प्राप्त हुआ था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक उच्चस्तरीय कमेटी बना कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा और यह व्यवस्था वापस सुचारु रूप से चले इसकी व्यवस्था करने का प्रबंध करूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप समय का फरमा दें in case if I am running out of my time.

श्री सभापति: आप स्वयं बहुत चतुर हैं ध्यान रखेंगे समय का।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। हम बहुत सी बात करते हैं अनुसूचित जाति/जनजाति की। मैं सबके दिमाग की मेमोरी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और अदर रिजर्व्ड क्लासेज को कांस्टिट्यूशन ने मेंडेट दी है किसी पार्टी ने मेंडेट नहीं दी है। कांस्टीट्यूशनल असेंबली का जो ड्राफ्ट मेनीफेस्टो आया था जिसके अन्दर किसी एक दल के व्यक्ति नहीं थे समस्त वो व्यक्ति थे जो उस वक्त राजनीति में सजग थे। उनका कांस्टिट्यूशनल मेंडेट सर्वसम्मति से आया था और रिजर्वेशन हुआ। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ और मुझे गर्व है कि जिस राजनीतिक दल का मैं सदस्य हूं वो भी उस सरकार के अन्दर एक दल के रूप में शिरकत कर रही थी। Special Component Plan for Scheduled Castes was incorporated in 1979 making it mandatory for all States and Central Government to list and assure ones for planning by way of percentage of population in different states as well as in the Government of India.

सर, एक बात आप मुझे बताइये कि योजना के अन्दर अगर उनके परसेंटेज के आधार पर हैड अलाट करने की बात हुई हो तो वो हमने की है कि अगर एक लाख करोड़ का आपका काम है और वहां सतरह परसेंट एसटी के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लोग-बाग रहते हैं तो एक लाख करोड़ के आकार में 17 हजार करोड़ रुपये का आकार सिर्फ इन लोगों के विकास के लिए अलग से किया जाएगा। यह हेड तो हमने दिया आपको, तालियां लोग-बागों से पिटवा लेते हैं और जब इस बात को पिछले 2003-04 में हमने यहां कहा तो चूंकि यह बात तीस साल से लागू नहीं हो रही थी चालीस साल से लागू नहीं हो रही थी तो उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि इस पर नियम बनाने में तो टाइम लगेगा लेकिन आप में से कई सदस्य ऐसे हैं और आप भी विराज रहे थे। बीस परसेंट एमएलए लैड को बढ़ा कर बीस परसेंट एमएलए लैड पर राइडर लगाया गया कि आप एससी और एसटी के लिए एमएलए लैड का पैसा देंगे। मैं उस सरकार का वर्तमान सदस्य होने के नाते विरासत में मिले हुए उस चरित्र को चरितार्थ करते देखना चाहता हूं और मुझे गर्व है कि जब हमने इस बात को कहा और जब इस बात को कहा तो हमारे यहां हमको मेजर हेड्स और माइनर हेड्स भी मिल गये 786 and 796 are these two Heads. जिसमें एससी और एसटी का टीएसपी प्लान पहले लागू हो चुका था। मैं उसका श्रेय नहीं ले रहा लेकिन टीएसपी प्लान के अलावा भी माइनर हेड्स देकर और सीधा पैसे को वहां ले जाना इसकी व्यवस्था पिछली बार हमने यह कह कर करवाई कि यह गाइड लाइन्स इश्यु हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे निवेदन करता हूं कि एससी का ड्राफ्ट बिल पड़ा है केन्द्र में भी पड़ा है और अपने यहां भी पड़ा है क्योंकि यह शुरूआत हमारी की हुई है पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कुछ चीज विकास के स्वरूप में सुनिश्चित करने का नियम बना कर की थी। मैं चाहता हूं कि इस एक्ट को लागू करवाने में जो कुछ भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो उसका निर्वाह करें। यह सदन आज भी, हमने दलित, पीड़ित और शोषित जैसे शब्दों का तो आविष्कार कर लिया लेकिन जहां से ये जननी है उसको जड़मूल से हमने नहीं हटाया। शब्दों से प्रेम नहीं है व्याकरण तो तब पूरा होगा जब गरीब के नाम से ही गरीबी नहीं हटेगी बल्कि गरीब के घर से भी गरीबी हट जाएगी। किसी एक दिन के निवास करने से आदरणीय, गरीबी नहीं हटती। जिन लोगों को साठ बरस लग गये गरीब के घर तक जाने में आपको और हमको तो साठ महीने में उसकी गरीबी हटानी भी है और उस गरीब की झोंपड़ी के ऊपर एक पक्का मकान बना कर उसको सुदृढ़, संवेदनशील राष्ट्र के प्रतीक में स्वाभिमानी और कल्याणकारी सरकार का वास्तविक जीताजागता उदाहरण प्रस्तुत करना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आधा घंटे से ऊपर हो गया है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं बहुत-बहुत इस बात का आसन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। Kind of you thank you Sir.

श्री सभापति: श्री केसाराम जी चौधरी। (अनुपस्थित) श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मेरे लिए सही समय सलेक्ट किया है। पूर्व के माननीय सदस्यों ने अपनी पूरी...।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आप हलचल करते रहा करें, कई बार संदेह पैदा होता है।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं इनका वहम मिटा दूं बहुत गहनता से, तमन्ना से सुनते हैं आप वहम नहीं करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आप हलचल करते रहिये क्योंकि कई जगह संशय पैदा होता है।

श्री सभापति: मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं फिर से कहिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आप एकाग्रचित्त होकर शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुन रहे थे तो हम सबको शंकाएं पैदा हो रही थीं आपका कोई मूवमेंट नहीं था।

श्री सभापति: सीखने की चेष्टा कर रहा था।

(16.00 बजे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण के समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात कही। अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने उसका समर्थन किया और अभी गहन अर्थशास्त्री के रूप में आपने जिनकी बातों को तमन्ना से सुना उसी की कड़ी में सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में अपनी कुछ आत्मा की बातें कहीं और जो वास्तविकता भी है। उन्होंने जो कहा है उसकी पांच लाइनें मैं कोट करना चाहूंगा 'राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी निष्ठा एवं आस्था की समृद्ध परम्परा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय-समय पर ऐतिहासिक

(श्री जोगाराम पटेल)

निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। यह उनकी पहली परिकल्पना है कि अब की बार राजस्थान में जनता ने अपनी परिपक्वता बताई है और लोकतंत्र में आस्था बताते हुए एक दल को समर्थन दिया है। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से सुराज के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार को एक बार और विश्वास के साथ शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा लिये गये इस विवेकपूर्ण निर्णय की प्रशंसा करती हूं तथा धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।'' महोदय, महामहिम ने यह भी कहा है कि सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन राजस्थान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जायेगा। राजस्थान खुशहाल और समृद्धशाली बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, रोजगार एवं भयमुक्त वातावरण मिलेगा। हम इसी परिकल्पना के साथ इस अभिभाषण का समर्थन करने के लिये खड़े हुए हैं। महोदय, हम यह परिकल्पना करते हैं, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हम राजस्थान को भय, भ्रष्टाचार और भूख से मुक्त राजस्थान बनाना चाहते हैं, एक विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं।

आपके सामने अभिभाषण के जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं, उनके अलावा एक अहम मुद्दा काश्तकारों का भी है। क्योंकि राजस्थान अधिक काश्तकारों वाला प्रदेश है चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से लें या सांख्यिकी की दृष्टि से लें या संख्या की दृष्टि से लें। राजस्थान की करीब 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और वानिकी आदि आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। ऐसी स्थिति में इस वर्ग के भविष्य की ओर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना जरूरी है। कृषि जोतों का औसतन आकार 3.38 हैक्टेयर जो राष्ट्रीय औसत का 1.33 हैक्टेयर से अधिक है। ऐसी स्थिति में कृषि जोत का महत्व भी राजस्थान के लिये विशेष रूप से है। कृषि हेतु उपलब्ध भूमि 175 लाख हैक्टेयर है जो कुल क्षेत्र का 51 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में काश्तकारों से सम्बन्धित जो विशेष बातें इस अभिभाषण में कही गई हैं उसके लिये भी मैं महामहिम महोदय को धन्यवाद दूंगा। राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक किसान लघु व सीमांत काश्तकार हैं जिनके पास राज्य की 14 प्रतिशत भूमि है। बड़े काश्तकारों के पास राज्य की 14 प्रतिशत भूमि जो कुल भूमि का 37 प्रतिशत है और कुल भूमि का 35 से 38 प्रतिशत ही सिंचित है, 26 से 65 प्रतिशत भूमि असिंचित है। ऐसी स्थिति में हमारा यह फर्ज बन जाता है कि हम काश्तकारों के हितों की बात करें। राजस्थान में सिर्फ एक प्रतिशत सतही जल है और पूरा का पूरा शेष भाग सतही जल से वंचित

(श्री जोगाराम पटेल)

है। इन्हीं कार्यों के आधार पर कृषि से सम्बन्धित विशेष तरह से योजनाएं आने वाले पांच वर्षों के लिये इस अभिभाषण के माध्यम से परिलक्षित हो रही हैं, उसका उल्लेख किया गया है। कृषि कार्यों में सुगमता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि के लिये काश्तकारों को दस हजार कृषि यंत्रों का पौध संरक्षण, इसके अलावा, जो प्याज उत्पादक कृषक हैं, प्याज की वजह से कई बार सरकार भी गवानी पडी थी, प्याज उत्पादक कृषकों को भंडार गृह निर्माण के लिये 20 हजार रुपये प्रति गृह अतिरिक्त अनुदान और एक करोड़ चालीस लाख का जो व्यय इस पर होने वाला है उसकी जो व्यवस्था की गई है, प्रगतिशील कृषकों को उन्नत खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिये प्रशिक्षण देने के लिये जो योजना बनाई गई है और मण्डी में कृषकों को पूरी उपज का लाभ मिले उसके लिये यह बताया है 4 लाख टन यूरिया की जो सुनिश्चित व्यवस्था की गई है, यह सारे कार्य कृषकों के हितार्थ कार्य है। (व्यवधान) क्या हुआ महोदय?

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय आपके बीच में आ रहे थे उनको मैं जरा रोक रहा था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह बड़े वरिष्ठ हैं, सब जानकार हैं। भूमि के पोषक तत्व में वृद्धि हो जिसमें 25 हजार मैट्रिक टन जिप्सम, ऐसी जो व्यवस्था की गई है वह भी काश्तकार के हितार्थ है। कृषि विपणन से सम्बन्धित मंडियों में आधुनिक आयल टेस्टिंग लैब, किसानों को कलेवा योजना, पुष्प मंडी चार लाख चारा मिनिकट वितरण, तीस हजार कृषकों को मोबाइल वगैरह, यह सारी योजनाएं काश्तकारों के हितार्थ हैं। आने वाला भविष्य किसानों का सुरक्षित हो, उन्नत खेती हो, अधिक उपज हो, पूरा लाभ मिले यह सभी है।

इस सम्बन्ध में, मैं दो तीन सुझाव भी देना चाहूंगा। अधिकतर माननीय सदस्य ग्रामीण परिप्रेक्ष्य या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, काश्तकारों से काम पड़ता है। एक पुरानी परम्परा है 1956 में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट बना था और उसकी धारा 135 में म्यूटेशन नाम की एक प्रक्रिया शुरू की गई थी और यह म्यूटेशन होते होते पिछले 50 सालों में काश्तकारों के लिये अब एक दुविधा बन गया है। चाहे म्यूटेशन सेल पर हो, म्यूटेशन गिफ्ट पर हो या म्यूटेशन विल पर हो या म्यूटेशन सक्सेशन पर हो, किसी न किसी रूप में म्यूटेशन होता है लेकिन आज की तारीख में सबसे अधिक अगर किसी काश्तकार का शोषण होता है तो वह म्यूटेशन के नाम पर होता है। म्यूटेशन भरना है तो काश्तकार को कितनी बार जाना पड़ता है, कितनी बार उसको पैसा

(श्री जोगाराम पटेल)

देना पड़ जाता है। म्यूटेशन को रुकवाना है तो काश्तकार के पास जाना पड़ता है। आज के जमान में चाहे सेल हो, चाहे गिफ्ट हो, चाहे विल हो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वह आनलाइन हैं और जब आनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उसमें काश्तकार को पटवारी या तहसीलदार के यहां जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। ज्यों ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आनलाइन उस पटवारी या तहसीलदार की ड्यूटी हो जाती है कि वह उसकी एंट्री सम्बन्धित एतराज जमाबंदी या खतौनी में करे। इसलिए म्यूटेशन प्रणाली को अगर समाप्त कर दिया जाये और सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी कर दी जाये कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई सेल हुआ है, कोई गिफ्ट हुआ है, कोई विल रजिस्टर्ड हुआ है तो तुरन्त ही उसकी पालना आनलाइन के आधार पर आप करें तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो जायेगा और काश्तकार लुटने से बच जायेगा।

सर, दूसरा मेरा निवेदन है कि यह राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 में बना था और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में बना था। उस जमाने और परिस्थिति के अनुसार बना था और अब जमाना और परिस्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में, अगर सम्भव हो तो यह भी किया जा सकता है कि राजस्थान में अगर कोई कृषि भूमि बिकती है तो गुजरात की तरह उसे सदभाविक काश्तकार ही खरीद सकता है, दूसरे जो कामर्शियल परपज के लिये कृषि भूमि को खरीद कर समाप्त कर रहे हैं, वह नहीं खरीदें ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है। गुजरात की तरह अनेक प्रदेशों में यह व्यवस्था है कि एग्रीकल्चर लैंड को बोनाफाइड काश्तकार ही खरीद सकता है खेती के परपज के लिये और अगर किसी अदर परपज के लिये खरीदनी है तो उसकी विशेष परमिशन की प्रक्रिया है। मेरा निवेदन है कि यह जो दोनों एक्ट हैं इन दोनों एक्ट में अमेंडमेंट किया जाये या नया एक्ट लाया जाये और ऐसी व्यवस्था की जाये कि काश्तकारों के पास वह कृषि भूमि सेफ रहे और खेती योग्य भूमि खेती योग्य ही रहे।

इसके अलावा, इस सम्बन्ध में एक सुझाव मेरा और है, महोदय, जो व्यक्ति कृषि भूमि को अदर दैन कृषि परपज के लिये खरीदता है चाहे वह कालोनी काट रहा है, चाहे वह होटल बना रहा है, चाहे वह रिसार्ट बना रहा है वह कामर्शियल परपज के लिये खरीद रहा है तो उसकी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस अलग होनी चाहिये और अगर कोई काश्तकार खेती के लिये

(श्री जोगाराम पटेल)

जमीन खरीदता है या कोई पिता अपने बेटे को जमीन देता है तो उसकी स्टांप ड्यूटी अलग होनी चाहिये। कामर्शियल ट्रांजेक्शन और बोनाफाइड ट्रांजेक्शन के बीच में भेद कर के स्टांप ड्यूटी का भी भेद होना चाहिये ताकि इसके ट्रांजेक्शन पर रेवन्यु भी हो और कम ट्रांजेक्शन हो।

साथ ही साथ, काश्तकारों की सहायता से सम्बन्धित अलग से कोई एक महकमा का विषय हो जो उनको सब तकनीकी जानकारियां देवे। सहायता की जानकारियां देवे, योजना की जानकारियां देवे और काश्तकारों को अधिक से अधिक फायदा मिले। मेरा निवेदन है महोदय कि जब तक काश्तकार सक्षम नहीं होगा, राजस्थान और हिन्दुस्तान का काश्तकार सक्षम नहीं होगा उस प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सकता, इसलिए मेरा पहला निवेदन था कि काश्तकार को सक्षम किया जाए। उसकी उपज का उसे पूरा लाभदायक मूल्य मिले, आज की तारीख में उसका लाभदायक मूल्य मिल रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मूल्य उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हम यह व्यवस्था करें कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है प्लस उसका जो बेनीफिट है वह जोड़ कर उसको लाभदायक मूल्य देवें। आज सुबह मूंगफली वाला विषय आया था। हम ऐसी व्यवस्था करें चाहे कोई भी जींस हो काश्तकार उसको आराम से पैदा करें और समय पर जाकर मण्डी में बेचें। दूसरा, मेरा विषय है, वह लोकल सैल्फ गवर्नमेंट से सम्बन्धित है जिसकी व्यवस्था भी इस अभिभाषण में बहुत गहनता और विस्तृत रूप से की गई है, परन्तु मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहूंगा राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा शहर जोधपुर है। राजस्थान में दो प्राधिकरण हैं, जोधपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर विकास प्राधिकरण। जोधपुर विकास प्राधिकरण की क्या हालत है शायद ऐसी हालत दुनिया में किसी भी प्राधिकरण की नहीं होगी। टोटल 1400 करोड, मैं आंकड़े सहित आपसे गिना रहा हूं 1120 करोड़ विकास कार्य के नाम पर खर्च कर दिये पर देनदारी है। 131.41 लोन के पुनर्भरण के हैड में देनदारी है। 31.84 गवर्नमेंट आफ राजस्थान को देना है, उसकी देनदारी है और 36 करोड़ का संस्थापन खर्च बाकी है, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो यह करीब 1400 करोड़ रुपये है जो जेडीए जोधपुर को आइदर ठेकेदार को देना है, आइदर गवर्नमेंट को देना है, आइदर लोन के अगेन्स्ट में इन्टरेस्ट के देने हैं, यह सारा का सारा जेडीए जोधपुर को देना है। अभी 7-8 महीने पहले 316 करोड़ रुपये का...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 316 करोड़ रुपये का बजट था, उनके पास बचत थी और पिछले 7-8 महीनों में बिना किसी योजना के, बिना किसी व्यवस्थित योजना के, बिना बोर्ड के फैसलों के, अन्धाधुन्ध स्वीकृतियां जारी कर दीं। खर्च के नाम पर ठेकेदारों को लुटा दिया, खर्च के नाम पर जहां रोड बनी हुई थी वहां दुबारा रोड बता दी। जहां पहले से निर्माण कार्य हो रखा था वहां निर्माण कार्य बता दिया। एक की जगह तीन बिल्ड हो गई। वह ही काम सैंक्शन जेडीए कर रहा है, वह ही काम निगम भी कर रहा है, ऐसे करके जेडीए की दिवालियापन की हालत कर दी और उसके लिए, इतना ही नहीं, इस जेडीए जोधपुर का जब आंकलन किया गया तो 1400 करोड़ के विकास कार्य हैं वह ठप्प हो गए। आने वाले साल या डेढ़ साल तक कितनी भी इनकम कर दी जाए यह 1400 करोड़ तो पुराने लोन के अगेन्स्ट में मैंने जो हैड बताए उसके अन्दर से चुकाना पड़ेगा उसके बाद कोई नये कार्य शुरू हो सकते हैं। मेरा निवेदन कि सरकार इसकी भी व्यवस्था करे क्योंकि सारे के सारे जेडीए के कार्य इन अनावश्यक खर्चों की वजह से रूक गए। मैं विशेष रूप से एक निवेदन आपके सामने करना चाहूंगा, जेडीए के बोर्ड में जो फैसले हुए, जो स्वीकृतियां हुईं उससे कई गुणा अधिक या अतिरिक्त कार्य के नाम पर एडिशनल वर्क के नाम पर कार्य करवा दिए गए। वह भी विशेष रूप से इसका ए बी सी उत्तर जोन है जो विशेषकर सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आता है। सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 155 करोड़ के कार्य सैंक्शन हुए लेकिन एडिशनल वर्क के नाम पर 135 करोड़ और कर दिये, जिसकी कहीं से किसी तरह की कोई परमीशन नहीं ली गई। न बोर्ड से सैंक्शन ली गई, न कोई प्रस्ताव पास हुआ, मर्जी आए जहां 155 करोड़ की ओरिजनल लागत के कार्य सैंक्शन हुए थे उसमें 135 करोड़ और एडिशनल वर्क बढ़ा दिया गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो मिनट साहब।

श्री सभापति: कुल पांचवे सदस्य बोल रहे हैं, आज कुल चार सदस्य बोल पाए, पांचवे आप हैं, मैं चाहता हूं कि आज सात-आठ लोग तो बोल लें, कम से कम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह तो सब ठीक है। महोदय, यह विषय जिनसे सम्बन्धित है, जोधपुर से है, जयपुर के बाद जोधपुर का नम्बर आता है, 1400 करोड़ की देनदारियां हैं। एक ही विधान सभा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और रिजल्ट कुछ नहीं रहा, यह है घर की बात।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सर, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह 137 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए, 135 के अगेन्स्ट में 137 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए इसकी भी कोई सैंक्शन नहीं ली गई और बिना बजट प्रावधान के जो 1120 करोड़ रुपये खर्च किए गए यह बिना किसी बजट प्रावधान के पूरे के पूरे खर्च किए गए और 7-8 महीने में खर्च किए गए। इतना ही नहीं, महोदय आपके अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंटेलीजेंसी के आधार पर निवेदन करता हूं 1120 करोड़ खर्च किए जिसकी क्वालिटी कन्ट्रोल करने वाली कोई एजेंसी ही नहीं है। जो एक्सईएन वर्क करवाता है वह ही उसका क्वालिटी कन्ट्रोल है। सारा का सारा घपला, सारा का सारा खराबा, सारी की सारी फिजूलखर्ची एक ही स्थान पर जोधपुर में सिर्फ इसलिए खर्च किया गया कि वहां एक मिनी गवर्नमेंट के रूप में एक विधान सभा क्षेत्र में चलती थी और पूरा का पूरा बजट जेडीए की मार्फत वहां खर्च करने की कोशिश की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेडीए की माली हालत भी सुधरेगी, स्वायत्तशासी संस्थाएं सक्षम नहीं होंगी तो कोई भी विकास न तो उस क्षेत्र का हो सकेगा न उस परिक्षेत्र का हो सकेगा और न उस जनता का हो सकेगा। इसके अलावा...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बस एक मिनट में कर दूं, आपका आदेश है तो फिर खतम कर दूं सर। आखिर में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, देखिये सर, पहले 2007 में राजस्थान की न्यायिक राजधानी है जोधपुर, और वहां का एक ऐतिहासिक हाई कोर्ट बनाने के लिए उस तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन विकास की प्राय: वसुन्धरा जी ने उद्घाटन किया, कार्य शुरू हुआ और काफी कार्य पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद पांच साल तक जानबूझकर उस कार्य में ढिलाई दी गई और अब जब यह स्थिति बदली, परिस्थिति बदली, राजस्थान में परिक्षेत्र बदला तो वापिस वह काम लगा है, वह ऐतिहासिक बिल्डिंग बन रही है। शायद संसार में ऐसा हाई कोर्ट, मैं संसार शब्द यूज कर रहा हूं, एसी प्लान्ट की बिल्डिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन है कि वह तुरन्त पूरा हो। साथ, ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट वहां से पुराने स्थान से उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में आए तो जिसने भी सबोर्डिनेट कोर्टस है, अधीनस्थ न्यायालय है वह भी साथ आए क्योंकि जोधपुर ऐसी जगह है जहां सारे के सारे कोर्ट एक ही परिसर में हैं और यह विशेषता है वह विशेषता कायम रहेगी, इसमें पक्षकारों को भी फायदा होगा,

(श्री जोगाराम पटेल)

लायर को भी फायदा होगा, तुरन्त न्याय मिलेगा। इसलिए मैं धन्यवाद भी दूंगा और निवेदन भी करूंगा कि सारे के सारे सबोर्डिनेट कोर्ट वहां ट्रान्सफर किये जाएं। उस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और हाई कोर्ट वहां शुरू किया जाए। मैं, अन्त में, एक निवेदन माननीय आपके मार्फत और करूंगा। यह जो विकास के आंकड़े आपके सामने आए हैं, इन विकास के आंकड़ों के वास्तविक परिप्रेक्ष्य में यह भी देखना है कि जनता ने कौन से विकास किये हुए हैं।

There is a difference between vote oriented schemes and a scheme for development of Rajasthan. There must be a scheme for development of Rajasthan not only a vote oriented schemes. If you claim or if you sanction a vote oriented schemes, then you get a result as on 8th December of 2013.

मेरा निवेदन यह है कि हमारा फर्ज बनता है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि राजस्थान के विकास की बात करें। हम किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात नहीं करें। इसलिए जितनी भी स्कीमें बनें वह राजस्थान के विकास की स्कीमें बनें, किसी व्यक्ति विशेष की स्कीमें नहीं बनें। मैं पुन: इस अभिभाषण का समर्थन करते हुए, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह मलिंगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कर रहे हैं। इन्होंने तो यह सोच लिया कि 163 जीतकर आ गये तो पूरे हिन्दुस्तान पर झण्डा फहरा दिया हो। (व्यवधान) ऐसे उस कोने से स्टार्टिंग करते हुए इधर से घूमते-घूमते इधर तक आ गये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): पूरे हिन्दुस्तान में झण्डा फहराएंगे। मोदीजी बैठेंगे प्रधान मंत्री के पद पर। (व्यवधान) हिन्दुस्तान में झण्डा फहराएंगे, मोदीजी प्रधान मंत्री के पद पर बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक से एक बड़ी घोषणा करेंगे। (व्यवधान) एक से एक बड़ी-बड़ी घोषणा करेंगे। तारीफ पर तारीफ करते जाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदय, इनके साथ एक अत्याचार जरूर हुआ है। धौलपुर जिले में सारे झण्डे उखाड़ दिये इनके। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। विराजिये आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद डाक्टर साहब। तो बड़ी जोर-जोर से ताली ठोकेंगे, टेबल बजाएंगे। यह लगेगा कि जाने एकदम क्या कर देंगे। (व्यवधान) हमने कुछ नहीं किया। आप करके दिखाओ। आपने 60 दिन की घोषणा की है ना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान और हिन्दुस्तान का विकास करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): रोजाना अखबारों में फोटो खिंचवाना। रोजाना टी.वी. पर बात करना। आज केबिनेट की मीटिंग हो रही है। आज मंत्रिमण्डल की मीटिंग हो रही है। आज कटारियाजी को अध्यक्ष बना दिया। कल राठौड़ साहब को अध्यक्ष बना दिया। (व्यवधान) परसों किसी को अध्यक्ष बना दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): रोडवेज की बसों पर लिखवा दिया नि:शुल्क दवाई।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने 42 दिन के अन्दर तो अभी तक यही नहीं किया कि हम क्या करने के लिये जा रहे हैं। अब 60 दिन आपके पूरे हो चले। अब 60 दिन में आपने ऐसी कौनसी योजना की घोषणा की है कि हम यह नया काम करने के लिये जा रहे हैं। आप बतायें, अगर आपने कुछ किया हो तो। सिर्फ एक से एक बढ़िया बात की, अच्छी तरीके से मीडिया को मैनेज करना। इसके अलावा, आप कोई असत्य घोषणा करने के अलावा और कोई आपके पास काम है ही नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह काम कांग्रेस का है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसमें तो आप ही मास्टर हो। इसमें तो आप ही मास्टर हो।

श्री सभापति: आर्डर-आर्डर, प्लीज। कृपया शांत रहिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सबसे पहले तो शिक्षा मंत्रीजी यह बतायें कि आपकी मुख्य मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मलिंगाजी, जो आप बार-बार बोलते हैं... (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी तो हमारे शिक्षा मंत्रीजी को यह भी नहीं मालूम ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह बार-बार बोलते हैं, आपकी मुख्य मंत्री। उनकी मुख्य मंत्री कोई अलग हैं क्या। ये अभी तक अशोकजी गहलोत को मुख्य मंत्री मानकर चल रहे हैं क्या? क्या यह समझ में नहीं आया? (व्यवधान) सभापति महोदय, आप इनको यह बताएं कि इनके मुख्य मंत्री कौन हैं। आपके मुख्य मंत्री-आपके मुख्य मंत्री बोलते हैं। आप अभी तक अशोक गहलोत को मुख्य मंत्री मानकर बैठे हैं क्या।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप तो सुनें। आप तो एकदम फट रहे हैं। आपमें सुनने की क्षमता नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मुझे सम्बोधित करें। आप इधर मुझे सम्बोधित करें। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपमें तो बिलकुल सुनने की क्षमता ही नहीं है। इधर से खड़े हो रहे हैं, वह उधर से खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान) इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी बात कह कर ही रहूंगा। आप सभी खड़े होकर मुझे रोकें तो भी मैं नहीं रुकने वाला हूं। आप सभी खड़े हो जाएं तो भी मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप खूब बातें करो पर आसन की तरफ करो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मुझे एक परसेंट भी आप लोगों की परवाह नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ये हाथी की सवारी कर चुके हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप 163 की मुझे एक परसेंट भी परवाह नहीं करता हूं। मैं अपनी बात कहूंगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो राजस्थान के हित की बात होगी, मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य-माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने 60 दिन ये बेकार में निकाले। आपको 60 दिन में यह सोचना चाहिए कि किसान के लिये हमको क्या सोचना चाहिए। हमको किसान के लिये क्या करना चाहिए। हमको गांव के विकास के लिये क्या करना चाहिए। यह आप सभी लोगों को बुला कर, सभी सदस्यों की

(श्री गिर्राज सिंह)

राय लो कि किस-किस क्षेत्र में किन-किन गांवों में किस-किस सिटी में क्या-क्या परेशानियां हैं। यह तो आपकी कार्य योजना अच्छी थी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सलाह की आवश्यकता नहीं है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सलाह की आवश्यकता नहीं है तो आप कुछ करके दिखा नहीं पा रहे हैं। सलाह तो आपको लेनी ही पड़ेगी। (व्यवधान) आपने गांव के विकास के लिये क्या किया। आपको गांव के विकास की कोई न कोई कार्य नीति बनानी पड़ेगी।

(16.24 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

बाजार में तो अपन सभी लोग बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं। चाहे सरकार आपकी नई आई हो या हमारी सरकार ने किया हो। बाजार के अन्दर अपन ने बहुत काम किये हैं। परन्तु गांव के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। गांव के अन्दर हम देखते हैं कि कितना कीचड़ हो रहा है। उसके बारे में कभी विचार किया। उसके बारे में अपने को विचार करना पड़ेगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): पांच साल रहने के बाद आप यह बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पांच साल की बात है तो पांच साल की बातों को कब तक रोते रहेंगे आप? (व्यवधान) आप 60 दिन की घोषणा कर रहे हो, आप 60 दिन में क्या करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। देखिये कभी-कभी आप कोई बात बीच में करें तो बात समझ में आती है। वाद-विवाद को इस प्रकार से नहीं बनायें। आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद। 60 दिन की योजना आपने की। 60 दिन की योजना में अपन जो रोजाना का ढोल बजा रहे हैं। रोजाना अखबारों में फोटो खिंचवाना। आज यह मंत्रिमण्डल की मीटिंग चली। इसके बजाय अगर हम अख़बार वालों को देते, इसके बजाय हम बैठ कर हम थोड़ा सी नीति बनायें तो वह ज्यादा अच्छा है। किसानों के लिये आपने वायदा कर दिया कि 24 घण्टे बिजली देंगे। आपने कहा, क्या 24 घण्टे आपकी बिजली आ रही है। बताओ कि हमने 24 घण्टे बिजली दे दी। 8 घण्टे हम किसके लिये बिजली देंगे, रात के 12 बजे से आप किसान के लिये बिजली चालू करेंगे? दिन में

(श्री गिर्राज सिंह)

फैक्टरी वालों को, उद्योगपतियों को और पैसे वालों को बिजली देते हैं। रात को सर्दी पड़ रही है। फिर जाकर वहां किसान पानी के अन्दर काम करेंगे। इतने 200 सदस्य बैठे हैं। इनमें से कोई जाए रात के 12 बजे और वह खेतों के अन्दर जाएं। ये आपके ऊर्जा मंत्रीजी जाएं। रात के 12 बजे रजाई से निकलें किसान के साथ और उस खेत में जाकर बैठें, वहां पानी लगाएं तब मालूम होगा कि कैसे बिजली देते हैं। वह काम करो। उस काम को तो आप कर नहीं रहे हैं। बस यह अख़बार में घोषणा कर दी। हम यह कर देंगे। हम टैट खत्म कर देंगे। टैट वाली बात है। हमारी मुख्य मंत्रीजी कहती हैं हम टैट खत्म कर देंगे। शिक्षा मंत्रीजी अख़बार में स्टेटमेंट देते हैं कि हम टैट खत्म नहीं करेंगे। अब सच्चा कौन है। इसका जवाब तो शिक्षा मंत्रीजी, आप क्लीयर करें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): कौन से अख़बार में आया?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ऐसा एक भी अख़बार नहीं है? भास्कर में भी लिख रहा है, पत्रिका भी लिख रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): नहीं कहा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं है तो आप उस अख़बार में खण्डन करवाओ। या तो वह अख़बार वालों ने गलत छापा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): छपा होगा। हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): नहीं, नहीं। यह तो मंत्री महोदय, आपको जवाब देना ही पड़ेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आप तो एक महीने में सब कुछ मांगने लग गये। पांच साल क्या किया। उसको बता दो मेरे को।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पांच साल हमने तो नहीं किया। पर अब तो आप 60 दिन में क्या कर रहे हैं? पहले 60 दिन का जवाब दें। 60 दिन की घोषणा तो 60 दिन में करें।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 30 दिन भी, कहां बैठे हो अभी से। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): शिक्षा मंत्रीजी, आपसे हम इतना ही पूछना चाहेंगे कि आप इस टैट को खतम करेंगे या नहीं करेंगे। (व्यवधान) टैट खतम करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? बस आपको इतना ही जवाब देना है। उसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं।

श्री सभापति: आप इधर देखें, माननीय सदस्य। आप इधर देखें, मेरी तरफ।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने पहले भी कहा था कि हमने एक कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। इंतजार करिये। अभी तो एक महीना हुआ है। आप तो श्रीमान पांच साल तक सोते रहे। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो कमेटी का कब तक इंतजार करेंगे? आप इतनी घोषणा कर दो कि एक महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने, पांच साल, 10 साल, कब तक आप घोषणा करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ...(व्यवधान) 5-10 साल आपके लिये हैं। हमारा तो महीने में काम होता है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कमेटी तो आप बैठाओ। कमेटी का टाइम-टेबल तो फिक्स करो। जब कमेटी बनी तो कमेटी बनाकर चलती रहेगी। आप कम से कम उसमें बताओ कि हम इतने दिन में करेंगे। कमेटी तो आपके घर की है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, इन्होंने टैट लागू किया और आज नारे लगा रहे थे। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सारे काम गलत हमने किये। हमने सारे काम किये। आप तो अच्छे काम करो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने लागू किया और उसको आप खुद हटवाने के लिये नारे लगा रहे थे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमने सब काम गलत किया। अच्छे काम आपने किये तो फिर आप क्यों नहीं उसकी घोषणा करते। आप करो ना। घोषणा करो उसकी। आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): करेंगे, करेंगे। वह घोषणा भी करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये। आप हस्तक्षेप नहीं करें। आप बोलने दीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इस अख़बार की घोषणा के बजाय आप लोग जो गांव की बात है, विकास की बात है। आप इसमें थोड़ा सा जोर दें। गाय की बात है। अभी हमारी अजमेर से आने वाली सदस्या ने बोला गाय के ऊपर। वास्तव में यह बहुत हकीकत है कि गाय की बहुत बुरी दशा हो रही है। इसके लिये हमको गौ-शाला बनानी चाहिए। हर जिले लेवल पर गौ-शाला बनानी

(श्री गिर्राज सिंह)

चाहिए और उनके पानी और चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे क्या है कि यह गाय की परेशानी है वह अपन सबके परेशानी है। खेतों में जाती हैं, वह उसके नुकसान करती है वह खेत वाले उसके लाठी मारते हैं। फिर उसको क्या करते हैं उधर से वह लोग आते हैं, उधर से वह कट्टी करने वाले लोग आते हैं वह उन गायों को ले जाते हैं, ट्रक में इतनी बुरी उनकी दशा होती है, इतनी बुरी हालत करते हैं वह कि हमसे देखा नहीं जाता है वह। तो इसके कारण से अपने को कोई न कोई व्यवस्था सोचनी चाहिए कि अपन इसके लिये क्या कदम उठा सकते हैं। यह एक जगह की नहीं, आप हर जिलेवाइज सर्वे करो। पूरे राजस्थान में स्थिति एक-सी नहीं है। कहीं पर कोई परेशानी है, किसी जगह कोई परेशानी है। गुण्डागर्दी इतनी बढ़ चुकी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके राज के आते ही बढ़ गयी हो। मैं तो अपने जिले की बात कर रहा हूं। पहले थोड़ा सा सुधार था। (व्यवधान) सुनो न, सुनने की आप में क्षमता ही नहीं है। पहले थोड़ा सा सुधार था। बीच में क्या है कि चुनाव में पुलिस बिजी हो गई। चुनाव में जब पुलिस बिजी हो गई तो उस पीरियड में लोगों के हौसले बुलंद हो गए। जो 15-15 हजार रुपये के इनामी हैं और जिन्होंने, अगर आपको याद हो, अभी मैं कहूंगा तो इन सब लोगों को बात बुरी लगेगी। यह सच्चाई सुनने के लिए, इनको स्वीकार नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप इनसे क्यों डरते हैं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जगन डकैत ने वर्तमान मुख्य मंत्रीजी के महल को उड़ाने की धमकी दी थी पहले-पहले, स्टार्टिंग में। जब पहले मुख्य मंत्रीजी थीं। आज तक उस डकैत का, वे डकैत तो समझौते से हाजिर हो जाते हैं लेकिन उनके हथियार जमा नहीं होते हैं। ए के-47 लेकर आए। आज वो हाजिर हो गया तो आज उसका छोटा भाई वहां जाकर आतंक कर रहा है। 15 हजार रुपए की इनाम है। एम.पी. की इनाम अलग है। यू.पी. की इनाम अलग है। राजस्थान की इनाम अलग है और पुलिस क्या काम कर रही है कि उससे छोटे-छोटे, उससे तो पुलिस ने समझौता कर लिया, समझौता कर लिया लेकिन उससे छोटे-छोटे को वह धमकवा देता है, पकड़वा देता है और उससे कुछ नहीं कहती। उसको पाल कर रखा है पुलिस ने। यह अपनी विवशता है। कैसे राज चलाएंगे आप? इधर तो आप कह रहे हैं सुशासन, शासन क्या करेंगे? (व्यवधान) दोस्त तो होंगे आपके और आपकी पार्टी के। मेरा, मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा एक डकैत या एक गुंडे के लिए मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अगर किसी

(श्री गिर्राज सिंह)

के लिए फोन किया हो, चोर के लिए। जो आपके पूर्व विधायक के खिलाफ एफ.आई.आर. हुई पहली सरकार में और उसी की देख-रेख में वे सारे डकैत चल रहे हैं। आप आज उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखेंगे आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभिभाषण तक सीमित रखिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, इसमें एक मामला बड़ा गम्भीर है कि इन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्रीजी के महल को उड़ाने की बात कही थी। यह आपने भी सुनी होगी। धौलपुर वाला। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन तो कुछ सुनता ही नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आसन इतना बहरा हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति: आसन तो इधर से सुनकर इधर सुना देता है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): महल उड़ाने की बात कही हो और ऐसे में सिम्पलीसिटी के कारण मुख्य मंत्रीजी की सुरक्षा कम की जाए तो मामला गम्भीर है। अभी जगन जिंदा है। इनाम घोषित है।

श्री सभापति: सरकार सुन रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सरकार सोचेगी। चिंता ज्यादा मत करो आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, तो अपन को इनके लिए, जो जंगल में डकैत घूम रहे हैं, अगर धौलपुर की पुलिस से कोई काम नहीं होता है तो रहने दो। यहां से अलग से कोई टीम गठित करके ही भेज दो स्पेशल। वह सिर्फ डकैतों का ही काम करे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बड़ी समस्या है साहब।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): लोग खेतों में पानी दे रहे हैं रात को किसान आदमी और जाकर उनके संग मार-पीट हो रही है। मार-पीट होने के बाद उनसे चिट्ठी लिख कर यह दे रहे हैं कि इंजन बंद कर, मोटर बिजली की बंद कर। 51 हजार रुपए कल लेकर आना। यहां पर मिलना। अगर कल नहीं मिलेगा तो इसको नहीं चलाएगा। 51 हजार रुपए लेकर नहीं गया तो उसका इंजन उठा कर, इसके पम्प कुएं में पटक दिए। यह व्यवस्था चल रही है। पत्थर वालों की

(श्री गिर्राज सिंह)

स्थिति यह है कि खदान पर जाते हैं तो खान बंद कर देते हैं। ट्रैक्टर वाला जाता है तो ट्रैक्टर वाले को पिटना पड़ता है। जो भी उनके खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ धमकी आ जाती है। इसके लिए अपने को यहां से, जयपुर से कोई एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो मात्र डकैतों का ही काम करे। चाहे उसको वहां पर दो महीने के लिए भेजें चाहे छह महीने के लिए भेजें या एक साल के लिए भेजें। जब तक इनका पूरा सफाया नहीं हो जाए, जब तक वहां की जनता चैन से नहीं सो सकती है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह तो राठौड़ साहब गृह मंत्री बन जाएं तो हो सकता है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): राठौड़ साहब गृह मंत्री बन जाएं तो क्या कर देंगे? स्पेशल यहां से कुछ करके भेजें राठौड़ साहब जब तो कुछ हो सकता है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नहीं, आप इतनी शिक्षा दे रहे हो, आपने पांच साल राज किया तो आपने भेजा नहीं? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पांच साल का आप कब तक रोते रहेंगे। उससे पहले आप पांच साल थे जब क्या कर लिया? उससे पहले पांच साल में आपने क्या कर लिया? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): गलत सुनने के लिए यहां पर थोड़े ही बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जवाब दो न। आपकी मुख्य मंत्रीजी को धमकी दे दी जब आपने क्या कर लिया? इससे बुरी क्या बात है आपके लिए? आपके पास कोई जवाब है क्या? आपकी मुख्य मंत्रीजी को धमकी दी, उसका कोई जवाब है आपके पास? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। तो फिर हम भी बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान) अगर यह इस तरह से बोलेंगे तो माननीय सभापति महोदय, हम भी एक को भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान) इतने तो हैं ही कि आपको एक को भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसे गलत थोड़े ही सुनेंगे। (व्यवधान) यह मन में आए जो बोलेंगे, वह नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आपकी मुख्य मंत्री, आपकी मुख्य मंत्री बोलते हैं। इनका मुख्य मंत्री अभी भी अशोक गहलोत है क्या?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत थे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपकी मुख्य मंत्री, आपकी मुख्य मंत्री की जगह आप हमारी मुख्य मंत्री बोलें। अपनी मुख्य मंत्री बोलें। थोड़ी शब्दावली तो ठीक करें। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं सब कुछ समझता हूं कि मुझे क्या बोलना है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप नहीं समझ रहे हैं। आप एक बार नहीं, अनेक बार बोल गए। कमाल हो गया। आप किसको मुख्य मंत्री मान रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप टोकते रहो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको कब समझ में आएगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, ऐसे तो व्यवस्था कैसे चलेगी? माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था कैसे चलेगी? (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप सभी खड़े हो जाओ, यह बैठे हैं सभी खडे हो जाओ तो भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाएं। बैठिए माननीय सदस्य, आप विराजिए। देखिए, अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। कोई ऐसी बात आ जाए जो अप्रिय हो तो बात अलग है वरना आप भी अपनी बात विषय तक सीमित रखें और आपको भी बोलने का मौका मिलेगा माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, इनको क्या है कि इनके दिमाग में एक ही गलतफहमी बैठ गई है कि हम 163 हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको तो गर्व होना चाहिए। नहीं, तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इनको तो एक ही घमंड है कि हम 163 हैं। इसके अलावा इनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई कुछ कहता है तो उसकी यह परवाह भी नहीं करते।

श्री सभापति: आसन को देखकर बोलिए आप। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। सरकार का ध्यान कि थोड़ा-बहुत, अगर सरकार की सोच है तो मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह धौलपुर में सबसे बड़ी, धौलपुर-करौली-भरतपुर में सबसे बड़ी समस्या डकैतों की समस्या है। इसके लिए अपन कोई एक बढ़िया तरीके से योजना बनाएं और इसके अलावा एक और समस्या, जो गाय वाली बात है इस पर भी आप गम्भीरता से विचार करें। मांस की व्यवस्था है।

एक भू-माफियाओं का बहुत बड़ा कब्जा हो रहा है वहां पर। मैं आपको बताऊं, यह नहीं कि वह अभी हो गया इस सरकार के आने से ही, चाहे वह किसी भी कारण से समझ लो कि कब्जा तो पहले भी उनका छोटा-मोटा था। अब थोड़ा सा आने के बाद में कुछ ज्यादा वे लोग हावी हो गए हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कौनसी पार्टी के हैं?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वे तो दोनों पार्टी के हैं। मैं आपको बताऊं कि मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिए-सुनिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वे तो बी.जे.पी. के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, दोनों मिले हुए हैं। एक पार्टी के ऊपर मैं आरोप लगाऊं डाक्टर साहब तो यह भी गलत है। बात तो सच्चाई की कहनी ही पड़ेगी। दोनों पार्टियों के लोग हैं। दोनों मिलकर कब्जा कर रहे हैं।

अभी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने बाड़ी के लिए एक डाक बंगला दिया था। एक कालेज की घोषणा की थी। उसके कारण से भू-माफियाओं का इतना बड़ा दबाव है कि एस.डी.एम. और तहसीलदार वहां पर जमीन अलाट ही नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है कि वह उसके यहां भेजेगा, वह उसका नाम ले देगा और उनको एक ऐसी सलाह दे देते हैं कि तुम इस कोर्ट से जाकर स्टे ले आओ, उस कोर्ट से जाकर स्टे ले आओ। किसी भी कोर्ट में चले जाओ। मतलब, टोटल जमीनों का अवैध कब्जा हो रहा है। हाई कोर्ट से जमीन जीती हुई है। आज तक सरकार ने कोई कब्जे नहीं उठाए। मैं अगर यहां पर और कुछ बोलूंगा तो इनको यह लगेगा कि यह कुछ बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): दलित की जमीन पर कब्जा हुआ है वह तो बोलो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जो हमारे मुख्य मंत्री महोदय की जमीन हमारे यहां पर बाड़ी के अन्दर रामसागर के पास है, वहां पर भी भू-माफियाओं ने, उन्होंने जमीन पुराने पीरियड में छोड़ी थी गरीब लोगों के लिए। राजा-महाराजाओं के जमाने में मतलब, जागीर के पीरियड में उन्होंने गांव वालों के लिए जमीन छोड़ी कि आपके मवेशी और गायें चरती रहेंगी। उन लोगों ने उस जमीन तक को भी नहीं छोड़ा है। मुख्य मंत्रीजी की दी हुई जमीन है। उन लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया है। यह स्थिति है। अब इससे आप खुद अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या व्यवस्था है। कैसे अपन व्यवस्था सम्भालेंगे? कैसे अपन सरकार चलाएंगे? 60 दिन की योजना कर ली। 60 दिन के अन्दर मुझे तो, 60 दिन में एक ही काम जरूर दिख रहा है कि जिन्होंने बड़ी-बड़ी लम्बी लिस्ट, ट्रांसफर की बीमारी है। वह जरूर इन्होंने कर दिया और इसके अलावा इन्होंने कोई नया काम तो किया नहीं है। कुछ इधर से उधर पटक दिए। कुछ उधर से इधर पटक दिए। बस एक काम जरूर 60 दिन में मुझे करते हुए दिख रहे हैं। उसमें से 42 दिन निकल गए। 42 दिन में अभी तक इनकी कार्य योजना बन रही है। कार्य योजना बनेगी तो फिर यह एक बहाना लगा लेंगे कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब करें क्या? बस 60 दिन के अन्दर हम यह काम करने जा रहे हैं। कोई ऐसा प्लान करो जिससे अपन गरीब लोगों का कुछ भला करें। वह गरीब, किसानों का अगर अपन भला करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अपने को गांवों के अन्दर ध्यान देना पड़ेगा। गांवों की हालत गांव वाले ही समझ सकते हैं, कि क्या स्थिति है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): रोड बनाने की बात है, आपने कह दी इतनी रोड बना देंगे। कितनी रोड आप बना रहे हैं। रोडों की हालत खराब है। हमारे पीरियड में चलो हम तो यही मानें कि हमारे वक्त में पी.डब्ल्यू.डी. की रोड खराब है। आपने कौनसी नई रोड बना दी। आपने उनके गड्ढ़े तक नहीं भरे, आपने कौनसी रोड बना दी?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मलिंगा जी, एक सैकण्ड, आप बार-बार जिक्र कर रहे थे कि मुख्य मंत्रीजी की जमीन पर कब्जा हो गया। कौनसी जमीन है मुख्य मंत्रीजी की, बताओ तो सही। हम जानना चाहते हैं साहब, यह कौनसा तरीका है।

श्री सभापति: आप बोलने दो ना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मुख्य मंत्रीजी की कौनसी जमीन पर

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कब्जा हो गया और दलित की जमीन पर जो कब्जा हुआ धौलपुर में, वह कौनसा मामला है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मुख्य मंत्रीजी की जमीन का मैं नहीं कह रहा हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

किसी माननीय सदस्य पर आरोप लगाने से पूर्व नियमानुसार नोटिस आवश्यक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय।

श्री सभापति: व्यवस्था का प्रश्न है, सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, अगर इन्हें कोई आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाना है, नियम 273 में नोटिस देकर आयें। यह क्या मतलब है? कहां बोल रहे हैं, क्या इंगित कर रहे हैं? यह विधान सभा का सदन है या कोई सब्जी मंडी है, जहां हर कोई बात बिना कोई ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरोप कहां लगाया है?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आरोप कहां लगाया है राठौड़ साहब। मैंने आरोप कब लगाया है?

श्री सभापति: बैठिये। बैठिये। देखिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, इन्होंने आरोप नहीं लगाया। इन्होंने कहा मुख्य मंत्रीजी की जमीन पर किसी ने कब्जा किया है। जो जमीनें इनके पूर्वजों ने गायों के चरागाह के लिये छोड़ी थी, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। यह कहा है इन्होंने। और अभी नहीं किया है, वह भी किसी राज के समय हो गया है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को यदि कोई आरोप लगाना हो, तो वह प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत लगायें, यह ठीक है। अभी अपन अभिभाषण पर बहस कर रहे हैं। आप अपना कथन अब समाप्त करें, ताकि दूसरे को बुला सकें। समाप्त करिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैंने आरोप तो नहीं लगाया।

श्री सभापति: वह कह दिया मैंने, अब आप आगे चलिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं तो यही कह रहा हूं कि आगे के लिये राठौड़ साहब, भूमाफियाओं के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करो...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मुख्य मंत्रीजी की जमीन पर कब्जा हुआ है, चाहे गहलोत साहब के राज में हुआ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। यह बात क्लियर हो गयी है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): चाहे अब हुआ है, उस कब्जे को तो हटवाओ साहब।

श्री सभापति: हटा देगी सरकार। अब सरकार ने सुन लिया ना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): राठौड़ साहब, आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया दो ना।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बाड़ी के अन्दर कालेज की घोषणा की है, उसके लिये आज तक कोई जमीन की व्यवस्था नहीं की। और जो जमीन है उस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उनके दबाव में आयें नहीं। जो हमारे अधिकारी हैं वह उनके दबाव में हैं। वह उस जमीन को अलाट नहीं कर रहे हैं शिक्षा विभाग के नाम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोल चुके, दोहराएं नहीं। आगे चलें। आप यह बोल चुके।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं तो बोल चुका हूं।

एक माननीय सदस्य: मसाला नहीं है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मसाला तो बहुत है। मसाला तो आपके ऊपर ही बहुत है।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें। विराजें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री ओमप्रकाश)

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसकी मुखिया आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी हैं, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं आप लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ें। इसको रख लें, इसको देखते रहें और अपनी बात कहें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पहली बार वालों को छूट दो साहब।

श्री सभापति: देखिये, सदन में जो पहली बार आये हैं माननीय सदस्य, उनको सदन की परम्पराओं से ज्ञान कराना उचित रहता है। आप बोलें। आप अच्छी तरह बोलें, आपको समय मिलेगा।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): माननीय सभापति महोदय, पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे बनने के बाद माननीय सदस्य मलिंगा साहब यह कह रहे थे कि 60 दिन में सरकार ने क्या किया है? माननीय मलिंगा साहब, सभापति महोदय के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं दौसा जिले से सम्बन्ध रखता हूं, दौसा जिले की हालत बिहार जैसी हो रखी थी और उसमें हमारे खास तौर से जन प्रतिनिधियों को बहुत अहम रोल था। आये दिन आन्दोलन, आये दिन धरने प्रदर्शन, आये दिन रेल रोको आन्दोलन होते थे। शांति और अमन-चैन का कोई नामो-निशान नहीं था। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा जिला जब से प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजे जी बनी हैं, तब से शांति और अमन-चैन कायम हुआ है। आज ईनामी, गुण्डे और बदमाशों की बात माननीय सदस्य महोदय कर रहे थे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: सभापति महोदय कहो।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): जी। माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के दौरान कुछ गुण्डों ने मेरे खुद के ऊपर भी फायरिंग की थी। अगर हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वह लोग उनकी कारों में घूमते हैं, उनकी काल्स डिटेल पता करवा ली जाये, और हमारे जन प्रतिनिधियों की काल पर अगर उनकी बात होती है तो यह गुण्डा-गर्दी कैसे

(श्री ओमप्रकाश)

खतम होगी। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पिछली कांग्रेस सरकार से, कि उन्होंने यह क्यों नहीं किया कि दौसा जिले में मलिंगा साहब, जब आप निकलते थे, तो आप जब अकेले होंगे तो गाड़ी में आपको डर लगता होगा कि आपके साथ क्या घटना हो सकती है और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय के माध्यम से, कुछ लोग ऐसे हमारे जन प्रतिनिधि भी हैं, कार चोरी होने के बाद उसको यह कहते हैं कि मेरा आदमी है इससे समझौता कर लीजिये। इसे क्या कहेंगे? यह कैसी सरकार रही थी पिछली?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह कौन है, बताओ ना। स्पष्ट तो करो।

श्री सभापति: कृपया सुनें।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): उन गुण्डे और बदमाशों की काल्स डिटेल निकलवा लीजिये, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार को कहो ना तो।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): कौन माननीय जन प्रतिनिधि ऐसे हैं, जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पिछड़ा किसी भी जाति, समाज और धर्म की बात करें तो वह व्यक्ति सबसे पीछे है, जो ढाणी में निवास करता है। पिछले पांच सालों में मैं भी आपके बीच रहा और क्षेत्र में देखा। महुवा उप खण्ड की बात करते हैं, दौसा जिले की बात करते हैं, माननीय सभापति महोदय, तो वहां की पोजीशन इतनी खराब थी चाहे आप बिजली विभाग की बात करें, चाहे और दूसरे विभागों की बात करें। अभी-अभी देखा, मैंने पांच साल का रिकार्ड निकलवाया और पिछले पांच सालों का रिकार्ड देखा कि हम किसान की बात करते हैं कि 72 घंटे में किसान को ट्रांसफार्मर देना चाहिये। उस किसान के जले हुए ट्रांसफार्मर के बदले 30 प्रतिशत ट्रांसफार्मर भी समय पर नहीं दिये गये, जो 72 घंटे की अवधि होती है। कांग्रेस सरकार की यह बातें रही हैं।

अभी-अभी खास तौर से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा ग्राम पंचायत हल्देना की पोजीशन यह है कि वहां 73 लाख की स्कीम किसी ठेकेदार ने बनाकर तैयार की और उसकी अवधि 9 मार्च को खत्म होने जा रही है। उसके एक महीने पहले से मैंने जिला परिषद में भी....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। सुनें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप इतनी जोर-जोर से बात कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): 8 जनवरी को एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाया था और बात की थी 73 लाख रुपये की स्कीम, जो हमारे किसानों के पैसे से लगी हुई है, गरीब और मजदूर के पैसे से लगी हुई है, वह पूरी तरह खराब हो चुकी है और वहां का सरपंच भी लिखकर दे चुका है और 9 मार्च, 2014 को उस स्कीम का जो वेलेडिटी पीरियड है, वह खत्म हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर 9 मार्च से पहले पहले अधिकारियों को नोटिस नहीं दिया और ठेकेदार को अगर सूचित नहीं किया तो हमारे 73 लाख रुपये खराब हो जायेंगे। मैं, आज अन्त में यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय कालीचरण जी सराफ ने कहा था कि जो कहती है, वही करती है और करती है वही कहती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, आपका पहला भाषण हुआ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय एक घंटे बढ़ाया गया।

श्री मानसिंह।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापतिजी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में यहां खड़ा हुआ हूं। सदन में पहली बार आया हूं। आपके माध्यम से महामहिम ने अभिभाषण में राजस्थान के विजन को लेकर जो सरकार का, राजस्थान के विकास को लेकर जो संभावनाएं और राजस्थान के विकास को लेकर जो संकल्प इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता

(श्री मान सिंह)

पार्टी को दिया है, आज कांग्रेस के लोगों को इस बात को सोचना चाहिये कि आखिर इतना बड़ा जनादेश देश में पहली बार राजस्थान में ऐसा क्या हुआ, कि इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया।

मैं कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझने का काम करें। राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान, राजस्थान की महिलाओं, राजस्थान के बुजुर्गों ने जिस प्रकार से यातनाएं पांच साल के कांग्रेस के शासन में झेलीं। अपने आपको जादूगर कहलाने वाले तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान की जनता ने आपके जादू को तो नहीं चलने दिया लेकिन उसने अपने जादू से आपको यह बताने का काम किया है कि राजस्थान की जनता अब आपको सहन करने वाली नहीं है।

मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने राजस्थान के लोकतंत्र को समझ कर उसको मजबूती देने का काम किया है, निश्चित रूप से राजस्थान को जिस कंगाली पर पहुंचाने का काम किया गया था, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। चाहे महंगाई को ले लें, चाहे कानून व्यवस्था को ले लें, चाहे किसानों की समस्याओं को ले लें, चाहे खाद-डीजल के दामों में वृद्धि को ले लें, बिजली की जिस प्रकार से पांच साल समस्या रही, बार-बार दाम बढ़ाने के बावजूद भी ट्रिपिंग की बात रही, बड़े अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बिजली रात में मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से किसानों ने पिछले पांच साल दुख भोगा है, आप जरा समझने का काम कीजिए।

इस एक माह के अन्दर साठ दिन की कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हो, आज सारे के सारे कर्मचारी/अधिकारी इस बात को लेकर भयभीत हैं और किसान को समय पर डीपी मिलने का काम हो रहा है। किसान को साढ़े छह घंटे बिजली मिलने का काम हो रहा है। मैं जन प्रतिनिधि होने के नाते इस सदन में कहना चाहता हूं कि सरकार की भावना के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुरूप हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर, किसान को बिजली दिलाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से नये सब स्टेशन खोलने की बात और सौ की आबादी पर बिजली देने की बात इस अभिभाषण में कही गयी है, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नेतृत्व को कि सौ की आबादी पर भी बिजली देने की जो बात कही गयी है, निश्चित रूप से राजस्थान को प्रकाश की ओर ले जाने का काम है।

(श्री मान सिंह)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम आधार मानते हैं 2002-03 को, हमने राजकोषीष घाटे को 47 परसेंट घटाने का काम किया था लेकिन 2012-13 के अन्दर इसको कांग्रेस की सरकार ने 330 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। जब हम इसको आंकड़ों से देखते हैं तो निश्चित रूप से यह साफ हो जाता है कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस ने जिस प्रकार के भयावह हालात किये, उन हालातों को आज नौजवान भूला नहीं है। राजस्थान के नौजवान को आपने क्या देने का काम किया है? जब हम तुलना करते हैं तो राजस्थान को रोजगार देने के लिए हमारी पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से 500 आईटीआई खोली थीं, कांग्रेस की सरकार ने केवल 210 आईटीआई खोलीं। हमने हमारे टाइम में एमबीए के कालेजेज को 17 से 94 तक बढ़ाया, पिछली सरकार ने केवल 120 तक पहुंचाने का काम किया। नौजवान को नौकरी के नाम पर केवल भर्तियों का विज्ञापन निकालने का काम हुआ। कमियां छोड़ कर जिस प्रकार से रोक लगी, निश्चित रूप से राजस्थान के नौजवान का पिछली सरकार ने ठगने का काम किया। नौजवान ने अपने आपको ठगा महसूस किया।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से किसान को सिंचित क्षेत्र के अन्दर जो बढ़त मिलनी चाहिए थी, वह भाजपा शासन में 43.73 लाख हैक्टेयर से बढ़ा कर 64.40 लाख हैक्टेयर किया गया था। कांग्रेस शासन में केवल 67.40 हैक्टेयर तक ही बढ़ा। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार से पिछली सरकार द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को पीछे किया गया।

मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से 14 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च राजस्थान की पिछली निकम्मी सरकार ने बिना बजट में लिए राजस्थान की जनता पर जो अलग से भार डालने का काम किया है, मैं समझता हूं ऐसे समझ लिया जैसे खालाजी का घर हो और राजस्थान के घाटे को जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया है, वह 28 हजार करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसान चाहे खेती का काम करने वाला हो, चाहे सब्जी या प्याज का काम करने वाला, प्याज के भण्डारण की व्यवस्था का जो प्रावधान किया गया है, चाहे नौजवानों को युवा केन्द्र खोलने का प्रावधान है, चाहे दस्तकारों के लिए दस्तकार कार्ड का सवाल है, चाहे वीरांगानाओं के लिए वीरांगना कार्ड का सवाल है, निश्चित रूप से यह अभिभाषण राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेगा।

(श्री मान सिंह)

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले पांच सालों से जो हालात हैं, आज माननीय सदस्यगण टेट के ऊपर चिल्ला रहे थे, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस टेट को पिछली सरकार ने जिस प्रकार से लागू किया था, नौजवान ने इसको लेकर बहुत दर्द महूसस किया। आज सरकार ने जिस प्रकार से इसके ऊपर एचओडीज की कमेटी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से नौजवान को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात यहां कहने का मौका दिया। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान का आगे आने वाला पांच साल का भविष्य सुनहरा होगा और राजस्थान का किसान और जनता इस बात को महसूस करेगी कि हमारे राजस्थान के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, उसको धोने का काम होगा। जय जय राजस्थान के साथ राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शुभकरण चौधरी (अनुपस्थित), श्रीमती संतोष अहलावत (अनुपस्थित), श्री गोरधन।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वह आ गये।

श्री सभापति: मेरे पास इनका नाम नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): नाम है। देखो।

श्री सभापति: देख लिया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): नाम है ऊपर। बोला था आपने लेकिन उस समय ये नहीं थे।

श्री सभापति: उस समय नहीं थे तो मैं क्या करूं? सदन का नियम यही है कि एक बार जिनका नाम पुकारा जाता है वह सदस्य उस समय सदन में उपस्थित नहीं है तो फिर किसी दूसरे माननीय सदस्य के स्थान पर उनको टाइम नहीं दिया जाता है।

सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में उपस्थित रहेंगे। सदन की यह पुरानी परम्परा है कि एक बार जब सदन में नाम पुकारा जाता है और वे माननीय सदस्य जब सदन में नहीं होते हैं तो फिर उनके आने से वापस उनका अधिकार नहीं बनता।

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की आपने अनुमति दी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद

(श्री गोरधन)

देता हूं। राजस्थान की विधान सभा में यह मेरा पहला मौका है। जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है उसके लिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर 163 सीटें दी हैं। धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि इस सदन में जहां से मैं चुनाव जीत कर आया हूं उस विधान सभा क्षेत्र का नाम धोद है। जहां से लगातार बीस साल तक सीपीएम का कब्जा रहा था। इस सदन के माध्यम से मैं मेरे क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे भारी बहुमत से जिता कर यहां पर भेजा।

वैसे माननीय वसुन्धराजी ने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान का सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भ्रमण किया। इससे पहले माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बात मैं कहना चाहूंगा। अपने सदन में सामान्य नियम है कि हम जब भी सम्बोधित करें, 'माननीय सदन के नेता' और 'माननीय मुख्य मंत्री' इन शब्दों का चयन ज्यादा उचित होता है। वैसे आम तौर पर भी जब हम किसी माननीय सदस्य को पुकारें तो उसके विधान सभा क्षेत्र के नाम से ही पुकारते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इस परम्परा से संसदीय प्रजातंत्र में, कि जो विधायक आये हैं, वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह एक व्यक्ति नहीं है। इसलिए कभी-कभी आवश्यकता पड़े तो नाम लें वरना तो सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्री, यह दो शब्द बहुत अच्छे हैं।

(17.00 बजे)

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जो गत सरकार कांग्रेस की रही है और उसकी नीतियों से और उनके कारनामों से परेशान होकर राजस्थान की जनता ने जो प्रचण्ड बहुमत दिया और जो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताया, इसी का कारण रहा है क्योंकि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी इतने भारी बहुमत से जीत पाई है।

माननीय सभापति महोदय, वैसे सभी धर्म, जाति, वर्ग इस सदन में विराजमान हैं लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से जो आज एक एस.सी. के सबसे ज्यादा विधायक यहां पर जीत कर आये है, 34

(श्री गोरधन)

भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किये थे उनमें से 32 विधायक जीत कर यहां आये हैं और दो अल्पसंख्यक समुदाय से जीत कर आये हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है, माननीय सभापति महोदय, कि कांग्रेस ने जिसको अपना वोट बैंक माना था, क्योंकि एस.सी. समाज और अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग है, इन्होंने यह सोचा था कि यह वोट बैंक हमारा है लेकिन जिस प्रकार की इनकी नीतियों के कारण से जो इस समाज ने यह समझा है, जो इनके बारे में जाना है तो इसी का परिणाम यह हुआ कि इनकी एक भी सीट एस.सी. की नहीं मिली, ना ही एक सीट अल्पसंख्यक की मिली है। इसलिए भी मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

(17.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं सोचता हूं कि जो गत सरकार थी उन्होंने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है क्योंकि जिस प्रकार से अनेक कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने क्रियान्वित किया था लेकिन इन्होंने उनको अमलीजामा नहीं पहनाया था उसका मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जो झालावाड़ की जो मेडिकल कालेज है, पूरे राजस्थान में जो टैक्निकल विद्यालय हैं उनमें सब में छात्रवृत्ति दी गयी थी लेकिन यह झालावाड़ एकमात्र ऐसा महाविद्यालय रहा है जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जिस प्रकार से चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे विद्यार्थी हों और चाहे युवा हों, इनके साथ में, इन्होंने कुठाराघात किया और इसी का परिणाम यह रहा है कि यह चुनाव यह बुरी तरह से हारे हैं।

मैं माननीय सभापति महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सोचता हूं कि यदि राजस्थान का हम विकास देखें तो जिस प्रकार से यहां पर जो हमारी संस्कृति है और हमारी अधिकतम जनसंख्या गांवों में बसती है और यदि हम विकास के रूप में देखें तो किसान, मजदूर और युवा, यह तीनों मिल कर राजस्थान का विकास कर सकते हैं।

इसलिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में वास्तव में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, मजदूर और किसानों के बारे में काफी कुछ योजनाएं बतायी गयी हैं और मैं सोचता हूं कि आगामी पांच सालों में नये राजस्थान का निर्माण होगा।

(श्री गोरधन)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्योंकि जिस प्रकार से किसान, मजदूर और युवा इस राजस्थान का निर्माण कर सकते हैं उसी प्रकार से यदि हमारे इस राजस्थान में उद्योग धंधे हैं, अच्छी तरह से जिसकी संभावना हो, क्योंकि यह मरू प्रदेश है और मरू प्रदेश में जो टाइल्स का धंधा है वह काफी विकसित हो सकता है, इसका मुख्य कारण यह है कि जो रा-मैटेरियल है वह राजस्थान में काफी उपलब्ध है, क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात में टाइल्स का काफी उद्योग धंधा विकसित है इसलिए इस धंधे पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान के युवाओं के लिए एक अच्छी सौगात मिल सकती है।

मैं, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हुआ और मेरे को सुना इसलिए पूरे सदन को धन्यवाद देता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो रहा है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बाबत चर्चा की। जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पठन हो रहा था तो पूरे राजस्थान की सात करोड़ जनता उसको सुनना चाह रही थी क्योंकि यह लाइव टेलिकास्ट हो रहा था। तो जनता को बहुत ही अपेक्षाएं थीं और जिस प्रचण्ड बहुमत से 163 सीटें इनकी आयी हैं और जिस भावना से जनता ने इनको चुना है तो उनमें एक इतना जोश था, इतनी उमंग थी कि अब के शुरूआत में ही इस बजट भाषण में कुछ होने वाला है, वह जनता देख रही थी परन्तु उस अभिभाषण को बीच में बंद करा दिया गया और उसको पढ़ा हुआ मान लिया गया, उससे जनता को निराशा हुई।

मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने यह जो 60 दिन का पहले विजन रखा कि 60 दिन में हम प्लान बनायेंगे और क्योंकि पांच साल हमारी नीतियों से पता नहीं लोग क्योंकि नाराज थे, यह 60 दिन में ही वह सब-कुछ कर लेंगे, यह जनता देख रही थी। परन्तु 60 दिन में 44 दिन तो बीत गये, 16 दिन बचे हैं। कल अख़बार में इनकी योजना का कि हम यह–यह करने जा रहे हैं, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस डेढ़ महीने में शुरूआत में ही काम स्टार्ट किया तो शहरों में तत्काल इनको आदेश दिया कि सफाई शुरू कर लो और दूसरा कहा कि, जहां पाइप लाइनें लीक हैं तो उनको ठीक करेंगे और कोई हैण्डपम्प

(श्री मेवाराम जैन)

खराब है तो उसको ठीक करेंगे, परन्तु मेरे खयाल से वह भी हो नहीं पायी। पी.एच.ई.डी. वालों से पूछें तो सही कि हमारे पास न तो कोई स्टाफ है, न हमारे पास सामान है, न हमारे पास व्हीकल है, ठीक करें तो कैसे करें। तो आपका यह अभियान भी मेरे ख्याल से सफल नहीं हो पाया।

मैंने देखा, यह जो अभिभाषण है इसके पूरे बिन्दु आप पढ़ लो इसमें वही है जो पिछली सरकार में योजनाएं, नीति जो हमने लागू की थीं, उसी का इसमें ज्यादातर वर्णन किया हुआ है। आप इसके एक-एक बिन्दु देख लो।

जनता को आपने चुनावों के अन्दर सपने दिखाये, इन चुनावों में नौजवान बहुत ही ज्यादा प्रभावित होकर आपकी तरफ गये, उनमें उत्साह था कि हम 15 लाख नौकरियां दे देंगे, उनको कहा कि हम टैट खतम कर लेंगे, भ्रष्टाचार हम खतम कर लेंगे, महंगाई को हम कम कर लेंगे, बिजली 24 घंटे देखें, कृषि में 8 घंटे बिजली दे देंगे। अब यह पता कर लो, क्या हुआ? उस ओर क्या कदम उठाया?

अब बिजली के बारे में आप देख लो, गांवों में पूछो कि बिजली का क्या हाल है, 24 घंटे का जो आपने सपना दिखाया था उसका क्या हाल है? 8 घंटे बिजली की जगह छह, साढ़े छह घंटे, वह भी रात में दे रहे हैं, अब इस सर्दी में रात को बिजली किसानों के क्या काम आने वाली है, यह आप स्वयं देख लें।

इसके साथ-साथ, यह युवा सबसे ज्यादा 15 लाख नौकरी और टैट की वजह से प्रभावित हुए हैं जिससे आपके चुनाव में परसेंटेज बढ़ा और आपको ज्यादा सफलता मिली। अब माननीय सदन की नेता हैं, चुनाव में तो घोषणा की थी कि आते ही उसको हम खतम कर देंगे, शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं हम विचार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं यह हो नहीं सकता, तो युवाओं को यह भ्रमित किया जा रहा है।

तो जब घोषणा में यह कहा तो उनको कम से कम अब पहला ही निर्णय यह लेना चाहिए कि हम टैट को खतम कर देंगे, नौकरियों की तरफ यह कहते कि हम 15 लाख नौकरियों की शुरूआत तो करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था कि इस तरह से युवाओं को हो यह रहा है बीस हजार अध्यापकों की थर्ड ग्रेड की पूरी परीक्षा हो चुकी है, परिणाम रोक कर बैठे हैं। एन आर एच एम के लिए परसों ही पन्द्रह हजार कर्मचारी यहां धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। उनको हटाने का काम किया जा रहा है। तो मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा

(श्री मेवाराम जैन)

था कि इस तरह से युवाओं को भ्रमित किया। आपके अभिभाषण में जो बातें आपने बताई हैं वही बातें पिछली सरकार ने, आज वही दवाइयों के बारे में कह रहे थे कि दवाइयां जहर हैं। आज नि:शुल्क दवा पूरे राजस्थान के अन्दर, अब तकलीफ उनको महसूस हो रही है कि यह दवा जो यूज कर रहा है, जो गरीब है किस तरह से उसको फायदा हो रहा है इन दवाइयों के माध्यम से। आप एस एम एस अस्पताल में जाकर देखो कि ऐसे-ऐसे गरीब जिनका कोई नहीं है, उनका इलाज इन अस्पतालों में फ्री हो रहा है। उन दवाइयों के बारे में कहा गया कि यह जहर हैं, कोई एक झूठ को अगर सौ बार बोलते हैं तो उसको सत्य माना जाता है और जनता को भ्रमित किया।

अगर दवाइयां खराब हैं तो आप उस स्कीम को आगे क्यों चला रहे हो? पेंशन में रेवड़ियां बांट रहे हैं तो आप उस पेंशन योजना को अब क्यों चला रहे हो? तो यह जितनी योजनाएं हैं, सारे जनता के पैसे लुटा दिए, पशुओं के लिए दवाई फ्री, जितनी भी योजनाएं हैं आप उनमें से एक को भी बंद कर रहे हो तब तो आप बताओ। तो फिर यह भ्रमित करने वाली, जनता को गुमराह करने वाली बातें आप मत करो।

मैं तो यही चाहता हूं कि पिछली सरकार की जो योजनाएं हैं चाहे पानी की हो, उन योजनाओं को आप आगे बढ़ कर जनता को जल्दी से जल्दी राहत कैसे दो, उस ओर कदम उठाओ। विद्युत के अन्दर मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना में जिन्होंने डिमांड नोटिस भर रखे हैं, हजारों की संख्या में हैं, उनको तत्काल कनेक्शन दो। जिनके डिमांड नोटिस नहीं निकले हैं वह आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि अब हमारी नई सरकार आयी, अब हमको जल्दी कनेक्शन मिल जाएगा, उनको देने का प्रयास करो तब तो जनता को कुछ समझ में आएगा कि हमारे लिए कुछ काम करने जा रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में कह रहे हैं कि जल्दी में कर लिया। यह जो स्कीम है कितनी आलीशान स्कीम है, आप उसको ठीक करो। हमने गलती की है तो हम भुगत ही रहे हैं। आप उसको ठीक करो, सर्वे करो। आज जो अलाट हो रहा है, प्रति व्यक्ति पांच किलो देने का है, वहां पहुंच नहीं रहा है दो किलो ही। आप इसका अलाटमैंट बढ़ाओ। किस तरह से उस गरीब को फायदा मिले, उसके लिए कुछ करो। अब वहां डीलर क्या कह रहे हैं कि हमारे को तो ऊपर से पूरा आ नहीं रहा है और फिर वह आधे से ज्यादा कालाबाजारी में बेच रहा है। तो इस सिस्टम को सुधारो। यह जो सर्वे का काम खाद्य सुरक्षा में हुआ

(श्री मेवाराम जैन)

है वह भी सही नहीं हुआ, आनन-फानन में जरूर हुआ है, सर्वे कराओ, गरीब कोई रह नहीं जाए उसको आप देखो और किस तरह से उसको इसमें जोड़ें, उसका प्रयास करो।

आज आपके शुरू में ही, जब आपकी सरकार बनी, पहला ही काम हुआ कि बजरी के अन्दर त्राहि-त्राहि मच गयी। आज किस तरह के बजरी के हालात हैं। आज कितने भी गांव हों या शहर हों, विकास के काम बंद हो गये। भू माफिया मनमानी बजरी की रेट वसूल कर रहे हैं। आप उसकी ओर ध्यान दे नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा शुरू में 8 तारीख को रिजल्ट आउट हुआ और 9 तारीख को हमारे जिले में तो डोडों के जितने भी हैं उन सबकी तो ऐसी की तैसी हो गयी, 9 तारीख को डोडे बाजार से गायब। पहले 500 रुपये किलो में मिल जाते थे अब हजार में पन्द्रह सौ में ही नहीं मिल रहे। उनकी हालत खराब हो रही है। कई तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि हम तो मर रहे हैं, एक-एक किलोमीटर की लाइनें डोडों की दुकानों पर लगी हुई हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है, उनकी हालत खराब हो रही है, उनकी ओर थोड़ा ध्यान दो।

मेरे से पूर्व काफी वक्ताओं ने रिफाइनरी के बारे में बात की कि रिफाइनरी के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट हो गये। मैं तो यह कह रहा हूं कि राजस्थान में पहली ऐतिहासिक चीज रिफाइनरी होगी। पूरे भारत का वन थर्ड तेल बाड़मेर में निकल रहा है और वहां रिफाइनरी के लिए काम आपके समय में करना चाहिए था, लेकिन आपने पांच साल में कुछ नहीं किया। आप लगा लेते ना, कौन मना कर रहा था आपको, नहीं लगी आपसे। फिर जब हमने प्रयास करने के बाद में शिलान्यास किया तो आपने कहा इसमें भारी घोटाला है, इतने पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई प्राइवेट ठेकेदार है तो बताओ, पैसे एक तो एच पी सी एल कम्पनी है दूसरी राजस्थान सरकार है। तीसरी जगह तो कहीं पैसे गये नहीं, न ही किसी प्राइवेट को इसमें फायदा पहुंचाया है। पचास हजार लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी, वहां के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह कोई छोटी-मोटी बात है?

हमें लग रहा है और अखबारों में भी आ रहा है कि हम इसको देखेंगे। देखें जरूर, जो करना है वह करें पर रिफाइनरी बाड़मेर में लगे, यह हम चाहते हैं। अगर यह रिफाइनरी नहीं लगेगी तो आने वाले समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी, इस बात को आप देख लें। (व्यवधान) मना क्या करें हमने तो शिलान्यास किया है, काम शुरू होने जा रहा है, आप इसको रोकना चाहते

(श्री मेवाराम जैन)

हो, रोको। पत्थर आपका लगा दो, हमारा हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ना पर यह काम होने दो। काम को मत रोको, यह राजस्थान का भविष्य है। साढ़े चार मिलियन टन की जगह नौ टन की कर दी। पैट्रो कैमिकल हब लग रहा है, कितने उद्योग और इण्डस्ट्रीज लगेंगे। इसको देखो आप कि कितना फायदा होगा इसमें। खाली राजनीतिक हिसाब से आप इसको मत देखो। भई शिलान्यास कर दिया इसलिए हम नहीं करेंगे। शिलान्यास आप दुबारा भले ही कर लो, हमें कोई एतराज नहीं पर यह बाड़मेर में लगे। राजस्थान का विकास हो, उनको कैसे रोजगार मिले।

अभी जयपुर मैट्रो की बात कर रहे थे ...(व्यवधान) कहीं लगाएं बाड़मेर जिले में ....

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से कोई भी बोलेगा तो अंकित नहीं होगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कहीं भी लगाओ, बाड़मेर जिले में लगाओ, बायतु लगाओ, बाड़मेर जिले में कहीं लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं। पर बाड़मेर में लगनी चाहिए यह मैं कहना चाहता हूं।

मैट्रो की बात हुई, काफी लोग कह रहे हैं कि कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आप दिल्ली जाकर देखो मैट्रो की भीड़ देखो, दिल्ली में आज अगर मैट्रो नहीं होती तो सड़कों पर आज इतने व्हीकल चल नहीं सकते थे। आज उस बात को देखो, हम विरोध तो कर रहे हैं पर अन्दर से अपनी आत्मा जान रही है कि हम विरोध किसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, कांग्रेस के टाइम में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ इसलिए यह नहीं होना चाहिए। यह आज देख लें कि सड़क पर कितने व्हीकल्स हैं जयपुर शहर के अन्दर किस तरह से व्हीकल बढ़ रहे हैं दिनों दिन। आप आने वाले समय में देखेंगे कि यह कितना अच्छा कार्य हुआ। अगर इसको आप रोकोगे तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको आने वाले समय में होगी। जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी।

आज हम तो कह रहे हैं इतना अच्छा बहुमत आपका है, इतनी योजनाएं हैं, अब फण्ड्स की कोई कमी नहीं है तो आप अच्छा काम आने वाले समय में करो। भ्रष्टाचार कैसे खतम हो, इस ओर ध्यान दो। हास्पिटल्स में किस तरह से नि:शुल्क दवा योजना का हम जनता को लाभ दे सकें, डाक्टरों की कमी है उसको अच्छी तरह से लगाएं। कहीं सब-सैण्टर खुले पड़े हैं जहां ए

(श्री मेवाराम जैन)

एन एम नहीं। किसी जगह तीन-तीन, चार-चार ए एन एम बैठी हैं तो उनको व्यवस्थित करें तो अच्छा काम हो सकता है। आज इतनी दुनिया भर की स्कूलें खुली हुई हैं और स्कूलों में किस तरह से नई भर्ती हो और जब तक नहीं हो तब तक उसको अपन व्यवस्थित कैसे करें। जहां बच्चे हैं वहां अध्यापक नहीं और जहां अध्यापक हैं वहां बच्चे नहीं तो आप इसका भी सर्वे करें जहां आवश्यकता है, जहां बच्चे ज्यादा हैं, उस जगह आप अध्यापक लगाएं और जहां बच्चों की कमी है, आप उसको देखें। किस तरह से अच्छी शिक्षा अपन दे सकें, इस ओर ध्यान दें।

गायों की बात चली, अच्छी बात है, गायों के लिए हम तो चाहते हैं कि किस तरह से सेवा करें, बहुत बढ़िया स्कीमें हैं। वास्तव में अगर अपन सेवा करना ही चाहते हैं और सरकार इस ओर आगे बढ़ना चाह रही है तो मैं तो कहना चाहूंगा कि नगरपालिका या नगर परिषद क्षेत्र हो उसके अन्दर जितने आवारा पशु हैं उनके लिए गौशाला खोल कर उन आवारा पशुओं को उसमें डालें। जिस तरह से यह पालिथिन खाकर गायें मर रही हैं।

यह हर शहरों, गांवों के अन्दर जितने भी आवारा सांड हैं सारे गांव के शहर में छोड़ देते हैं। शहरों की हालत बुरी है। सब निकायों में यही हालत है तो वहां आप गौशालाएं खोलें। उसके अन्दर पशुओं की सेवा करें, बहुत अच्छा कदम है। और भी हो सकता है इसमें गायों के लिये जितनी सेवा करें उतना अच्छा है। गायों के लिये बात चल रही थी कि गौ वध नहीं हो उसके लिये हमें सख्ती करनी चाहिये।

इस मौके पर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है कि हमें इतना बहुमत मिला, हमें इतना बहुमत मिला। बहुत बढ़िया बात है। बधाई हो आपको। पर इस बहुमत के घमण्ड में अगर आप रह गये तो वापस आपको इधर से उधर आना पड़ेगा। इसलिये आप सुनो। जनता की सुनो। गरीब की सुनो। राजस्थान का कैसे विकास हो इस ओर ध्यान दो, बाकी ज्यादा इस बहुमत के घमण्ड में रहोगे तो फिर यह मेरे ख्याल से जनता आपको भी माफ नहीं करने वाली है। आपको इसके लिये ज्यादा जोश दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस मौके पर पुन: आपसे यही कहूंगा कि जितने भी चाहे तहसील मुख्यालय हैं, एस डी एम मुख्यालय नहीं खुले हैं, पुलिस मुख्यालय भी जितने खुले हैं...

(श्री मेवाराम जैन)

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

वहां पर भी अधिकारी एस डी एम मुख्यालय पर नायब तहसीलदार ही नहीं तो वहां अधिकारी लगायें। यह सारे जो बजट घोषणा में आपने किया है उस पर आप चलोगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा।

कानून व्यवस्था की बात करें। आप पहले दुनिया भर की बातें कर रहे थे अब कानून व्यवस्था आपके आने के बाद बन्द हो गयी क्या? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार कम हो गये क्या? आवश्यकता है इसको कैसे ठीक करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर आपसे यही निवेदन करूंगा कि महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है यह सिर्फ पुलिन्दा है, इसमें नयी कोई चीज नहीं है। पिछली सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उसका ही इसमें विवरण दिया है। जनता के लिये इसमें कोई नयी बात नहीं दिखायी है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका समर्थन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत के बारे में इस सदन के मार्फत देश और प्रदेश की जनता के सामने उसे प्रस्तुत किया है। साथ ही, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस पर बहुत तरह की बातें की हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा देश को आजाद हुए 66 साल पूरे हो चुके हैं और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास का ढांचा, दो हजार साल की गुलामी के बाद जो आजादी हमें मिली उसके बाद देश के नव निर्माण का, विकास का जो ढांचा तैयार किया गया वह इतना कमजोर था कि 1947 से लेकर 1977 तक लगातार एक पार्टी का शासन रहा। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियां एकजुट हुईं। देश की जनता ने उन्हें केन्द्र और राज्यों में शासन करने का मौका दिया और इस सदन के मार्फत आपसे निवेदन करना

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

चाहूंगा कि पहली बार चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो उसने गांव-ढाणी, गरीब और किसान के उत्थान और विकास के बारे में सोचा। केन्द्र सरकार ने पहली बार उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंहजी ने संसद के सामने अपना बजट प्रस्तुत करते हुए यह सुनिश्चित किया कि आगे से केन्द्र सरकार के बजट का रुपये में से साठ नया पैसा गांव-ढाणियों के विकास पर खर्च होगा। गरीब और किसान के उत्थान पर खर्च होगा और उसके बाद से गांव-ढाणियों में विकास का दौर शुरू हुआ। चाहे वह पेयजल का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे वह चिकित्सा का मामला हो, चाहे वह सड़कों का मामला हो। दुर्भाग्य से समय कम मिला उस सरकार को लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई पर पहली बार नियंत्रण हुआ। परमिट राज पहली बार खतम हुआ और गांव के विकास का दौर शुरू हुआ।

दूसरी बार 1989-90 में फिर गैर कांग्रेसवाद की सरकार केन्द्र और राज्य में आयी और रुके हुए विकास की गति को दुबारा विकास मिला, गति मिली। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1947 से लेकर 1977 तक विकास का जो आधारभूत ढांचा तैयार किया गया उसकी नींव इतनी कमजोर थी कि गैर कांग्रेसी सरकार को उस कमजोर नींव को मजबूत करने में अपना समय व्यतीत करना पड़ा। फिर भी जितना काम आजादी के 67 साल में ग्यारह, साढ़े ग्यारह साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं और शेष समय में जो एक पार्टी का शासन रहा है, अगर उसका तुलनात्मक विश्लेषण हम करें तो यह पायेंगे कि वह ग्यारह, साढ़े ग्यारह साल का शासन देश और राज्य के लिये स्वर्णिम युग था।

इसी प्रकार जब 1998-99 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दुबारा केन्द्र में शासन करने का मौका मिला उन्होंने गांव-ढाणी, गरीब, किसान के उत्थान के बारे में विचार किया और उन्होंने तीन योजनाएं इस देश में लागू करने का प्रयास किया जिसमें पहली योजना थी देश के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से जोड़ने का। दूसरी, उनकी योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जिसके तहत हम आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में डामर की सड़कें बनती हुई देख रहे हैं। तीसरी, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी देश की नदियों को आपस में जोड़ने की। क्योंकि देश

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

का आधा हिस्सा हर दूसरे, तीसरे साल बाढ़ की चपेट में आता है और देश का आधा हिस्सा हर तीसरे, चौथे साल अकाल की चपेट में आता है। उसका स्थायी समाधान यही था कि इन नदियों को आपस में जोड़ा जाए और बाढ़ का अतिरिक्त पानी अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र की नदियों में नहरों के जरिये नदियों, तालाबों और झीलों में लाकर अगर डाल दिया जाए तो वहां का भू-जल स्तर ऊपर उठेगा, किसान के खेत में फसल अच्छी होगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, मजदूर को गांव में अच्छी मजदूरी मिलेगी और दोनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दिला पायेंगे, अच्छे संस्कार दिला पायेंगे और वे आर्थिक रूप से सम्पन्न होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा और उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ पायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोबारा इस राष्ट्र की जनता ने मौका नहीं दिया और जो इस देश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, हमारी केन्द्र सरकार ने वापस उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसकी जगह एक नरेगा जैसी योजना शुरू कर दी गयी। 1971 में जो केन्द्र सरकार ने नारा दिया था कि हम गरीबी हटायेंगे, वह गरीबी नहीं हटा पायी लेकिन गरीब को हटाने का सुनिश्चित रास्ता इस महा नरेगा के माध्यम से शुरू कर दिया।

अगर हम राजस्थान के पिछले पांच साल के शासन की बात करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हालात बद से बदतर नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय खोल दिये गये लेकिन जहां विद्यार्थी थे वहां शिक्षक नहीं थे और जहां शिक्षक थे वहां विद्यार्थी नहीं थे।

हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो जहां चिकित्सक थे वहां मरीज नहीं थे और जहां मरीज थे वहां चिकित्सक नहीं थे। अभी बात चल रही थी मुफ्त दवा वितरण योजना की, मैं निवेदन करना चाहूंगा पंचायत राज के जन प्रतिनिधि के नाते मैंने परिवार कल्याण के बहुत से कैम्पों का निरीक्षण किया है, मुफ्त दवा तो बहुत दूर की बात है, इस देश की सबसे महत्वपूर्ण बात तो बढ़ती हुई जनसंख्या है और उसके नियंत्रण के लिए जो परिवार कल्याण के कैम्प लगते हैं, डाक्टर एक दस्ताने से दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह आपरेशन बिना स्टरलाइजेशन किये, उन्हीं औजारों से, गरम पानी में डुबोया और आपरेशन शुरू। सूई धागे का बिना स्टरलाइजेशन किये टांके लगाना शुरू। चिकित्सा और

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में इस प्रकार का कबाड़ा हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो महिलाएं या पुरुष आपरेशन कराने के लिये जाते थे वह आपरेशन के साथ एक नयी बीमारी लेकर जा रहे थे।

इसी प्रकार हम बात करें पेयजल की, सबसे अहम आवश्यकता है पेयजल की। 1978 के बाद, 1978 तक गांवों में, ढाणियों में सामुदायिक आधार पर पेयजल की व्यवस्था की जाती थी।

1978 के बाद पहली बार गांवों में सरकार के स्तर पर पेयजल की व्यवस्था शुरू हुई। विभिन्न योजनाएं आयीं और अंत में उनको जनता जल योजना का नाम दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र की जनता जल योजनाओं का विद्युत का बिल जलदाय विभाग द्वारा वहन किया जाता था। उनके संचालन और संधारण के लिए 400 रुपये प्रति हार्स पावर ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता था। इस सरकार ने बिना किसी कैबिनेट फैसले के, बिना किसी सदन के फैसले के अधिकारियों ने आपस में बैठक की और निर्णय कर लिया कि आज के बाद से जलदाय विभाग ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के बिल का भुगतान नहीं करेगा। उसका परिणाम यह हुआ कि विद्युत बिलों का बढ़ना शुरू हो गया। गांवों में जो पेयजल स्रोत थे उनके बिजली के कनेक्शन कटने शुरू हो गये। पंचायत राज संस्थाओं ने हल्ला-गुल्ला शुरू किया तो गवर्नमेंट ने यहां से निर्देश जारी कर दिये कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को जो तेरहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की जो राशि दी गयी थी, उससे बिजली के बिलों का भुगतान कर दिया जाये।

सभापति महोदय, जब उससे भी काम नहीं चला तो एक तीसरा फरमान चला गया कि अनटाइड फंड का जो पैसा है उसमें से इसका भुगतान कर दिया जाये। ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा दिया जा रहा था, उसे इन योजनाओं में खर्च करने के लिए इस सरकार ने पंचायतों को बाध्य कर दिया। उसके बाद जब ज्यादा दबाव पड़ा तो सरकार ने कहा कि कुछ पैसा हम जिला परिषदों के माध्यम से देंगे और पंचायत समितियां बकायों का भुगतान करेंगी। सभापति महोदय, आज भी गांवों में स्थितियां यह हैं कि एक-एक पंचायत समिति पर 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपये विद्युत निगमों का बकाया है और साल में कभी 1 करोड़, कभी 50 लाख, कभी डेढ़ करोड़ रुपये एक पंचायत समिति को इस विद्युत बिल के पेटे राशि इस सरकार द्वारा दी जा रही है और गांवों की पेयजल व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

सभापति महोदय, साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में क्या हुआ मुझे पता नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं निवेदन कर दूं, पिछले 5 साल में पेयजल जैसी संवेदनशील बात का भी इस प्रकार से राजनीतिकरण कर दिया गया कि सत्तारूढ़ दल के जन प्रतिनिधि की इच्छा के बगैर क्षेत्र का कोई भी गांव, ढ़ाणी सरकार के स्तर पर पेयजल व्यवस्था नहीं करवा सकती है। अगर किसी गांव, किसी बस्ती, किसी ढाणी के नागरिक जागरूक थे, उन्होंने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाकर या कोर्ट के मार्फत से या किसी माध्यम से कोई पेयजल का स्रोत सैंक्शन भी करवा लिया तो पिछले 4-5 साल में उनको इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, उनको पेयजल की सुविधा इसलिए नहीं उपलब्ध करवाई क्योंकि उस समय के सरकार के नुमाइंदे यह नहीं चाहते थे।

सभापति महोदय, बात करें हम ग्रामीण विकास की, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2011 में जो सड़कें 500 मीटर के दायरे में बसने वाली ढाणियां, जिनकी आबादी 500 से अधिक थी, उनके लिए स्वीकृत हुई, आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो 2011 में स्वीकृत हुई थीं और उनका निर्माण आज तक भी नहीं हो पाया। मैं समझता हूं कि उनकी लागत में भी शायद 30-30 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हो गयी। 30 प्रतिशत जो सरकार की राशि खर्च होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यह भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं।

सभापति महोदय, बात करें पिछले 66 सालों की, आजादी के 66 साल बाद भी, अभी केन्द्र सरकार का एक नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन है, उसने अपने 68वें राउंड के सर्वे के मुताबिक वर्ष 2011-12 में जो सर्वे किया उसमें उपभोक्ता खर्चों के आंकड़ों के आधार पर यह बताया है कि आज भी देश की 10 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 17 रुपये रोज से कम पर जीवन-यापन करने पर मजबूर है। आजादी के 66 वर्षों के बाद भी अगर इस तरह के हालात हैं और बात करते हैं पिछले 53-54 साल शासन करने वाले, जिम्मेदार ठहराते हैं हमारी सरकार को तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोकतंत्र में कोई दूसरी नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, हम सबने मिलकर, सबसे पहले 1947 में इस देश के विकास के लिए जो मूलभूत ढांचा तैयार किया था, उसकी जो खामियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। देश की आजादी के समय 87 प्रतिशत

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

सदी से ज्यादा आबादी खेती और खेती की मजदूरी पर अपना जीवन-यापन करती थी। उस समय देश में जो अहम आवश्यकताएं थीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, रोजगार के साधन और उसके बाद औद्योगिकीकरण। इस क्रम को उलटा किया गया। आज भी चाहे राज्य सरकार के आंकड़ें हों, चाहे केन्द्र सरकार के आंकड़े हों, सब यह बात कहते हैं, जितने देश के अर्थशास्त्री हैं वह भी यही बात कहते हैं कि देश के सकल घरेलू उत्पादन में या देश की सकल घरेलू आय में सबसे ज्यादा योगदान कृषि क्षेत्र का होता है। उस सबके बावजूद कृषि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ग्रामीण गरीब, किसान, मजदूर के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जब-जब विपक्ष की सरकारें आयी हैं, उन्होंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया लेकिन वापस सरकार बदली तो वही ढाक के तीन पात।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन से कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हितों के लिए हमारे मूलभूत ढांचे में जितनी भी कमियां हैं, पिछले 67 सालों में कार्यक्रम क्रियान्वयन की जो नीतियां हैं, उनमें जो कमजोर कड़ियां हैं, उन सबको दूर करते हुए, सब मिल-जुलकर प्रदेश और देश के विकास के लिए, नव-निर्माण के लिए सामूहिक चर्चा के साथ इस प्रकार का ठोस कार्यक्रम बनायें जिससे आम गरीब, किसान, मजदूर को उसका वास्तविक लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, जब भी गरीब, किसान, मजदूर की बात आती है, सरकारें हमेशा उनके लिए जो भी बजट होता है, चाहे वह आर्थिक मंदी हो, महंगाई हो या आर्थिक तंगी हो, सबसे पहले जब खर्चों में कटौती की बात आती है तो जो गरीब और किसान के हितों की योजनाएं बनती हैं उस पर कैंची चलती है। अभी 2010-11 के कुछ आंकड़े मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने 2010-11 में देश के 120 करोड़ लोगों को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है उस पर 60600 करोड़ रुपये का खर्चा किया है। 38 हजार करोड़ रुपये पेट्रोल, डीजल और केरोसीन और रसोई गैस की सब्सिडी पर खर्च किया है। किसानों को जो सस्ते दामों पर उर्वरक मिलता था उस पर 55 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं। यह कुल अमाउंट के मुकाबले इस राष्ट्र के चंद अरबपति, खरबपति उद्योगपतियों को चाहे वह टैक्स में छूट के नाम पर हो, चाहे टैक्स रियायत के नाम पर हो, चाहे औद्योगिक प्रोत्साहन के नाम पर हो 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। कहां 120 करोड़ की आबादी

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

और कहां कुछ चंद सैकड़ों या हजारों की तादाद। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम सबको मिल कर इन हालात को बदलना होगा।

सभापति महोदय, देश में योजना आयोग जो देश की नीतियां निर्धारित करता है, उसकी नीतियों में भी जो खामियां हैं, वह कभी कहता है कि शहरों में 28 रुपये 65 पैसे प्रति दिन जिसकी आय है वह गरीब नहीं है। गांवों में 22 रुपये 42 पैसे जिसकी आय है वह गरीब नहीं है। योजना आयोग के एक टायलेट को दुरूस्त करवाने के लिए 38-40 करोड़ रुपये खर्च कर दिये जाते हैं। गरीब आदमी को 22 रुपये 42 पैसे में गरीब नहीं मानते हैं। योजना आयोग के सदस्य जब भी कोई भोज का आयोजन करते हैं तो मेरे विचार से इससे सौ गुणा ज्यादा एक व्यक्ति के खाने पर खर्चा होता है। जब तक हम इस विषमता को मिटाने की ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं करेंगे, इसके लिए सभी दलों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करुंगा कि चाहे हम सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों, इस मामले में गहनता से विचार करें और देश के आम गरीब, किसान, मजदूर को किस प्रकार हम आर्थिक रुप से सम्पन्न बना सकते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं और जब तक हम उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र उन्नति और प्रगति नहीं कर पायेगा, प्रदेश उन्नति और प्रगति नहीं कर पायेगा। इस पर निश्चित रूप से सार्थक विचार यह सदन करेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मार्फत इस सदन के नेता ने, उनके सहयोगियों ने, जो मंशा देश और प्रदेश के सामने रखी है, निश्चित रूप से चाहे 1977 से 1980 का दौर हो, चाहे 1990 और 1990 से 1992 का दौर हो, चाहे 1996 का दौर हो, चाहे 1998 से 2004 का दौर हो, हमारी पार्टी की सरकारों ने हमेशा जो-जो वादे किए हैं उनमें अधिकांश को पूरा करने का प्रयास किया है और हम लगभग उसमें सफल भी रहे हैं। अब भी इस अभिभाषण के मार्फत प्रदेश की जनता से जितने भी वादे किए गए हैं निश्चित रूप से हमारी सरकार उन सब वादों को पूरा कर पाने में सफल होगी और प्रदेश एक बार पुन: उन्नति और प्रगति के मार्ग पर सरपट दौड़ लगाना शुरू करेगा और उसे देश के सबसे समृद्ध राज्यों की गिनती में निश्चित रूप से

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

आने वाले पांच साल में शुमार होने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसी आशा और उम्मीद के साथ, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अशोक चांदना।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 27 जनवरी, 2014 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.42 बजे सोमवार, दिनांक 27.01.2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

राजसमन्द में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित प्रकरण

5. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जीवन वृत्ति (पेंशन) किस योजना (जैसे वृद्धावस्था, विधवा आदि) में कितने व्यक्तियों को दी जा रही है तथा विभिन्न जीवनवृत्तियों की मासिक दर क्या है?

(2) वर्तमान में प्रत्येक पंचायत/नगर परिषद क्षेत्र में जीवनवृत्ति की किस योजना में कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं व इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

(3) सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध, विधवा एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को जीवनवृत्ति का लाभ दिलवाने एवं नये आवेदन प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(4) क्या सभी लाभान्वित व्यक्तियों को जीवनवृत्ति का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत एवं पालिका में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रत्येक माह में देय जीवनवृत्ति का भुगतान कब किया गया एवं प्रत्येक माह में प्रत्येक पंचायत/पालिका क्षेत्र में कुल कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर परिषद क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जीवनवृति (पेंशन) विशेष योग्यजन, वृद्धावस्था, विधवा आदि में जारी स्वीकृतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभिन्न जीवन वृत्तियों की मासिक दर निम्नानुसार है:-

प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशनरों को देय पेंशन की दर निम्नानुसार है -

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रु. 750/- प्रतिमाह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 500/- प्रतिमाह।
3. 0 से 8 वर्ष के विशेष योग्यजन पेंशनर को रु. 250/- प्रतिमाह।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के पंचायत समिति राजसमन्द में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

पंचायत समिति रेलमगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यालय में प्रेषित किये गये आवेदन पत्रों में से

जवासिया -	विधवा 2 विकलांग 1 वृद्धावस्था 7
कोटड़ी -	विधवा 1 व वृद्धावस्था 7
लापस्या -	विधवा 3 विकलांग 1 व वृद्धावस्था 16
पनोतिया-	वृद्धावस्था के 10 आवेदन पत्र इस सप्ताह में प्राप्त होने से लम्बित हैं। जिनका शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

नगर परिषद क्षेत्र में पेशन के 23 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनमें से 16 वृद्धावस्था, 05 विकलांग एवं 02 विधवा पेंशन के हैं। इन लम्बित आवेदनों का निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाये जाने वाले अभियानों में तथा कोरम बैठक, मिनी सचिवालय, ग्राम सभा में जानकारी प्रदान कर आवेदन पत्र तैयार करवाये जाते हैं तथा समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त योजना के आवेदन पत्र उपलब्ध हैं तथा पात्र व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

प्रत्येक शुक्रवार को जनसुनवाई के दौरान योजना की जानकारी दी जाती है।

(4) कोष कार्यालय में स्टाफ की कमी होने से वर्ष 2012-13 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान 2 से 3 माह के अंतरात में किया जा रहा था। वर्ष 2013-14 में समस्त पेंशन आनलाइन करने व लिगेसी डाटा फीडिंग किये जाने के कारण तथा पेंशन महाभियान चालू रहने के कारण सामान्यत दो-तीन माह के अंतरात में पेंशन भेजी जा सकी। वर्तमान में प्राय: मासिक आधार पर पेंशन भेजी जा रही है।

सन 2012-13 व 2013-14 में पेंशन का भुगतान सम्बन्धी परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास एवं कोटकासिम पंचायत समिति कार्यालय में रिक्त पद

6. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पंचायत समिति कार्यालय किशनगढ़ बास एवं कोटकासिम में कितने पद कब से रिक्त हैं? पदनामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों पर यथा समय पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अब उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पंचायत समिति कार्यालय किशनगढ़ बास एवं कोटकासिम में निम्नानुसार पद रिक्त हैं :-

पंचायत समिति का नाम	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	पद रिक्त होने की दिनांक
1	2	3	4
किशनगढ़ बास	पंचायत प्रसार अधिकारी	4	17.09.2013
	कार्यालय सहायक	1	11.03.2013
	ग्राम सेवक	6	30.04.2010 31.05.2011 04.01.2012 11.07.2013 18.09.2013 18.09.2013
कोटकासिम	पंचायत प्रसार अधिकारी	5	10.12.2012
	सहायक अभियन्ता	1	01.03.2013
	कनिष्ठ अभियन्ता	1 5	पूर्व का 31.08.2012
	ग्राम सेवक	5	21.07.2013
	कार्यालय सहायक	1	28.06.2013

(पंचायती राज मंत्री)

1	2	3	4
	वरिष्ठ लिपिक	1	28.06.2013
	कनिष्ठ लिपिक	8	28.06.2013
	सहायक कर्मचारी	1 1	23.07.2013 31.08.2013

(2)

1. सहायक अभियन्ता का पद कनिष्ठ अभियन्ता पद से पदोन्नति से भरा जाना है। कनिष्ठ अभियन्ता पदों की पदोन्नति पश्चात् पद भरा जा सकेगा।
2. कनिष्ठ अभियन्ता पद सीधी भर्ती का पद है। भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।
3. पंचायत प्रसार अधिकारी का पद ग्राम सेवक से पदोन्नति का पद है। ग्राम सेवकों की पदोन्नति प्रक्रियाधीन है।
4. कार्यालय सहायक का पद वरिष्ठ लिपिक की पदोन्नति से भरा जाना है। कार्मिकों की पदोन्नति होने पर पद भरा जा सकेगा।
5. वरिष्ठ लिपिक का पद कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति से भरा जाना है। कार्मिकों की पदोन्नति होने पर पद भरा जा सकेगा।
6. कनिष्ठ लिपिक पद सीधी भर्ती का पद है। भर्ती प्रक्रिया का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।
7. ग्राम सेवकों की सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्ती उपरान्त कार्मिक उपलब्ध होने पर पद भरे जा सकेंगे।
8. सहायक कर्मचारी का पद कार्मिक उपलब्ध होने पर पद भरा जा सकेगा।

भादरा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

7. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भादरा में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। भादरा में 15 निजी महाविद्यालय संचालित हैं, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त व्यवस्था है।

गोकुल वाटिका सहकारी समिति की अनियमितताओं की जांच

8. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित गोकुल वाटिका सहकारी समिति का पंजीयन किस उद्देश्य से किया गया था? क्या समिति ने अपने कार्य क्षेत्र गोकुल बस्ती चैनपुरा जयपुर स्थित क्षेत्र से अन्यत्र भूखण्ड बेचे हैं? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

(2) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आदेश पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा गोकुल वाटिका सहकारी समिति की जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति से करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) गोकुल वाटिका सहकारी समिति के पंजीयन के समय इसके पदाधिकारी कौन-कौन थे तथा वर्तमान में कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गोकुल वाटिका सहकारी समिति का पंजीयन जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था, वह परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70(6) के अन्तर्गत जारी जांच परिणाम क्रमांक 1301-5 दिनांक 18.03.1997 में समिति द्वारा कार्य क्षेत्र के बाहर के व्यक्तियों को नियम विरुद्ध सदस्य बनाया जाकर भूखण्ड आबंटन किये जाने का तथ्य सामने आया था।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पत्र दिनांक 20.09.2011 के साथ प्राप्त हुए एक परिवाद की जांच अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर खण्ड से करवाई गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं के साथ गोकुल वाटिका सहकारी समिति लि. का बिन्दु भी सम्मिलित है। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) समिति में पंजीयन के समय निम्न पदाधिकारी थे:-

(सहकारिता राज्य मंत्री)

1. श्री जवाहिर लाल जैन-अध्यक्ष

2. श्री बसंतलाल मुकीम-मंत्री

वर्तमान में समिति में निम्न पदाधिकारी हैं:-

1. श्री पुष्पेन्द्र मुनीम-अध्यक्ष

2. श्री अंशुमान ढड्डा-उपाध्यक्ष

3. श्री प्रदीप कुमार ठोलिया-मंत्री

4. श्री विमल चन्द जैन-कोषाध्यक्ष

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सपोटरा के राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

9. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में कितने अधिकृत राशन डीलर किस-किस सामग्री के वितरण हेतु अधिकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत दो वर्षो में अधिकृत राशन डीलरों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस डीलर के विरुद्ध एवं कब? शिकायतों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में प्रति माह कितनी-कितनी राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है तथा अधिकृत राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार केरोसीन एवं आटे के वितरण के लिए राशन टिकट प्रणाली जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

(5) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिला करौली में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं कितने लोगों को दिया जा रहा है एवं वंचित व्यक्तियों को गेहूं देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में कुल 103 राशन डीलर गेहूं, चीनी एवं केरोसीन सामग्री वितरण करने हेतु अधिकृत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(2) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में अधिकृत राशन डीलरों के विरुद्ध 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डीलर्स के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्तमान में प्रतिमाह 13080.19 क्विंटल गेहूं का खाद्य सुरक्षा में चयनित पात्र लाभार्थियों एवं प्रतिमाह 395 क्विंटल चीनी का आबंटन/वितरण किया जाता है। अधिकृत राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षक द्वारा जांच कराने पर दोषी पाए जाने पर डीलर के प्राधिकार पत्र को निलम्बित/निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है।

(4) वर्तमान में माह अक्टूबर, 2013 से खाद्य सुरक्षा योजना लागू किए जाने के पश्चात् राज्य में आटा वितरण बंद कर दिया गया है।

राज्य में वर्तमान में केरोसीन के राशन टिकट की प्रणाली जारी नहीं है, परन्तु भविष्य में सभी जिलों में नये राशन कार्डों का वितरण सभी उपभोक्ताओं को होने के पश्चात् इस विषय में निर्णय लिया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत करौली जिले में माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2013 में प्रतिमाह 5815 मै.टन गेहूं का आबंटन किया गया था। भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 को लागू किया गया था। उक्त अधिनियम लागू करते समय बेहद जल्दबाजी बरती गई एवं खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत लोगों के चयन की प्रक्रिया सुस्पष्ट नहीं होने के कारण राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक लोगों का चयन कर लिया गया। गत सरकार ने चुनावों के मद्देनजर नाजनीतिक लाभ लेने के लिए अनावश्यक जल्दबाजी की तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर पूरा गौर नहीं किया और समुचित चयन नहीं होने के फलस्वरूप चयनित व्यक्तियों की संख्या भारत सरकार के निर्धारित नोर्म्स 446.62 लाख के स्थान पर 531.05 लाख हो गई।

यही नहीं, किसी भी चयनित का नाम दो बार नहीं आ पाए, इसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए। अत: राज्य में निर्धारित संख्या से ज्यादा 84 लाख यूनिट अधिक चयनित हो गई। साथ ही चयन की समुचित प्रक्रिया नहीं अपनाने से बहुत से पात्र व्यक्ति भी सम्मिलित होने से

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

रह गए, जिसके सम्बन्ध में राज्य भर से शिकायतें विभिन्न स्तरों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। करौली जिले में ग्रामीण जनसंख्या का 100.28 प्रतिशत चयन हुआ है, जबकि भारत सरकार के नोर्म्स के अनुसार 69.09 प्रतिशत का ही चयन किया जाना था और भारत सरकार से गेहूं का आबंटन भी इसी अनुसार प्राप्त होना था। करौली जिले में जो अधिक संख्या में व्यक्ति चयनित हो गए हैं, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। जहां तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित लाभार्थियों को खाद्यान्न अर्थात् गेहूं वितरण का प्रश्न है, गत सरकार द्वारा माह अक्टूबर-2013, माह नवम्बर-2013 में जितना-जितना गेहूं लाभार्थियों को दिया गया है उतना-उतना गेहूं अब भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में क्रियान्वयन की अधोपान्त प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के उपरान्त प्राप्त तथ्यों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी

10. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में माह जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को कितनी-कितनी पेंशन राशि का भुगतान किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त पेंशनधारियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है एवं क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक वृद्धों, विशेष योग्यजनों, विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में भुगतान की गई राशि की माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशनरों को देय पेंशन की दर निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750/- प्रतिमाह

2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500/- प्रतिमाह

3. 0 से 8 वर्ष के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250/- प्रतिमाह

पेंशन दर वृद्धि के सम्बन्ध में समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता रहा है। वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन का माह जुलाई, 2013 से माह दिसम्बर, 2013 का माहवार व्यय का विवरण

(रु. लाखों में)

Year 2013	IGNOAPS	S-Old Age	Total	IGNWPS	S-Widow	Total	IGNDPS	S-Disable	Total
JULY	2885.13	13433.87	16319.00	534.93	4192.02	4726.95	71.73	1724.44	1796.17
AUG	2278.50	17155.77	19434.27	425.54	2367.08	2792.62	180.55	1591.24	1699.79
SEPT	2427.41	19381.93	21809.34	350.63	2994.32	3344.95	25.12	1452.15	1477.27
OCTOBER	2774.33	24394.84	27169.17	509.14	3748.60	4257.74	107.26	2317.26	2424.52
NOV	2216.37	19789.93	22006.30	412.00	3013.71	3425.71	99.52	1647.00	1746.52
DEC	3088.44	26335.26	29423.70	326.81	4210.68	4537.49	61.17	1174.33	1235.50

प्रदेश में शीतलहर से हुए नुकसान का मुआवजा

11. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने प्रदेश में वर्तमान में प्राकृतिक आपदा विशेषकर शीतलहर से हुए नुकसान का आकलन कराया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना नुकसान हुआ?

(2) क्या सरकार शीतलहर से हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) प्रदेश में उक्त शीतलहर से हुए जान माल/पशुधन आदि के नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के समस्त जिला कलक्टर को पाला/शीतलहर से हुई क्षति के आकलन हेतु दिनांक 13.12.2013 को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिलों से फसल क्षति का आकलन प्राप्त होने के पश्चात् नुकसान की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो पायेगी।

(2) जी हां। नुकसान की सही स्थिति ज्ञात होने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(3) बिन्दु संख्या 01 के जवाब के अनुरूप।

प्रदेश में शिक्षक भर्ती हेतु निर्धारित मानदण्ड

12. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय सेवा में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को आरटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के शिक्षकों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार प्रदेश में राजकीय सेवा में शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली आरटेट परीक्षा को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में आरटेट परीक्षा समाप्त करने में कोई वैधानिक बाधाएं आ रही हैं? यदि हां, तो उक्त बाधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में उच्चतम न्यायालय के आदेश के मध्यनजर सरकार आरटेट के प्राप्तांकों में सभी वर्गों को छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक लेवल प्रथम एवं कक्षा 6 से 8 तक लेवल द्वितीय के अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(2) आरटेट परीक्षा की समीक्षा कर इसकी बाधाओं को दूर करने सम्बन्धित घोषणा बिन्दु नीतिगत दस्तावेज में शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा समीक्षा कर, आरटेट के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

(4) राज्य सरकार द्वारा कार्मिकों की भर्ती में आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने हेतु राज्य स्तर पर अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। उनके द्वारा परीक्षण के उपरान्त मामले में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

प्रदेश में बी.पी.एल. सर्वे में अनियमितता

13. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में गत 3 वर्षों में बी.पी.एल. सूची में कई पात्र व्यक्तियों के स्थान पर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने तथा कई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बी.पी.एल. सूची में अनेक पात्र लोगों को सम्मिलित नहीं किये जाने एवं अन्य अनियमितताओं के कारण पुन: बी.पी.एल. सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बी पी एल सूची-2002 (ग्रामीण) में गत 3 वर्षों में अपात्र परिवारों के नाम जोड़ने/शामिल होने सहित अनेक अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईहैं।

बी पी एल सूची-2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देशानुसार द्विस्तरीय अपील

(पंचायती राज मंत्री)

का प्रावधान है, जिसमें प्रथम अपील सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। बी पी एल सूची-2002 (ग्रामीण) में अपील के माध्यम से ही पात्र परिवारों को सूची में शामिल एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाया जा सकता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के आधार पर नवीन बी पी एल सूची भारत सरकार द्वारा जारी की जानी है।

प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

14. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में कुछ ऐसे जिले भी हैं, जहां से शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रतिबन्धित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? क्या सरकार उक्त जिलों से स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति बनाने के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध शिक्षकों की कमी को देखते हुए लगाया गया था। अत: वर्तमान में स्थानान्तरण प्रतिबन्ध हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। प्रदेश के निम्नांकित दस जिले स्थानान्तरण हेतु प्रतिबन्धित हैं :-

बीकानेर, बाड़मेर, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं सिरोही ।

इन जिलों से वर्तमान में शिक्षकों की कमी को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तनरण प्रतिबन्ध हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति

1. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत बाड़मेर जिले में कितने व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लाभार्थी को चिन्हित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिन्हित सभी योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त योजना के तहत दिसम्बर, 2013 तक जिले में कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत बाड़मेर जिले में चयनित व्यक्तियों की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बी पी एल, स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय परिवार, अन्नपूर्णा के लाभार्थियों सहित अनेक योजनाओं के पेंशनधारी, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के लाभार्थियों, समस्त सरकारी हास्टल के अन्त:वासी, बन्धुआ मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, लघु एवं सीमान्त कृषक सहित अनेक निर्धन एवं निराश्रित श्रेणी के लोगों को चिन्हित किया गया है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट- 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार से 446 लाख लाभार्थियों हेतु गेहूं का आबंटन प्राप्त हो रहा है, जबकि राजस्थान में लगभग 531 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार, बी पी एल/स्टेट बी पी एल परिवारों को न्यूनतम 25 किग्रा. प्रतिमाह प्रति परिवार अथवा 05 किग्रा. प्रति यूनिट, जो भी अधिक हो तथा शेष अन्य पात्र लाभार्थियों को समानुपातिक रूप से गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

(4) उक्त योजना के तहत माह अक्टूबर, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक बाड़मेर जिले को कुल 28159.20 मै. टन (9386.40 मै. टन प्रतिमाह) गेहूं का आबंटन किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा की उचित मूल्य की दुकानों के अनियमितता के प्रकरण

2. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकानदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ उचित मूल्य की दुकानों को अटैच भी किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं के कुल कितने प्रकरण पाये गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में संचालित उचित मूल्य दुकानों का दुकानदार के नाम सहित सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अटैच दुकानों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक उचित मूल्य दुकानों में गबन/अनियमितताओं के कुल 115 मामले सामने आए तथा उन पर विभागीय कार्यवाही कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं 05 मामलों में उचित मूल्य दुकानदारों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

सरदारशहर के विद्यालयों में रिक्त पद

3. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च/प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने-कितने पद कहां-कहां कब-कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) क्या सरकार उपरोक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क-1' पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क-2' पर संलग्न है।

(2) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उक्त रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

4. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में संचालित निजी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण किस प्रकार रहता है? सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में निजी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा बढ़ाई जा रही फीस एवं अन्य मदों में ली जा रही राशि पर रोक लगाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही मनमर्जी को रोकने हेतु कोई नीति बनाकर प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित निजी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम-1993 के तहत किया जाता है। उक्त संस्थाओं को मान्यता इसी अधिनियम के अधीन नियमों/शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। इस अधिनियम/नियम की अवहेलना करने वाली संस्थाओं की मान्यता सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की अभिशंसा के आधार पर निरस्त की जा सकती है अथवा इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नियमों/आदेशों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) निजी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थाओं द्वारा बढ़ाई जा रही फीस एवं अन्य मदों में ली जा रही राशि पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा आदेश दिनांक 01-06-2009 प्रसारित किया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा की जा रही मनमर्जी को रोकने हेतु सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस संग्रहण का विनियमन) अधिनियम-2013 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाएं फीस निर्धारण समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जा रही फीस की राशि का निर्धारण किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर सिटी के विद्यालयों में रिक्त पद

5. **श्री मान सिंह** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च-प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन से विद्यालय में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को अब कब तक भर दिया जाएगा? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में स्वीकृत पदों तथा पद कब से रिक्त हैं, का विद्यालयवार एवं संवर्गवार विवरण परिशिष्ट-'क-1' एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक

(शिक्षा मंत्री)

तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं पद कब से रिक्त हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क-2' पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उक्त रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर के विद्यालयों में बाल-वाहिनी (बस) की अनिवार्यता

6. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था में ऑटो-रिक्शा लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आटो-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जाता है जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? क्या सरकार दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर के विद्यालयों में आटो-रिक्शा को बन्द कराकर बालवाहिनी (बस) अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के विद्यालयों में आटो रिक्शा परिवहन व्यवस्था सम्बन्धी कोई स्वीकृति विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है।

(2) परिवहन विभाग द्वारा जयपुर शहर के विद्यालयों में परिवहन व्यवस्था में लगे आटो रिक्शाओं में क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन करने वालों के खिलाफ समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। विगत तीन वर्षों में नियमित चैकिंग एवं समय-समय पर चलाये गये अभियानों में बनाए गए चालानों का विवरण निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	बनाये गये चालानों की संख्या
1	2011-12	47
2	2012-13	13
3	2013-14 दिनांक 20.01.2014 तक	109
	योग	**169**

(3) आटो रिक्शा को बन्द कराकर विद्यालयों में बाल-वाहिनी (बस) अनिवार्य करने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दौसा जिले में आयोजित अध्यापक प्रशिक्षण शिविर

7. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के लिये किस-किस उद्देश्य के लिये व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये आवासीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त आवासीय शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों के लिये क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से 02 जनवरी, 2014 के बीच दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे में भी सरकार द्वारा ऐसे शिविर का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो उक्त शिविर में कितने अध्यापकों के लिये कितने कमरों एवं शौचालय की व्यवस्था की गई और क्या उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं पर्याप्त थीं?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त शिविर में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाने वाले व अपर्याप्त सुविधाओं के उपरान्त भी महिला अध्यापकों को रात्रि को आवासीय शिविरों में रुकने के लिये बाध्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार भविष्य में ऐसे शिविरों के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आयोजन पर पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में शिविरों में रात्रि को नहीं रुकने वाले अध्यापकों को अपने घर जाने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं। प्रशिक्षण के उद्देश्य का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन मुख्यत: ग्रीष्मावकाश में किया जाता है। जिन प्रशिक्षणों में शिक्षकों की सहभागिता कम होती है उनका आयोजन ग्रीष्मावकाश के अलावा भी कार्य दिवसों में किया जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 में नवनियुक्त शिक्षकों हेतु दिनांक 24/25 दिसम्बर, 2013 से 2/3 जनवरी, 2014 तक विषय आधारित प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा आई.ए.एस.ई. एवं सी.टी.ई. द्वारा सेवारत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित 33 डाइटों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिये आयोजित शिविर का दिनांक एवं विषयवार विवरण परिशिष्ट "ख" में सम्मिलित है।

(2) जी हां। इन शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों के लिये आवास, भोजन, चाय-नाश्ता की व्यवस्था की जाती है एवं आने-जाने का किराया दिया जाता है।

(3) जी हां। 479 अध्यापकों का प्रशिक्षण आयोजित हुआ। जिसमें से 293 पुरूष एवं 186 महिला अध्यापिकाएं थीं। जिनके लिए पुरुषों के लिए अलग धर्मशाला बुक करवाई गई थी जिसमें से 8 कमरे व तीन बड़े हाल तथा 10 शौचालय उपलब्ध थे तथा महिला अध्यापिकाओं के लिये अलग धर्मशाला बुक करवाई गई थी जिसमें 5 बड़े कमरे व दो बड़े हाल उपलब्ध थे, इसमें पांच शौचालय थे। इसके अतिरिक्त शिविर स्थल के निकट स्थित आदर्श विद्या मन्दिर बांदीकुई एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांदीकुई में भी रुकने की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी, जिनमें पर्याप्त शौचालय उपलब्ध थे। सम्भागियों के पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थीं।

(4) जी नहीं। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करवाकर सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार

(शिक्षा मंत्री)

आवश्यक कार्यवाही की जाती है। उक्त शिविर के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(5) आवासीय शिविरों में रात्रि को नहीं रुकने वाले अध्यापकों को अपने घर जाने की अनुमति देने का विचार नहीं रखती है। भारत सरकार की ओर से सभी प्रशिक्षण आवासीय किये जाने के प्रावधान हैं क्योंकि आवासीय प्रशिक्षणों में रात्रिकालीन सत्रों का भी आयोजन होता है जिसमें आवासीय प्रशिक्षणों में संभागियों को आपसी अनुभव एवं विचार बांटने का अवसर प्राप्त होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विद्यार्थी मित्रों के मानदेय में वृद्धि

8. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कुल कितने विद्यार्थी-मित्र कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्यार्थी-मित्र के चयन के क्या नियम/मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधार्थी-मित्रों को सरकार द्वारा कितना मानदेय दिया जा रहा है? क्या सरकार इस मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब से? व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विद्यार्थी-मित्रों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 6879 एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 15432 विद्यार्थी-मित्र कार्यरत हैं। कार्यरत विद्यार्थी-मित्रों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) विद्यार्थी-मित्र योजनान्तर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध विषयवार योग्यता तथा योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को संस्था प्रधान तथा अभ्यर्थी के मध्य अनुबन्ध आधार पर संविदा पर लगाया जाने का प्रावधान है।

(3) उक्त विद्यार्थी-मित्रों को वर्तमान सत्र 2013-14 में जुलाई, 2013 से निम्नानुसार मानदेय दिया जा रहा है:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पदनाम	मानदेय
1	अध्यापक ग्रेड-।।।	4800
2	अध्यापक ग्रेड-।।	5300
3	व्याख्याता	6900

उक्तानुसार देय मानदेय में वृद्धि 2013-14 में ही की गई है। अत: मानदेय बढोतरी का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। विद्यार्थी-मित्रों को वर्तमान में प्रचलित किन्हीं सेवा-नियमों के अन्तर्गत नहीं लगाया गया है, मात्र अनुबन्ध पर लगाया गया है। अत: नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सपोटरा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित प्रकरण

9. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में विगत दो वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन आवेदकों के पुत्र-पुत्रियां 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, किन्तु बेराजगार अथवा गम्भीर रोगी या अस्वस्थतावश कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी पेंशन प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदकों को वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन जारी नहीं की गई एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पंचायत समिति सपोटरा के अधीन 55 ग्राम पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन के 13136, विशेष योग्यजन 271, एवं विधवा पेंशन के 918 कुल 14325 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन के 10570, विशेष योग्यजन 258 एवं विधवा पेंशन के 887 कुल 11715 आवेदन पत्रों की आनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(2) दिनांक 01/04/2013 से लागू राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 एवं विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 नियमों में वर्णित अन्यथा पात्र होने पर आवेदक के पुत्र/पुत्रियों की आयु 25 वर्ष से अधिक होने का, आवेदक की पेंशन स्वीकृति पर कोई प्रभाव नहीं है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थी की स्वयं एवं पत्नी/पति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/- से कम होने पर तथा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत प्रार्थी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 60000/- से कम होने पर पेंशन स्वीकृति का प्रावधान है।

यदि प्रार्थी के स्वयं या पति या पत्नी या पुत्र के राज्य सरकार की राजकीय सेवा/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या राजकीय पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में पंचायत समिति सपोटरा में वृद्धावस्था पेंशन के 2566, विशेष योग्यजन 13, एवं विधवा पेंशन के 31 कुल 2610 आवेदन पत्र इंटरनेट की धीमी गति के कारण आनलाइन स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है। आनलाइन स्वीकृति जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन हेतु जारी पी.पी.ओ.

10. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन लागू किये जाने की घोषणा की गई थी?

(2) उक्त घोषणा के उपरान्त कितने वृद्धजनों को पेंशन वितरण किये जाने हेतु पीपीओ नम्बर जारी किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा जारी पीपीओ संख्या में से कितने वृद्धजनों को पेंशन वितरित की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 1.4.2013 से राजस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 लागू किये गये हैं नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त नियम लागू किये जाने के पश्चात् वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जिलेवार पेंशन वितरण हेतु जारी किये गये पीपीओ का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पेंशन का वितरण बैंक/पोस्ट आफिस खातों एवं मनीआर्डर के माध्यम से किया जाता है। सरकार द्वारा जारी पीपीओ संख्या में से जिला कोषाधिकारियों के द्वारा माह दिसम्बर, 2013 में भुगतान प्रक्रिया में www.rajssp.raj.nic.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार पेंशन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट संख्या 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में प्रस्तावित नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां

11. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किन मानदण्डों के तहत व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मरूस्थलीय क्षेत्रों में हिस्सा पूंजी व जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए मानदण्डों में शिथिलता देकर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की अधिकांश ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित नहीं है? यदि हां, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्वीकृत होने से वंचित रही व प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में शीघ्र नवीन समितियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबू सिंह)

(6) शेरगढ़ तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समिति की उचित मूल्य की कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा कितनी दुकानें वर्तमान में संचालित हो रही हैं?

(7) शेरगढ़ तहसील में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के कितने पद सृजित हैं इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(8) जोधपुर जिले में कितनी ग्राम सहकारी समितियों में अस्थाई व्यवस्थापक लगे हुए हैं? सहकारी समितिवार व्यवस्थापक का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार अस्थाई व्यवस्थापकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 के अनुसार हैं।

(2) वर्तमान में उक्त प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कुल 56 ग्राम पंचायतें जिनमें से 44 ग्राम पंचायतें 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र में आती हैं। 12 ग्राम पंचायतें (डेरिया, बस्तवा, खुडियाला, बेलवा राणाजी, बिराई, गोपालसर, कुईइन्दा, बालेसरसत्ता, बालेसर दुर्गावत्ता, बेलवा, खारीबेरी, उटाम्बर) बालेसर कृषक सेवा सहकारी समिति, जो अवसायनाधीन है, के अन्तर्गत आती थी एवं वर्तमान में इनमें कोई ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालित नहीं है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के प्रस्ताव जिन पंचायतों में विचाराधीन हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(6) शेरगढ़ तहसील में उचित मूल्य की 95 दुकानें स्वीकृत एवं संचालित हैं जिनमें से निजी क्षेत्र की 90 एवं 4 दुकानें ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा तथा 1 दुकान महिला स्वयं सहायता द्वारा संचालित है।

(7) शेरगढ़ तहसील में 19 ग्राम सेवा सहकारी समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समिति स्तर से अस्थाई व्यवस्था की गई है। उक्त 9 समितियों में रिक्ति का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं। जी हां। उक्त समितियों में से एक समिति द्वारा जिला स्तरीय चयन कमेटी को सम्बन्धित समिति से प्रस्ताव एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने पर रिक्त पद भरा जायेगा। शेष 8 समितियों में अस्थाई व्यवस्थापकों को विभाग द्वारा जारी नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत स्क्रीनिंग प्रावधानों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित योग्य पाये जाने पर नियमित किया जा सकता है।

(8) जोधपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक जोधपुर से सम्बद्ध कुल 200 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 139 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मुख्य कार्यकारी पद पर कार्य संचालन हेतु अस्थाई व्यवस्था है जिनमें से 46 समितियों का अतिरिक्त चार्ज वर्तमान व्यवस्थापकों को दिया गया है। सहकारी समितिवार कार्यरत अस्थाई व्यवस्थापकों के नाम सहित सूची परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। शेष 93 समितियों में अस्थाई व्यवस्थापकों को विभाग द्वारा जारी नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत स्क्रीनिंग प्रावधानों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित योग्य पाये जाने पर नियमित किया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सूक्ष्म वित्त माइक्रो समितियों की स्थापना

12. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में, सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेन्स) समितियां स्थापित की जा रही हैं? यदि हां, तो इनके क्या उद्देश्य हैं?

(2) उक्त समितियों की स्थापना के लिये मानक आधार क्या हैं तथा प्रत्येक जिले में कितनी समितियां स्थापित की जाती हैं व अब तक कितनी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिलेवार कितनी समितियां बनायी जानी है?

उत्तर

(1) जी हां।

माइक्रोफाइनेंस सहकारी समितियों (सूक्ष्म वित्त माइक्रोफाइनेंस समिति) के उद्देश्य निम्न हैं:-

1. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वरोजगार के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लि. के माध्यम से लोगों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना।
3. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लोगों में बचत की आदत विकसित करना, उन्हें साख सुविधा उपलब्ध करवाना, लोगों को सूक्ष्म बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना एवं रेमिटेन्स जैसी बैंकिंग सुविधा से युक्त बनाना।
4. सोसायटी के संरचनात्मक ढांचे के माध्यम से समूहों के द्वारा तैयार किये गये विभिन्न उत्पादों के विपणन में सहयोग करना।
5. समूहों से जुडे लोगों के लिये प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
6. समूहों से जुडे लोगों को उद्यमी के रूप में विकसित करना।
7. सामाजिक सरोकार के ऐसे कार्य जो सोसायटी के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
8. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निगम के माध्यम से ऋण अनुदान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त कर समूहों को साख एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
9. ग्राम पंचायत स्तर पर माइक्रोफाइनेंस क्लब का गठन करना एवं बिजनेस कोरेस्पोन्डेंट की सहायता से स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।
10. समूहों के सदस्यों में बचत भावना उत्पन्न कर मिनी बैंकों का संचालन करना तथा अपने वित्तीय संसाधन एकत्रित करना। समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अमानतें प्राप्त करना।
11. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि एवं भवन क्रय करना, निर्माण कराना एवं भूमि एवं भवन किराये पर लेना।
12. अन्य वह सभी कार्य करना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक हो।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(2) माइक्रोफाइनेंस सहकारी समिति (सूक्ष्म वित्त समिति) के कार्य क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के 250 व्यक्तिगत सदस्य मिलकर ब्लाक स्तरीय माइक्रोफाइनेंस सहकारी समिति का गठन कर सकेंगे। जिसका पंजीयन राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 8(1)8(क) मे वर्णित "ऋण सम्पदा सोसायटी" वर्ग में न्यूनतम 50,000/- रुपये शेयर पूंजी के साथ किया जा सकेगा ।

राज्य के प्रत्येक जिले में ब्लाक स्तर पर कुल 249 माइक्रोफाइनेंस सहकारी समितियां स्थापित की जानी प्रस्तावित हैं ।

(3) दिनांक 16.01.2014 तक प्राप्त सूचनानुसार गठित माइक्रोफाइनेंस सहकारी समितियां (सूक्ष्म वित्त समितियां) की जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है:-

जिला	गठित माइक्रोफाइनेंस सहकारी समितियों की संख्या
दौसा	4
झालावाड़	2
डूंगरपुर	2
उदयपुर	1
भीलवाड़ा	1

वित्तीय वर्ष 2013-14 में ही राज्य के समस्त 249 ब्लाक्स (पंचायत समितियों) में माइक्रोफाइनेंस सहकारी समितियां स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन

13. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आगामी पंचायती राज चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के गठन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं एवं क्या सरकार इनमें कोई संशोधन करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा आगामी पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुनर्सीमांकन करवाये जाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के गठन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

पाली जिला परिषद द्वारा शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता

14. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली में जिला परिषद पाली द्वारा गत पांच वर्षों में कहां-कहां किस-किस विद्यालय में किस-किस शिक्षक को नियुक्ति प्रदान की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद पाली द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर आयोजित की गई परीक्षा परिणाम में अनियमितता पाई गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या एवं उनका किस आधार पर किस स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा निराकरण कब-कब किया गया एवं उक्त निराकरण से कितने अभ्यार्थियों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ा?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम में संशोधन भी किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या एवं पूर्व में तथा बाद में घोषित परीक्षा परिणाम के कारण कितने अभ्यार्थी पूर्व में घोषित परिणाम के अनुसार नियुक्ति से वंचित रहे एवं बाद में घोषित परीक्षा परिणाम से कितने नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया गया? पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें बाद में घोषित परिणाम के आधार पर बाहर किया गया एवं नवीन अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति का लाभ मिला, के नाम, पिता के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बाद में घोषित परिणाम के आधार पर बाहर किये गये शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार उक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस आधार पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद पाली द्वारा गत पांच वर्षो में नियुक्त किये गये शिक्षकों की नामवार एवं विद्यालयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं। जिला परिषद पाली द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा परिणाम में अनियमितता नहीं पायी गई है। विषय विशेषज्ञ द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर उत्तर कुंजी में संशोधन एवं आरटेट के परिणाम में भी संशोधन होने के कारण तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 का रिवाइज परिणाम घोषित किया गया था। जिसके तहत 166 चयनित अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हुए हैं।

(3) जी हां। तृतीय श्रेणी (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 का संशोधित परिणाम घोषित किया गया था। संशोधित परिणाम के अनुसार पूर्व में नियुक्त 166 अभ्यर्थी संशोधित कटआफ से बाहर हो गये तथा 779 अभ्यर्थियों को नवीन परिणाम के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया का लाभ मिला है। संशोधित परिणाम के अनुसार बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-2 पर एवं नवीन नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संशोधित परिणाम एवं तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2012 के संशोधित परिणाम के अनुसार पूर्व में चयनोपरान्त कार्य ग्रहण कर चुके संशोधित परिणाम से बाहर होने वाले अध्यापकों के सेवा से पृथक करने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील संख्या 48/2014 उनवानी महेन्द्र कुमार व नीतू शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यथास्थिति के निर्देश दिये हैं। अतएव उक्त डी.बी. में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय आने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण जनता जल योजना के संचालन में परिवर्तन

15. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्रामीण जनता जल योजना को सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग को सुपुर्द करने के कारण उक्त योजना बन्द पड़ी हुई है तथा इस मद में राशि व्यय करने के पश्चात् भी ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को लाभान्वित करने के लिये इस योजना को पुनः पंचायती राज विभाग से

(श्री अजीत सिंह)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाएं हैं जिनको संधारण हेतु स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ/ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाती है। सरकार द्वारा ग्रामीण जनता जल योजना के संचालन हेतु सम्बन्धित पंचायती राज संस्था को राज्य मद से देय अनुदान वित्तीय वर्ष 2012-13 से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सही है कि उक्त योजना का जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के तकनीकी सहयोग द्वारा सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा था। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्र को यथावत लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त योजना को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को वापस किये जाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

करौली जिले के विद्यालयों में मिड-डे मील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

16. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली जिले में गत दो वर्षों में राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि करौली जिले की पंचायत समिति टोडाभीम व करौली में मिड-डे मील योजनान्तर्गत कई राजकीय विद्यालयों में रसोईघर व भण्डार का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में तथा क्यों? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में निर्माण कार्य कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मिड-डे मील योजना के तहत टोडाभीम पंचायत समिति में कई राजकीय विद्यालयों में समय पर राशि/खाद्य सामग्री का

(श्री घनश्याम)

आबंटन नहीं होने के कारण बच्चे पोषाहार से वंचित रह जाते हैं? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) करौली जिले में विगत दो वर्षों में जिले के राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील की गुणवत्ता के बारे में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) करौली जिले की पंचायत समिति टोडाभीम व करौली में मिड-डे मील योजनान्तर्गत 220 राजकीय विद्यालयों में रसोईघर व स्टोर्स का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इन विद्यालयों में रसोईघर व स्टोर्स निर्माण नहीं करवाये जा सकने के कारणों का उल्लेख परिशिष्ट-2 के कोलम-3 पर किया गया है। स्थान अभाव, भवन विहीन एवं स्थान विवादग्रस्त वाले 144 विद्यालयों को छोड़कर अन्य 76 विद्यालयों में रसोईघर व स्टोर्स का निर्माण चरणबद्ध तरीके से करवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। मिड-डे मील योजना के तहत टोडाभीम पंचायत समिति के सभी राजकीय विद्यालयों में राशि/खाद्य सामग्री का आबंटन समय पर किया जा रहा है। किसी भी विद्यालयों के बच्चे पोषाहार से वंचित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

17. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत पांच वर्षों में विधायक कोष से किस-किस पंचायत में कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा कौन-कौन से कार्य अभी तक अधूरे हैं तथा कौन-कौन से कार्य अभी तक चालू ही नहीं किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत पांच वर्षों में विधायक कोष से

(ग्रामीण विकास मंत्री)

पंचायत वाइज स्वीकृत किये गये कार्यों एवं लागत राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) उक्त कार्यों में पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' के कालम संख्या 21, अभी तक अधूरे (प्रगति पर) का कालम संख्या 22 तथा अभी तक चालू नहीं किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ के कालम संख्या 23 पर अंकित है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराये गये निर्माण कार्य

18. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक किन-किन विद्यालयों में मरम्मत कार्य व नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य करवाये गये हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व-शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में टी.एल.एम. के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब वितरित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालयों का निर्माण करवाया गया तथा उक्त निर्मित शौचालयों में से वर्तमान में कितने शौचालय उपयोग में लिए जा रहे हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराये गये मरम्मत कार्य व नवीन कक्षा-कक्ष निर्माण का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2008-09 से टी.एल.एम. के तहत शिक्षकों को निम्नानुसार राशि वितरित की गई:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (राशि लाख में)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (राशि लाख में)
1	2008-09	20.651	46.146
2	2009-10	39.400	23.259
3	2010-11	38.340	24.010
4	2011-12	36.950	29.460
5	2012-13	34.810	31.300
6	2013-14	0.00	0.00
	योग	**170.151**	**154.175**

(3) उक्त समायावधि में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अलवर जिले में 391 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 391 बालिका शौचालयों का निर्माण करवाया गया। उक्त समस्त 391 शौचालय उपयोग में लिये जा रहे हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बडी सादड़ी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

19. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में कोई राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बड़ी सादड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय विहीन सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है।